(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या 12

मंगलवार,
15 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक प्रात: 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों के अन्दर कैरोसीन का इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बारे में हाउस को एडजोर्न करके उसके ऊपर पहले विचार किया जाना चाहिए, प्रश्नकाल को आज सस्पैण्ड कर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी और सभी माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत हूं कि यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और हम सब के लिए बड़ा दुःखदायी है। इस सम्बन्ध में प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ही मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं उस पर आप सवाल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल आप ही लोगों का है, आप ही के प्रश्न हैं। इस प्रश्न पर, इसकी गम्भीरता पर आप चर्चा कर सकेंगे और मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): ....से ज्यादा मौतें हुई हैं और 150 से ज्यादा आदमी घायल हैं और घायल ही नहीं हैं मरणासन्न अवस्था में हैं कई लोग तो। ऐसे मामले में अगर सदन अपनी कार्यवाही स्थगित करके पहले इस पर विचार कर ले तो मैं यह समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रश्नकाल सदस्यों का ही है इसलिए इसको स्थगित करने से सदस्यों का ही नुकसान होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर सदस्य चाहे वह इधर के हों, चाहे उधर के हों पूरे हादसे से दुःखी हैं।

श्री अध्यक्ष : जहां तक इसकी गम्भीरता का प्रश्न है, प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इसी विषय पर चर्चा होगी। मुख्य मन्त्रीजी इसी पर भाषण देंगे और आप उस पर अपनी चर्चा कर सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आज प्रश्नकाल स्थगित भी कर दिया जाता है तो ...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जब दोनों तरफ से सदस्य चाहते हैं और हमारा प्रश्नकाल है तो आप इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं भी आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है, आप ही लोगों के लिए बोल

(श्री अध्यक्ष)

रहा हूं। प्रश्न जितना गम्भीर है उतनी गम्भीरता के साथ चर्चा करिये और उसके लिए जितना उचित समय है वह आपको मिलेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर हादसे पर, हर विषय पर चर्चा प्रश्नकाल के बाद होती है लेकिन यह एक अनहोनी घटना है जिससे पूरा राजस्थान ही नहीं, भारतवर्ष का हर कोना हिल चुका है।

श्री अध्यक्ष : समय निश्चित रूप से मिलेगा। इसकी गम्भीरता के प्रश्न पर कोई दो राय नहीं है और सदन की चिन्ता इस सम्बन्ध में उचित है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ही चर्चा होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा पहले करवा दी जाए तो....

श्री अध्यक्ष : शायद आपको पता नहीं होगा, पिछले दिनों कांफ्रेंस हुई थी, स्पीकर कांफ्रेंस होती है और उसमें लगभग तय हुआ है, पार्लियामेंट में भी हुआ है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, इम्पार्टेंट विषय हो तो प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ले लिया जाना चाहिए। यह परम्परा है उसको निभायें। सबने तय किया है। आल इण्डिया कांफ्रेंस में तो लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स, सचेतक सारे थे और स्पीकर्स थे और सबने मिल कर रिजोल्यूशन पास किया है। तो यह प्रजातांत्रिक परम्परा है उसको निभायें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि चर्चा इसमें विस्तृत हो।

श्री अध्यक्ष : हां, हो। इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी। श्री नाथूराम अहारी।

महिला सुपरवाइजरों का पदोन्नति प्रकरण

307. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या महिला एवं बाल पोषाहार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी महिला सुपरवाइजर्स को कब पदोन्नत किया गया था ? क्या इनमें कोई जनजाति की महिलाएं हैं ? क्या विभाग ने पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली अपनायी है ? पूरा विवरण मय पदोन्नति की तिथि व वर्ष के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं कि विभाग ने जनजाति की महिलाओं को पदोन्नति से वंचित रखा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस लाइन में श्रीमती लक्ष्मी चरपोटा, महिला सुपरवाइजर, आसपुर–डूंगरपुर थी, लम्बे समय से इन्हें वंचित रखा जा रहा है, सारी योग्यताएं रखती हैं और सीनियोरिटी में वरिष्ठ है फिर इन्हें पदोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल पोषाहार (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा दिनांक 17.12.1986 को 26 महिला सुपरवाइजरों को पूर्णतः अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर सहायक

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नत किया गया था। चूंकि पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी रूप से वरिष्ठता के आधार पर की गयी थी अतः प्रकरण में रोस्टर प्रणाली नहीं अपनायी गयी।

(2) यह सही है कि उपरोक्त पदोन्नति देते समय केवल वरीयता को ही आधार बनाया गया था तथा उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी तदर्थ आधार पर थी अतः रोस्टर की प्रक्रिया लागू नहीं की गयी थी।

(3) श्रीमती लक्ष्मी चरपोटा, महिला सुपरवाइजर का नाम वरीयता सूची में क्रम संख्या 36 पर था, जबकि विभाग द्वारा कुल 26 महिला सुपरवाइजरों को पदोन्नति दी गयी थी। दिनांक 17.12.1986 के पश्चात् महिला सुपरवाइजरों की कोई पदोन्नति नहीं की गयी है। विभागीय नियम अभी बने नही हैं अतः रोस्टर प्रणाली का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया था। विभागीय नियम बनने पर पदोन्नति समिति की बैठक होने पर इन अधिकारियों को स्थायी करते समय विभाग द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्य महिला पर्यवेक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग में रोस्टर प्रणाली क्यों नहीं लागू की गयी जबकि सरकार की यह नीति है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो अभी उन्होंने पढ़ा है उसमें कहा है कि तदर्थ दी है इसलिए नहीं की, जब स्थायी करेंगे तब रोस्टर प्रणाली लागू कर देंगे। अभी यह तदर्थ है।

श्री नाथूराम अहारी : स्थायी करेंगे तो भी उन्हीं को....

श्री अध्यक्ष : यह लिखा है, जब स्थायी करेंगे, समिति बैठेगी तब वह रोस्टर प्रणाली के मुताबिक ही करेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : जिनको अस्थायी लिया है उनको ही लिया जाएगा या बाद वालों को जिनकी हमारी मंशा है ?

श्री अध्यक्ष : उस समय रोस्टर लागू हो जाएगा। जब स्थायी करेंगे तब रोस्टर लागू हो जाएगा और रोस्टर में जिनका प्रमोशन आता है उनको मिल जाएगा।

श्री नाथूराम अहारी : दूसरा, मेरा प्रश्न है कि महिला सुपरवाइजरों को सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी में पदोन्नति दी है उसमें छह पोषाहार निरीक्षकों को पदोन्नत किया है, तो महिलाओं को ही क्यों नहीं किया, पुरुषों को क्यों किया ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : 1985 में विभाग का गठन किया गया था। ग्रामीण विकास और समाज कल्याण विकास विभाग सबसे लेकर इसका गठन किया गया था। 1986 में उन डिपार्टमेंट्स से जो आये थे उनको पदोन्नति इसलिए दी गयी थी क्योंकि पदोन्नति में आगे हमारे पास में कोई काम करने वाले नहीं थे और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स से जिनको हम ले सकते थे उनको लिया गया।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल पूछ रहे हैं क्या।

श्री नाथूराम अहारी : मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री नाथूराम अहारी : आपने कहा कि रोस्टर प्रणाली विभाग जब लागू करेगा उस समय हम पदोन्नत करेंगे। तो कब तक करने का इरादा है ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह जल्दी से जल्दी करने का है। इसके पेपर्स और फाइल तैयार हैं, जैसे ही डिपार्टमेंट में पेश करेंगे, हो जाएगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग में कितनी महिला सुपरवाइजर कार्यरत हैं और उसमें कितनी अनुसूचित जाति की महिलाएं सुपरवाइजर हैं ? टोटल स्ट्रेन्थ अनुसूचित जाति की क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, यह पूछ रहे हैं कि कितनी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं सुपरवाइजर के पद पर काम कर रही हैं और कितनी जनरल हैं। आपके पास फिगर्स हैं क्या ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह अलग से क्वेश्चन है इसकी सूचना आपको दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आंकड़े नहीं हैं अभी आपके पास।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आंकड़े नहीं हैं अभी।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मुख्य प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : टोटल स्ट्रेन्थ आफ दी वूमेन सुपरवाइजर शिड्यूल्ड कास्ट के....

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मुख्य प्रश्न यह है कि कितने सुपरवाइजरों को पदोन्नत किया गया। मुख्य तो यह यहीं से शुरू होता है। मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये, महिला सुपरवाइजरों की पदोन्नति है... (व्यवधान) फिगर्स नहीं हैं उनके पास।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : 29 महिला सुपरवाइजर हैं।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : प्रमोशन किया गया या नहीं किया गया ? यदि किया गया तो कितनी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का प्रमोशन किया गया ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अब अनुसूचित जनजाति के बारे में आप मेरे से दुबारा प्रश्न कर लें, अभी आंकड़े नहीं हैं, बाद में जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदया से मैं जानना चाहता हूं, टेम्प्रेरी प्रमोशन देने के बाद 8 साल का समय गुजर गया और अभी तक आपके विभाग ने नियम नहीं बनाये, तो अब कब तक नियम बन जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : नियम कब तक बन जाएंगे ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नियम जल्दी से जल्दी बन जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमरा राम।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 1994)

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

93. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षा सत्र वर्ष 1993-94 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति का भुगतान अब कब तक कर दिया जाएगा ?

(2) राजस्थान में उपरोक्त छात्रवृत्ति का वितरण कितने कालेजों में कर दिया गया है तथा कितने कालेजों में अभी तक नहीं किया गया है ? अब कब तक छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाएगा ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में शैक्षणिक सत्र 1993-94 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों को निम्न वर्णित अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है एवं भुगतान किया गया है :-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
स्वीकृत छात्रवृत्ति	395	60
भुगतान की गयी छात्रवृत्ति	133	33

शेष स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को इसी माह के अन्त तक कर दिया जाएगा।

(2) राज्य में माह फरवरी, 1994 के अन्त तक उपरोक्त छात्रवृत्ति का वितरण 194 महाविद्यालयों में आंशिक रूप से कर दिया गया है तथा 62 महाविद्यालयों में अभी तक इस शैक्षणिक सत्र का छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। देय छात्रवृत्ति का वितरण इसी माह के अन्त तक कर दिया जाएगा।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब मार्च चल रहा है और जहां 455 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी थी मार्च तक, मैं समझता हूं वह भी इसी महीने में दी गयी है और मात्र 166 विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी गयी है, इसके लिए दोषी कौन है ? विद्यार्थी को पढ़ने के लिए स्कालरशिप दी जाती है और ईयर खतम होने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाए तो उस विद्यार्थी के साथ....

श्री अध्यक्ष : आपका सीधा-सा सवाल है कि क्यों नहीं दी गयी ? बस इतना है। सवाल का जवाब आ जाएगा।

श्री अमरा राम : और जिनकी गलती

(श्री अमरा राम)

रही उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : हां, उसका जवाब आ जाएगा कि क्यों नहीं दी गयी है। इसी में आपका जवाब....

श्री अमरा राम : दूसरा यह है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप दूसरा पूछ लेना बाद में। पहले इसका जवाब आ जाए कि क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, तत्काल उपलब्ध जानकारी के अनुसार 455 में से 306 छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गयी हैं। जो देरी हुई है उसका कारण यह है कि कई छात्रों ने लेट एडमिशन लिया है। उसकी भी जानकारी दे देता हूं। जुलाई, 93 में 112 अनुसूचित जाति के 8 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने एडमिशन लिया अगस्त, 93 में 60 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने एडमिशन लिया, सितम्बर, 93 में अनुसूचित जाति के 239 और अनुसूचित जनजाति के 37 छात्रों ने एडमिशन लिया। इसी प्रकार अक्टूबर, 93 में 87 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने एडमिशन लिया। इस प्रकार से दिसम्बर, 93 तक इनके एडमिशन होते रहे इस कारण छात्रवृत्ति देने की संख्या कम रही और मैं मानता हूं इसमें किसी का दोष नहीं रहा।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जुलाई से पहले कोई एडमिशन नहीं हुआ किसी महाविद्यालय में क्योंकि उससे पहले तो एडमिशन होने का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दिसम्बर तक बताया है ना।

श्री अमरा राम : कुछ क्वासेज हैं जिनमें एडमिशन बाद में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : संख्या दी इन्होंने।

श्री अमरा राम : लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिनका जुलाई, अगस्त और सितम्बर में हो गया है उनका भुगतान नवम्बर तक हो जाना चाहिए और पहले आज तक नवम्बर तक....

श्री अध्यक्ष : अच्छा वह कह देंगे हो गया है तो फिर। अब कुछ तो हुआ है। यह कह रहे हैं दिसम्बर तक हुआ है। संख्या दी है।

श्री अमरा राम : मेरा यह कहना है कि जिन्होंने जुलाई और अगस्त में एडमिशन ले लिया, क्या उनको नवम्बर में स्कालरशिप बंट गयी थी ?

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ रहा हूं जुलाई वालों का हुआ कि नहीं ? अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है। आप तो अपनी इनफार्मेशन दे रहे हैं। आप देओ मत, इनफार्मेशन लेओ उनसे। आपके पास जो है अपने पास रखिये।

श्री अमरा राम : मैं पूछ ही रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि जो कालेज के प्रिंसीपल हैं, जब विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है तो किस आधार पर दुबारा उनसे आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। यह लड़कों

(श्री अमरा राम)

को बेकार में परेशान करने की बात है। जब एडमिशन लेने पर आय प्रमाण पत्र लिया जाता है तो दुबारा तहसीलदार का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है ? 65 महाविद्यालयों में एक भी विद्यार्थी को अभी तक नहीं दी गयी हैं और जिन महाविद्यालयों में 194 को दी गयी है, उनका पर्सेण्टेज भी, मैं समझता हूं, 50 से कम है। केवल 65 महाविद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें एक भी विद्यार्थी को स्कालरशिप नहीं दी गयी है। यह विभाग की पूर्णतः गैर-जिम्मेदाराना हरकत है।

श्री अध्यक्ष : 60 हैं, ऐसे 60 हैं।

श्री अमरा राम : 65 हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, उसको बताया उन्होंने।

श्री अमरा राम : 62 हैं। 62 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक को भी नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह मान रहे हैं.... (व्यवधान) अब वह जवाब दे दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : वह कब तक दे रहे हैं ? कब तक दे देंगे उनको ?

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे चुके हैं कि 31 मार्च के पहले-पहले सबका भुगतान कर दिया जाएगा। यह पहले ही कह चुके हैं और आप फिर भी कब तक, कब तक पूछ रहे हैं। अब तो यह पूछ रहे हैं कि जुलाई वालों को पेमेण्ट हुआ कि नहीं हुआ। यह पूछ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, एडमिशन लेने के बाद भी विद्यार्थी को अपना प्रार्थना पत्र और प्रमाण-पत्र देना होता है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया और समय पर प्रमाण-पत्र नहीं दिया, इस कारण यह देरी हुई है। फिर भी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को यह निर्देश दे रहे हैं कि वह जल्दी उनके प्रमाण पत्र मांग लें। वह नहीं दे रहे हैं तो उनसे कह कर मांग लें और इसी माह मार्च के अन्त तक सब को छात्रवृत्ति दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा पूछ रहे हैं।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो....

श्री अध्यक्ष : नहीं, दो सवाल हो गये। आप दो ही पूछ सकते हैं। हो गया आपका अब आप औरों को मौका दीजिये।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इनकम प्रमाण-पत्र का पूछा है, उसका उत्तर चाह रहा हूं, जो तहसीलदार का दुबारा इनकम प्रमाण-पत्र मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : दुबारा नहीं, यह कह रहे हैं कि लोगों ने एप्लीकेशन तो दी, प्रमाण-पत्र नहीं दिया उन्हीं से मांग रहे हैं।

श्री अमरा राम : फार्म में ही....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए प्रश्न फ्रेम करते समय आपको यह पूछना चाहिए था कि क्या यह सही है कि जिन लोगों ने प्रमाण-पत्र एडमिशन के वक्त दे दिये उनसे दुबारा

(श्री अध्यक्ष)

लिये जा रहे हैं ? यह तो आप पूछते नहीं हो।

श्री अमरा राम : उस वक्त छात्रवृत्ति बांटी नहीं जा रही थी।

श्री अध्यक्ष : वह छोड़िये आप।

श्री अमरा राम : यह तो बाद की बात है। तहसीलदार का प्रमाण-पत्र दुबारा मांगा जा रहा है। जब मैंने प्रश्न प्रस्तुत किया उस समय स्कालरशिप बांटी ही नहीं जा रही थी तो कैसे मैं प्रश्न में यह लिख देता कि आपका इनकम का सर्टिफिकेट चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आपका जवाब आ जाएगा। आप बोलिये। आप पूछ रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1993-94 में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने स्कालरशिप के लिए एप्लाई किया ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आ गया ना। सब फिगर्स दे दिये। 395 – 60, 133 – 33 दे दिये। शुरू में दे दिये।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै बता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं तो पूरे राजस्थान का चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह राजस्थान का ही है मेरे ख्याल से।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं-नहीं, एक कालेज का है। वर्ष 1993–94 में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने स्कालरशिप के लिए एप्लाई किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मार्च तक छात्रवृत्ति लड़कों को मिली नहीं, तो मार्च में छात्रवृत्ति देने से लड़कों को क्या लाभ हुआ ? जो गरीब लड़के थे, जिनके मां-बाप पढ़ा नहीं सकते थे तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती कि प्रति माह समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रत्येक लड़के को छात्रवृत्ति दी जाने की व्यवस्था की जा सके ताकि समय पर उनको मदद मिले अन्यथा यह पैसा एक साथ आएगा, लड़के इस पैसे का अपव्यय कर देंगे, दुरुपयोग हो जाएगा। गरीब घर वालों को इससे कोई मदद नहीं मिलेगा : सरकार से मै जानना चाहता हूं कि क्या प्रति माह ...

श्री अध्यक्ष : हां, अब आपका सवाल हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था आज की नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पुरानी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्षों से चल रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे वक्त की चल रही है। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गंगानगर जिले से जो माननीय सदस्य आये हैं, एक बार इसी प्रकार का प्रश्न मुझे याद है कि मैंने विपक्ष में रह कर सरकार से पूछा था और इससे भी खराब जवाब दिया था।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह भी खराब ही जवाब है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये, सुनिये। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस समय छात्र प्रवेश लेता है उस समय ही सारे प्रमाण-पत्र प्रवेश-पत्र के साथ ही मिल जाएं और उसी समय निर्णय ले लिया जाए कि प्रति माह इनको स्कालरशिप मिलनी चाहिए। समय पर स्कालरशिप मिलती है तो उसका निश्चित रूप से लाभ होगा। उस व्यवस्था में जो कमी है उसको देख कर उस व्यवस्था में सुधार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री परसराम मोरदिया।

एम. जी. एम. पब्लिक स्कूल, जयपुर में छात्राओं के साथ अश्लीलता का दर्ज प्रकरण

308. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या एम.जी.एम. पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, जयपुर में छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों सम्बन्धी मामला सम्बन्धित पुलिस थाने में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिक्षा विभाग ने उक्त संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्कूल के विरुद्ध मई, 1993 में छुआछूत सम्बन्धी मुकदमा सम्बन्धित थाने में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कब और सरकार ने संस्था के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या उक्त संस्था के विरुद्ध दिनांक 22.5.93 को एक धोखाधड़ी का मामला श्री छोटेलाल बैरवा ने सम्बन्धित थाने में दर्ज करवाया था ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस स्कूल की मान्यता समाप्त कर संस्था पर प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी हां। श्री वीरेन्द्र पाल सिंह की रिपोर्ट पर 3.12.88 को मुकदमा संख्या 405/88 धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एम. जी. एम. पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, जयपुर के अध्यापक श्री जैकब के विरुद्ध दर्ज हुआ था। अन्वेषण उपरान्त अभियोग में श्री जैकब के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार को प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। श्री छोटेलाल बैरवा की रिपोर्ट पर दिनांक 11.5.93 को अभियोग संख्या 169/93 धारा 323, 427 ता हि व 3 एस. सी /एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत थाना शास्त्रीनगर पर श्री बी. टी. थामस व श्रीमती थामस के विरुद्ध दर्ज हुआ था। अभियोग अन्वेषणाधीन है।

राज्य सरकार को प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी नहीं।

(5) संस्था प्रबन्धकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायक की जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दिया है कि संस्था प्रबन्धकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय मन्त्री महोदयजी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस प्रकरण में कब से जांच चल रही है और इस संस्था को मान्यता कब से प्राप्त है और कितने समय तक मान्यता दी गयी थी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सबसे पहले इस विद्यालय के बारे में सांसद श्री गिरधारी लाल जी भार्गव ने एक शिकायत 28.6.93 को की थी। उसकी जांच के लिए 12 7 93 को ही निदेशक, बीकानेर को सूचित कर दिया था। उनके पास से 13.8 93 को यह शिकायत डिप्टी डायरेक्टर के पास आयी। उन्होंने अपने डी. ई. ओ. को इसके लिए भेजा। दो बार, दसवें और ग्यारहवें महीने में जांच की तारीख के आधार पर उस विद्यालय में गए लेकिन वहां के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने कोर्ट में केस होने के कारण से यह लिख कर के भेजा कि मैं इस दिन यहां उपस्थित नहीं रहूंगा। दो बार जांच के लिए गए थे लेकिन वह दोनों ही दिन कोर्ट की पेशी होने के कारण से उस प्रकरण को पूरा नहीं कर पाये। अभी उसकी जांच हुई है। जांच होने से जो इसके बारे में यह था कि इसमें सैकण्डरी तक की जो कक्षाएं चल रही हैं, इसकी जो शिकायत थी, यह सैकण्डरी तक की कक्षाएं नहीं चलतीं न उसकी उन्होंने कोई मान्यता मांगी है। इसलिए सैकण्डरी तक की मान्यता का तो सवाल ही नहीं था। पहले इसकी 1986 तक मिडल की मान्यता थी। 1986 के बाद लगातार उसकी मान्यता का प्रकरण जो है, जांच होकर विभाग के पास आता रहा। तब से लेकर के अब तक इस मान्यता जो पुनः होनी थी, उसके बाद नहीं हो पायी, यह सच है।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता माननीय मन्त्रीजी को लेकिन इसकी जांच, शिकायत हुई थी। 1986 में एक साल की इस संस्था को मान्यता दी थी। उसके बाद से लगातार, यह संस्था राजस्थान सरकार का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टी सी. बच्चों को देती है और फर्जी बोर्ड लगाया हुआ है,

(श्री परसराम मोरदिया)

मान्यता प्राप्त नहीं है। सिर्फ एक साल की मान्यता प्राप्त स्कूल थी 1985 में और....

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी यही तो कह रहे हैं।

श्री परसराम मोरदिया : उसके बाद जांच हुई है, साहब, जांच के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं जांच चल रही है, अभी तक मान्यता उसकी रिन्यू नहीं की 1986 के बाद।

श्री परसराम मोरदिया : लेकिन, साहब, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब सर्टिफिकेट....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल यह पूछिये ना सीधा-सीधा कि जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो वह जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है उसके लिए क्या कर रही है सरकार ?

श्री परसराम मोरदिया : हां, यही तो पूछा है। इसमें लिखा है, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : यही पूछिये।

श्री परसराम मोरदिया : यही मैंने कहा है, साहब, जब मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकायदा बोर्ड लगा रखा है...

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये आप।

श्री परसराम मोरदिया : और राजस्थान सरकार का ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रही है। उन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सवाल सुन तो लिया ? जवाब सुन लीजिये।

श्री परसराम मोरदिया : ऐसे बहुत से फर्जी स्कूल हैं जिनमें लड़कों से रुपये लेकर, डोनेशन लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : गम्भीरता से लें।

श्री परसराम मोरदिया : इसकी जांच की जानी चाहिये और यह जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आये साल नाइन्थ पास के, एट्थ पास के दिये जा रहे हैं, उनको रोका जाए, यही मुझे कहना है।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना ही नहीं है, 1986 से मान्यता प्राप्त नहीं है और यह जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार ऊपर लिखा हुआ है। यानि ट्रांसफर सर्टिफिकेट धोखाधड़ी से राजस्थान सरकार के नाम से ही दिये जा रहे हैं। इनके पास शिकायत आयी, अध्यक्ष महोदय, पर चूंकि वह जिला अधिकारी उनसे मिला हुआ है उसने वहां रिश्वत ली है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मैं कहना चाहूंगा कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उनको फर्जी सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं। दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये उनसे फीस के लिए जा रहे हैं और आप अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं 1986 से अब तक तो

(श्री कालीचरण सराफ)

आपने न कोई कार्यवाही की, न स्कूल बन्द किया। आप कह रहे हैं मान्यता प्राप्त नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपका भाषण बन्द करिये, आपका सवाल हो गया।

श्री कालीचरण सराफ : और वह आपके राज में.... (व्यवधान).... ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसके बारे में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल।

श्री परसराम मोरदिया : एक प्रश्न और है, साहब।

श्री अध्यक्ष : यह पहले जवाब दे दें।

श्री परसराम मोरदिया : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करायेंगे ? नम्बर एक। नम्बर दो, इस जांच से पहले क्या प्रशासक नियुक्त किया जाकर इसकी जांच करायी जाएगी ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मान्यता का प्रकरण 1986 से लम्बित है, यह मैंने आपके सामने स्वीकार किया है। इसकी मान्यता के प्रकरण की जो शिकायत है यह हमारे पास 1993 में पहली बार आयी। हमारे रिकार्ड पर यह मान्यता प्राप्त नहीं था, यह सच है और हर साल जो भी इंस्पेक्शन होना था वह होकर के रिपोर्ट हमेशा जाती रही, हर साल की इसको दे दी जाए। लेकिन मान्यता इसको नहीं मिली, यह सच है।

यह जो है नवीं और दसवीं के सर्टिफिकेट का सवाल है, इसकी हमने जांच करवायी तो वह ट्यूशन टाइप नवीं और दसवीं की क्लासें जरूर चलाता है। न तो उसके बच्चे बोर्ड में बैठते हैं, न उसके बच्चों को बोर्ड में बैठाने की कोई व्यवस्था है। लेकिन आठवीं तक की इसकी जो मान्यता थी और 1986 में इसने अंग्लिश मीडियम के लिए मान्यता के लिए एप्लाई किया था तब से लेकर अब तक यह केस पेंडिंग है। हमने अभी इसकी जांच करायी और इसकी मान्यता चूंकि है नहीं, डी ई ओ. की रिपोर्ट यह आयी है कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया जाए। हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और इसकी मान्यता अभी एक तरह से समाप्त है, अगले सत्र में इसको लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राजेन्द्र चौधरी।

को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन

309.श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या डेयरी एवं दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की क्या व्यवस्था है तथा पूर्व में क्या थी ?

(2) किन-किन शर्तों पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कार्यभार दिया था ?

(3) क्या उन शर्तों का वर्तमान में पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(4) दुग्ध उत्पादकों को समझौते से पूर्व कौन-कौनसी सुविधाएं दी जा रही थीं? क्या यह सुविधाएं अब भी दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार सुविधा पुन: देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, डेयरी एवं दुग्ध विकास (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) डेयरी फेडरेशन का संचालन पूर्ववत संचालन मण्डल द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है। राज्य सरकार तथा एन.डी.डी.बी. के मध्य विचाराधीन अनुबन्ध के सन्दर्भ में 1-4-92 से प्रबन्ध संचालक के पद पर राज्य सरकार द्वारा एन. डी. डी. बी. द्वारा प्रस्तावित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

(2) राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य अनुबन्ध का प्रारूप परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां, प्रस्तावित प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(4) प्रस्तावित अनुबन्धों से पूर्व दुग्ध उत्पादकों को निम्न सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही थी :-

कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा सेवा, संतुलित पशु आहार, सहकारिता शिक्षा, चारा विकास कार्यक्रम।

उपरोक्त समस्त सुविधाएं दुग्ध उत्पादकों को अब भी उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(प्रारूप के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि पहले क्या व्यवस्था थी ? मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि नियुक्ति की जाती है जबकि वर्तमान में प्रतिनियुक्ति की गयी है, नियुक्ति नहीं की गयी है और जो शर्तें इन्होंने बतायी है, जो शर्तें उत्तर के साथ संलग्न की हैं, उनके प्रावधानों का पालन किया जा रहा है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो शर्तें हैं, एक तो शर्त नम्बर दो जो है, उसके अन्दर आर्थिक प्रबन्धन में सहायता दी जाने की एन. डी. बी. से बात करने की बात थी जबकि वह नहीं की जा रही है। तीसरा, अपनी शर्त नम्बर छह जो है उसमें दो वर्ष के अन्दर एक रुपये की भी मदद एन. डी. डी. बी. द्वारा नहीं की गयी जबकि राज्य सरकार ने 1991-92 के अन्दर 3 करोड़ 75 लाख रुपये, 1992-93 और 1993-94 में 4 करोड़ 30 लाख रुपये और 1994-95 में 5 करोड़ 25 लाख रुपये दिये जो कि पशु संवर्द्धन के लिए दिए थे उनका भी एन. डी. डी. बी. ने अपने व्यापार के लिए और वेतन चुकाने के लिए उपयोग कर लिया। चौथी बात जो थी; अपनी सात नम्बर की जो शर्त है, सात नम्बर की शर्त का भी पालन नहीं किया और जो घाटा किया है, अध्यक्ष महोदय, घाटा 18 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गया। यह प्रबन्धन का सुधार हुआ है। शर्त नम्बर सात के अन्दर यह है कि संयंत्र जो हैं उसके डवलपमेंट की बात की जाएगी, उसको चेंज किया जाएगा। स्थिति यह थी कि उरमिल और भीलवाड़ा जिला दुग्ध संघों में क्रमश: 30 और 10 टन क्षमता के मिल्क पाउडर संयंत्र लगाने की बात थी,

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उस सम्बन्ध में निर्णय पहले लिया और बाद में उस निर्णय को बदल दिया और उसी कीमत पर वापस दे दिया। इस कारण चालीस पचास प्रतिशत जो बढ़ोतरी कीमत की हो गयी थी वह घाटा भी डेयरी संयंत्रों को हुआ। नम्बर दस की जो शर्त है उसके अन्दर भी, अध्यक्ष महोदय, घाटा हमारे संघों को उठाना पड़ा क्योंकि कीमतों में मदर डेयरी ने परिवर्तन कर दिया था। उसका घाटा भी हमारे राजस्थान की डेयरी को उठाना पड़ा। इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा शर्त नम्बर 11 है इसके अन्दर भी दुग्ध संघ के आर्थिक पुनर्वास हेतु भारत सरकार से जो सहायता देने की बात एन. डी. डी. बी. ने कही थी, एक पैसे की सहायता हमको आज तक दो सालों में नहीं मिली है। शर्त नम्बर 12 के अन्दर जो बात कही गयी है उसके अन्दर प्रबन्धन सम्भालना जो मुख्य उद्देश्य था और इस योजना को लाभ प्रद बनाना था, लाभप्रद बनाने में डेयरी फैडरेशन और जिला दुग्ध संघों का मूल ढांचा ही चरमरा गया और 1991-92 के अन्दर जो क्रियाशील दुग्ध समितियों की संख्या थी, अध्यक्ष महोदय, उस समय 3186 थी, 1992-93 में 2900 हो गयी और 1993-94 में यह 299 क्रियाशील दुग्ध समितियां ही रह गयीं और जो क्रियाशील सदस्य पहले 1991-92 में दो लाख थे, क्रियाशील सदस्यों की संख्या 1993-94 में घटकर 1 लाख 25 हजार हो गयी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमने एन. डी. डी. बी. से जो समझौता किया उन शर्तों का कहां पालन हो रहा है। नम्बर एक।

नम्बर दो, जो इसमें हम सुविधाएं दे रहे थे दुग्ध उत्पादकों को, मन्त्री महोदय ने बताया है कि कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा सेवा, पशु संतुलित आहार, सहकारिता शिक्षा, आज स्थिति यह है, आप कहीं भी पता कर लीजिये, मैं मेरे पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूं वहां सभी जगह जहां पहले हमारी फेसिलिटीज थी, जहां डाक्टर जाते थे आज वहां पर किसी प्रकार की भी फेसिलिटी दुग्ध उत्पादकों को नहीं मिल रही हैं। इसलिए यह जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल असत्य है, अपूर्ण है। इसका उत्तर दिलायें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। यह सही है कि हमारे डेयरी फैडरेशन की स्थिति ठीक नहीं थी और कई वर्षों से इसका आधार इतना बिगड़ गया था कि उसमें सुधार करना कठिन हो रहा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में एन. डी. डी. बी. से सलाह की जाए और डेयरी फैडरेशन में किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट किए जाए उसके बारे में चर्चा करके कोई निर्णय लिया जाए। इस चर्चा में मैं स्वयं शामिल हुआ था और एन. डी. डी. बी. के चेयरमैन श्री कुरियन भी आये थे। उस समय लगभग, फिगर्स में थोड़ी गलती हो सकती है, 38 करोड़ रुपये की बकाया थी जिस बकाया के कारण से काश्तकार भी परेशान थे और सरकार भी परेशान थी। उस बातचीत के बाद में यह निर्णय लिया कि इस 38 करोड़ में आधा रुपया एन. डी. डी. बी. भुगतान करेगा और आधा भुगतान राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की तरफ से किया जाएगा। उस समय यह भी निर्णय लिया गया था कि इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए एन.डी.डी.बी. इसमें अपना सक्रिय योगदान देगा। उनकी यह शर्त थी कि हम इसमें सुधार ला सकते हैं यदि हमारे अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया जाए। हमने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों के बाद में यह व्यवस्था लागू कर रही थी। राष्ट्रपति शासन में मुझे जानकारी है कि राज्यपाल महोदय ने भारत सरकार के इस विभाग के सैक्रेटरी को भी एक लैटर लिखा, और श्री बलरामजी जाखड़ को भी लैटर लिखा और उनसे आग्रह किया कि जो निर्णय लिया गया था इस निर्णय का पालन सही प्रकार से किया जाए। कर्जे का भी भुगतान किया जाए और इसमें जो इम्प्रूवमेंट अपेक्षित था वह इम्प्रूवमेंट भी किया जाए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पिछले दिनों हमने फिर एन. डी. डी. बी. से इस मामले को टेक-अप किया है और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हमारा आपस में जिस प्रकार का समझौता हुआ था वह समझौता हालांकि लिखित में नहीं था लेकिन उसके मिनट्स ड्रा किये गये थे और मिनट्स ड्रा करने के बाद हम यह कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से भी एन. डी. डी. बी., क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन उनका किया हुआ है, हमारे इस डेयरी फैडरेशन का इम्प्रूवमेंट करे। आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं, आज का मतलब कुछ दिनों में फिर चर्चा कर रहा हूं और इस बात की कोशिश करूंगा कि यहां के दुग्ध उत्पादकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें। वह सहयोग से करना चाहें तो ठीक है वरना राज्य सरकार के ध्यान में हैं, इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात पूछी थी मुख्य मन्त्री महोदय ने उसको स्वीकार तो कर लिया कि यह जो बातें हैं वह नहीं की जा रही हैं, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जब हमारा समझौता नहीं हुआ था उस समय एक महीने के अन्दर-अन्दर दुग्ध उत्पादकों को उसका पेमेण्ट हो जाता था लेकिन आज स्थिति यह है कि दो-दो और तीन-तीन महीने से उनको पेमेण्ट नहीं हो रहा है और उसका कारण यह हो गया कि हमारे जो कलेक्शन पाइण्ट्स हैं वहां पर हमारा कलेक्शन कम हो गया, क्या यह सही है ? पेमेण्ट करने की व्यवस्था तो आप जल्दी करवाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको बता दिया कि जिस समय हमने उनके हाथ में काम सुपुर्द किया उस समय में स्थिति जितनी इम्प्रूव होनी चाहिए थी और जितनी हम अपेक्षा करते थे उतनी इम्प्रूव नहीं हुई बावजूद इसके कि राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में पूरे प्रयत्न किये कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेण्ट नहीं हो पाया और उसके कारण से दुग्ध उत्पादकों की बकाया भी रह गयी और कुछ समस्याएं भी रह गयीं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र ही सारे मामले में इस सम्बन्ध में जो समस्याएं हैं, मैं उस समस्या को छिपाना नहीं चाहता और आपने जो दुग्ध उत्पादकों की बात कही वह सही है और मैं उसको इन्कार नहीं करता लेकिन उसका कोई न कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समाधान ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसी स्थिति में चले गये कि एन. डी. डी. बी. के भरोसे न तो हम कुछ काम कर पाये और न उन्होंने किसी प्रकार का काम किया। उससे यह संकट खड़ा हुआ है और उस संकट से हम निकलेंगे, यही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, इस संकट से निकलने का माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ सोचा भी होगा जो इनको पैमेण्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी डेयरीज बन्द हो गयीं। झुन्झुनू की डेयरी को बन्द हुए बरसों हो गये। इस तरह से एक-एक करके सब बन्द हो जाएंगी। तो आपने क्या रास्ता सोचा, राजस्थान सरकार ने, वह हम जानना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने रास्ता यह सोचा है कि एक बार एन. डी. डी. बी. से फाइनल रूप से इस सम्बन्ध में चर्चा कर ली जाए। यदि वह कुछ कर सकते हैं तो ठीक है वरना सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेकर उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। (व्यवधान) बकाया के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। बकाया है, अमाउण्ट में कुछ विवाद हो सकता है लेकिन कितनी बकाया है उसका विवाद नहीं है। उस बकाया का भुगतान किस प्रकार से किया जाए यह देखना है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सीधा-सादा है आपने जो अभी उत्तर दिया और माननीय सदस्य ने पूछा इससे यह साफ है कि एन.डी.डी.बी. डेयरी फैडरेशन और राज्य सरकार के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। प्रस्तावित समझौते की शर्तों के बारे में सारी बातें हुई हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित समझौते के आधार पर आपने मैनेजमेंट कैसे संभला दिया ? उनका मैनेजमेंट पर कब्जा हो गया। पहले जो काम चल रहा था उससे दुगुना-तिगुना घाटा कर दिया और सारी व्यवस्था बिगाड़ दी जब कि समझौता ही नहीं हुआ। तो बिना समझौते के आपने उनको मैनेजमेंट कैसे सौंपा ? इसका आप उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं आपको बता दूं कि लिखित रूप में आप इसको समझौता मानें या नहीं लेकिन हमने बातचीत के मिनट्स रिकार्ड किये हैं और उन मिनट्स को न उन्होंने चैलेन्ज किया और न हमने चैलेन्ज किया। इसलिए मिनट्स के आधार पर ही हम चल रहे हैं। आप जहां तक बकाया का प्रश्न उठाते हैं तो कई उत्पादक संस्थाओं ने उत्पादकों को जो रेट थी प्रेस्क्राइब्ड, उससे ज्यादा कीमत उनको दी है। आज उसका भी विवाद है कि प्रेस्क्राइब्ड रेट थी उससे ज्यादा उनको भुगतान कर दिया और उसका समायोजन किस प्रकार से किया जाए। यह भी विवाद है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : पहले 15 दिन में पेमेन्ट होता था और अब ढाई महीने में भी पेमेन्ट नहीं मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहना नहीं चाहता था, यह सारी बीमारी एक दिन की नहीं है। यह बीमारी 1986 से चलती आ रही है। आप यह कहें कि उसका इलाज करना है। आप यह कहें कि यह बीमारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल मेरे समय में पैदा हो गयी, यह इस समय की बीमारी नहीं है। आपने जो बीमारी पैदा की थी हमने तो उसका उपचार करने की कोशिश की है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अगर उस मिनट्स को ही एग्रीमेण्ट समझा है तो फिर प्रस्तावित एग्रीमेण्ट की क्या जरूरत थी?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पहले की जो बीमारी है वह आपकी समझ में आती है तो उसको मिटाना नहीं चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : हां, मिटा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार ऐसे डिफिकल्ट पेशेण्ट होते हैं कि उनका निदान करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरा निदान कर रहा हूं। आप चिन्ता मत करिये, आपकी बीमारी मिटा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

यमुना जल वितरण प्रकरण

310. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यमुना नदी से राजस्थान राज्य के हिस्से का पानी लेने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य की सरकारों से समझौता होने जा रहा है? यदि हां, तो राजस्थान राज्य यमुना नदी के पानी में अपना कितना हिस्सा मांग रहा है? इस प्रकार का समझौता कब तक हो जाने की आशा है?

सिंचाई मन्त्री (श्री देवीसिंह भाटी) : जी, हां। राजस्थान का हिस्सा 1,119 बी. सी. एम. निर्धारण किया गया है। समझौता शीघ्र किये जाने का प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि राजस्थान का हिस्सा 1,119 बी. सी. एम. निर्धारित हुआ है। मैं समझता हूं कि इसमें दो काउण्ट्स पर पानी है। एक राजस्थान के कम्बेट यूज का 0 109 बी. सी. एम. है और राजस्थान में जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सरप्लस वाटर का जो शेयर मिलना चाहिए उसके लिए सम्भवतः 1.09 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि आप समझौता करने जा रहे हैं तो जो मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेण्डिंग तैयार हुआ है उसके पैरा 7(3) में है हरियाणा के लिए 25 बी. सी. एम. पानी तब तक दिया जाएगा जब तक कि राजस्थान अपनी क्षमता के अनुसार अपने हिस्से का पानी लेने के लिए तैयार हो? मतलब 2001 तक की उसमें बात रखी गयी थी।

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग के अन्दर आज भी यह बात है कि जो अनप्रोटेक्टेड पानी है, जो पूल वाटर्स है और जो इस प्रकार से पूल बनाते हैं कि यू पी और हरियाणा में पानी का उपयोग कर रहे हैं जो कि आयोग की स्वीकृत योजनाओं के अन्दर नहीं है, यानि जो योजनाएं अस्वीकृत हैं, जिनकी आयोग से स्वीकृति

(श्री हरिसिंह)

नहीं मिली है उसके पानी को यूज करते चले जा रहे हैं उसका एक जो पूल बनेगा उसमें राजस्थान की स्थिति क्या हुई ?

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं, श्रीमन् कि यमुना प्राधिकरण के सम्बन्ध में क्या तय हुआ और राजस्थान को उसमें कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

चौथी बात यह जानना चाहता हूं कि जो शेयर डिटरमिन हुआ है वह स्टोर वाटर्स में से है या फ्लो वाटर्स में से ? अगर स्टोर वाटर्स में से है तो जो डैम बनेंगे हथिनी कुण्ड और किसाऊ पर और-और भी 3-4 जगह डैम बनने जा रहे हैं उसमें राजस्थान का जो खर्चा होगा उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ? यह बात भी आपसे जानना चाहूंगा कि उस पानी से जो बिजली बनती है उस बिजली के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ?

एक बात अन्त में यह जानना चाहता हूं कि जब यमुना के अन्दर पानी कम या ज्यादा होगा तो जो शेयर्स डिटरमिन हुए हैं उसके हिसाब से कम या ज्यादा पानी ले सकेंगे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस मैमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेण्डिग के हवाले से सारे प्रश्न पूछे हैं, आपको शायद जानकारी होगी कि राजस्थान की सरकार ने इस मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिग के बिन्दुओं को स्वीकार नहीं किया है। 15 दिसम्बर, 1992 के पहले, एग्जेक्ट डेट तो मुझे मालूम नहीं, इस सम्बन्ध से यू.पी., हरियाणा, राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों के बीच एक चर्चा हुई और उस चर्चा में राजस्थान का हिस्सा 1.119 बी.सी.एम. तय हो गया। तय होने के बाद इस पानी के सम्बन्ध में किसाऊ और रेणुका ये दो डैम बनाने का प्रश्न था। हमारी तरफ से यह मांग रखी गयी कि एक यमुना कैनाल अथोरिटी बना दी जाए जिसमें राजस्थान का भी अधिकारी होगा और पानी के अनुपात से खर्चे में राजस्थान का कितना हिस्सा होगा वह हिस्सा भी तय कर लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उस सारी मीटिंग के मिनट्स जिस प्रकार से ड्राफ्ट किये गये वे मेरे हटने के कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार को मिले। उस समय राज्यपाल चेन्नारेड्डी थे, मैंने उनसे मिल कर कहा कि हमारे बीच में उस समय जो चर्चा हुई थी उस चर्चा के अनुकूल ये मिनट्स रिकार्ड नहीं किये गये हैं। जिन मिनट्स का आप रेफरेंस दे रहे हैं उन मिनट्स में यहां तक लिख दिया गया है कि जब तक राजस्थान पानी का पूरा यूटिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं बनायेगा तब तक इस पानी का उपयोग हरियाणा करता रहेगा। हमने इस सम्बन्ध में कभी कोई समझौता नहीं किया था। हमने उस समय यह समझौता भी नहीं किया था कि उस समय फ्लो वाटर में या इम्पाउण्डेड वाटर में हिस्सा अलग होगा या दोनों में एक प्रकार की स्थिति रहेगी। राज्यपाल ने उस समय विरोध किया। प्रधान मन्त्री को भी उन्होंने आबू यात्रा के समय इस सम्बन्ध में जानकारी दी कि मिनट्स सही प्रकार से ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। जो मिनट्स आये हैं उस मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिग के ऊपर राजस्थान की सरकार हस्ताक्षर नहीं करेगी। उस समय से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मामला चलता रहा। उसके बाद अभी जब मैं दुबारा मुख्य मन्त्री बना फिर इस सम्बन्ध में एक बार चर्चा हुई। हमारा जो हिस्सा है उस हिस्से का कोई डिस्प्यूट नहीं है, 1.119 बी.सी.एम. हमारा हिस्सा सब मानकर चलते हैं। विवाद यह खड़ा हुआ कि यह हिस्सा कब मिलेगा, इम्पाउण्डेड वाटर में से मिलेगा या फ्लो वाटर में से मिलेगा। हरियाणा की यह इच्छा थी कि जिस समय किसाऊ और रेणुका डैम बन जाएं उस इम्पाउण्डेड वाटर में से राजस्थान को हिस्सा मिले जब कि हमारी मांग थी हमारा फ्लो में भी हिस्सा है और इम्पाउण्डेड वाटर में भी हिस्सा है। इन दोनों के आधार पर उस समय मोटे रूप से कुछ बातें हुई जिनके सम्बन्ध में जब तक निर्णय नहीं हो, सदन में बताना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन मैंने ज्यादा राज्यों को इस पक्ष में किया है कि राजस्थान की प्राब्लम ड्रिंकिंग वाटर की है इसलिए राजस्थान का जो कुछ भी पानी का हिस्सा है वह पानी का हिस्सा फ्लो और इम्पाउण्डेड वाटर में से हमको दिया जाए और इस सम्बन्ध में जल्दी ही समझौता कर लिया जाए। हाल ही में मैंने हरियाणा के मुख्य मन्त्री से भी बात की है कि हम यह नहीं मान सकते कि इम्पाउण्डेड वाटर में से तो हिस्सा दे दें और फ्लो वाटर में से हमको हिस्सा नहीं दें। इम्पाउण्डेड वाटर होगा आज के दस साल बाद और हमको पीने के पानी की समस्या के लिए आवश्यकता है। मैं उनकी प्रतिक्रिया हाउस में बताऊंगा, कल छपेगी और फिर कोई बोलना पड़ेगा इसलिए आप यह विश्वास रखिये कि इस समय पूरे पक्ष हमारे अनुकूल हो रहे हैं और यह समझौता हम जल्दी ही कर लेंगे, राजस्थान के हित में ही समझौता होगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): जैसा आप बता रहे हैं, क्या वह मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग स्क्रेप हो गया है? आपने उस समय यह कहा था कि अनप्रोटेक्टेड वाटर्स जो यू.पी. और हरियाणा काम में लेते चले आ रहे हैं उन योजनाओं से जो योजना आयोग से स्वीकृत नहीं हैं, उसमें भी राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं आपको यह बता दूं कि प्रारम्भ में राजस्थान का हिस्सा बहुत कम रखा गया था।

श्री हरिसिंह: 1.119 तो आप पहले मुख्य मन्त्री थे तभी तय हो गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं वही बता रहा हूं। पहले मुख्य मन्त्री बना उस समय के पहले से जो बातचीत चलती आ रही थी उस बातचीत में राजस्थान का हिस्सा बहुत कम रखा गया था। मैंने दो पाइण्ट रेज किये जिनके कारण से राजस्थान का हिस्सा बढ़ा है। एक पाइण्ट तो यह रेज किया कि जो कमिटेड वाटर है....

श्री रामनारायण चौधरी: यह भी बता दें कि कितना पानी मिलेगा, कहां उस का उपयोग होगा? पानी मिल जाएगा तो मिलते ही कहां कैसे करोगे? इसका आधारभूत ढांचा कुछ तैयार कर रखा है या करोगे? या जैसे दूसरी नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उपयोग नहीं हो रहा

(श्री रामनारायण चौधरी)

है उसी तरह यह पानी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस विषय पर भरतपुर के माननीय सदस्य और मन्त्री जी मीटिंग करने जा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इन दो का ही नहीं है, इसमें झुन्झुनू भी है।

श्री अध्यक्ष : मीटिंग करने वाले हैं आप भी उसमें शामिल हो जाइये ताकि वे डिटेल में बैठ कर बात कर लें। यह तय हो चुका।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी का जन्म स्थान भी इसमें शामिल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा जन्म स्थान भी शामिल है, मैं बहुत चिन्तित हूं कि आपके जन्म स्थान पर भी पानी पहुंचे और मेरे यहां भी पानी पहुंचे। सीकर के ये भी हैं, इनका जन्म स्थान भी सीकर में है तो सारे जन्म स्थान जहां-जहां माननीय सदस्यों के हैं वहां चाहे हैण्डपम्प से ही हो, मैं पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा-सा जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। आपने यह कहा कि मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग उस समय जो लिखा गया उसको स्क्रेप किया या नहीं किया। हमारी तरफ से उस मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग के ऊपर राज्यपाल ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पहले ही प्रकट कर दी और वह जो प्रतिक्रिया प्रकट की है उसके समर्थन में यह राज्य सरकार भी है। दूसरा प्रश्न यह आता है, जैसा मैंने कहा कि हमारा हिस्सा कम था, इसमें कोई सन्देह नहीं। मैंने यही क्वेश्चन रेज किया था कि जो कमिटेड वाटर है....

श्री हरिसिंह : अनप्रोटेक्टेड वाटर में?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमिटेड का मतलब पार्टिशन से पहले जो पानी यूज किया जाता था उस पानी को माइनस करने के बाद जितना पानी बचता है उसमें राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाए। कमिटेड वाटर में भी यह क्वेश्चन आया कि कमिटेड वाटर किसको कहा जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कमिटेड वाटर क्या बला है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत बड़ी बला है। आप, माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि 1954 के एग्रीमेंट में किस-किस राज्य में कितना पानी यूज किया जाता था उसको कमिटेड वाटर माना है। उस कमिटेड वाटर के अलावा जितना पानी है उस पानी का चारों राज्यों में बटवारा होगा अपने-अपने हिस्से के हिसाब से, कैचमेंट के हिसाब से और बेसिन के हिसाब से। लेकिन जब हमको यह जानकारी मिली कि इस कमिटेड वाटर में भी कुछ राज्यों ने बिना प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल के, बिना भारत सरकार की अनुमति के कुछ डैम बनाकर जो पानी लिया है उसको शामिल करने की कोशिश की जा रही है तो हमने इसका विरोध किया। उस विरोध का ही नतीजा है कि जो पानी शायद 74 बी. सी.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एम. वह बढ़ते-बढ़ते 1.119 पहुंचा है। इसलिए जो कुछ उपलब्धि हमें इस आधार पर करनी थी वह उपलब्धि तो हमने कर ली। पानी की मात्रा, मैं समझता हूं, उचित है। उस पानी की मात्रा को हम राजस्थान में जल्दी से जल्दी किस प्रकार से लायें उसके ऊपर भारत सरकार की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। बातचीत शीघ्र पूर्ण हो जाए इस आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अपना हिस्सा छोड़ेगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी से जल्दी अवधि कितनी मानें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान विधान सभा में उस सरकार ने और इस सरकार ने जल्दी से जल्दी एक शब्द ऐसा परिभाषित किया है जिसका अर्थ वे भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं उसमें जल्दी से जल्दी कई पर निर्भर करता है।

वृद्धावस्था, विधवा, अपाहिजों के पेंशन प्रकरण

311. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, अपाहिज, अपंग आदि के लिए पेंशन स्वीकृत करने के कोई नियम अथवा नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसके अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से 94 तक पंचायत समिति कोटरी एवं जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम, स्वीकृत करने के कारण, भूमि एवं उनका अन्य मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर महंगाई तथा जीवनयापन में हो रही कठिनाई को देख कर पेंशन में प्रति माह राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां, प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जी हां, पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) यह एक विचारणीय बिन्दु है जिस पर अन्तिम निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने खण्ड दो में जो उत्तर दिया है, क्या यह सही है कि पेंशन के जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार दोनों पंचायत समितियों में पेंशन स्वीकृत भी की गयी है और ऐसे ही मामलों में अस्वीकृत भी हो गयी है ? दोनों के मापदण्ड अलग-अलग प्रकार के हो गये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो जानकारी में आया है वह यह है कि कुछ मामलों में मापदण्डों से हट कर भी वहां के अधिकारियों ने पेन्शन स्वीकृत की है और कुछ में मापदण्ड जो हमने स्वीकृत किये उसी को अस्वीकृत भी किया है। इसके लिए हमने भीलवाड़ा कलक्टर को निर्देश दे दिये हैं कि उसकी जांच करें और इस तरह से कहीं भी राजस्थान में पेन्शन दी होगी तो उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या यह सही है कि पिछली बार विधान सभा में और हमेशा यह उत्तर दिया जाता रहा है कि पेन्शन की वर्तमान दरें हैं, महंगाई सूचकांक के आधार पर बहुत कम हैं, पेन्शनधारियों और गवर्नमेंट कर्मचारियों का जब भी बढ़ता है उस आधार पर इस मामले को देखा जाने के बारे में प्रयत्न किया जा रहा है और संसाधनों की कमी है, जब होगा विचार किया जाएगा। पेन्शनधारी जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, अन्धे, लूले, लंगड़े हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए, मैं समझता हूं, मानवीय दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कब तक हो जाएगा ? ऐसा उत्तर दो-तीन दफा सुन लिया है। इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भाटीजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : वित्तीय वर्ष की गारण्टी दिलवाओ, साहब, हर बार यही उत्तर आ रहा है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। विधवाओं को पेन्शन के लिए जो मापदण्ड आपने तय किया है उसमें कायदे से यह किया है कि अगर उस विधवा की लड़की के नाम कोई जमीन है या लड़के के नाम जमीन है और पटवारी सर्टिफाई कर देता है तो उस विधवा को पेन्शन नहीं मिलती है। जबकि लड़की शादी के बाद चली जाती है और कई बार गांवों में ऐसा देखा गया है कि उस विधवा को उसका लड़का भी पालन-पोषण के लिए मदद को तैयार नहीं होता है। तो यह जो आपका मापदण्ड है उसकी वजह से हकीकत में जो जरूरतमन्द विधवाएं हैं, आप तो अच्छी नीयत से उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं लेकिन इन नियमों की वजह से उन विधवाओं को और जो तकलीफदायक अवस्था में हैं उनकी आप मदद नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरा, जो अपाहिजों की आप मदद करना चाहते हैं उन अपाहिजों के लिए डाक्टर का सर्टिफिकेट चाहिये तो डाक्टर से विकलांग का या अपाहिज का सर्टिफिकेट उसको हासिल करने में बहुत बाधा हो रही है। क्यों नहीं आप कोई ऐसा मापदण्ड, नये नियम निर्धारित कर दें जिसमें लड़की के नाम से जमीन है तो लड़की के ऊपर तो वह आश्रित है नहीं, लड़की तो अपने ससुराल चली गयी और लड़के के नाम पर जमीन ...

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल तो हो

(श्री अध्यक्ष)

गया, आप भाषण दे रहे हो। माननीय मन्त्रीजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि लड़की ससुराल चली जाती है उसकी जमीन को हम मानते नहीं हैं और लड़की, जो ससुराल चली गयी है, के नाम से मापदण्ड में जितनी जमीन होनी चाहिए उतनी है तब भी उस विधवा को पेन्शन दी जाती है। लड़के के मामले में जरूर है, 21 साल से बड़ा लड़का कमाने वाला है तो उसको पेन्शन नहीं दी जाती है। जहां तक नियमों की बात है उसमें सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट चुप रहें तो मैं बोल दूं। देखिये प्रश्न यह है कि वाकई में यदि आप किसी को दूध पिलाना चाहते हैं तो उसमें मक्खी मत डालिये। यदि विधवाओं को और उनको पेन्शन देनी है तो इस तरह की शर्तें मत लगाइये जिससे कुछ महरूम हों। इस पर विचार कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : रूल्स का पूरा अध्ययन कर लिया जाएगा, इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत आवश्यक 'प्रश्न है, इसी से सम्बन्धित है, कल ही मेरे साथ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां हो गया आपका।

पंचायत समिति लालसोट की इन्दिरा आवास योजनाएं

312. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लालसोट में कुल कितनी इन्दिरा आवास योजनाएं बनायी गयी हैं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएं किस कारण से अपूर्ण हैं।

(3) अब इन योजनाओं को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) पंचायत समिति लालसोट में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1992-93 तक कल 317 आवासगृह स्वीकृत किये गये जिनमें से 255 आवास बनाये गये। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या
1	2	3
1986-87	20	20
1987-88	30	30
1988-89	निल	–
1989-90	32	10
1990-91	139	139

(श्री अनंग कुमार जैन)

1	2	3
1991-92	निल	निल
1992-93	96	56
	317	255

वर्ष 1993-94 में 261 आवास स्वीकृत किये गये जिसमें से 19 पूर्ण हुए एवं बाकी 242 आवास निर्माणाधीन हैं।

(2) स्वीकृत आवासों में से वर्ष 1989-90 के 22 आवास जो कि समूह में निर्मित किये गये थे पूर्ण राशि के व्यय होने के पश्चात् भी लाभार्थियों द्वारा स्वयं की रुचि एवं श्रम सहयोग नहीं देने के कारण अपूर्ण हैं। जहां आवंटी ऐसे आवंटित भवन को लेने को इच्छुक नहीं है वहां इस हेतु अन्य पात्रता धारक इच्छुक व्यक्तियों को ऐसे मकान आवंटित करने हेतु भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3) अपूर्ण इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराना लाभार्थियों द्वारा स्वयं के श्रम योगदान पर निर्भर करता है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया, उसके मुताबिक 62 इन्दिरा आवास योजनाएं अपूर्ण पड़ी हुई हैं। मैं मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि समूह में निर्माण किसने करवाया, किस एजेन्सी से करवाया और उसकी सारी राशि आपने कैसे दे दी? क्या यह सही है कि आपकी यह प्रक्रिया है कि आप आखिरी किश्त उसको तब देंगे जब वह इन्दिरा आवास पूर्ण हो जाता है, जे. ई.एन. की रिपोर्ट आ जाती है? आपने जो 62 इन्दिरा आवास अपूर्ण बताये हैं, इनकी राशि आपने पहले क्यों जारी की? क्या जो अपूर्ण इन्दिरा आवास रह गये, आप उनको पूरा करवायेंगे?

दूसरा मेरा सवाल इसमें यह है, अध्यक्ष महोदय, एक इन्दिरा आवास की, जो बी. एस. आर. के तहत आप प्लान देते हैं, क्या लागत है? आप उस लागत का कितना प्रतिशत दे रहे हैं? श्रम की जो बात बतायी है आपने वह उनको कितना करना पड़ता है?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 20-20 या 30-30 के समूह के अन्दर इन्दिरा आवास का निर्माण इसलिए कराया जाता था ताकि उस वर्ग में जिन जिन को आवंटित किये जाते थे वे एक समूह के रूप में जा करके रहें। यदि अलग-अलग इन्दिरा आवास का निर्माण कराया जाता था तो कई बार लोग वहां जा करके नहीं रहते थे। बाद में ऐसा लगा कि समूह के रूप में निर्माण कराने से कई इन्दिरा आवास अधूरे रह जाते हैं उसमें कुछ लोग तो रुचि लेते हैं और कुछ लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं। उस वजह से दोनों तरह की योजनाएं लागू रखी गयीं और जो लोग स्वयं मकान बनाना चाहते हैं उनको वह राशि स्वीकृत की गयी। 9800 रुपये इसमें स्वीकृत किये जाते हैं। तीन किश्तों के अन्दर विभिन्न तरह से जब वह प्लिथ लेबल बना लेता है, फिर दूसरी स्टेज पर, फिर तीसरी स्टेज पर उनको दिया जाता है। जहां तक अपूर्ण इन्दिरा आवास के बारे में प्रश्न पूछा है, इनमें से करीब 40 इन्दिरा आवास को

(श्री अनंग कुमार जैन)

पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं, उन पर कार्य चालू है और राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि जो आवास अपूर्ण हैं उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जाए और जो लाभार्थी उसमें रहने के इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे दूसरे लाभार्थियों को ढूंढा जाए, यह तलाश की जाए कि जो लोग रहने के इच्छुक हैं उन इन्दिरा आवासों को दूसरे लोगों को आवंटित कर दिया जाए। इसके बावजूद भी यदि उस जगह, उस गांव में, उस पंचायत क्षेत्र के अन्दर ऐसे लाभार्थी नहीं मिलते हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो दूसरे लोग जो ऐसी योग्यता या पात्रता रखते हों, उनको एन-करेज करके उनके माध्यम से उन इन्दिरा आवासों को पूर्ण करवा करके उनको उनके अन्दर स्थापित किया जाए। इस प्रकार के निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप जो 9800 रुपये दे रहे हैं, यह कब के मापदण्ड हैं ? किस बी. एस आर. के तहत दे रहे हैं ? सामग्री, मैटीरियल वगैरह महंगा हो गया, मजदूरी मंहगी हो गयी। तो क्या आप इस इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले भवनों की लागत को और ज्यादा बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकृत मापदण्ड हैं और अभी इनके आधार पर ही राशि स्वीकृत की जाती है। फिलहाल इसको बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह कब के हैं ? अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) इंदिरा आवास पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं। आप एक मकान देना चाह रहे हैं वह पूरा नहीं हो रहा है, पैसे बढ़ाने में दिक्कत कहां हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह जी पूछ रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृति के बाद पैसा तो उठ गया और योजना की क्रियान्विति मौके पर नहीं हुई, क्या इस तरह के केसेज में आप जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर में ग्राम पंचायत गड़नकनेत में ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने ऐसा प्रश्न किया था और मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा आवासों के बारे में शिकायत की थी। कुछ व्यक्ति ऐसे परिवार के थे जिनको पैसा मिला नहीं था, दूसरे व्यक्तियों के नाम से पैसा उठा लिया गया, उनकी जांच के लिए यहां से आदेश हुए उन आदेशों का क्या हुआ ? पिछली बार जितने भी प्रकरण सदन के सामने आये थे उनके बारे में सरकार कब तक निर्णय करने जा रही है और दोषी व्यक्तियों को कब तक दण्ड देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

(12.00)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जो आवासीय योजनाएं कम्प्लीट हो चुकी हैं और 5-5, 4-4 साल से जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, विभाग उनके बारे में क्या विचार रखता है ? दूसरा, यह है कि जो आवासीय योजनाएं कम्प्लीट हो चुकी हैं, पैसा उठ चुका है उन आवासीय योजनाओं में कहीं किवाड़ नहीं लगे हैं, कहीं छत नहीं पड़ी है, वह अधूरी पड़ी हुई हैं लेकिन रिकार्ड में उनको कम्प्लीट दिखा दिया गया है, ऐसी आवासीय योजनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं, उनके बारे में विभाग कोई जांच कराने का इरादा रखता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत होगी तो उसकी निश्चित रूप से जांच करवायी जायेगी। और यदि....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : कितने दिन में करवायेंगे ?...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सब जगह शिकायतें हैं, सब अधूरी पड़ी हुई हैं।.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आज तक उनकी जांच नहीं हुई और न ही कोई कार्यवाही हुई है। मैंने शिकायत कर रखी है। ... (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उसकी निश्चित रूप से जांच करवायी जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : लिखित में भी मैंने मन्त्री महोदय को दिया है कई बार लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ....(व्यवधान).... बिलवाड़ी का क्या हुआ, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यह भी शिकायतें अब हो गयी हैं, विधान सभा में अब यह शिकायतें हो गयी हैं, इनकी सबकी जांच करवा लीजिये... (व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।....

श्री अमरा राम (धोद) : 1988 में जिस सरपंच ने 1 लाख 68 हजार रुपये शाहपुरा, धोद में उठा लिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक जांच करवा ली जाएगी।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना

401. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किस वर्ष हुई, तथा उस वर्ष से लेकर अब तक के प्रत्येक वर्षों में इस कोष में जमा धन राशि कितनी-कितनी रही है ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) उक्त जमा धनराशि में से प्रत्येक वर्ष पत्रकारों के कल्याण निमित्त कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ?

(3) इन वर्षों में किन-किन पत्रकारों को इस कोष से लाभान्वित किया गया, और किस रूप में ?

(4) इस कोष की धनराशि में राज्य सरकार का योगदान कितना है और अन्य किन-किन स्रोतों से कितनी राशि जमा हुई है ?

(5) वर्तमान में सरकार द्वारा पत्रकारों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या राज्य सरकार पत्रकार कल्याण कोष की अभिवृद्धि करने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या सरकार पत्रकार कल्याण कोष तथा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के सन्दर्भ में पत्रकारों के प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का भी विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। पत्रकार कल्याण कोष में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त राशि	समाचार पत्रों एवं सम्पादकों से प्राप्त राशि	कुल राशि
1983-84	—	1,202.00	1,202.00
1984-85	—	1,901.00	1,901.00
1985-86	2,00,000.00	3,376 00	2,03,376 00
1986-87	1,00,000.00	5,408.00	1,05,408.00
1987-88	1,00,000.00	4,700.00	1,04,700 00
1988-89	1,00,000.00	—	1,00,000.00
1989-90	—	—	—
1990-91	—	4,901.00	4,901.00
1991-92	—	100.00	100.00
1992-93	—	1,300.00	1,300.00

(2) उक्त जमा राशि के ब्याज में से पत्रकारों के कल्याण निमित्त व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नांकित प्रकार से है :-

(28)

(जन सम्पर्क मन्त्री)

वित्तीय वर्ष	उपलब्ध कराई गई राशि
1986–87	1,000.00
1987–88	2,000.00
1988–89	1,000.00
1989–90	3,000.00
1990–91	1,000.00
1991–92	6,000.00
1992–93	6,000.00
1993–94	3,000.00

(3) इन वर्षों में पत्रकारों को नकद राशि सहायता के रूप में देकर लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित पत्रकारों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष		पत्रकार का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि
1	2		3	4
1.	1986–87		श्री अरूण कुमार झा उप सम्पादक दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर	1,000.00
2.	1987–88		श्री चेतन कुमार भारत भूमि दैनिक, अजमेर	2,000.00
3.	1988–89		श्री प्रियतम कामदार पत्रकार दुर्गापुरा, जयपुर	1,000.00
4.	1989–90	1.	श्री दुर्गाप्रसाद कामदार पत्रकार, जयपुर	1,000.00
		2.	श्री ए. पी. थपलियाल पत्रकार, जयपुर	1,000.00
		3.	श्रीमती सावत्री परमार	1,000.00
5.	1990–91		श्री वासुदेव छंगाणी पत्रकार, जयपुर	1,000.00
6.	1991–92	1.	श्री ओ. पी. दीक्षित प्रधान सम्पादक, सा. हनुहुंकार धौलपुर	1,000.00
		2.	श्री मांगीलाल माथुर संपादक, वर्तमान, सा. बीकानेर	5,000.00
7.	1992–93	1.	श्री सुन्दरलाल मथुरिया पत्रकार, जयपुर	5,000.00

(जन सम्पर्क मन्त्री)

1	2	3	4
		2. श्री कन्हैयालाल करुणेश्वर राठौड़, पत्रकार, जयपुर	1,000.00
8.	1993–94	1. श्री अनुसूईया प्रसाद थापलियाल, पत्रकार, जयपुर	1,000.00
		2. श्री शंकरलाल नागर पत्रकार, जयपुर	1,000.00
		3. श्री जगत कुमार बुधानी सम्पादक, सा. जयहिन्द, अजमेर	1,000.00

(4) इस कोष हेतु राज्य सरकार के योगदान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि का विवरण इस प्रकार है :–

1. राज्य सरकार से योगदान स्वरूप प्राप्त राशि	5,00,000.00
2. समाचार पत्रों से प्राप्त राशि	22,888.00
3. जमा धनराशि पर ब्याज प्राप्ति	3,05,392.61

(5) राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कोष की अभिवृद्धि पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(6) विभाग में गठित पत्रकार कल्याण कोष समिति, अधिस्वीकरण सलाहकार समिति एवं वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले सुझावों एवं सिफारिशों पर विचार किया जाता रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

नीमकाथाना में शराब की दुकानें

402. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना कस्बे में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें चल रही हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त ठेका वर्तमान में किस-किस ठेकेदार को दिया गया है ?

(3) इस ठेकेदार को कितनी दुकानों व उप दुकानें स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(30)

(श्री मोहनलाल मोदी)

(4) स्वीकृत दुकानें या उप दुकानों की तब्दीली किन नियमों के आधार पर की जाती है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त शराब की दुकानों के पास, रोडवेज बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन को जाने वाला पुल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्रसूती गृह व सम्भ्रांत नागरिकों के आवास व दुकानें हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त ठेके को कब तक यहां से हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि नीमकाथाना कस्बे में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें चल रही हैं।

(2) मदिरा समूह नीमकाथाना का अनुज्ञापत्र वर्ष 1993-95 के लिए निम्न व्यक्तियों को दिया गया है :—

1- श्रीमती शकुन्तला कंवर पत्नि जयदेवसिंह राजपूत ग्राम हरियासर, गढ़सोतान तहसील सरदार शहर जिला–चूरू

2- श्रीमती खिल्लोरानी पत्नि मोहनलाल महाजन बी-85 हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

3- श्री अनवर अली पुत्र अलादीन खां मुसलमान, पुरानी एस. बी. बी. एण्ड जे. के पास नोखा मण्डी (बीकानेर)।

4- श्री संजीव नागरा (राजीव) पुत्र चंदन खां नागरा, मोचीवाड़ा, चूरू।

5- श्री हनीफ पुत्र लालमोहम्मद चोबदार ग्राम जसरापुर तहसील-खेतड़ी।

(3) नीमकाथाना समूह में देशी शराब की 15 मुख्य तथा 17 उप-दुकानें एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 2 मुख्य व 3 उप-दुकानें स्वीकृत हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(4) दुकानों की अवस्थिति उसी समूह के अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 में है। (प्रति संलग्न है)

(5) इन स्थानों के समीप दुकानें लगाने बाबत राजस्थान आबकारी नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः दुकानें हटाने बाबत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(सूची एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

प्रदेश में देशी एवं विदेशी शराब के ठेके

403. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में देशी एवं अंग्रेजी शराब के ठेकों के कितने-कितने जोन बनाये हुए है ?

(2) वर्तमान में ठेकेदारों को किन शर्तों पर ठेके दिये गये हैं ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर शहर में शराब के ठेके की शर्तों के अनुसार अंग्रेजी व देशी शराब के लिए कितनी-कितनी दुकानें खोलने का

(श्री किशन मोटवानी)

और कहां-कहां नहीं खोलने का प्रतिबन्ध है ?

(4) राजस्थान में वर्तमान कार्यरत ठेकेदारों पर पूर्व की कितनी राशि बकाया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में देशी एवं अंग्रेजी शराब के ठेकों के वर्ष 93-94 एवं 94-95 के आबकारी बन्दोबस्त हेतु 70 समूह बनाये हुए हैं।

(2) वर्तमान में ठेकेदारों को जिन शर्तों पर मदिरा दुकानात के ठेके दे रखे हैं उनकी देशी/विदेशी/बीयर थोक व खुदरा दुकानों के अनुज्ञापत्र की शर्तों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) अजमेर शहर में शराब के ठेके की शर्तों अनुसार देशी व अंग्रेजी शराब की 26 मुख्य दुकानें व 22 उप-दुकानें स्वीकृत हैं। देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने में निम्न प्रतिबन्ध है :-

1- शराब की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थाओं, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रखी गई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों, सिनेमा हाल और थियेटर से 200 मीटर को कम, दूरी पर दुकान नहीं लगाई जा सकती है।

2- फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती के नजदीक भी दुकान नहीं लगाई जा सकती है। पर्याप्त कारण होने पर उक्त प्रतिबन्धों में आबकारी आयुक्त को शिथिलता देने का अधिकार है।

(4) टेण्डर / अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार बाकीदारों को दुकान देने का प्रावधान नहीं है। अतः वर्तमान में कार्यरत ठेकेदारों में स्थगन के मामलों को छोड़कर पूर्व के वर्षों की कोई राशि बकाया नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को स्वीकृत ऋण

404. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियों को ऋण दिया गया है ? इनमें से कितनी चालू हालत में हैं और कितनी बन्द पड़ी हैं ? इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में आर.एफ.सी., रीको व बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण किन-किन को दिया गया है ?

(3) फैक्ट्री चालू न होने तथा उद्योगपतियों के भाग जाने की स्थिति में ऋण वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा कुल 412 इकाइयों को ऋण दिया गया। इनमें से 273 इकाइयां चालू है तथा 126 इका-

(उद्योग मन्त्री)

इयां बन्द एवं अधिग्रहित है एवं 13 इकाईयां अभी निर्माणाधीन है। इनके बन्द होने के मुख्य कारण निम्नांकित है :-

1- प्रबन्धकों द्वारा कुप्रबन्ध या प्रबन्धों/प्रवर्तकों में विवाद।

2- बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं करना अथवा समुचित मात्रा में स्वीकृत नहीं करना।

3- निश्चित मात्रा में कच्चे माल की अनुपलब्धता।

4- कुशल श्रमिकों का अभाव एवं श्रमिक सम्बन्धी समस्याएं।

5- व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं व्यापारिक मन्दी।

(2) राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा वित्त पोषित इकाईयों का इकाईवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है। बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत ऋण सम्बन्धी सूचना उद्योग विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(3) फैक्ट्री चालू न होने की स्थिति अथवा उद्योगपतियों के भाग जाने की स्थिति में राज. वित्त निगम एवं रीको की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है। निर्धारित प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में खानों का आवंटन

405. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित खनिज क्षेत्र के विभिन्न ब्लाक्स में कार्यरत निम्न पत्थर की खानें उनके सामने उल्लिखित क्वारी लाइसेंसधारियों को आवंटन की गई है—

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	खान का क्रमांक	लाइसेंसधारी का नाम
1.	बालसमन्द	19	श्री खेमा राम
2.	फिदुसर	1335	श्री धोकलराम
3.	ब्राह्मणों की टांका	234	श्री ढगलाराम
4.	सोढों की ढाणी	538	श्री मोडाराम
5.	फिदुसर	1334	श्री धोकलराम

(2) यदि हां, तो उपरोक्त लाइसेंसधारियों द्वारा खनिज विभाग को उक्त खानों के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रश्न में अंकित क्वेरी ब्लाक्स के आवंटन की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के जवाब में

(खनिज मन्त्री)

अंकित लाइसेंसधारियों जिनके पक्ष में उक्त खानें स्वीकृत हुई / हस्तान्तरण हुई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रतियां अलग-अलग संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गांव चेचट (कोटा) में खानों का आवंटन

406. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा जिला में चेचट नामक गांव से लगभग एक कि.मी. दूर बोहरा समाज की दरगाह के पास ही खानें आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या दरगाह की दीवारों को डायनामाइट के धमाकों से नुकसान नहीं होगा ? यदि हां, तो सम्भावित नुकसान व बोहरा समाज में व्याप्त असन्तोष को दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। विभागीय जानकारी के अनुसार उक्त खानों में हो रहे खनन से दरगाह की दीवारों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

दरगाह के पास जिस खान के सम्बन्ध में बोहरा समाज द्वारा दरगाह की दीवारों को नुकसान पहुंचने की सम्भावना बताई गई है, उस पट्टेधारी को सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु खान सुरक्षा विभाग, अजमेर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं, जिसकी पालना की जा रही है। विभाग ने भी पट्टेधारी को सर्तकता व सावधानीपूर्वक खनन कार्य करने के निर्देश दिये हैं।

प्रदेश में क्वारी अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रणाली

407. श्री कालूलाल गूर्जर (माण्डल) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा सन् 1990 से 1992 तक के समय में राजस्थान में जहां क्वारी लाइसेंस देने की नीति है वहां प्रस्तुत आवेदन पत्रों व नवीनीकरण के लिये प्रार्थी की फोटो लगाने का नियम लागू किया गया था ? यदि हां, तो यह नियम कब लागू हुआ ?

(2) क्या उक्त फोटो लगाने का नियम इस समय भी लागू है ? यदि नहीं, तो उसे कब व क्यों समाप्त किया गया ?

(3) राजस्थान में जितने भी क्वारी लाइसेंस जारी है उनमें से कितने लाइसेंसधारी स्वयं खनन कार्य कर रहे हैं और कितने पावर ऑफ अटोरनी के आधार पर यह कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान में कितने क्वारी लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है फिर भी उनके नाम से पावर आफ अटोरनी होल्डर खनन कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(खनिज मन्त्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राजस्थान में 16948 क्वारी लाइसेंसधारी स्वयं खनन कार्य कर रहे हैं और 52 पावर ऑफ अटोरनी के आधार पर खनन कार्य कर रहे हैं। सूची सदन के पट्ल पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

उदयपुर सम्भाग के खनन अनुज्ञापत्रधारी

408. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर सम्भाग में लाइम स्टोन, मार्बल एवं सोपस्टोन की कितनी माइन्स स्वीकृत हैं एव कितनी संचालित है ?

(2) स्वीकृत माइन्स में से कितनी लीजें स्थानीय जनजाति परिवारों के नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर भी लीज स्वीकृत है ? यदि हां, तो किन-किन के नाम कितनी कितनी एवं कहां-कहां ?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में खनिज लाइम-स्टोन, मार्बल एवं सोपस्टोन की स्वीकृत एवं संचालित खानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खनिज का नाम	स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या	संचालित खनन पट्टों की संख्या
1.	लाइमस्टोन	189	184
2.	मार्बल	2674	2568
3.	सोपस्टोन	278	275

(2) उपरोक्त स्वीकृत माइन्स में से 90 लीजें जनजाति परिवारों के नाम पर है। सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थानान्तरण नीति

409. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने वर्तमान में स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रतिबन्ध के कारण यदि स्थानान्तरण करना आवश्यक हो, तो सक्षम अधिकारी को अपने से ऊपर के रेंक के अधिकारी की स्वीकृति ली जाकर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है ?

(3) क्या सरकार ने वर्तमान में कोई स्थानान्तरण नीति बना रखी है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। (प्रति संलग्न है अनुसूची-अ)

(2) जी हां।

(3) जी हां। (प्रति संलग्न है अनुसूची-ब)

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

वार्षिक बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार का पूर्वानुमान

410. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने अकाल एवं सूखे से अतिरिक्त व्यय होने के कारण बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार का आंकलन किया है ?

(2) यदि हां, तो इससे कितना भार पड़ेगा ?

(3) उक्त भार का समाधान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 (संवत् 2050) में लगभग 108 करोड़ का भार पड़ना अनुमानित है। परन्तु वास्तविक व्यय का आंकलन आवश्यकतानुसार राहत देने के पश्चात् ही ज्ञात होगा।

(3) उक्त भार का समाधान प्राकृतिक आपदा सहायता कोष में प्राप्त एवं उपलब्ध राशि से किया जावेगा।

आर्थिक उदारीकरण नीति

411. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत जो कदम उठाये गए हैं, उनके अनुरूप तथा उनके सन्दर्भ में क्या राज्य सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गए हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके परिणाम स्वरूप राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर किस रूप में क्या प्रभाव पड़ा है ?

(2) राज्य सरकार वर्ष 1994-95 में केन्द्र सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के सन्दर्भ में ऐसे कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है जिसके कारण औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति मिल सके ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार की आर्थिक उदारी-

(वित्त मन्त्री)

करण की नीति के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये गये हैं :–

(i) वर्ष 1992–93 के बजट में कर सम्बन्धी कई प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया गया था और कर की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया था। वर्ष 1994–95 के बजट में भी विभिन्न उद्योगों और वस्तुओं पर लागू बिक्री कर की दरों में रियायतें दी गई हैं और कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करते हुए कर की दरों को और सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। इन निर्णयों के परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे परन्तु यह अपेक्षा है कि इन निर्णयों से राज्य में व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक नीतियों में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप विनियोजन से सम्बन्धित नियमों में भी परिवर्तन किए गए हैं जिसके कारण सभी राज्यों को परिवर्तित नीति के अनुरूप अपने-अपने राज्यों में विनियोजन हेतु आकर्षक कदम उठाने पड़े हैं। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी देश एवं विदेश से औद्योगिक विनियोजन आकर्षित करने हेतु विभिन्न कदम उठाये हैं :–

(अ) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (बी. आई. पी.) की स्थापना की हुई है जिसका मुख्य कार्य न केवल विनियोजकों को राज्य में विद्यमान संसाधनों एवं औद्योगिक विकास के अवसरों की जानकारी देना है वरन् ऐसे विनियोजकों को राज्यस्तर पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान कराने की चेष्टा कर औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करना भी है। प्रारम्भ से ही ब्यूरो ने इस दिशा में तीव्र गति से कार्य कर देश एवं विदेश के विनियोजकों को राज्य सरकार की सरलीकरण एवं लचीली औद्योगिक नीति, राज्य में मिलने वाले संसाधनों एवं राज्य की औद्योगिक संभाव्यताओं से विभिन्न माध्यमों के द्वारा अवगत कराया है। इस कार्य हेतु ब्यूरो की टीम द्वारा समय-समय पर विभिन्न बड़े औद्योगिक घरानों एवं अन्य संभावित उद्यमियों के समक्ष राज्य में अनेक विनियोगों को आकर्षित करने हेतु राज्य के स्रोतों का समीक्षात्मक पहलू रखा जाता रहा है।

(ब) अनेक प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया जा चुका है जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं :–

1– लघु उद्योगों के लिए अस्थाई एवं स्थाई पंजीयन की सरलीकृत प्रक्रिया दिनांक 1–1–1994 से लागू की गई है।

2– अस्थाई पंजीयन की वैधता अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाये जाने की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदान की गई है।

3– औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की लीजडीड के निष्पादन की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदत्त की गईहै।

4– जिला उद्योग केन्द्रों के उपकेन्द्रों पर

(वित्त मन्त्री)

पदस्थापित अधिकारियों को भी पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई ताकि उद्यमियों को अपने कार्य के लिए जिला मुख्यालय पर बार बार न जाना पड़े।

5– पूंजी विनियोजन अनुदान योजना के अन्तर्गत 50.00 लाख तक के विनियोजन के अनुदान की स्वीकृति की शक्ति जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रदत्त की गई है।

6– लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन की स्वीकृति की शक्तियां जिला स्तर पर प्रदत्त की गई है।

7– लघु उद्योग इकाईयों को डीजल जनरेटिंग सेट क्रय पर अनुदान, परीक्षण यन्त्र अनुदान एवं आई.एस.आई. मार्क पर अनुदान स्वीकृत करने की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदत्त की गई है।

8– ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु नये नियम वर्ष 1992 में लागू किये गये हैं जिनमें रूपान्तरण की प्रक्रिया सरल कर दी गई है।

9– 115 लघु उद्योगों की लघु सूची प्रकाशित की गई जिन्हें राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से मुक्त रखा गया है।

10– राजस्थान की वित्त निगम द्वारा 10.00 लाख रु. तक के ऋण की स्वीकृति के अधिकार शाखा स्तर पर हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

(2) माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 7-3-1994 को वर्ष 1994-95 का बजट विधान सभा में प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में इस सन्दर्भ में कई निर्णयों की घोषणा की है :-

(i) केन्द्र सरकार के आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण, निजी क्षेत्र में विनियोजन आकर्षित करने के लिए राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। सरकार राज्य में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए तथा औद्योगिककरण को और बढ़ावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। साथ ही आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा।

(ii) औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार जहां एक ओर निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश को बढ़ावा देगी वहीं दूसरी ओर राजकीय उपक्रमों के प्रति एक सन्तुलित नीति क्रियान्वित करेगी। अब राजकीय उपक्रमों को बजट से सीधी मिलने वाली सहायता में कमी की जाएगी तथा उन्हें अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए अधिक स्वायत्ता दी जाएगी।

(iii) बदले हुए आर्थिक वातावरण के द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग करने हेतु, आर्थिक विकास में आने वाली सभी

(38)

(वित्त मन्त्री)

संरचनात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र का विनियोजन बढ़े और राज्य के मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो सके। इसके साथ-साथ राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि उदारीकृत बाजार की शक्तियों का हमारे समाज के कमजोर व पिछड़े हुए वर्गों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बिक्रीकर बकाया की वसूली

412. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सेलटेक्स की अभी भी एक लाख रुपये से अधिक की राशि काफी लोगों में बकाया है? यदि हां, तो किन-किन में एक लाख से अधिक कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि लम्बे समय से बकाया रहने का क्या कारण रहा? अब कब तक उक्त राशि की वसूली कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) सही है। जिन व्यवसायियों की ओर से एक लाख रुपये से अधिक बिक्री कर की बकाया है उनकी सूची सम्पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(2) राशि बकाया रहने का कारण संलग्न सूची में अंकित है। बकाया रहने के मुख्य कारण बकाया राशियों का न्यायालयों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्थगन में होना, समापन की कार्यवाही में होना, बी. आई. एफ. आर. द्वारा बाकीदार को रुग्ण ईकाई घोषित करने से वसूली स्थगित हो जाना, बाकीदारों का लापता हो जाना, किश्तों में होना, भू-राजस्व वसूली/पी डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही में होना है उपयुक्त कारणों के रहते एवं नियमानुसार निर्धारित वसूली की प्रक्रिया का पालन करने के कारण वसूली की गति धीमी रहती है। अतः वसूली की कोई निश्चित समय अवधि निश्चित करना संभव नहीं है। बकाया राशि की वसूली हेतु विभाग निरन्तर पूर्णरूपेण प्रयासरत है; इसके लिए विभाग द्वारा नियमित कार्यवाही के अतिरिक्त समय-समय पर विशेष वसूली अभियान भी चलाये जाते हैं तथा बकाया वसूली की प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधायकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि

413. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या नीति निर्धारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधायकों की इच्छा पर उनके क्षेत्र में जनहित के लिए कार्य कराने हेतु धनराशि का बजट में प्रावधान करने का विचार रखती है?

(2) 1994–95 में कितनी धनराशि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

विधायकों द्वारा ऐच्छिक कार्य पर खर्च करने हेतु रखी जा रही है ?

(3) क्या मन्त्रियों के लिए अलग से इस हेतु प्रावधान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

उत्तर

(1) तीस जिला तीस काम तथा निर्बन्ध राशि हेतु आवंटित धनराशि में से राज्य के सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में— 5-5लाख रुपये तक के जनहित कार्य प्रस्तावित कर सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय निकाय इन प्रस्तावों पर विचार करके निर्धारित सीमा तक के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करती है।

(2) उपरोक्त वर्णित दोनों योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में कुल मिलाकर 20.00 करोड़ तक के कार्य विधायकों के प्रस्तावों के अनुसार करवाने के विचार रखती है।

(3) जी नहीं।

छबड़ा क्षेत्र की बेथली मध्यम सिचाई परियोजना

414. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र की बैथली मध्यम सिचाई परियोजना की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा व योजना कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

जी हां, बैथली परियोजना का अनुमोदन योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टेक्नीकल एडवाईजरी कमेटी) द्वारा दिनांक 8-12-92 को इस शर्त पर किया गया है कि परियोजना सम्बन्धी पुनर्वास प्लान केन्द्रीय समाज कल्याण मन्त्रालय एवं परियोजना सम्बन्धी वित्तीय सहमति राज्य के वित्त विभाग द्वारा दी जायेगी।

इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 94-95 में 100 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप बजट आवंटन होते रहने की स्थिति में योजना पूर्ण होने में लगभग 4 से 5 वर्ष का समय लगेगा।

अम्बापुरा बांध (जूनियां) निर्माण प्रकरण

415. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अम्बापुरा बांध (जूनियां) कब टूटा एवं इसके लिये किन-किन अभियन्ताओं को उत्तरदायी ठहराकर निलम्बित किया गया व उनके खिलाफ जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) अम्बापुरा बांध (जूनियां) के प्रारंभिक निर्माण से लेकर अन्तिम निर्माण कार्य तक किन-किन अभियन्ताओं एवं ठेके-

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

दारों ने कार्य किया ? क्या निर्माण कार्य में लिप्त अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों को जांच में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अम्बापुरा बांध के पुनर्निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं कितनी लागत प्रस्तावित है ? क्या बाढ़ सहायता विभाग को अनुमानित लागत का ब्यौरा भिजवा दिया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अम्बापुर बांध दिनांक 10-8-92 को टूट गया था। निलम्बित किये गये अभियन्ताओं को बांध के टूटने के कारणों के आधार पर निलम्बित नहीं किया गया था। बांध के टूटने के कारणों की जांच में किसी अभियन्ता को उत्तरदायी नहीं माना। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) प्रारम्भिक निर्माण से लेकर अंतिम निर्माण कार्यों तक जिन-जिन अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों ने कार्य किया था, का विवरण संलग्न है। निर्माण कार्य कराने वाले अभियन्ताओं को जांच प्रतिवेदन में दोषी नहीं पाया गया है।

(3) बांध के पुन: निर्माण हेतु विस्तृत अन्वेषण एवं रूपांकन का कार्य किया जा रहा है। रूपांकन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पुनर्निर्माण का तखमीना बनाना तथा सहायता विभाग को सूचित किया जाना सम्भव होगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयसमन्द झील का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण योजना

416. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयसमन्द झील के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण की योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो अब तक इस योजना के अन्तर्गत आने वाली नहरों व नहर प्रणाली के निर्माण की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के आधारभूत तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रारूप सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस झील में सलूम्बर के कई गांव में किसानों को पानी देने की क्या योजना है, और कब तक यहां सिचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ?

(4) ऐसे कितने गांव हैं जिन्हें कमाण्ड क्षेत्र में होने के बाद भी सिचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है ?

(5) 1990 से 1994 के जयसमन्द योजना व लघु सिचाई से कुल कितने रकबा में सिचाई की गई तथा इस योजना व लघु योजना के माध्यम से भविष्य में और कितना रकबा सिचाई क्षेत्र में बढ़ाया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मुख्यतया नहर प्रणाली पर सुधार के कार्य प्रस्तावित है। योजना की कुल अनुमानित लागत 1240 लाख रुपया के विरुद्ध फरवरी, 1994 तक लगभग 361 लाख रुपया व्यय किया गया है, जिसके अन्तर्गत मुख्य नहर पर 32%, वितरिकाओं पर 73% तथा माईनरों पर 11% कार्य किया जा चुका है।

(2) विवरण संलग्न है।

(3) आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भेई ग्राम का सिंचाई योग्य रकबा भी सम्मिलित है, तथा वर्तमान में कुछ रकबे में पानी दिया जा रहा है। आधुनिकीकरण के कार्य वर्ष 95-96 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त पूर्ण सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(4) कमाण्ड क्षेत्र के कुल 124 गांवों में से 119 गांवों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इस प्रकार केवल 5 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(5) जयसमन्द बांध एवं सलूम्बर तहसील की लघु सिंचाई योजनाओं से वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक हुई सिंचाई का क्षेत्रफल हैक्टर में निम्नानुसार है :-

वर्ष	सिंचाई जयसमन्द से	सिंचाई लघु योजना से (अनुमानित) तहसील सलुम्बर	कुल सिंचाई
1990-91	10858	1665	12523
1991-92	16761	1782	18543
1992-93	16732	1135	17867
1993-94 (प्रस्तावित)	15327	1565	16892

जयसमन्द आधुनिकीकरण योजना से 8353 हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। माह फरवरी 1994 तक 3711 हैक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। एवं शेष 4642 हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन इस परियोजना पर किया जाना है। सलुम्बर क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाये जाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

निर्वाचन क्षेत्र घाटोल का कमाण्ड एरिया

417. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घाटोल में गांव टोडी सिम-

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

रोल भटवाड़ा, सरोदिया और देवलीया शक्तावत को दो वर्ष से कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया गया है लेकिन गांव में नहर नहीं पहुँची है ? यदि हां, तो सरकार इन गांवों में नहर का सर्वे कराकर कब तक इसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

उक्त गांव माही कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित गांव है। इन गांवों में नहरों के सर्वे का कार्य कराया जा रहा है तत्पश्चात् नहरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बारावास तालाब रावली, ब्यावर की भराव क्षमता

418. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बारावास तालाब रावली ब्यावर पंचायत समिति जवाजा जिसमें 12 तालाबों का पानी आने से काफी आवक क्षमता है, में मिट्टी बहकर आने से काफी सिलटेड हो गया है ? यदि हां, तो इसकी मिट्टी निकलवाने के लिए सरकार का क्या प्रावधान है ?

(2) क्या इस बांध में पानी की आवक तथा ओवरफ्लो से बेकार बह कर जा रहे पानी को रोकने के लिये इसकी ऊंचाई बढ़ा कर बांध की भराव क्षमता बढ़ायी जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह एक बहुत पुराना तालाब है, जिसमें मिट्टी (सिल्ट) की सामान्य आवक के कारण सिल्टिंग हो गया है। बांध में पानी की आवक कम होने के कारण इस सिल्ट का इसकी भराव क्षमता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। सिल्ट निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। बांध में पानी की आवक बांध की भराव क्षमता के अनुपात में कम है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कलीजरां परियोजना का निर्माण

419. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई की परियोजना कलीजरां में निर्माणाधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि कलीजरां तालाब की उमरावट से चुड़ाहा जाने वाली नहर से पड़ोसी गांव हिम्मतपुरा, चुड़ाहा को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार नहर की सही सर्वे करवा कर उक्त ग्राम चुड़ाहा व हिम्मतपुरा को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ये दोनों ग्राम उपरोक्त नहर के कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) ग्राम चुडाहा व हिम्मतपुरा नहर के कमाण्ड क्षेत्र में हैं अतः इन दोनों ग्रामों के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना पूर्व में ही प्रस्तावित है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

420. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणी के अभियन्ताओं के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति काफी समय से नहीं हुई ? यदि हां, तो कितने समय से ? इसके क्या कारण रहे, अब कब तक पदोन्नति कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, वर्ष 1989–90 से कनिष्ठ अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं की गई। वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक पदोन्नति के कोटे में सहायक अभियन्ता के पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई। वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इन्दिरा गांधी नहर विभाग में मुख्य अभियन्ताओं के पद

421. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर के तहत कुल कितने मुख्य अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं, इनका मुख्यालय कहां-कहां हैं तथा इनका कार्य क्षेत्र क्या-क्या है ?

(2) विभाग में कितने अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत है ? कार्य क्षेत्र नक्शे पर दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1992-93 व 1993-94 में कितनी-कितनी राशि किस-किस डिवीजन में व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में अधिकतर कार्य जैसलमेर क्षेत्र के आस-पास ही हो रहे है ? यदि हां, तो एक मुख्य अभियन्ता का कार्यालय बीकानेर में सिर्फ इसीलिए रखना कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी बीकानेर में रह सके, कहां तक उचित है ? क्या सरकार इस बाबत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मुख्य अभियन्ता के दो पद स्वीकृत हैं, जिनका मुख्यालय क्रमशः बीकानेर, जैसलमेर में है। मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर का कार्य-क्षेत्र परियोजना के द्वितीय चरण मुख्य नहर बुर्जी 620 से 1365 एवं इसके मध्य निकलने वाली समस्त नहरें एवं उनकी वितरण प्रणालियां है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण की कंवरसेन लिफ्ट नहर एवं साहवा लिफ्ट जो मुख्य नहर की बुर्जी 188.16 से निकलती है, भी कार्य क्षेत्र में है। इसी प्रकार जैसलमेर सम्भाग में द्वितीय चरण मुख्य नहर बुर्जी 1365 से नीचे की

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

समस्त नहरें एवं वितरण प्रणालियां कार्य क्षेत्र में आती हैं यथा शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, सुलताना वितरिका आदि।

(2) मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर के बीकानेर सम्भाग में निर्माण कार्यों पर चार अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं, जिनका कार्यक्षेत्र प्रपत्र "अ" में मानचित्र में दर्शाया गया है। जैसलमेर सम्भाग में तीन अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं। कार्यक्षेत्र इसी नक्शे में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर प्रशासनिक कार्य, तकनीकी, अभिकल्पना संगठन, कार्यों की गुणवता की जांच, यांत्रिक संगठन आदि में 9 अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं।

(3) परियोजना के विभिन्न खण्डों द्वारा वर्ष 1992–93 व 1993–94 में खण्डवार व्यय राशि प्रपत्र "ब" पर दर्शायी गई है।

(4) यह सही नहीं है कि वर्तमान में अधिकतर कार्य जैसलमेर क्षेत्र के आस-पास हो रहे हैं। इस वर्ष 1993–94 में बीकानेर सम्भाग एवं जैसलमेर सम्भाग का बजट क्रमशः 80 करोड़ एवं 45 करोड़ है। मुख्य अभियन्ता का कार्यालय बीकानेर में कुछ वरिष्ठ अधिकारी बीकानेर में रखने के लिए किया गया है, कहना उचित नहीं है यह सम्भागवार बजट आवटन से ही स्पष्ट है। अतः इस बाबत कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया। विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

लक्ष्मी नाथजी मन्दिर, सुजानगढ़ की सम्पत्ति

422. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ में लक्ष्मी नाथजी का मन्दिर है ? यदि हां, तो इस मन्दिर को किसने बनाया और इसके कौन पुजारी हैं ? इस मन्दिर के अधीनस्थ क्या-क्या जायदाद है ? जैसे कृषि भूमि भवन, दुकानें, जेवरात, मूर्तियां इत्यादि का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर के डोली की भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त कृषि भूमि का कब्जा मन्दिर को कब तक दिला दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस मन्दिर पर देवस्थान विभाग ने प्रशासक नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो प्रशासक की नियुक्ति कब और किन कारणों से की गई ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की जायदाद से जो आय होती है वह तमाम आय देवस्थान विभाग वसूल करता है ? यदि हां, तो जब से प्रशासक की नियुक्ति हुई है तब से कितनी राशि वसूली गई तथा कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि मन्दिर व इससे लगती जायदाद, मकान, दुकानों

(श्री जुबेर खान)

इत्यादि की मरम्मत भी नहीं की गई है जिससे भवन मन्दिर वगैरह जर्जर अवस्था में आ गये हैं ?

(6) क्या सरकार मन्दिर से प्रशासक को हटाकर मन्दिर के पुजारी को कब्जा देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी (लक्ष्मीनाथजी) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। इस मन्दिर को किसने एवं कब बनाया, कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस मन्दिर के पुजारी मिश्र ब्राह्मण है जो पुश्तैनी पुजारी है और ओसरेवार मन्दिर की पूजा करते हैं। इस मन्दिर की सम्पदा में मन्दिर का मुख्य भवन व इसमें स्थित दस दुकानें हैं। जेवरात एवं मूर्तियों की सूची क्रमशः क, ख संलग्न है।

(2) जी नहीं। मन्दिर के नाम कोई कृषि भूमि ही नहीं है।

(3) जी नहीं, यह मन्दिर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का मन्दिर है, जो इस विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित है। प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है।

(4) जी हां, दिसम्बर 1985 से मंदिर की सम्पदाओं का किराया वसूल किया जा रहा है। माह फरवरी, 94 तक किराये की आय रु. 14189/- प्राप्त हुई है। मन्दिर के आरोगण एवं सेवा पूजा हेतु रु. 112/- वार्षिक तहसीलदार के मार्फत पुजारियों को भुगतान किया जा रहा है।

(5) विभाग द्वारा इस मन्दिर का कब्जा लेने के बाद में मरम्मत नहीं करायी गयी। किन्तु मन्दिर भवन मय दुकानें ठीक स्थिति में है।

(6) इस मन्दिर के लिये कभी प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया। यह मन्दिर विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का है। अतः मन्दिर का कब्जा पुजारियों को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के विद्यालय

423. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ?

(2) वर्ष 1994-95 में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के किस-किस प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की मांग राज्य सरकार को प्राप्त हुई है तथा आगामी शिक्षण सत्र में किस-किस प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों

(श्री विष्णु मोदी)

में क्रमोन्नत किये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सराधना को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(2) वर्ष 1994–95 के विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार विद्यालयों की क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जमवारामगढ़, लालसोट एवं फागी के कन्या प्राथमिक विद्यालय

424. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, विधान सभा क्षेत्र जमवा रामगढ़, विधान सभा क्षेत्र लालसोट, विधान सभा क्षेत्र फागी कहीं पर भी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(2) क्या उक्त सभी क्षेत्रों के मध्य तहसील कस्बा बस्सी के माध्यमिक बालिका विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय के साथ क्रमोन्नत करना जनहित में है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1994–95 में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बस्सी (जयपुर) के प्रस्ताव प्राप्त होने पर किसी एक विषय के साथ क्रमोन्नत पर प्राथमिकता से विचार किया जा सकेगा।

शिक्षा प्रसार

425. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने को बाध्य होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है? यदि हां, तो बच्चों के पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के क्या कारण हैं ?

(2) कक्षा एक में प्रवेश लेकर नवीं कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पहुंच पाते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त प्रतिशत को बच्चों की शिक्षा के प्रसार के लिहाज से सन्तोषजनक मानती है ? यदि नहीं, तो इस प्रतिशत को बढ़ाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने से बाध्य होने वाले बच्चों की संख्या प्राथमिक स्तर पर 45.15 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 43.47 है।

बालकों के विद्यालय परित्याग के प्रमुख कारण परिवार की आर्थिक विषमता,

(शिक्षा मन्त्री)

जीविकोपार्जन के कार्य में परिवार का हाथ बढ़ाना, विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाओं का अभाव, सामाजिक कुरीतियों, अभिभावकों की अशिक्षा आदि है।

(2) कक्षा 1 से प्रवेश लेकर नवीं कक्षा तक 31% बालक ही पहुंच पाते है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ड्राप आउट की दर को कम करने हेतु प्रयत्नशील है। राज्य में वर्ष 1987–88 से शिक्षाकर्मी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में चयनित दूर-दराज के विद्यालयों में नियमित उपस्थित 51% से बढ़कर 81% हो गई है। सीड़ा की सहायता से एक महत्ती योजना लोकजुम्बिश परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें जनजागरण तथा लोक सहभागिता की पद्धति अपनाई जा रही है। इससे विद्यालय परित्याग दर में बहुत कमी आने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, विज्ञान सुधार योजना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना आदि योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में एकल अध्यापकीय शालाओं दूसरा अध्यापक न्यूनतम आवश्यक सामग्री, भवन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है। रेगिस्तानी जिले एवं जनजातीय क्षेत्र के बालिकाओं को उपस्थिति छात्रवृति की सुविधा दी जा रही है। इस योजना का विस्तार भी किया जा रहा है। आशा है कि इन सभी प्रयासों से विद्यालयों में छात्रों के ठहराव का प्रतिशत बढ़ेगा।

विधान सभा पीपल्दा में अध्यापकों के रिक्त पद

426. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पीपल्दा तहसील के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा तहसील के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार पद रिक्त हैं :-

उच्च माध्यमिक विद्यालय–	
प्रधानाध्यापक	1
व्याख्याता	9
शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	1
माध्यमिक विद्यालय–	
प्रधानाध्यापक	3
वरिष्ठ-अध्यापक	5
उच्च प्राथमिक विद्यालय–	
वरिष्ठ अध्यापक	4

(2) सीधी भर्ती, लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, डूंगरपुर में छात्रों का प्रवेश

427. श्री शंकर लाल अहारी (चोरासी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शंकर लाल अहारी)

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ? जिसमें पूर्व से शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में छात्रों का विशेष बैच चलाया जा रहा था ? यदि हां, तो यह किन परिस्थियों में बन्द कर दिया गया ?

(2) क्या सरकार इसको पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । उक्त विशेष बैंच अध्यापकों की मांग से अधिक पूर्ति होने की वजह से बन्द किया गया ।

(2) राज्य में अध्यापकों की पूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखकर पुनः समीक्षा कर प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा ।

ग्राम पथराली (भरतपुर) के माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण

428. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में ग्राम पथराली के मीडिल स्कूल में तीन कमरों की सख्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार इस स्कूल में आवश्यक तीन कमरों का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं । सोडलपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचायत के भवन में चल रहा है ।

बजट में भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन नहीं होता है । भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित होने पर तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में विधवाओं की नियुक्ति

429. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में विधवा महिलाओं को योग्यतानुसार सेवा में लेने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) दौसा जिले के तहसील दौसा में जिला शिक्षा अधिकारी छात्र एव छात्रा में वर्ष 1992-93 में कितनी विधवा महिलाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की गई ? तथा अब कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों पर वर्ष 1994-95 में नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कितने पदों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्था दौसा ने वर्ष 1992-93 में प्रयोगशाला सेवक के पदों के लिए विज्ञापन निकाला था ? यदि हां,

(श्री परसराम मोरदिया)

तो उक्त पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की थी ?

(4) क्या उक्त पदों के लिए विधवा महिलाओं ने भी आवेदन किया था ? यदि हां, तो कितनी तथा उसमें से कितनी महिलाओं को नियुक्ति दी गई ? कितनी महिलाओं के आवेदन-पत्र किन कारणों से निरस्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वर्ष 1994-95 के उक्त विधवा कोटे से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पूर्ण रूप से भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उच्चाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधवा कोटा पूर्ण किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी नौकरियों में विधवा महिलाओं को अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं। दौसा जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक भी पद रिक्त नहीं है।

प्रतिबन्ध काल में नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी हां। योग्यता 8वीं पास रखी गयी थी।

(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही (छंटनी) नहीं की गई।

(5) जी नहीं। वेतनमान 1 से 6 की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है एवं विधवाओं हेतु कोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिये निर्धारित नहीं है।

(6) कोटा निर्धारित नहीं है। पूर्ति किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

संस्कृत शिक्षा विभागों में अध्यापकों की नियुक्ति

430. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1990-91 में अध्यापकों की नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियुक्त अध्यापकों की योग्यता सम्बन्धी कागजातों की जांच नियुक्ति से पूर्व की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या 1990-91 में जिन अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है उनके सभी योग्यता प्रमाण-पत्र सत्य हैं ? यदि नहीं,

(श्री लक्ष्मण सिंह)

तो कितने अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया व कितनों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में बिना योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच किए नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 91 में संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की 574 नियुक्तियां की गई थी। सूची परिशिष्ट-1 के पृ. सं. 1 से 28 एवं परिशिष्ट-2 के पृ. सं. 1 से 15 संलग्न है।

(2) जी हां। नियुक्ति से पूर्व अध्यापकों की योग्यताओं सम्बन्धी कागजातों की जांच की गई थी, इस हेतु विभाग में साक्षात्कार आयोजित किया गया था, जिसमें विभागीय अधिकारियों का जांच दल बनाया गया था एवं अभ्यार्थियों का साक्षात्कार कर उनके कागजातों की जांच की गई थी।

(3) वर्ष 1990-91 में जिन अध्यापकों की नियुक्तियां दी गई थी उनके प्रमाण पत्रों की विभागीय स्तर पर साक्षात्कार में की गई जांच में सही पाया गया। अतः उनमें से किसी को नौकरी से निकालने व एफ. आई. आर. दर्ज कराने का प्रश्न नहीं है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाएं

431. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कितनी याचिकाएं उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर में चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश याचिकाएं शिक्षा विभाग में समय पर विभागीय पदोन्नति समितियों (डी.पी.सी.) की बैठकें नहीं होने के कारण चल रही हैं? यदि हां, तो समय पर डी. पी. सी. बैठकें की जावे उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित याचिकाएं मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर में क्रमशः 1233 एवं 1390 चल रही है।

(2) जी नहीं। मात्र संस्कृत शिक्षा में 2 याचिकाएं डी. पी. सी. से सम्बन्धित मा. उच्च न्यायालय, जयपुर में चल रही है। डी. पी. सी. की कार्यवाही की जा रही है।

जिला बून्दी में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन

432. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण)

(1) क्या वर्ष 1972 एवं 1973 में बून्दी जिले में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो चयनित अध्यापकों की योग्यता सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों में चयनित अध्यापकों में से कनिष्ठ अध्यापक को चयनित दिनांक में वरिष्ठता रखने वाले अध्यापक से अधिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वेतन स्टेपअप के उक्त लम्बित प्रकरणों का निपटारा सरकार कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। चयनित अध्यापकों की योग्यता सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाकर पुनरक्षित वेतनमान प्राप्त करने हेतु विकल्प पत्र प्राप्त किया जाता है कर्मचारी के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाता है। जिसके कारण कनिष्ठ अध्यापक अपने से वरिष्ठ अध्यापक से अधिक वेतन प्राप्त करने लगता है। इस विसंगति के नियमानुसार निवारण हेतु वरिष्ठ अध्यापक अपने से कनिष्ठ अध्यापक से नियमानुसार वेतन समतुल्य करवा सकता है।

(3) वेतन स्टेपअप के प्राप्त प्रकरणों की राजस्थान सेवा नियम 32 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियम के तहत जांच के पश्चात प्रकरणों का निपटारा किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

तहसील नादौती (सवाई माधोपुर) का उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाल

433. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादौती में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाल को बजट आवंटित किया है ? यदि नहीं, तो कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत हुए कितने वर्ष हो गये और कितने अध्यापक कार्यरत हैं और उनको वेतन कब-कब मिला ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेतन के अभाव में अध्यापकों द्वारा अध्ययन कार्य न किये जाने के कारण शिक्षार्थी का भविष्य अंधकारमय है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाल को क्रमोन्नत हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। विद्यालय में 1 वरिष्ठ अध्यापक, 6 अध्यापक एवं 1 दैनिक वेतन भोगी कर्म-

(शिक्षा मन्त्री)

चारी का पद स्वीकृत है। विद्यालय क्रमोन्नति वर्ष जनवरी 90 से अध्यापकों को नियमित वेतन का भुगतान 10/93 को छोड़कर प्रति माह किया जाता रहा है।

(3) जी नहीं। केवल 10/93 का वेतन 1.12.93 को विलम्ब से हो पाया। अतः अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य नियमित करवाया जाता रहा है।

टैक्सटाइल डिजाइनिंग विषय

434. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन विद्यालयों में टैक्सटाइल डिजाइनिंग के विषय चल रहे हैं ? क्या राज्य सरकार महाविद्यालयों में भी इस विषय पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या सरकार टैक्सटाइल डिजाइनिंग के विद्यार्थियों को डिग्री कोर्स एवं पोलोटेक्निक महाविद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाने पर भी विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में चल रहे टैक्सटाइल डिजाइनिंग के विषय के विद्यालयों की सूची संलग्न है। राज्य के किसी भी महाविद्यालय में टैक्सटाइल डिजाइनिंग नाम से कोई विषय नहीं चल रहा है, लेकिन टैक्सटाइल डाइंग एवं प्रिंटिंग तथा टैक्सटाइल कैमेस्ट्री के नाम से निम्न महाविद्यालयों में विषय चल रहे हैं :-

टैक्सटाइल डाइंग एवं प्रिंटिंग :-

1. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
3. राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगानगर
4. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

टैक्सटाइल कैमेस्ट्री :-

1. राजकीय महाविद्यालय, पाली
2. राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर
3. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

(2) वर्तमान में पोलोटेक्नीक में टैक्सटाइल डिजाइनिंग में छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इन संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा इस विषय पर कोई निर्देश प्रदान नहीं किये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाम्बीया व निम्बोला (जैतारण) में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

435. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माध्यमिक विद्यालय लाम्बीया (जैतारण) और निम्बोल में प्रधानाध्यापक का पद काफी समय से रिक्त है ? यदि हां, तो वहां कब तक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करदी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय लाम्बिया में 9.1.93 से तथा राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय निम्बोल में 25.11.92 से प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। ये पद लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(2) जी हां। जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 3 प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, 11 व्याख्याता, 2 वरिष्ठ अध्यापक व 3 अध्यापकों के पद रिक्त है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय एवं व्याख्याता के पद लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति से आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद मार्च 94 तक के लिये निमित सीधी भर्ती के चयनित तथा 93-94 की डी.पी.सी. में चयनित आशार्थी समाप्त होने से आगामी सत्र प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार भरे जा सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति में गबन का प्रकरण

436. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में वर्ष 1980-87 तक लगभग 20 लाख रुपये का गबन हुआ हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस गबन की उच्च स्तरीय जांच हो जाने पर भी जानबूझ कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं किया गया है ? क्या दोषी व्यक्तियों में से कुछ सेवा निवृत्त हो चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उच्च स्तरीय ऑडिट हो जाने पर भी ऑडिट रिपोर्ट के बिन्दुओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गबन नहीं हुआ था अपितु रुपये 24,130/- अन्य जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान किया गया था जिसकी वसूली कर राशि राज्य कोष में जमा करवाई जा चुकी है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) इस अनियमित भुगतान का प्रकरण उजागर होने से पूर्व ही सम्बन्धित अधिकारी सेवानिवृत हो चुके थे। अतः उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं। आन्तरिक जांच दल शिक्षा विभाग, जोधपुर के ऑडिट आक्षेपों की बिन्दुवार अनुपालना प्रतिवेदन निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई है।

निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर के इंटाली खेड़ा व बस्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

437. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में इंटाली खेड़ा और बस्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहति हैं ? ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सालय भवन बनाने की क्या योजना है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र के इंटाली खेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराने एडपोस्ट भवन में तथा बस्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन में चल रहा है।

ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कराने हेतु विभागीय बजट वर्ष 1994-95 में फिलहाल कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

चिकित्सा संस्थाओं के भवन प्राथमिकता के आधार पर जवाहर रोजगार कार्यक्रम, अपना गांव अपना काम, अकाल राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टरों को परामर्श/सुझाव दिये गये हैं।

निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

438. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सलूम्बर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? उक्त चिकित्सालय में श्रेणी अनुसार सुविधा उपलब्ध है या नहीं ?

(2) चुरावड चिकित्सालय किस श्रेणी का है और किस श्रेणी स्तर पर चल रहा है ? कब तक श्रेणीनुसार साधन मुहैया कराने का सरकार विचार रखती है ? अब तक श्रेणी अनुसार साधन उपलब्ध नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर को वित्तीय वर्ष 1992–93 में 30 से 50 रोगी शैय्या युक्त चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री)

है। इस चिकित्सालय में लगभग सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।

(2) ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरावड को उच्चीकृत किया जा कर इसमें तीस रोगी शैय्याएं उपलब्ध करादी गई है। इस संस्थान में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसियन) एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद स्वीकृत है। कुराबड में समुचित भवन व्यवस्था हो जाने तथा योजना मद में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एक्सरे एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की चिकित्सा व्यवस्था

439. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त केन्द्रों में कहां-कहां कितना-कितना स्टाफ स्वीकृत है तथा कितना स्टाफ वास्तव में लगा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस क्षेत्र में सरकार कहां-कहां स्वास्थ्य सेवाओं की विकास योजना रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की सूचना प्रश्न के भाग एक के विवरण में अंकित कर दिया गया है।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति के क्षेत्र आते हैं, जहां मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत की जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

जिला केन्द्र व उप-खण्डों पर अन्तरंग चिकित्सालय

440. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिला केन्द्र पर 100 शैय्याओं का और प्रत्येक उप-खण्ड पर 50 शैय्याओं का अस्पताल बनाने का गम्भीरता से विचार कर रही है?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इसकी क्रियान्विति हेतु क्या नीति बनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में सभी जिला मुख्यालयों पर 100 या इससे अधिक शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। राज्य में केवल 27 उप जिला मुख्यालय ऐसे हैं,

(56)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री)

जहां 50 से कम रोगी शैयायुक्त चिकित्सालय है।

(2) इन शेष 27 उप जिला मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों को 50 शैय्याओं का अस्पताल बनाने का प्रयास जारी है, इसी परिपेक्ष्य में वर्ष 1994-95 में उप जिला स्थित चिकित्सालयों की शैय्याओं में वृद्धि किए जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति के प्रकरण

441. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में भेजा जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(2) इस समय कौन-कौन से चिकित्सक किस-किस स्थान पर कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) सरकारी अस्पतालों में पद रिक्त होते हुए भी डाक्टर्स को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का क्या औचित्य है? भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी हां, अन्य विभागों की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) डाक्टर्स को जिन अन्य राजकीय विभागों के चिकित्सालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, वे भी राजकीय चिकित्सालय की श्रेणी में ही आते है। यह व्यवस्था इसलिये है ताकि उन विभागों के राजकीय कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जा सकें, जो कि सभी नागरिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने की राजकीय नीति के अनुरूप ही है। अत: भविष्य में भी सरकार इस नीति को जारी रखेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

तहसील पीपल्दा (कोटा) के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

442. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पीपल्दा तहसील के अस्पतालों व डिस्पेन्सरियों में, डाक्टर, कम्पाउण्डर व नर्स के कितने कितने पद कितने समय से रिक्त चल रहे हैं।

(2) रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पीपलखूंटा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटावा में दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ के क्रमश: 15-3-93 से व 1-4-90 से रिक्त है एवं एक पद चिकित्सा अधिकारी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलखूंटा में रिक्त था जिसको भरने के लिए स्थानान्तरण आदेश किए जा चुके हैं, कार्यग्रहण करना शेष है। अन्य संवर्ग के कर्मचारियों का कोई भी पद रिक्त होना नहीं पाया जाता।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला डूंगरपुर के ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था

443. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के निम्नांकित गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से आये दिन चिकित्सा के अभाव में लोग काफी परेशानियों का सामना करते है :-

(1) मेवाड़ा, (2) चक महुड़ी II (3) तलैया (4) पालीसोडा (5) सरथूना (6) पूनावाड़ा (7) मालाखोलड़ा (8) चाडोली (9) थमकातालाब (10) खजूरी (11) महुड़ीपालन।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम चाडोली व ग्राम तलैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। ग्राम मेवाड़ा, पाली सोडा, सरथूना, पूनावाड़ा, खजूरी व महुड़ीपाल में उपकेन्द्र स्वीकृत है। ग्राम मालाखोडा के नागरिकों को पास के स्थित ग्राम थोधारा में स्वीकृत उपकेन्द्र से तथा ग्राम चकमहुड़ी के ग्राम वासियों को ग्राम वासुया में स्थित उपकेन्द्र से तथा ग्राम तालाब के ग्राम वासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम थमको तालाब से जुड़े हुये ग्राम चाडोली (जिसमें प्रा. स्वा. के. स्वीकृत है एवं ग्राम भैसड़ा बड़ा तथा ग्राम भादर) जिनमें उपकेन्द्र स्वीकृत है (द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्वाचन क्षेत्र कामां के यूनानी चिकित्सालय

444. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में राजकीय यूनानी चिकित्सालय कितने हैं। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

(2) क्या सरकार ऐसे चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की कामां तहसील

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

में दो राजकीय यूनानी औषधालय क्रमशः घोसिगा व जोतरूहल्ला ग्रामों में संचालित हैं।

(2) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही भविष्य में और नवीन यूनानी औषधालय खोलने पर विचार कर पाना सम्भव हो सकेगा।

औषधि निर्माण हेतु ड्रग लाइसेंस

445. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में विभिन्न प्रकार की दवाईयां बनाने हेतु कितनी कम्पनियों को ड्रग लाइसेन्स जारी किया हुआ है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कम्पनियों द्वारा निर्माण के दौरान औषधियों की मात्रा तथा केमीकल जांच कराने व सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु सरकार की कोई प्रयोगशालाएं बनी हुई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत है, तथा कितने सेम्पल टेस्ट करने की क्षमता है तथा वर्ष 1992-93 में कितने सेम्पल टेस्ट किये गये ? क्या यह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो जनता को सही दवाइयां प्राप्त हो इसके लिये सही टेस्ट कराने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ड्रग्स एवं कॉस्टमेटिक अधिनियम 1940 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में (जिसमें फार्मूलेशन बेसिक ड्रग्स, सर्जीकल ड्रेसिग प्लास्टर ऑफपेरिस एब्जोरवेन्ट कोटन वूल, डिस्इफेक्टेट फाल्यूड शामिल है।) कुल 182 निर्माण शालाओं को औषधि निर्माणार्थ लाइसेन्स जारी किये गये है जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त अधिनियम के नियम 71,74 एवं 76 तथा 78 में यह प्रावधान है कि निर्माण औषधि के निर्माण से पूर्व उसके उपयोग किये जाने वाले अवयवों को स्वयं की विश्लेषण शालाओं में विश्लेषण करायेगा किन्तु ऐसे विश्लेषणों के लिए जिनमें सोफेस्टिकेटेड इन्सट्रूमेन्ट्स तकनीकी अथवा माइक्रोबायोलोजी तरीके के अपनाये जाने है के लिये इस प्रावधान हेतु वह किसी अनुमोदित विश्लेषण शाला के विश्लेषण कराये गये तथा इसी प्रकार तैयार औषधि को भी विश्लेषण करा कर ही बेचे जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार की औषधि निर्माण शाला जयपुर में कार्यरत है।

(3) राजकीय विश्लेषण शाला में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

विश्लेषण शाला करीब 1000 सैम्पल प्रति वर्ष विश्लेषण करने की क्षमता रखती है। वर्ष 1992-93 में 522 विश्लेषण रखे गये।

कर्मचारियों का विवरण:-

कार्यरत कर्मचारियों का विवरण पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1. औषधि विश्लेषक	2	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

1	2	3
2. स. औषधि विश्लेषक	2	2
3. कनिष्ठ साइन्टीफिक एसिस्टेंट	4	1
4. वरिष्ठ लै. टेक्नीशियन	2	2
5. कनि. एनिमल सुपरवाइजर	1	-
6. लैब टेक्नीशियन	2	1
7. वरिष्ठ लिपिक	1	1
8. वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो	2	2
9. कनिष्ठ लिपिक	1	1
10. लैब असिस्टेंट	4	2
11. चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	2	2
12. स्वीपर	1	-
13. चौकीदार	1	-

जी नहीं। विभाग के पास वर्तमान में राजस्थान राज्य में एक विश्लेषण शाला के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार की कलकत्ता एवं गाजियाबाद स्थित विश्लेषण शालाओं को भी राज्य से विश्लेषण हेतु सेम्पल उनके विशेष अनुरोध पर भेजे जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण

446. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरि सिंह (महुआ) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में उच्च न्यायालय से लेकर राजस्थान न्यायिक सेवा स्तर तक कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? सूची मय नाम एवं पद के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय से लेकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का आरक्षण कोटा है ? यदि हां, तो प्रदेश में किस-किस स्तर के कितने अधिकारी इन वर्गों के कार्यरत हैं ? मय पद व नाम के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि न्यायिक सेवा में इन वर्गों का काफी संख्या में आरक्षण कोटा रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रिक्त स्थान घोषित कर इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान न्यायिक सेवा के 364 अधिकारी एवं राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 193 अधिकारी हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परि. अ)

(2) राजस्थान न्यायिक सेवा से राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा तक आरक्षण कोटा है। उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई आरक्षण कोटा नहीं है :

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

(विधि राज्य मन्त्री)

के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

राजस्थान न्यायिक सेवा	
अनुसूचित जाति	33
अनुसूचित जनजाति	14
राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा	
अनुसूचित जाति	17
अनुसूचित जनजाति	5

(3) जी हां। सरकार सभी वर्गों के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित करती है। अत: इस सम्बन्ध में रिक्त पदों को भरने हेतु अलग से परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है न ही इस प्रकार का कोई प्रावधान नियमों में है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में संचालित बाल-पोषाहार कार्यक्रम

447. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस जिले की कौन-कौन सी तहसील में बाल पोषाहार कार्यक्रम (आंगनबाड़ी) किस-किस वर्ष से चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजसमन्द जिले की पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र की भीम पंचायत समिति में भी आंगनबाड़ी योजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में बाल पोषाहार कार्यक्रम (आंगनबाड़ी) राज्य में 30 जिलों की 135 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित है तथा वर्ष 1993-94 में स्वीकृत 17 परियोजनाओं में पोषाहार कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा। बाल पोषाहार कार्यक्रम तहसील मुख्यालय के बजाय पंचायत समिति क्षेत्र के अनुसार संचालित किया जाता है। बाल पोषाहार कार्यक्रम जिन क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है, उसका जिलेवार विवरण संलग्न कर सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित ट्यूरिस्ट लॉज/बार

448. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान में कहां-कहां ट्यूरिस्ट लॉज/बार संचालित किये जा रहे हैं ? पिछले चार वर्षों में हुए लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा पिछले एक वर्ष में राजस्थान में कहां, कब किस-किस ट्यूरिस्ट बंगलों का किन कारणों से दौरा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारियों ने उन

(श्री महादेव सिंह)

पर आये खर्च का निगम को भुगतान किया ? यदि हां, तो किस दर से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान में संचालित ट्यूरिस्ट लॉज एवं पिछले चार वर्षों में हुए लाभ-हानि के विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा जहां बार संचालित किये जा रहे हैं उनकी सूचि परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा पिछले एक वर्ष में राजस्थान में की गई यात्रा के विवरण की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) उक्त अधिकारियों ने उन पर आये खर्च का निगम को भुगतान किया है। दरों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति सराड़ा (उदयपुर) में जीवनधारा व इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

449. श्री रघुवीरसिंह (बारां) : क्या विशिष्ट योजना- संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर में पिछले दो वर्षों में जीवनधारा के कितने कुएं तथा इन्दिरा आवास के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? इन कुओं तथा मकानों के भुगतान की क्या प्रकिया है तथा इनका मापदण्ड क्या है ? क्या जीवनधारा कुओं के भुगतान समय पर हो रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने कुओं को कितनी-कितनी किश्तें चुका दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के प्रशासकों द्वारा इन्दिरा आवास मकानों के भुगतान में भारी अनियमितता की जा रही है ? तथा नौ हजार आठ सौ रुपया में से आधा रुपया स्वयं ले लेते हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर सरकार कार्यवाही कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 92-93 व 93-94 (जनवरी, 94) में जीवनधारा योजनान्तर्गत क्रमश: 48 एवं 107 कुएं स्वीकृत किये गये। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 92-93 व 93 94 में क्रमश: 148 व 627 आवास स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कुओं एवं आवासों पर राशि का भुगतान जवाहर रोजगार योजना की कार्य निर्देशिका के पैरा सं. 15.3 के अनुसार चार किश्तों में किया जाता है। जीवनधारा योजनान्तर्गत चार किश्तों का भुगतान 20:40:20:20 प्रतिशत के अनुपात में किया जाता है जो क्रमश: 25:50 प्रतिशत तथा पूर्ण गहराई तक खोदने चुनाई करवाने एवं कुआं बैठाने तथा ढाणा निर्माण करने पर दिया जाता है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राशि का भुगतान 4 किश्तों में 2000:4000: 3800:1400 रुपये नींव की खुदाई लिन्टल

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

निर्माण : छत डालने एवं शौचालय एवं निर्धूम चूल्हा निर्माण करने पर दिया जाता है।

जीवनधारा योजनान्तर्गत कृषकों को उनके द्वारा कुएं पर किये गये कार्य के अनुपात में भुगतान किया जा रहा है। अब तक 109 कुओं पर प्रथम किश्त का तथा इनमें से 39 कुओं पर द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 15 पर पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। शेष कुओं पर कृषकों द्वारा कार्य नहीं कराने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(2) जी नहीं, इस बारे में कोई शिकायत लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी को मौखिक जानकारी दिये जाने पर पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही है। तदनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

राजसमन्द तहसील में जीवनधारा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

450. श्री शांतिलाल खोइवाल (राजसमन्द): क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द तहसील में आत्मा पंचायत क्षेत्र के किन-किन व्यक्तियों को किस-किस कार्य हेतु जीवन धारा योजना के तहत दि. 1.4.1991 से 31.1.1994 तक लाभान्वित किया गया ?

(2) उक्त कार्य के लिए प्रत्येक लाभान्वित को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा अब तक स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

(3) प्रत्येक प्रकरण में यदि पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द तहसील में आत्मा पंचायत क्षेत्र के निम्न 3 व्यक्तियों को 1.4.91 से 31.1.94 तक जीवनधारा योजनान्तर्गत कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई।

1. मोहिनी/नन्दा भील तलाई
2. हीरा/गणेश भील झाझर
3. धीसा/गला भील झाझर

(2) उक्त कार्य के लिए प्रत्येक लाभान्वित को स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि निम्न प्रकार है :-

नाम लाभार्थी	स्वीकृत राशि	भुगतान राशि
1. मोहिनी/नन्दा भील	22100	19000
2. हीरा/गणेश भील	22100	15000
3. धीसा/गला भील	22100	—

(3) लाभार्थी क्र. संख्या 1 व 2 ने ग्रामीण कार्य निर्देशिका के मापदण्ड

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

अनुसार अब तक कार्य पूर्ण नहीं किया है। अतः किये गये कार्य के अनुपात में उनको भुगतान किया गया है। क्र संख्या 3 ने कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है। अतः कोई भुगतान नहीं किया गया है।

बंजर भूमि विकास परियोजनाएं

451. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार की बंजर भूमि विकास की कोई परियोजनायें हैं ? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां ?

(2) उक्त योजनाओं में वर्षवार कुल कितनी राशि वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 में स्वीकृत की गई व उसमें से कितनी व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजनाओं में लक्ष्य पूरे हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन योजनाओं में वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट "ब"।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 मार्च के अन्तिम सप्ताह में झालावाड़, जोधपुर एवं उदयपुर की चार परियोजनाएं स्वीकृत की गई, तथा माह जून, 92 के अन्तिम सप्ताह में राशि का आवटन किया गया। अतः राशि का आवंटन देरी से होने के कारण वर्ष 92-93 में लक्ष्यों की प्राप्ति पूरी नहीं हो पाई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बेगूं में पशु औषधालय

452. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पंचायत बेगूं और भैंसरोड़गढ़ में कितने-कितने पशु औषधालय किस-किस श्रेणी के कार्यरत हैं ?

(2) क्या इन पशु औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन श्रेणी के पद रिक्त हैं तथा कब तक रिक्त पद भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति बेगूं में 3 पशु चिकित्सालय क्रमशः बेगूं, पारसोली व चेंची एवं पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः भैंसरोड़गढ़, बड़ोदिया, रावतभाटा एवं एकलिंगपुरा, 2 पशु औषधालय जावदा व बोराव कार्यरत हैं।

(2) पंचायत समिति बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ में पशु चिकित्सालय चेंची एवं पशु

(पशुपालन राज्य मन्त्री)

चिकित्सालय बड़ोदिया में डाक्टर का पद रिक्त है : डिग्री होल्डर डाक्टर उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

जीवनधारा तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों के लिए अर्हता

453. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जीवनधारा एवं इन्दिरा आवास योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी देने के आदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो कब से तथा किन-किन लोगों के लिए ?

(2) इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धन राशि का प्रावधान किया गया है ?

(3) इन योजनान्तर्गत लाभान्वितों के लिए अर्हता के क्या मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार ने जीवनधारा एवं इन्दिरा आवास योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिरिक्त अन्य चयनित व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन बसर कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष 1993-94 में लाभ दिये जाने के आदेश जारी किये हैं।

(2) इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीवनधारा योजना में रुपये 1263.79 लाख एवं इन्दिरा आवास योजना में रुपये 499.8 लाख का प्रावधान किया गया है।

(3) जीवनधारा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भिन्न जाति के गरीबी की रेखा से नीचे आई.आर.डी.पी. अन्तर्गत चयनित लघु एवं सीमान्त कृषकों को नवकूप निर्माण हेतु लाभान्वित किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं भिन्न जातियों के व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं एवं आई.आर.डी.पी. अन्तर्गत चयनित हैं, को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देकर लाभान्वित किया जाता है।

पंचायत समिति जायल (नागौर) में कराये गये कार्य

454. श्री मोहनलाल (जायल) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति जायल जिला नागौर में 1 जनवरी, 1993 से 15 फरवरी, 1994 तक किस-किस किस्म के राजकीय कार्य / राहत कार्य / सार्वजनिक निर्माण के कार्य किस-किस ग्राम में स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ कार्य स्वीकृत होने के बाद अभी तक शुरू नहीं करवाये गये हैं तथा कुछ अपूर्ण है ? यदि हां, तो ऐसे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

(3) उक्त अपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कराने/शुरू नहीं कराने में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों का दोष रहा है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जायल में जनवरी 93 से 15 फरवरी 94 तक योजनाओं में निम्न प्रकार से राहत कार्य स्वीकृत हुए।

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	अपूर्ण
1.	अकाल राहत कार्य (11 ग्राम पं.)	21	—	21
2.	J R Y			
	1. जीवनधारा कूप	62	6	56
	2. इन्दिरा आवास	106	70	36
	3. ग्राम पंचायतों के कार्य	60	30	30
3.	D. D. P.			
	1. सार्वजनिक तालाब	3	—	3
	2. पशु पेयजल कुण्ड	15	14	1
4.	ग्रा. रो. योजना	3	1	2
5.	निर्बन्ध योजना	4	—	4
6.	अपना गांव – अपना काम	3	2	1
		277	123	154

(2) जनवरी 93 से 15 फरवरी 94 तक स्वीकृत सभी 277 कार्य चालू कराये जिसमें से 123 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं शेष 154 कार्य इसी वित्तीय वर्ष 31 मार्च 94 तक पूर्ण करा लिए जायेंगे। चालू अपूर्ण कार्यों की सूची संलग्न है।

(3) सभी स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण कार्य वर्तमान में चालू है। कार्य चालू कराने में किसी भी प्रकार का विलम्ब अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता है। सभी अपूर्ण कार्य 31 मार्च 94 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

झुन्झुनूं जिले की ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्य

455. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :- क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें (1) चंवरा (2) मैनपुरा (3) गुढ़ागोडजी (4) बड़ा गांव (5) बागोरा (6) नांगल (7) मण्डावरा के प्रशासकों (ग्राम सेवकों) द्वारा पंचायतों की अवधि समाप्त होने से 31.1.1994 तक कितनी-कितनी राशि जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना आदि विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य करवाने हेतु उठाई गई है तथा उनमें से कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक इन निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तथा कम्पलीयेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चंवरा, मैनपुरा, गुढागोडजी, बड़ागांव, बागोरा, नांगल, मंडावरा के प्रशासक (ग्राम सेवकों) द्वारा पंचायतों की अवधि समाप्त होने से (31.7.91 से) 31.1.94 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए निम्नानुसार राशि उठाई गई व निर्माण कार्यों पर व्यय की गई।

1- ग्राम पचायत चंवरा के प्रशासक द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 1,29,123.00 की राशि उठाई गई जो निम्नानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय की गई —

1.	नाली निर्माण	89,281.00
2.	खुर्रा निर्माण	23,060.00
3.	प्राथमिक शाला मरम्मत	5,993.00
4.	पंचायत भवन	6,501.00
5.	पंचायत भवन निर्माण (सरपंच के कार्यकाल का बकाया भुगतान)	4,288.00
		1,29,123.00

2- प्रशासक ग्राम पंचायत मैनपुरा द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 2,15,468.00 की राशि निर्माण कार्यों के लिए उठाई गई जो निम्नानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय की गई—

1.	सार्वजनिक कूप गहरा व मरम्मत भाड़ की ढाणी	14,850.00
2.	रपटा निर्माण बागोरिया नाला	20,944.00
3.	खुर्रा निर्माण गडलकला	29,055.00
4.	जनोपयोगी भवन मैनपुरा	43,278.00
5.	प्रा.शा. हीरवाना 2 कमरा मय बरामदा	1,00,855.00
6.	नव कूप गोचर भूमि मरम्मत	1,095.00

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

7.	समाज कल्याण भवन हीरवाना मरम्मत	5,391.00
		2,15,468.00

3– प्रशासक ग्राम पंचायत गुढा गोड़जी द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 5,23,114.00 रुपये की राशि उठाई गई जो निम्नानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय की गई—

1.	प्रा.शा. बुरली कमरा, बरामदा	76,263.00
2.	संस्कृत प्रा.शा. में कमरा, बरामदा	69,989.00
3.	नाली मिठी कुई से मोदी धर्मशाला	23,400.00
4.	हरिजन बस्ती कूप गहरा करना	10,000.00
5.	प्रा.शा. खरबासों की ढाणी 2 कमरा बरामदा	95,911.00
6.	सड़क मोरिण्डा बड़की ढाणी	95,355.00
7.	प्रा.शा. गुढागोड़जी कमरा, बरामदा	40,632.00
8.	प्रा.शा. खेदड़ों की ढाणी 2 कमरा बरामदा	91,064.00
9.	प्रा.शा. खरबासों की ढाणी मरम्मत	6,500.00
10.	प्रा.शा. बुरली मरम्मत	6,000.00
		5,23,114 00

4– प्रशासक ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 2,87,291.00रु. व अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत 1,60,752.00 रु. कुल राशि 4 48,043 00 रु. की राशि निर्माण कार्यों के लिए उठाई गई जो निम्नानुसार व्यय की गई—

जे. आर. वाई.

1.	पंचायत की 5 दुकानों की मरम्मत	12,612.00
2.	प्रा.शा. जैसुख की ढाणी बरामदा व फर्श आदि	21,980.00
3.	जनोपयोगी भवन सैनीपुरा	70,368.00
4.	उचित मूल्य की दुकान व गोदाम	79,900.00
5.	खुर्रा राधाराम के घर से	19,992.00
6.	प्रा. शा. सैनीपुरा मरम्मत	8,498.00
7.	प्रा. शा. जयसुख की ढाणी मरम्मत	3,980.00
8.	खुर्रा हरिजन बस्ती बड़ागांव	16,940.00
9.	खुर्रा श्रीचन्द के घर पास	20,940.00
10.	खुर्रा कन्हैयालाल के	4,600.00
11.	सार्वजनिक कूप श्योप्रताप गहरा व मरम्मत	15,647.00

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

12.	पंचायत भवन में शौचालय व स्नानघर	11,017,00
		2,87,291.00

ऐ. जी. ऐ. के.

1.	प्रा. शा. सैनीपुरा में 2 कमरा	38,185.00
2.	सूरत अतिथि भवन	42,072.00
3.	सार्वजनिक पुस्तकालय	80,495.00
		1,60,752.00
	कुल योग	4,48,043.00

5– ग्राम पंचायत बागोरा के प्रशासक द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 1,49,784.00 रु. की राशि उठाई गई जो निम्नानुसार व्यय की गई —

1.	उच्च प्राथमिक शाला बागोरा में कमरा बरामदा	46,695.00
2.	विश्रामगृह गिरावड़ी	69,372.00
3.	बस प्रतीक्षालय बागोरा	23,973.00
4.	एनीकट गिरावड़ी मरम्मत	6,000.00
5.	उ. प्रा. शा. बागोरा मरम्मत	3,800.00
		1,49,784.00

6– प्रशासक ग्राम पंचायत नांगल द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 1,72,291.00 रु. की राशि उठाई गई जो निम्नानुसार व्यय की गई —

1.	प्रा.शा. मालियों की ढाणी कमरा बरामदा	37,715.00
2.	प्रा.शा. नांगल मरम्मत	8,000.00
3.	जनोपयोगी भवन रोधाला की ढाणी	73,914.00
4.	मवेशी खाना मरम्मत	3,167.00
5.	रपटा कोट निर्माण	40,190.00
6.	नवकूप बूजा की ढाणी मरम्मत	1,502.00
7.	रपटा कोट रास्ते पर मरम्मत	3,992.00
8.	प्रा.शा. मालियों की ढाणी मरम्मत	3,811 00
		1,72 291.00

7– प्रशासक ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 1,19,862.00 रु. की राशि उठाई गई जो निम्नानुसार व्यय की गई—

1.	एनिकट ढाणी हालेड़ा	38,457.00
2.	सार्व. कूप गहरा करवाना	11,038.00
3.	खुर्रा ढाणी हालेड़ा	31,616.00
4.	पेयजल टंकी ढाणी हालेड़ा	18,635.00
5.	खुर्रा लादुगुजर के पास	22,450.00
6.	प्रा.शा. मण्डावरा मरम्मत	7,666.00
		1,19,862.00

कार्यवार सूचना संलग्न है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

(2) कुल 56 निर्माण कार्यों में से 41 निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि की यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट/कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी कर दी गई है शेष 15 कार्यों की यु. सी./सी. सी. जारी नहीं की गई है। जिसका विवरण पंचायतवार निम्नानुसार है-

		व्यय राशि
1-पंचायत नांगल	4 कार्य	12,472.00
2- ,, बड़ागांव	2 कार्य	12,487.00
3- ;, बागोरा	2 कार्य	9,800 00
4- ,, चंवरा	1 कार्य	56,643.00
5- ,, मैनपुरा	4 कार्य	1,50,619.00
6- ,, गुढागोड़जी	2 कार्य	12,500.00
7-	15 कार्य	2,54,521.00

ग्राम पंचायत चंवरा में 1 कार्य नाली निर्माण अपूर्ण एवं अनुपयोगी होने के कारण मूल्यांकन नहीं किया गया। ग्राम पंचायत मैनपुरा में 1 कार्य प्राथमिक शाला हीरवाना निर्माणाधीन होने व 1 कार्य जनोपयोगी भवन हरिजन बस्ती मैनपुरा अपूर्ण रहने के कारण तथा शेष 2 कार्य गत माह में ही हिसाब प्राप्त होने के कारण सी. सी. जारी नहीं की जा सकी।

शेष पंचायत गुढा गोड़जी, बागोरा, बड़ागांव व नांगल के 10 कार्यों का मूल्यांकन गत माह में ही हिसाब प्राप्त होने के कारण अभी जारी नहीं किया जा सका है।

कार्यवार सूचना संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में समाज कल्याण छात्रावास

456. **श्री मदनमोहन (खैरथल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्तमान में राज्य में समाज कल्याण के कितने छात्रावास निर्मित करवाये जा चुके हैं।

उत्तर

राज्य में वर्तमान में 165 छात्रावास सरकारी भवनों में संचालित किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत अधिकारी

457. **श्री मदन मोहन (खैरथल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

समाज कल्याण विभाग में कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग में वर्तमान में अनुसूचित जाति के 11 व अनुसूचित जन जाति के 6 अधिकारी कार्यरत हैं।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

458. **श्री मदन मोहन (खैरथल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन मोहन)

क्या महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं विभाग ने चला रखी हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान में महिलाओं के लिये विभाग द्वारा निम्न विशेष योजनाएं चलाई जा रही है :–

(1) राज्य महिला सदन :– जिसमें संकट ग्रस्त महिलाओं के आवास, निवास, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ उनके केसों को निपटाने हेतु निःशुल्क कानूनी व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है।

(2) वर्ष 93-94 में महिला विकास केन्द्र का संचालन जिनमें स्वरोजगार हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्पादन केन्द्र प्रारम्भ किया गया है।

(3) निराश्रित मानसिक विमन्दित महिलाओं हेतु आवासीय व्यवस्था के साथ निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था एवं उनके शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे स्वयं अपना दैनिक कार्य अपने आप कर सकें।

(4) विधवा विकलांग निराश्रित वृद्ध महिलाओं हेतु पेन्शन योजनान्तर्गत रुपये 100/– प्रति माह जिला कलक्टरों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

राज्य में अनुसूचित जाति विकास निगम व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं

459. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा पंचायत समितियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उसके नियम मापदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन योजनाओं के माध्यम से सामूहिक एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु कितनी-कितनी राशि वर्ष 1989 से 1994 तक पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटडी विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के भाग में प्रदत्त की गई ? पूर्ण नाम सहित योजना एवं राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन योजनाओं की राशि का भौतिक सत्यापन भी किया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। योजनाओं के नाम निम्न प्रकार है :–

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

शहरी योजनायें	ग्रामीण योजनायें	एन. एस. एफ डी सी. ऋण योजनायें
(1) पैकेज आफ प्रोग्राम	(1) सामुहिक पम्प सेट	(1) डेयरी योजना (दो-भैंस)
(2) ओटोरिक्शा	(2) व्यक्तिगत पम्प सेट	(2) थ्रीव्हीलर
(3) शहरी दुकान	(3) बोरिंग एवं ब्लास्टिंग	(3) फोटो कापियर्स
(4) स्काईट	(4) बुनकर शाला	(4) ऊंट गाड़ी/बैल गाड़ी
(5) स्वच्छ कार्य	(5) शिल्पीशाला	(5) वासरमैन लाउन्ड्री
अ स्वच्छकार पुनर्वास	(6) ग्रामीण दुकान	(6) वुडन मैटेरियल कन्सट्रेक्शन
ब–स्वच्छकार प्रशिक्षण	(7) उन्नत कृषि यन्त्र	(7) आयल मिल
	(8) विद्युतीकरण	(8) मोडर्न हेयर कटिंग सेलून
	(9) उन्नत गाय	(9) टाइपिंग इन्सटीट्यूट
	(10) उन्नत भैंस	(10) सूअर पालन
	(11) पैकेज आफ प्रोग्राम (ग्रामीण)	(11) जैम कटिंग, पालिशिंग
	(12) कुक्कुट पालन	(12) साईकिल हायरिंग एवं रिपेरिंग शाप
	(13) हाथ करघा	(13) ट्रैक्टर
	(14) स्वच्छकार पुनर्वास	(14) ट्रैक्टर मय ट्राली

पात्रता

शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं के लिये

(1) लाभान्वित अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए। अधिक आय नहीं हो।

(2) लाभान्वित परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हो अर्थात शहरी क्षेत्र में 11850/– रु. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11000/– रु. वार्षिक से अधिक आय नहीं हो।

(3) उक्त स्थान/क्षेत्र का मूल निवासी हों।

(4) बैंक का अवधिभार ऋणी न हो।

(5) पूर्व में 5000/– रु. अनुदान प्राप्त न किया हो।

(6) योजना की इकाई लागत 35000/– रुपये से अधिक न हो।

एन.एस.एफ.डी.सी. ऋण योजनाओं के लिये

(1) अनुसूचित जाति का व्यक्ति, समूह

72

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था/समिति जिसके सभी सदस्य अनुसूचित जाति के हों।

(2) परिवार जिसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा से दुगनी तक हो। यह सीमा वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 23,700/- रु. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 22,000/- रु है।

(3) जिस पर किसी बैंक, सहकारी संस्था का अथवा राज्य सरकार का अधिभार ऋण बकाया न हो।

(4) राजस्थान का मूल निवासी हो एवं क्षेत्र में रहता हो।

(5) एन.एफ.डी सी. ऋण योजना के नियम व उपनियम परिशिष्ट-111 संलग्न है।

(2) योजना के माध्यम से सामूहिक एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु राशि वर्ष 1989 से 1994 तक पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी विधान सभा क्षेत्र के भाग में प्रदत की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
(1)	पंचायत समिति कोटड़ी	131000	45000	309124.24	236985.75	10000
(2)	पंचायत समिति जहाजपुर	45100	170200	192549.75	237602.25	75000
	योग:-	176100	213200	501674 50	474588.00	85000

उक्त राशि का योजनावार एवं व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट 1 व 2 के अनुसार है।

(3) निगम द्वारा पंचायत समितियों को राशि सीधी जारी नहीं की जाती है। दिनांक 4-8-93 तक राशि परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निगम योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम स्वरूप भेजी जाती थी, ततपश्चात निगम का पृथक पी.डी. खाता खुलने पर राशि परियोजना प्रबन्धक को डी.डी द्वारा भेजी जाती है इस राशि में से अग्रिम स्वरूप राशि पंचायत समितियों को चैक/डी.डी. जिला कार्यालय द्वारा जारी की जाती है यह राशि पचायत समिति की अन्य निधियों के साथ रहती है इसलिये इसका निगम द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता जो राशि निगम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दी जाती है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समायोजन जिला कार्यालयों के लेखों में किया जाता है।

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

पाली जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

460. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रावास हैं ? इन छात्रावासों में वर्ष 1990 से अब तक कितना पैसा किस-किस मद पर व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जो छात्रावास हैं उनमें क्या-क्या सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार आनन्दपुर कालू (जैतारण) में छात्रावास के लिए भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले में अनुसूचित जाति के 12 अनुसूचित जन जाति के 5 छात्रावास संचालित हैं । अनुसूचित जाति के 12 छात्रावासों में स्वच्छकार योजना के 3 छात्रावास संचालित हैं । इन छात्रावासों में वर्ष 1990 से अब तक किये गये व्यय की मदवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में रहने वाले छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है । जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) आनन्दपुर कालू (जैतारण, में छात्रावास भवन का निर्माण राज्य के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें ।)

बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजा

461. *श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र के डूब में आने वाले कितने गांवों के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा राशि किन-किन मदों में दी गई है ? अब तक मुआवजा प्राप्त करने वाले गांवों एवं व्यक्तियों की संख्या एवं दी गई मुआवजा की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विस्थापितों को मुआवजा देने के बाद भी सरकार इन विस्थापितों को अन्यत्र बसाने एवं कृषि योग्य भूमि देने की प्रक्रिया अपनाती है ? यदि हां, तो विस्थापितों में से कितनों को आवासीय एवं कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई एवं किन-किन स्थानों पर इनके लिये कौनसी किस्म की भूमि आरक्षित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

74

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

(3) क्या बीसलपुर बांध परियोजना में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांव भी डूब क्षेत्र में सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को मुआवजा एवं भविष्य में बसाने की सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत बघेरा में कितने विस्थापितों को आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि आवटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र के डूब में आने वाले गांवों में से 16 गांवों के विस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि भूमि, मकानों, कुंओं, पेड़ों एव अन्य सम्पत्ति के मद में दी गयी है। अब तक मुआवजा प्राप्त करने वाले 16 गांव हैं एवं लगभग 8000 व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान किया गया है। ग्रामवार किये गये मुआवजा भुगतान की राशि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-I)।

(2) जी, हां। माह फरवरी 1994 तक कुल 840 विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड एवं 1262 विस्थापितों को 1068.64 हैक्टयर कृषि भूमि आवटित की गई है। विस्थापितों को आवंटन हेतु आरक्षित कृषि भूमि एवं आवासीय भूखण्डों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-II (अ) एवं II (ब))।

(3) जी, हां। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के डूब में आने वाले गांवों को मुआवजा भुगतान द्वितीय चरण में आर. एल. 309.0 मी. के ऊपर डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एव सम्पत्ति के मुआवजा भुगतान के साथ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त गांवों के विस्थापितों को बसाने की योजना अभी तैयार की जा रही है।

(4) ग्राम पंचायत बघेरा में 200 विस्थापितों को 171.31 हैक्टेयर भूमि आवटित की जा चुकी है जिसका विवरण सलग्न है (परिशिष्ट-III) उक्त गांव में किसी भी विस्थापित को अभी तक कोई आवासीय भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम इंटाली (मावली) जिला उदयपुर में पशु चिकित्सालय

462. **श्री शान्तिलाल चपलोत** (मावली) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त गांव की पशु आबादी एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए वहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। नया चिकित्सालय/औषधालय खोलते समय इस पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है--

1. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधानसभा की ओर से दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के शिवसिंहपुरा 33 के. वी. के सब ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री विष्णु मोदी एवं 16 अन्य सदस्य, विधानसभा की ओर से विजयनगर (अजमेर) और रावतसर के नगरपालिका अध्यक्षों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

3. श्री परसराम मदेरणा एवं 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा संभाग में कैरोसीन में मिलावट होने से लगभग 30 व्यक्तियों की मृत्यु एवं काफी संख्या में व्यक्तियों के जल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इस विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार अपनी ओर से सदन में वक्तव्य देगी उस समय माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है--

4. श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना कस्बे में दिनांक 2-3-1994 को दोपहर 1.50 बजे हथियारों से लैस पांच डाकुओं को पुलिस द्वारा छोड़ने का प्रयास करने तथा डाकुओं को गिरफ्तार करवाने में साहसपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति श्री धर्मवीर को पुरस्कार दिलवाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 39/94 धारा 307, 395, 511 भा. दं. सं. एवं 27 शस्त्र अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण थानाधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया गया। अन्वेषण के दौरान पकड़े अभियुक्त सर्वश्री किशोर कुमार जाटव, कन्हैयालाल जाटव, निरपेन्द्रसिंह राजपूत उर्फ सिन्धी को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से अवैध हथियार देशी कट्टे बरामद कर अवैध हथियार रखने के अपराध के अन्तर्गत धारा 8/25 आर्म्स एक्ट अलग से पंजीकृत किये गये जिनका अनुसंधान अलग से किया जा रहा है। बैंक डकैती के गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने अन्य कई वारदातें करने की सूचना देने के साथ ही पैट्रोल पम्प लूटने की सूचना दी है, अन्वेषण किया जाकर लूटे गये माल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

बैंक डकैती की घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल पर ही त्वरित कार्यवाही आरम्भ की जाकर विधिवत् अन्वीक्षा की जा रही है।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री रामस्वरूप मीणा एवं 23 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को एक तरफा एवं असंवैधानिक आदेश द्वारा हटाने तथा अकादमी को भंग करने के कथित प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि अकादमी सचिव के दुराचरण के सम्बन्ध मे कोई ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है एवं उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नियमानुसार किया है। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने अकादमी के सचिव से मिलकर श्री वेद व्यास को सितम्बर, 1993 से दी जा रही अध्यक्षीय सुविधाएं जनवरी, 1994 से राजनैतिक दुष्चक्र के कारण रोक दी है। राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्यालय उदयपुर में स्थित है, परन्तु श्री वेद व्यास ने जयपुर में कार्यालय हेतु 2 कमरों का एक भाग किराये पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना 1200 रुपये प्रतिमाह पर 1-10-1993 से ले लिया था जिसे राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 19-11-1993 से अस्वीकृत भी कर दिया गया। इसके बावजूद भी खाली नहीं किया है।

यह कहना गलत है कि राजस्थान साहित्य अकादमी में सम्पूर्ण कार्य ठप्प हो गया है तथा साहित्य संवर्द्धन का कार्य नहीं हो पा रहा है। श्री वेद व्यास ने दिनांक 18-9-1993 से 31-1-1994 तक 13,507 रुपये 20 पैसे यात्रा व्यय पेटे प्राप्त किये, इसी तरह दिनांक 6-11-1993 को 1700 रुपये 7-1-94 को 2700 रुपये का टेलीफोन बिलों के पेटे भुगतान किया गया था एवं डाक आदि के लिए अभी तक 2100 रुपये अकादमी मुख्यालय द्वारा चुकाये गये हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है--

6. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार में कथित दोषी पाये अधिकारियों के विरुद्ध चालान पेश करने की अनुमति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

निम्नांकित स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है--

7. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, सदस्य विधान सभा की ओर से नसीराबाद नागरिक क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई कम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में हाथ करघा बुनकरों के रोजगार हेतु बुनकर समितियों को बुनकर संघ से ही सूत लेने की पाबन्दी हटाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कतिपय अकाल राहत के कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर के पास स्थित ओंड़ेला बांध सन् 1984 से टूटा होने और उसकी मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वारा 1.1 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त भी मरम्मत कार्य बीच में रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री लक्ष्मणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर. ए. एस. (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1993 के घोषित परिणाम में कथित गम्भीर खामियों के सम्बन्ध में।

5. श्री नारायणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम रलावता, जीणमाता नीमेड़ा व मोहनपुरा में खारा पानी होने से पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

6. श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बारां की पंचायत समिति शाहबाद के ग्राम मोहदरा में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

7. श्री रेवतराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सन्-1955 से पूर्व काबिज काश्तकारों को सरकार द्वारा गैर खातेदार मानकर माल-काना व सरचार्ज अधिक वसूले जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

8. श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला पुलिस थाना जयपुर में दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 11/92 चन्दो उर्फ पूनम दहेज हत्या काण्ड के मुलजिमान को पुलिस द्वारा बचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री किशनाराम नाई, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री डुंगरगढ़ के समस्त गांवों को जर्मन आर्थिक सहयोग से शुरू हुई पेयजल योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मण्डी की सुभाष कालोनी में वर्षों से रह रहे पार्थियों के गरीब परिवारों को पुलिस द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री महावीर भगोरा, सदस्य विधान सभा की ओर से कालेज एवं

(श्री अध्यक्ष)

विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याताओं को विशिष्ट चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री उगमराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की रायपुर तहसील के ग्राम रामगढ़ में स्वीकृत खनन पट्टों का एग्रीमेंट न करने से क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी एवं राज्य को हो रही राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

13. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान होमियोपैथिक मेडिकल कालेज की डी. एच. एम. एस. डिग्री को एम. डी. (होमियो) के प्रवेश हेतु पूर्ण मान्य नहीं माने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

इसके पहले कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें कुछ माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में अपनी कुछ बात रखने के लिए मुझे कहा है इसलिए मैं उनको पहले पुकार लेता हूं। श्री राजेन्द्र गहलोत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): माननीय अध्यक्षजी, गत एक वर्ष से जोधपुर शहर के अन्दर लगातार चोरियां हो रही हैं। गत वर्ष 779 चोरियां जोधपुर में हुई थीं। जनवरी से लेकर कल तक कोई दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन जोधपुर में चोरियां नहीं हुई हों। जिला प्रशासन व पुलिस इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है इसके कारण से आम जनता में रोष फैल रहा है और लोग भयभीत हैं। अध्यक्षजी, जब चोरियों की एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के अन्दर शिकायतकर्ता जाते हैं तो वहां पर भी उनके साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि चोरियां लगातार हो रही हैं उनको रोकने के लिए कार्यवाही की जाय। दूसरी ओर पुलिस थाना सरदारपुरा, शास्त्री नगर, प्रताप नगर और उदयमन्दिर और महामन्दिर पुलिस थानों में विशेष रूप से घटनाएं घटती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अवैध वाहन चलाने की जो कार्यवाही हो रहा है, उसमें भी पुलिस का संरक्षण है। यातायात अवरुद्ध हो जाता है। साथ में पुलिस थानों और चौकियों के बाहर रेल्वे स्टेशन के पास सैकड़ों की संख्या में बसें खड़ी रहती हैं उनमें यात्री जाते हैं उन वाहन मालिकों को भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कार्यवाही को रोकें। जिला प्रशासन द्वारा दो पुलिस अधिकारियों को गणतन्त्र दिवस पर प्रशंसा पत्र दिये गये थे। उस प्रशंसा पत्र का प्रतिदिन एक ज्ञापन आता है बधाई का और जिस दिन ज्ञापन आता है उस दिन शहर में बड़ी चोरी होती है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रशंसा पत्र किन आधारों पर दिये गये हैं और उन आधारों पर देने के बाद दिन-प्रतिदिन बड़ी चोरियां हो रही हैं उनको क्यों नहीं

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

रोका जा रहा है। इसके कारण से जनता में रोष है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं भी जोधपुर का रहने वाला हूं। सरदारपुरा से ग्राने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जी गहलोत ने जो बात कही है, ग्रभी मैं भी जोधपुर में था, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर रात एक चोरी होती है ग्रौर यह भी नहीं है कि एक ही मौहल्ले में हो। ग्रगर एक दिन ये महामन्दिर में होती है तो दूसरे रोज सरदारपुरा में होगी ग्रौर तीसरे रोज सूरसागर में होगी। एक तो गश्त का जो काम है वह बिलकुल ढीला है। रात को पुलिस गश्त नहीं करती है, मजे से बैठकर कहीं चाय पीते हैं, ग्रगर शराब की बोतल मिल जाती है तो उससे मजे लूटते हैं ग्रौर हकीकत में ग्रापको निवेदन कर रहा हूं, ग्राप बहुत सख्ती बरतिये नहीं तो हालात ग्रौर बिगड़ जाएंगे ग्रौर जो ग्रापने ग्राश्वासन दिया था ग्रौर कहा था ...

श्री ग्रध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा तो होम मिनिस्टर राजस्थान में श्री भैरोंसिंह जी के बाद मैं ही ग्राया हूं, ग्रापकी पोल खुल जाएगी।

श्री नाथूसिंह (राज्य मन्त्री, पंचायती राज) : ग्राप जोधपुर में रहते हो तो ही ज्यादा चोरियां होती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सरदारपुरा से ग्राने वाले विधायक का इस बारे में तार भी मिला था, वहां के नागरिकों की शिकायत भी मिली थी, मैंने उस पर त्वरित कार्यवाही कर गृह सचिव को विशेष रूप से निगरानी रखकर चोरियां बरामद हों, पुलिसकर्मियों का शिकायतकर्ताग्रों के साथ व्यवहार ठीक हो ग्रौर ये जितनी भी गैंग्स चोरियां करने वाली ग्रापरेट हो रही हैं, उन पर निगाह रखकर उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर चोरियों का माल भी बरामद हो ग्रौर शांति व्यवस्था बनाये रखें, इस बात के निर्देश दिए हैं। मैं ग्रापको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं स्वयं इस बारे में निगरानी रखूंगा ग्रौर चौकसी रखूंगा तो शायद इन ग्रपराधों में कमी ग्राने में सफलता मिलेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रकाल की पीड़ा दिनों-दिन बढ़ रही है। मैं राजस्थान की नहीं, ग्रपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में पहले तो काम बहुत कम खोले गये हैं ग्रौर जो काम खोले गये हैं उन पर भी परिचय पत्र की पाबन्दी ग्रभी तक लगी हुई है। ग्रध्यक्ष महोदय, एक मार्च को सवाल यहां उठा, माननीय ग्रकाल राहत मन्त्रीजी ने कहा कि परिचय पत्र की पाबन्दी हटा दी गयी है। मैंने उस समय कहा कि नहीं हटायी गई है। उसके बाद में 8 तारीख को फिर प्रश्न ग्राया ग्रौर ? तारीख को फिर मैंने निवेदन किया कि परिचय पत्र की पाबन्दी नहीं हटी है। माननीय मन्त्री महोदय ने फिर कहा कि नहीं, हटा दी गयी है। मैं ग्रापसे निवेदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

करना चाहूंगा कि 11 तारीख की शाम 4 बजे तक जिला कलक्टर से मैंने जानकारी ली, उन्होंने कहा कि मेरे पास इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं कि बिना परिचय पत्र के मैं मजदूरों को काम पर लगा सकूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दो इलाज हैं। एक तो यह है कि या तो माननीय मन्त्रीजी अपने मन में जो आदेश उन्होंने बना रखे हैं या सरकार की फाइलों में हैं उनको जिलों तक पहुंचायें या फिर मैं प्रिविलेज मोशन लाऊं कि दो दफा इस सदन में माननीय मन्त्रीजी ने गलतबयानी की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्रीजी थोड़ा-सा सोचे-समझें और यह आदेश जिलों तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी जिले ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। आपका नाम पुकार रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नहीं साहब, फेमिन पर मैंने सबसे पहले एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। मान्यवर, परिचय पत्र बना नहीं रहे हैं, काम पर किसी को लगा नहीं रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। यहां मन्त्री महोदय ने तीन बार कहा कि परिचय पत्र का आदेश हमने विथड्रा कर लिया है। मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा, आपका रिकार्ड मंगाकर देख लीजिये। मन्त्री महोदय ने तीन बार कहा पर्टिकुलररी, पाइन्टेडली कि मैंने आदेश जारी कर दिये हैं और पहुंच गये और हम कहते हैं कि झुन्झुनूं जिले में नहीं पहुंचे। अब वे कहां पहुंच गये? मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों को इस प्रकार की गलतबयानी करने से रोकें। इतने बड़े सदन को मन्त्री तीन-तीन दफा गुमराह करते हैं कि हमने आदेश जारी कर दिये हैं आदेश जारी नहीं हुए हैं, आदेश पहुंचे नहीं हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आदेश जारी कर दिये गये हैं, वह झुन्झुनूं जिले में क्यों नहीं पहुंचे, उसकी जांच करके मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर में भी नहीं पहुंचे हैं (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आज हजारों की संख्या में राजस्थान भर के किसान हमारी सरकार के सामने आये हैं जो बिजली से सिंचाई करते हैं, राजस्थान सरकार के 8 घण्टे के आदेश देने के बाद आज भी बहुत-सी जगह 8 घण्टे बिजली नहीं मिलती है और दातारामगढ़ की हालत तो यह है कि परसों जब मैं वहां गया तो तमाम कर्मचारी वहां के गायब थे और पूरे के पूरे इलाके में, जहां नागौर वहां से टच है, बिजली गायब थी, पूरे दिन तक बन्द रही है। एक तरफ जहां तरफ बिजली से सिंचाई होती है, जहां गर्म हवाएं बढ़ रही हैं, हमारी सरकार को चाहिए कि अकाल के समय में उन किसानों की फसल को बचाने के लिए एक महीने के

(श्री अमरा राम)

लिए 12 घण्टे की बिजली व्यवस्था करें। ....(व्यवधान)....

दूसरा, गंगानगर जिले में जहां नहर से सिंचाई होती है, कहीं भी जो फसल बोयी हुई है, मैं समझता हूं, वह पूरी नहीं होगी। जिनके ट्यूब वैल्स हैं उनके भले ही होगी, बाकी गंगानगर की नहरों में पानी नहीं है। एक तरफ जहां अकाल की स्थिति है, 22,500 गांवों में अकाल है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान राजस्थान सरकार के सामने आये हैं तो क्यों नहीं उनसे बात की जाए। यह हमारा सबसे गरीब वर्ग है उस पर टास्क बेस है, उसको काम नहीं दिया जा रहा है। उन पर सीलिंग लगाई जाती है। उन पर पाबन्दी लगायी जाती है। सरकार बार-बार यहां उत्तर देती है कि हमारी कोई पाबन्दी नहीं है। आदिवासी इलाके में लोग भूख से मर रहे हैं, काम करने के लिए आपके पास जाते हैं उनको काम पर नहीं लगाया जाता है और जिसको लगाया जाता है उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। जहां 14 रुपये चीनी मिले, 12 रुपये प्याज मिले, 14 रुपये तक गुड़ मिले और राजस्थान का जो सबसे गरीब तबका है, अकाल राहत के काम पर उस पर टास्क बेस है। न पटवारी पर है, न डाक्टर पर है न कलक्टर पर है और न एस. पी. पर है। किसी के ऊपर टास्क बेस नहीं है। राजस्थान का जो सबसे गरीब तबका है, उनकी बहन-बेटियां हैं, जो अकाल राहत के कामों पर जाती हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन समस्याओं को कहने के लिए आये हुए हैं, सरकार उनसे बात करे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट और लेना चाहूंगा। आज आपने जो मकराना की बात कही है हमारी सरकार यह कहती है कि पुलिस को जनता सहयोग करे। जहां सहयोग करती है बैंक डकैती के जिन डाकुओं को जनता पकड़कर लाती है, ऐसा पुलिस अधिकारी जो मकराना का सी. ओ. है, जो पकड़कर लाये उनसे कहता है, तुम बहुत दादागिरी करते हो। मैं नहीं समझता कि मकराना जैसे शहर में दिन-दहाड़े पैट्रोल पम्प लूटे जाएं, बैंक लूटे जाएं और उन डकैतों को जनता अगर पकड़ कर लाती है तो ऐसे पुलिस अधिकारी धन्यवाद देने की बजाय उनसे अशोभनीय व्यवहार करते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग आकर यहां मुख्य मन्त्रीजी से मिलते हैं, उसके बावजूद भी हरसहाय मीणा जो सी. ओ. है, आप पुलिस के साथ मदद करने की बात करते हैं, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करने वाला सी. ओ. आज भी मकराना में बैठा हुआ है। वह लोगों की सुरक्षा के लिए, सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी उगाही के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। देखिये, मेंशन कर दिया ना आपने। अब आप भाषण दे रहे हो। प्लीज आप बैठिये, बैठिये। बहुत हो गया आपका। श्री धनखड़। बिराजिये, प्लीज सिट डाउन।

श्री अमरा राम : वहां अपना मकान बना रहे हैं। 20 ट्रक मकराना की मार्बल

(श्री अमरा राम)

के यहां से (व्यवधान)....मकान बना रहे हैं। अभी तक उनको नहीं हटाया गया है। इसलिए सरकार उनसे बात करे जो हजारों की संख्या में यहां आये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बैठिये। श्री धनखड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : पुलिस सक्रिय रहती है तो अपन यहां नहीं रहते हैं।....(व्यवधान)....

श्री अमरा राम : उनको मदद देना तो दूर रहा, वे पुलिस अफसर उनके साथ अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप फिर खड़े हो गये। क्या है?

श्री अमरा राम : ....मुख्य मन्त्रीजो जैसा डंकल के लिए कह रहे हैं...

श्री जगदीप धनखड़ : धनखड़ के लिए कह रहे हैं।

श्री अमरा राम : धनखड़ नहीं, डंकल का विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अमरा राम जी, कुछ व्यवस्था... (व्यवधान) नहीं, आप नोट नहीं करिये इनका। देखिये, मैं दिन-प्रतिदिन बुद्धिमान होने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट मत करिये। बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमन्द, मकराना और जयपुर में मार्बल उद्योग विकसित हो रहा है। गत बजट में केन्द्र सरकार ने मार्बल उद्योग पर जो सरचार्ज था उसमें ढाई प्रतिशत की कमी की। नतीजा एक्साइज करीब एक रुपये प्रति फीट मार्बल पर आने लगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बजट में केन्द्र सरकार मार्बल उद्योग को राहत देगी। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बार मार्बल उद्योग पर कर दी गयी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : केन्द्र सरकार ने की है।

श्री जगदीप धनखड़ : जरा सुनिये। इसको नान सीरियस मत कीजिये राजस्थान के लिए बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : वह जो कह रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, मार्बल व्यवसाय में जो लोग नौकरी करते हैं वह ट्राइबल बैल्ट से आते हैं या गांवों से अनस्किल्ड लेबर आती है। राजस्थान की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का स्वरूप यह उद्योग लेने जा रहा था कि इस प्रकार काले बादल इस उद्योग पर छा गये। आज सांकेतिक हड़ताल राजस्थान के सम्पूर्ण मार्बल उद्योग में की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्र पर दबाव डाला और कहा कि शुगरकेन क्रेशिंग को इस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाओ, उसी प्रकार हमारे मुख्य मन्त्री जो काफी

(श्री जगदीप धनखड़)

वरिष्ठ मुख्य मन्त्री हैं देश में, वित्त मन्त्री पर प्रभाव डालें। राजस्थान के इस मार्बल व्यवसाय को बचाने के लिए और इसमें जो ट्राइबल बेल्ट के और गांवों के जो अनस्किल्ड लेकर कार्यरत हैं उनको राहत देने के लिए वह केन्द्रीय वित्त मन्त्री से मुलाकात करें।

इसके अलावा, मान्यवर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 1993 को एक निर्णय दिया है। उस निर्णय के अन्तर्गत भी मार्बल उद्योग को राहत मिल सकती है। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के समक्ष उस निर्णय की जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। आपके माध्यम से, मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्र सरकार के समक्ष एक....

श्री अध्यक्ष : आपके विचार, मैं समझता हूं, सरकार पहुंचायेगी केन्द्र तक।

श्री जगदीप धनखड़ : एक मिनट, श्रीमान्। अध्यक्ष महोदय, मेरे से मार्बल उद्योगपतियों ने मुलाकात की। किशनगढ़ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं वहां गया भी। मैंने सब को अनुरोध किया कि यह राजनीति से ऊपर उठकर तय करने वाला मामला है। उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी मुलाकात अवश्य की होगी। मैं चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस मामले में शीघ्र इन्टरवीन करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अगर आपकी दुकान वहां हो और वहां न चलती हो तो बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से मार्बल के उद्योगपति मिले हैं और मेरे से मार्बल उद्योग में लगे हुए मजदूर मिले हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है कि मार्बल उद्योग पर जिस प्रकार से हण्ड्रेड प्रतिशत टैक्स लगा है उसके कारण से मार्बल उद्योग राजस्थान में जिस गति से बढ़ रहा है उसमें निश्चित रूप से कोई रुकावट पैदा होगी। वह रात को मुझसे भी मिले हैं और यह सही है कि उस उद्योग पर यदि इस प्रकार का टैक्स रखा गया तो काम्पीटीटिव मार्केट के अन्दर हमारा माल बिकेगा नहीं और उसके कारण वह उद्योग शनैः शनैः बन्द हो जाएगा। इस उद्योग में इस प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं हो, इस पर मैं भी विचार कर रहा हूं, यथाशक्ति इस बात का प्रयत्न करूंगा कि इस उद्योग को इस टैक्स की मार से बचाया जाए। लेकिन माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूं, वह लोक सभा में रहे हैं, वहां मन्त्री भी रहे हैं, उनका प्रभाव इतना क्षीण नहीं हुआ होगा, वह भी अपने प्रभाव का उपयोग करें और हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि इस उद्योग के ऊपर यह जो कर भार भारी है....

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : श्री विष्णुजी भी आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विष्णु मोदी भी आ गये, धनखड़जी आ गये और हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस उद्योग पर जिस प्रकार का टैक्स लगा है उस टैक्स के बारे में भारत सरकार पुनर्विचार करे '

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी का रखा है पहले । एक मिनट । श्री रामनारायण जी चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कटौती की वजह से सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है । आठ घण्टे बिजली देने का मुख्य मन्त्रीजी ने इस विधान सभा में वादा किया था, आश्वासन दिया था, मैं कंजूसी नहीं करूंगा । शुरू-शुरू में दस-पन्द्रह दिन तक तो आठ घण्टे बिजली मिली लेकिन आज स्थिति यह है, मान्यवर, तीन-चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है और पूरे जिले में, मान्यवर, स्थिति यह है कि शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली गांव में नहीं मिलने से लड़के पढ़ नहीं सकते । सुबह 7 बजे तक अंधेरा रहता है जिसकी वजह से सुबह और शाम लड़के पढ़ नहीं सकते.। मान्यवर, परीक्षाएं सिर के ऊपर हैं, लड़के पढ़ नहीं सकते, क्या परीक्षा दे सकेंगे । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी से कहें कि बिजली की व्यवस्था करें । किसान की फसल जल रही है, आठ घण्टे की बजाय चार घण्टे भी आज नहीं मिल रही है । तो किसानों की फसल जल रही है, किसानों के बच्चे पढ़ नहीं सकते, वह फेल होंगे. तो एक फसल नहीं कई फसलें नष्ट हो जाएंगी'। लड़कों की फसल नष्ट हो गयी, खेती, फसल नष्ट हो गयी, किसान तबाह हो गया, बरबाद हो गया । पूरे जिले में यह स्थिति है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सब जगह है ।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम बोल रहा हूं ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय। मैं रामनारायणजी चौधरी की बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पिछले तीन दिन से पुष्कर क्षेत्र में था और वहां पिछले सात दिन से कोई बिजली नहीं है । सुबह से लेकर रात तक, सुबह दूसरे दिन तक बिजली उपलब्ध नहीं है । लड़कों की पढ़ाई में भारी नुकसान हो रहा है, पढ़ नहीं पाते हैं । जहां तक सवाल इस बात का है कि अगर सरकार बिजली की व्यवस्था नहीं कर सके तो कम से कम जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक वह परीक्षाएं स्थगित दे । आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां घेराव हो रहा है, लोग आंदोलन में है । इस तरह की व्यवस्था करिये कि उनको कम से कम पढ़ने के लिए और जो फसल पकने के लिए तैयार है उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था हो । कोई व्यवस्था नहीं है । इतनी घोर अव्यवस्था है । या तो बिजली का अभाव है या व्यवस्था के कारण कमी है । इस पर तुरन्त सरकार ध्यान दे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । बोलिये, आप क्या बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आठ घंटे की घोषणा की थी, अब हालत यह हो गयी कि फसल बिलकुल पकने की तैयारी में है, इस समय जो भी वोल्टेज आ रहे हैं बिलकुल डाउन आ रहे हैं। रात्रि को भी बिजली चार घंटे नहीं मिल पा रही है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि किसानों को नियमित बिजली दी जाए। चाहे आठ घंटे ही दें आप लेकिन लगातार बिजली दिलाई जाए ताकि वह अपनी फसल को बचा सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री घनश्याम जी, आप बोलिये, क्या बोल रहे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था एक बहुत ही गम्भीर मामले में समाचार-पत्रों में पिछले तीन-चार दिन से बात आ रही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बसपा नेताओं ने किया है, मुझे बात स्मरण भी थी लेकिन अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश सरकार का अनुसरण करने की बात कही तो मैं उनसे क्षमा याचना कर कहना चाहूंगा कि जहां पण्डित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी को गाली देने वाली सरकार और उनके लिए अपशब्द प्रयोग करने वालों की सरकार हो, जिसका आप समर्थन कर रहे हो वैसी सरकार का अनुसरण राजस्थान सरकार नहीं कर सकती। यह आप लोग करें और मैं चाहूंगा कि सारा सदन इस बात की निन्दा करे कि महात्मा गांधी और पण्डित जवाहर लाल नेहरू के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैसी सरकार का कांग्रेस समर्थन कर रही है, बहुत निन्दनीय और अफसोसजनक है।

श्री अमरा राम : आप बाल ठाकरे से समझौता करते हैं जो यही शब्द कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री दीपेन्द्रसिंहजी। आप बैठिये, बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपने छूट कैसे दे दी, हुजूर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आप लोग समर्थन कर रहे हो सरकार का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समर्थन कर रहे हैं तो उसने माफी मांग ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप लोग कर रहे हो मुलायमसिंह की सरकार का, महात्मा गांधी को गाली आप लोग दिलवा रहे हो।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, यदि घनश्याम तिवाड़ीजी के समझ में मेरी बात नहीं आयी तो कम से कम मेरे को दोषी तो करार न दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो महान् दोषी हो ही और आपकी यह सरकार दोषी है, कांग्रेस दोषी है जो महात्मा गांधी को गाली निकलवा रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, आप इनको जल्दी मन्त्री बनाइये, हमें राहत दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री दीपेन्द्रसिंहजी। आप बोलिये।

एक माननीय सदस्य : आप तो +++।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कुछ माननीय सदस्यों ने, जिनमें मैं भी था, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपकी मार्फत राजस्थान की सरकार को दिया। बड़ी कृपा करके आपने उसको सरकार को जानकारी के लिए भिजवाया, बड़ी आशाएं जाग्रत हुईं। बड़ा दुःख हुआ यह जानकर कि ऐसे प्रकरण पर सरकार ने परमिशन नहीं दी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लेने वाली सरकार ने घोषणाएं बहुत कीं, बार-बार इस बात का आह्वान किया, 122 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच कर ली, जांच में उनको दोषी पाया और दोषी पाने के बाद चालान की परमिशन मांगी उसके बावजूद सरकार परमिशन नहीं दे रही है। ऐसे प्रकरण को भी लोक महत्व का नहीं मानते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने ठुकरा दिया। माननीय अध्यक्षजी, बड़ी तकलीफ होती है। मैंने बहुत भाषण सुने हैं मुख्य मन्त्री जी के, जब विरोध पक्ष में थे और राजस्थान की विधान सभा और प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कितनी आवाज बुलंद की है। जब आप मुख्य मंत्री बने थे, भाजपा की सरकार बनी, भ्रष्टाचार को नाकों से बाहर निकलवा दिया जाएगा, इस प्रकार की घोषणाएं कीं और उसका सबूत यह 122 अधिकारियों का आपके सामने है।

यह अधिकारी कौन हैं? बड़े अधिकारी हैं। जांच कैसे शुरू हुई? मुख्य मन्त्री के आदेशों से इनकी जांच शुरू हुई है। जांच में इनको दोषी पाया गया है। दोषी पाने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने चालान करने की इजाजत मांगी है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कहता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ पक्के सबूत हैं, इन सबूतों के आधार पर सजा होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का, इतना होने के बावजूद भी चालान की परमिशन नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन आरोपियों में बड़े-बड़े वह अधिकारी हैं जो धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। सेवा से निवृत्ति के पश्चात् क्या उम्मीद रखी जा सकेगी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो पायेगी? इन्दिरा गांधी नहर पर हुए घोटाले, सीमेण्ट कांड जैसे बड़े घोटाले, पाइप घोटाले जैसे बड़े घोटाले, भूमि के आवंटन जैसे बड़े घोटाले, जो राजस्थान की जनता पर एक बहुत बड़ा असर और गहरा धक्का लिए हुए बैठे थे उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार से भ्रष्टाचार का यहां पर समूल नाश होगा। बड़ी तकलीफ होती है जानकर, सरकार बनने के बाद राजस्थान पुलिस के महानतम बड़े दो अधिकारियों की फाइलें चीफ सैक्रेटरी के दफ्तर से गायब हैं। एक अधिकारी रिटायर हो गये, दूसरे रिटायरमेंट के नजदीक हैं। बड़े-बड़े अधिकारियों की इस प्रकार से यदि फाइलें गायब होंगी,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुख्य मन्त्री कार्यालय से यदि इनकी पर-

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मिशन नहीं दी जाएगी तो कैसे भ्रष्टाचार का समूल नाश होगा? एक तरफ तो 340 करोड़ का घाटा राजस्थान की जनता को बरदाश्त करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को मिटाने के लम्बे-लम्बे आश्वासनों के बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ में जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें दबाया जा रहा है। बड़ी तकलीफ होती है। जब इधर से आवाज उठती थी, हमको भी खुशी होती थी कि इसकी जांच कराने के लिए बहुत बड़े दबाव के साथ प्रयास किया जा रहा है। किन्तु आज क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह जी। हो गया आपका।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस सरकार ने पनाह दे दी गुनाहगारों को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आम धारणा यह बनती जा रही है कि मुख्य मन्त्री ही जांच करवाते हैं और करवा कर फाइल अपने होल्ड में रख लेते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर बोल रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम सवाल है। आज राजस्थान का प्रशासन धमकाया जा करके +++ बनाया जा रहा है। राजस्थान के प्रशासन को जांच के नाम पर +++ किया जाता है। अधिकारियों को डराया जाता है। (व्यवधान)

श्री अमरा राम : चालान करने में सरकार को क्या तकलीफ आ रही है?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये। श्री गोविन्द सिंहजी। मैं माननीय मुख्य सचेतक जी से निवेदन करूंगा कि गोविन्द सिंह जी को बुलायें....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, सिर्फ एक इसी घटना से आम आदमियों में यह धारणा बनती जा रही है कि मुख्य मन्त्री ही जांच करवाते हैं और करवा करके फाइलें अपने पास रख लेते हैं, गर्दन अपने हाथ में रखते हैं।.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसी घटना में कार्यवाही होनी चाहिए....(व्यवधान)....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में एक विधायकों की कमेटी बनाइये और सारे.... (व्यवधान) जांच की फाइलें आपके पास आनी चाहिए वरना जांच नहीं हो पाएगी और राजस्थान की जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : बेरी समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आम धारणा यह बनती जा रही है कि.... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अमरा राम (धोद) - अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान) ...सरकार यह कहती है कि हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को पनाह दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री अमरा राम : सरकार उनसे मिली हुई है और भ्रष्टाचार उनसे कैसे करवाया गया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये। मुख्य वक्ता, श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

श्री अमरा राम : अध्यक्ष महोदय, आपके चलाने से फायदा क्या ? सरकार को चूसते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : बेरी कमेटी के गठन के पश्चात् ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अब मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे हैं। आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की सदन को जानकारी दी गयी है और पहले भी माननीय सदस्य एक-दो बार इस विषय में बोल चुके हैं, मैंने उस समय निवेदन किया था कि बजट की जनरल बहस में मैं जवाब देऊंगा उस समय इस प्रसंग में भी सदन को पूरी जानकारी दे देऊंगा। आज यह मामला उठाया। अगर आप चाहते हैं और पहले जब मुझे नोटिस मिलता तो मैं आज जवाब दे सकता था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाकायदा काल-अटेंशन में रखा था उस पर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने जवाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सरकार ....(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आम धारणा यह बनती जा रही है कि आप जांच करवाते हैं और जांच करवा कर फाइल अपने पास रख लेते हैं और फिर उस अफसर की गर्दन अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आम धारणा। मैं मुख्य मन्त्री हूं, मुख्य मन्त्री आपकी कृपा से नहीं बना हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मन्त्रीजी, बहुत गम्भीर बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री के पास जो कागज आएंगे, उन कागजों की देखभाल करके फैसला करूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य श्री धनखड़जी, बैठिये। अब आप सुन लीजिये। यह तो परम्परा के विपरीत है। यह परम्परा के विपरीत है, मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं, जब सदन के नेता बोल रहे हैं, आप इस तरह से एक साथ खड़े होकर....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसका जवाब कल देऊंगा और धारीवालजी बहुत

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जोर से बोल रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन भी है ..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन समस्या इस बात की .. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बैठ जाइये, एक मिनट आप बैठ जाइये। ऐसी क्या बात है और आप अभी जवाब चाहते हैं तो यह कार्यवाही समाप्त होने के पहले-पहले दे देऊंगा वरना मैंने कहा था कि बजट की जनरल बहस का जवाब देऊंगा उस समय ही इस प्रसंग के ऊपर विस्तार से मैं चर्चा कर देऊंगा। मुझे यह जानकारी होती कि आज ही मुझे जवाब देना है, इसमें एक चीज छिपाने की नहीं है, सारी चीज सदन के सामने रखूंगा और रखने के बाद सदन को अपने आप विश्वास हो जाएगा कि कहां सरकार ने फाइल रोकी है। एक वातावरण बनाया जा रहा है कि सरकार फाइलें रोक रही है। सरकार का दायित्व है। माननीय विपक्ष के नेता जानते हैं कि कानून में लिखा हुआ है, हर फाइल के सम्बन्ध में सरकार अपना माइंड एप्लाई करेगी, उस सारे मामले को तसल्ली से देखेगी। अगर एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने कुछ भेजा है और इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता है, वह इन्क्वायरी करवायेगी ताकि मुलजिम किसी भी प्रकार से बच नहीं जाए। कोशिश इस बात की होगी। भ्रष्टाचार के मामले को दबाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह फाइलें आप मंगवा लो।

श्री अध्यक्ष : हां, मंगवा लूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह फाइलों का कह रहे हैं, कहीं आपकी फाइल मंगवा ली तो ? (व्यवधान)....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सदस्यों की समिति बना दी जाए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव इस उद्देश्य से दिया था कि माननीय मन्त्रीजी कम से कम उन लोगों का तो ख्याल रखेंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह उत्तर मैंने प्रस्तुत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आज तक हमारे पास उत्तर नहीं आया।

श्री भंवरलाल शर्मा : विलम्ब का कारण बताता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आज तक नहीं आया।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, मैंने कर दिया। हमारे जो सैक्रेटरी हैं वह अस्वस्थ थे और चार दिन की छुट्टी थी। मैंने पेश कर दिया है ले लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर आप जवाब देना चाहो तो आप बाद में ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये। पहले आप बोल रहे थे। इनका यही कहना है कि जवाब आज दे दिया है।....(व्यवधान)...

(श्री अध्यक्ष)

नहीं-नहीं, वह पढ़वा नहीं रहे हैं, पहले आप बोल लें तो फिर वह बता देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें आप सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसके बाद ही।

श्री परसराम मदेरणा : वक्तव्य दे देंगे तो आज तो वक्तव्य नहीं दे रहे हैं वह।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वक्तव्य नहीं है, यह तो इनके जवाब की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : वक्तव्य बाद में दिया जाए या और किसी दिवस पर दिया जाए। वक्तव्य तो आना ही चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल रख लें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कल रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

नियम 276 के अन्तर्गत श्री चन्दनमल बैद अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।

स्पष्टीकरण

श्री चन्दनमल बैद द्वारा बजट पर वाद-विवाद में प्रस्तुत आंकड़ों का शुद्धिकरण

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को, 94-95 के बजट पर बोलते हुए मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। खास तौर से राजस्थान पर कर्ज के मामले में मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये थे, वह प्रस्तुत करने में मुझसे कुछ भूल हो गयी, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने उस समय यह कहा था कि 31 दिसम्बर, 1995 को राजस्थान पर 13750 करोड़ रुपये का कर्जा होगा.... .

श्री अध्यक्ष : 31 मार्च ?

श्री चन्दनमल बैद : हां, 31 मार्च, 1995 को। मुझे कागज-पत्र देखने से यह मालूम हुआ कि वह कर्ज 13750 करोड़ रुपये का नहीं हो करके 11468.33 करोड़ होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मैंने उस समय कहा था।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, आपने कहा था तो बहुत अच्छा कहा था। और मैंने यह भी कहा था कि 31 मार्च, 1990 को जो राजस्थान पर कर्जा था वह 7392.6 करोड़ था, लेकिन वह कर्जा हुआ 5411.46 करोड़ है। इस वास्ते मैंने जो दूसरे पर्सेण्टेज और जो उनका मुकाबला किया था उसमें भी फर्क आ जाता है क्योंकि 31 मार्च, 1995 और 31 मार्च, 1990 यह पांच साल के अन्तराल में जो दोनों कर्जों में, 95 का कर्जा और 90 के कर्जे में, मैंने जो फर्क बताया था 6356 करोड़ का, वह 6356 करोड़ का नहीं होकर 6056.87 करोड़ रुपये होगा और इसी हिसाब से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पांच साल में कर्जे की बढ़ोतरी जो मैंने 86 पर्सेण्ट बतायी थी वह 86 पर्सेण्ट नहीं होकर 111.9 पर्सेण्ट, यानि पांच साल में कर्जा 86 पर्सेण्ट नहीं बढ़ा है 111.9 पर्सेण्ट बढ़ा है। परकैपिटा जो मैंने कर्जा बताया

(श्री चन्दनमल बैद)

था कि परकैपिटा कर्जा 3139 होगा वह 3139 नहीं होकर 2618.49 रुपये होगा। इसी तरह से मैंने यह कहा था कि जो राजस्थान का सकल, घरेलू उत्पाद हैं, 1993-94 का जो त्वरित आपने एस्टीमेट लगाया है वह है 23,302 करोड़। उसमें घरेलू उत्पाद के कर्जे का जो मैंने अनुपात बताया था उस समय 59 पर्सेण्ट बताया था लेकिन वह घरेलू उत्पाद के कर्जे का जो अनुपात है वह 49.2 पर्सेण्ट है।

यह चूंकि कागजात देखने के बाद मेरी यह भूल मुझे मालूम पड़ी, मैंने यह उचित समझा कि मेरी जो भूल है उसके बारे में मैं विधान सभा में, सदन में अपना स्पष्टीकरण दूं और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इसके लिए इजाजत दी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी। स्टेटमेंट।

शासकीय वक्तव्य

कोटा सम्भाग में दूषित कैरोसिन के उपयोग के फलस्वरूप हुई दुर्घटनाएं

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग में दूषित कैरोसीन के फलस्वरूप हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहा हूं।

कोटा सम्भाग के कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में दूषित कैरोसीन के वितरण एवं उसके फलस्वरूप झुलसने से मृत्यु एवं घायल होने के प्रकरणों की गहन जांच से यह पाया गया कि उक्त दुखान्तिका मूलत: इण्डियन आयल कार्पोरेशन कोटा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आपराधिक कृत्यों का दुष्परिणाम है। दि. 15.2.94 को इण्डियन आयल कार्पोरेशन कोटा को आयली रिफाइनरी से एक रेक प्राप्त हुआ जिसमें कैरोसीन, पैट्रोल तथा डीजल के वेगन थे। उक्त वेगनों को खाली कराते समय असावधानीवश एक पैट्रोल का वेगन जिसमें लगभग सत्ताईस हजार लीटर पैट्रोल था, इण्डियन आयल कार्पोरेशन डिपो के कैरोसीन के टैंक नम्बर दो में खाली कर दिया गया। त्रुटि का आभास कार्यरत कैजुअल श्रमिकों को हो गया और उनके द्वारा अपने अधिकारियों को सूचित करने पर भी कोई सुधारात्मक प्रयास नहीं किया गया बल्कि पैट्रोल की मात्रा को कमी को पूर्ण करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से वहां उपस्थित वरिष्ठ डिपो मैनेजर आर. पद्मनाभन, आपरेटिंग अधिकारी प्रदीप भारद्वाज व विजय तलवार, श्रमिक तुलसी आदि ने आपस में तय करके टैंक नम्बर दो से कैरोसीन पैट्रोल मिश्रण समुचित मात्रा में पैट्रोल के टैंक में स्थानान्तरित कर दिया। टैंक नम्बर दो में कैरोसीन के साथ पैट्रोल होने के कारण उसका फ्लेश पाइंट काफी कम हो गया एवं मिश्रण सामान्य कैरोसीन से बहुत अधिक ज्वलनशील हो गया। इण्डियन आयल कार्पोरेशन कोटा के स्थानीय अधिकारियों ने अपनी असावधानी पर पर्दा डालने के लिए उच्च अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया एवं टैंक नम्बर दो से चार लाख लीटर से अधिक दूषित कैरोसीन का वितरण 16 से 19.2.94 के मध्य किया। दिनांक 18.2.94 को कोटा नगर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के कैथूनी पोल क्षेत्र में केरोसीन के ड्रम में मापक यन्त्र डालकर देखने के लिए माचिस जलाने से ड्रम में आग लग गयी जिससे चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। घटना-स्थल से केरोसीन का सेम्पल लिया गया एवं जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन कोटा के अधिकारियों से सम्पर्क करने पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिकारियों ने न केवल केरोसीन में मिलावट आदि से स्पष्ट इन्कार किया बल्कि संवेदनहीनता का परिचय देते हुए पूर्व वितरित दूषित केरोसीन के विक्रय को रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया जिसके कारण सम्भाग के ग्रामीण अंचल में दूषित केरोसीन ने अबोध ग्रामीणों को दुर्घटना का शिकार बनाया।

दूषित केरोसीन के वितरण का आभास प्रशासन को कोटा सम्भाग में सर्वप्रथम 7.3.94 को झालावाड़ में हुआ। जहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधीश को जल कर चिकित्सालय में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की सूचना दी। झालावाड़ जिला प्रशासन ने तत्काल अकलेरा, झालावाड़ व पिड़ावा क्षेत्रों में केरोसीन का विक्रय बन्द कर दिया एवं तत्पश्चात दूषित केरोसीन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों तथा प्रचार माध्यमों से जन साधारण को केरोसीन से जलने की सम्भावना के प्रति सतर्क कर उसे उपयोग नहीं करने की अपील की। राज्य सरकार को भी अवगत कराया गया एवं इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन कोटा से जिला प्रशासन ने अपना प्रतिनिधि झालावाड़ भेजने का अनुरोध किया। पीड़ितों के समुचित उपचार हेतु एक विशेषज्ञ दल मेडिकल कालेज कोटा से दिनांक 8-9 मार्च, 1994 को ही रात्रि को झालावाड़ पहुंच गया।

राज्य सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन कोटा द्वारा दूषित केरोसीन की आपूर्ति की सम्भावना के कारण बारां, कोटा व बून्दी के जिला प्रशासकों को सतर्क किया गया। जिसके कारण जिला बारां एवं कोटा में भी दूषित केरोसीन से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। दोनों जिलों के अधिकारियों ने घायल व्यक्तियों का उपचार एवं भावी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित प्रशासनिक व्यवस्थाएं कीं।

कोटा स्थित इण्डियन आयल कार्पोरेशन के अधिकारियों के असहयोगात्मक रुख के कारण निगम के रीजनल प्रबन्धक को जयपुर से कोटा भेजा गया। दि. 10.3.94 को उपचार प्रकरण की जांच एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, चिकित्सा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री ने प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये व पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की। मुख्य मन्त्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को दस हजार रुपये, प्रत्येक गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 2500 रुपये एवं प्रत्येक साधारण रूप से घायल व्यक्ति को एक हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है एवं 100 से अधिक व्यक्तियों को तीन लाख रुपये से अधिक धनराशि वितरित की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्पर्क कर इण्डियन आयल कार्पोरेशन के कार्यकलापों की उच्च स्तरीय जांच, दिल्ली से विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने एवं प्रभावित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है। समाचार पत्रों के अनुसार प्रधान मन्त्री सहायता कोष से 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रही है। यदि केन्द्र सरकार व इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता में कोई कमी रही तो राज्य सरकार पीड़ितों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने में नहीं हिचकेगी।

दुर्घटना की गहन जांच हेतु जयपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का विशेषज्ञ दल दिनांक 9.3.94 को झालावाड़ पहुंचा और स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने हेतु कोटा, झालावाड़ एवं बारां जिलों में एक-एक उप महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी को और सी आई.डी. अपराध शाखा का एक दल कोटा भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से कैरोसीन के नमूने एकत्रित कर जांच करने पर उनमें पैट्रोल के अंश पाये गये हैं। इस जघन्य अपराध की जांच महानिरीक्षक आरक्षी, अपराध शाखा के निर्देशन में एक सप्ताह से कम की अल्प अवधि में लगभग पूर्ण हो गयी है एवं दुखान्तिका की पृष्ठभूमि में आपराधिक कृत्य उजागर हो गये हैं। घटनाओं के सम्बन्ध में कोटा, बारां एवं झालावाड़ के विभिन्न पुलिस थानों पर 42 अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं एवं अभियोग संख्या 30/94 पुलिस थाना कैथूनी पोल कोटा में इण्डियन आयल कार्पोरेशन के डिपो मैनेजर सहित चार व्यक्तियों को धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध करने पर दिनांक 13.3.94 को गिरफ्तार किया है। अग्रिम अनुसंधान अपराध शाखा के सुपुर्द किया गया है।

उक्त दुखान्तिका में अब तक पच्चीस व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है एवं 150 के करीब व्यक्ति घायल हुए हैं जिनमें से 81 व्यक्तियों का उपचार जारी है। अधिकांश दुर्घटनाएं जलती चिमनी में इण्डियन आयल के पैट्रोल मिश्रित कैरोसीन डालते समय आग भभकने से हुई हैं। गहन चिकित्सा हेतु 15 व्यक्तियों का सवाई मानसिंह हास्पिटल में उपचार चल रहा है। प्रशासनिक सक्रियता के परिणामस्वरूप दूषित कैरोसीन से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आयी है एवं प्रचार-प्रसार के कारण मामूली रूप से जले हुए व्यक्ति भी चिकित्सालय में उपचार हेतु पहुंच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इण्डियन आयल कार्पोरेशन के सम्बन्ध में मैंने प्रधान मन्त्री जी से निवेदन किया था कि एक्सपर्ट्स की एक टीम, उच्चाधिकारियों की टीम इसकी जांच के लिए नियुक्त कर दी जाए। आज ही मेरे पास अभी फैक्स मैसेज आया है कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन कर दिया है।

उसके साथ ही यदि इस सारे प्रसंग में किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हैं, तो उनकी जांच रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य से करायी जाएगी उससे इस मामले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में कहीं भी कोई कमी रही है और उस कमी के लिए कोई दोषी अधिकारी है उस दोष का पता लगते ही उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

इसमें कोई तथ्य छिपाने का सवाल नहीं है। एक बहुत ही दुःखद घटना है। मृतकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति मेरी बहुत संवेदना है। मैं स्वयं भी कल-परसों के दिन झालावाड़ कोटा, बारां और कुछ गांवों में गया हूं। वास्तव में गरीबों के साथ एक प्रकार की ऐसी स्थिति बनी है जिसका विवरण देना कई प्रसंगों में बहुत कठिन है। उन लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं के आधार पर मैं ऐसा समझता हूं कि उनका किस प्रकार से रिहेबिलिटेशन किया जाए, राज्य सरकार इसका पूरा प्रयत्न करेगी कि उनका रिहेबिलिटेशन हो, जो बीमार पड़े हैं उनका उपचार हो। उपचार के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कई मरीजों ने अपने खर्चे से उपचार कराया। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि यह सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इसलिए जिन लोगों ने अपने पैसे दे दिये उनके भी बिल्स के आधार पर रिएम्बर्समेंट करने की पूरी व्यवस्था कर दी है और रिएम्बर्समेंट पूरी तरह से हो रहा है। मैंने प्रधान मंत्रीजी को इस घटना के दूसरे दिन विस्तार से सारी जानकारी दी थी और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार भी सहायता देगी। इण्डियन आयल कम्पनी पर भी इसका भार है। मृतकों के परिवारों को किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए इसमें उनका भी सहयोग आएगा। उसमें यदि, किसी प्रकार की कमी होगी तो राज्य सरकार उस कमी को पूरा कर उनके रिहेबिलेशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

जहां तक केसेज बनें, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों की भी यह गलतियां हुई हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं होगा। कानूनी कार्यवाही हो रही है। जैसा मैंने बताया चार की तो गिरफ्तारी कर ही ली थी, अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि पुलिस ने एक अधिकारी को अभी और गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में सारा अनुसंधान राजस्थान पुलिस के पास जो भी एक्सपर्टस थे उनको दिया गया है। उनकी लेबोरेटरी में तुरन्त इसकी जांच करवायी गयी जांच है और जांच करने से आधार पर यह सारा घटनाक्रम बना है जो मैंने आपके सामने वक्तव्य के रूप में और दो अलग शब्दों के रूप में बात रखी है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी के वक्तव्यानुसार आई. ओ. सी. के आफिसर्स ने और कर्मचारियों ने और वहां के केजुअल लेबर और मिस्टर तलवार ने और एक अन्य कर्मचारी, जिसको अभी अरेस्ट किया गया है, पांच लोगों ने असावधानी बरती और उस वजह से 27 हजार लीटर पेट्रोल का टैंकर कैरोसीन के टैंक में खाली कर दिया गया। उस बात को आई. ओ. सी. के लोग छिपाते रहे। इसलिए राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली यह प्लस

(श्री परसराम मदेरणा)

फ्लेश पाइण्ट है, इसकी ज्वलनशीलता इतनी ज्यादा क्यों है। केरोसीन का फ्लेश पाइण्ट 35 के आस-पास है। पैट्रोल का 4 और 5 के आस-पास है। मिक्स्ड होने के बाद में जब आपकी लेबोरेटरी से भी रिपोर्ट आयी होगी, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि 10 और 11 पाइण्ट का फ्लेश है और इसलिए वह आग जल्दी पकड़ता है। इस प्रकार की घटना सबसे पहले, जैसा अभी मुख्य मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 15 तारीख को यह सब रेक आया और रेक को अनलोड कर दिया गया, खाली कर दिया गया सबसे पहली घटना 18 तारीख को कोटा शहर के अन्दर पुलिस स्टेशन कैथूनी पोल के जुरिस्डिक्शन में गांधीजी की पुलिया के पास में घटित हुई और एक ड्रम में आग लगने से दो व्यक्ति कल्लू और छल्लू उसी जगह पर जल करके कंकाल हो गये। कंकाल-कंकाल बचा। बुरी तरह से 70% बर्न्स हुए। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

(12:55)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मुख्यमंत्रीजी, आप कह रहे हो कि सरकार को सबसे पहले सूचना इसके सम्बन्ध में कि पैट्रोल मिला हुआ है केरोसीन के अन्दर और केरोसीन दूषित है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर झालावाड़ ने 7 तारीख को दी। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पर दो अखबारों को उल्लेख करना चाहूंगा। जननायक 19 फरवरी का, जननायक में यह बात स्पष्ट-तौर से लिखी है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंकर में मिट्टी के तेल के साथ पैट्रोल की भी गन्ध आ रही है। सम्भवतः यह आग पैट्रोल की उपस्थिति के कारण ही लगी है। एडवोकेट आबिद अब्बासी का कहना है कि अब्दुल सलाम केरोसीन डीलर ने गीता भवन की दुकान पर तेल भरवाते समय टैंकर में से पैट्रोल की गन्ध आने की शिकायत की है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अनूप मिश्रा, जिनका हाथ इस हादसे में झुलस गया है, का भी कहना है कि टैंकर में पैट्रोल की गन्ध आ रही थी।

यह 19 तारीख को, हादसे के दूसरे दिन का है। 20 तारीख को इसी अखबार ने लिखा, "गांधीजी की पुलिया के राशन विक्रेताओं ने बताया कि केरोसीन डीलर सीताराम के टैंकर में मिट्टी के तेल के साथ पैट्रोल मिला हुआ है। इन लोगों का कहना है कि टैंकर में पहले पैट्रोल था जिसको खाली करने के बाद इसमें केरोसीन तेल भर दिया गया लेकिन टैंकर में कुछ पैट्रोल शेष बचा रह गया। शेष बचा पैट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में मिलने के कारण इसकी ज्वलनशीलता बढ़ गयी।"

जब 2 अखबारों में 19 और 20 तारीख को केरोसीन में पैट्रोल मिला हुआ है, पैट्रोल मिक्स्ड है इसके अन्दर, केरोसीन दूषित है यह बात आ गयी तो, मुख्य मंत्रीजी, प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उसके बाद राजस्थान पत्रिका ने 20 तारीख को ही लिखा है, अखिल राशन विक्रेता संघ, कोटा इकाई के महामंत्री जगदीश प्रसाद माथुर ने एक विज्ञप्ति में शुक्रवार को गांधीजी के पुल के पास टैंकरों

(श्री परसराम मदेरणा)

से ड्रम में कैरोसीन भरे जाते समय, हुए विस्फोट में मरे दोनों लोगों के परिवारजनों को एक एक लाख रुपये देने और इस बात की भी जांच कराने की मांग की।

वह चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि उसमें इन्फ्लेमेबिलिटी ज्यादा क्यों बढ़ गयी। आग कैसे पकड़ी गयी क्योंकि कैरोसीन में इतनी तेजी से आग नहीं लगती। यह बात भी नहीं, 23 तारीख को राजीव ब्रिगेड ने भी राज्य सरकार को और कलक्टर को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में यह बात साफ तौर से लिखी कि टैंकर में पैट्रोल होने के कारण ही इतना बड़ा हादसा घटित हुआ- और उन्होंने आन्दोलन करने के लिए भी चेतावनी दी।

राजस्थान पत्रिका 20 तारीख, 23 तारीख कोटा रिपोर्टर यह बराबर इस बात को ध्यान में ला रहे थे कि पैट्रोल मिक्स है कैरोसीन में इसलिए वह आग जल्दी पकड़ रहा है सभापति महोदय, 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक शहरों में, कस्बों में, ढाणियों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आग भभकती रही, महिलाएं और बच्चे झुलसते रहे और हृदयविदारक घटना उनकी मृत्यु होती रही। इस दुखान्तिका का रियलाइजेशन स्टेट लेवल पर आप जाने दीजिये, क्योंकि यह संवेदनशील सरकार है, इस संवेदनशील सरकार के संवेदनशील अधिकारी हैं, कोटा डिवीजन में सबसे पहले घटना 18 फरवरी को होती है, वहां पर डिवीजनल कमिश्नर है, वहां पर आपके ...(व्यवधान)....चतुर्वेदीजी तो खुद हैं ही वहां से, लेकिन प्रशासन तो था वहां पर, डी. आई. जी. था। चारों जिलों में घटनाएं हुई हैं। बूंदी में भी इस प्रकार की घटना हुई है, शायद मुख्य मंत्रीजी ने उस का उल्लेख नहीं किया, दो लोग बूंदी में भी मरे हैं। तो कोटा सम्भाग के चारों जिलों के अन्दर लगातार यह घटनाएं होती रहीं। और घटनाएं होती रहीं 18 तारीख से लेकर 12 मार्च तक। 18 फरवरी से 12 मार्च तक लगातार सैंकड़ों लोग झुलसते रहे,....आप कह रहे हैं 150 लोग झुलसे हैं,

(13.00)

आपके कथनानुसार 24 की मृत्यु हो गयी है और जिनकी मृत्यु हुई है उस सम्बन्ध में भी मैं तो अखबारों में पढ़ रहा था कि आपके पास एण्टी टिटनेस के इंजेक्शन भी नहीं थे अस्पताल के अन्दर, जैसा कि बारां की कौशल्या बाई का मामला अखबारों में आया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार 18 की घटना की गम्भीरता का आंकलन क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 को जो घटना हुई है कैरोसीन से इस प्रकार की घटना घट ही नहीं सकती? दोनों लोगों की उसी जगह मृत्यु ही नहीं हुई, बिलकुल कंकाल हो गये, उनको पहचाना ही बाद में जा सका उनके पास एक घड़ी थी और एक चैन थी उससे। जो जले, 70 प्रतिशत से ज्यादा उनके बर्न्स थे। उसके बाद लगातार हास्पिटल में केसेज आते गये। और यह सब अखबारों में इसका उल्लेख है कि पैट्रोल मिक्स्ड है, पैट्रोल मिला हुआ है, इसके अन्दर पैट्रोल की बदबू आ रही है, गंध आ रही है। यह बराबर अखबारों में 19, 20 और 23 तारीख को इसका उल्लेख आ गया तो

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके बाद में मैं समझता हूं कि सरकार सो ही नहीं रही थी, उनकी असावधानी थी या नहीं लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी वहां पर थे इस अखबार के पढ़ने के बाद उन्होंने क्या स्टैप्स लिये, क्या कदम उठाये कि इसमें पैट्रोल मिक्स्ड है और कैरोसीन दूषित हुआ है? क्योंकि सभी घटनाएं 80-90 प्रतिशत जो घटनाएं हुई हैं वह चिमनी में दुबारा कैरोसीन डालते वक्त भभक होती है जिससे लोग घायल हो गये। आग लग गयी, कपड़ों में लग गयी इसलिए ज्यादा जल गये। लेकिन घटनाएं जो हुई हैं, ज्यादा चिमनी से हुई हैं और ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में हुई हैं और उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शिकार बने हैं।

मुख्यमंत्रीजी, अब आपने पांच अधिकारियों को पकड़ लिया। प्राईमाफेसी उन्होंने छिपाने की गलती की है। टैंकर में से डीजल को निकाल करके पैट्रोल में डाल करके बराबर उन्होंने अपने बैलेंस शीट को बनाया है क्योंकि उनके पास स्टोरेज का कोई रजिस्टर होगा। उनकी गलती तो रही। लेकिन उनकी गलती के बाद लगातार जलने के मामले संभाग के चारों जिलों में राज्य सरकार के जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अखबारों में पढ़ने को मिले। बराबर इतनी घटनाएं हो रही थीं, हादसे हो रहे थे फिर प्रशासन चुप बैठा हुआ था। इसमें जो आपने रेवेन्यू बोर्ड के किसी अधिकारी को लगाया है, रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी को आपने जांच में अभी जांच अधिकारी मुकर्रर किया है कि लोकल प्रशासन का इसमें कोई भी लैप्स रहा या नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने जिन अखबारों का आपसे उल्लेख किया है वह 19 और 20 तारीख के हैं, पैट्रोल की गंध की बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, एक एडवोकेट तक इस बात को कह रहा है और वह एडवोकेट अनफाचुनेटली माइनोरिटी का है शायद इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि 18 तारीख की घटना से मरने वाले चारों ही लोग माइनोरिटी के हैं। लेकिन आपको प्रदेश की राजीव ब्रिगेड ने, आन्दोलन की चेतावनी दी और चेतावनी देने के बाद में भी राज्य सरकार ने और वहां के प्रशासन ने और डिवीजनल कमिश्नर ने, जिला कलक्टर्स ने, एस पीज. ने, सीनियर आफिसर से चारों जिलों के, इन घटनाओं को बहुत हीं साधारण तौर पर लिया उसका परिणाम है कि इतना बड़ा यह दुःखान्तिका, हादसा कोटा संभाग में हुआ। मुख्य मंत्रीजी, मेरा यह निश्चित तौर पर मानना है कि इसमें आपका संभागीय प्रशासन कानों में तेल डाले हुए सोता रहा। आग भभकती रही, लोग जलते रहे, मरते रहे, झुलसते रहे और 20 दिन तक इस सरकार को जानकारी नहीं मिली और जानकारी नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है जहां अखबारों में स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख कर दिया गया। 19 तारीख के पेपर में, 20 तारीख, 22 और 23 तारीख के अखबार में जब इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि इसमें पैट्रोल है, कैरोसीन के अन्दर उसकी गंध आ रही है इसकी वजह से आग भभकती है, तेज आग भभकती है और लोग जल रहे हैं इसलिए आप जिन अधिकारियों की असावधानी रही है,

(श्री परसराम मदेरणा)

डेरीलेक्शन ऑफ ड्यूटी रही है, छोटी से छोटी घटना होती है यह सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ कर के उस पर हमेशा निर्णय लेते है। लेकिन इस घटना के आने के बाद में मैं ऐसा समझता हूं कि 7 मार्च को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, झालावाड़ ही केवल सूचना दे रहा है और उसके पहले किसी ने सूचना ही आपको नहीं दी है जबकि ज्यादा-तर घटनाएं हो चुकी थीं, उस वक्त शायद 15 मौत हो चुकी थीं, उसके बाद में 9 मौतें हुई हैं और उन 15 की दर्दनाक मौत होने के बाद में भी प्रशासन इस चीज को बहुत ही कैजुअल मैनर में लेता रहा, हरकत में नहीं आया, मैं समझता हूं कि यह जिला प्रशासन और संभागीय प्रशासन के पार्ट पर बहुत बड़ा लैप्स है और उन्होंने डेरीलेक्शन ऑफ ड्यूटी की है, असावधानी बरती है और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन और अपनी ड्यूटी के अदा करने में जो लापरवाही की है। मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे कि हमने सब को सतर्क कर दिया। सतर्क करने के बाद में एक पटवारी गया है आपका। वह पट-वारी खुद झुलस गया जो लोगों को सतर्क करने के लिए गया था। यह घटना भी वहां पर हुई है। पटवारी कौन-से गांव का है, मुझे मालूम नहीं लेकिन पटवारी जरूर निश्चित तौर पर वहां पर झुलसा है और वह बहुत रीसेण्टली बात है, शायद नौ-दस तारीख की बात है। आप कह रहे थे कि मैंने दो मिनिस्टर्स को नौ तारीख को भेजा। आपकी राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री हेलीकॉप्टर से 10 तारीख को पहुंचे। जब इस हादसे की इत्तला मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 8 तारीख को मिल गयी और नौ तारीख को उन्होंने फैक्स से मालूम किया, 10 तारीख को प्रात:काल तो वह कोटा पहुंच गये और मुझ से भी बात की उन्होंने दिल्ली पहुंच कर और 10 तारीख को वह झालावाड़ भी पहुंच गये और 11 तारीख को जाते ही 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने 32 लाख रुपये की सहायता देने का ऐलान कर दिया और आपके मिनिस्टर वहां पर पहुंच रहे हैं नौ तारीख की रात को और दस तारीख को। यह कितने सतर्क हैं आपकी संवेदनशील सरकार के मन्त्री।

मुझे बहुत अफसोस है इस बात का और बड़ा दुःख है कि इतनी हृदय विदारक वीभत्स घटना बच्चों और महिलाओं के साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ में एक के बाद एक घटती रही और आप यहां पर चाहे लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स को भेजा, दूसरों को भेजा, जब 18 तारीख को घटना हुई तो आपने उस केरोसीन के टैंकर को जब्त करके उसी वक्त केरोसीन बन्द क्यों नहीं करवाया। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से बहुत बड़ा लैप्स रहा है। जब सात तारीख तक इतनी बड़ी घटनाएं हो गयीं उसके बाद में भी नौ तारीख को यह सरकार हरकत में आ रही है कि अब कुछ मिनिस्टर्स को भेजा जाए यहां पर। वह रात को यहां से रवाना होते हैं, कौशल जी और शायद उनके साथ कोई एक और मिनिस्टर थे....

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण बात है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

ऐसा मानता हूं कि सरकार ने इसमें सतर्कता नहीं बरती है और राज्य के अधिकारी भी इस मामले में आई.ओ.सी. के अधिकारियों से कम दोषी नहीं हैं इसलिए उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जाए और सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके इसकी जांच हाई कोर्ट के किसी जज से करवायी जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चार-पांच सुझावपूर्ण सवाल प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा पहला सुझावपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस तरह की जो दुखान्तिका हुई उसको रोकने के लिए आगे भविष्य में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रि-टेस्टिंग स्टैप लिया जाएगा कि यदि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन पुनरावृत्ति करे, ऐसी गलती कर दे तो भी जनता में गलत तरीके का ज्वलनशील मिला हुआ पदार्थ वितरित नहीं हो पाये, क्या इसके लिए जिला रसद अधिकारी या राजस्थान का सप्लाई डिपार्टमेंट ऐसा करने जा रहा है ?

दूसरा, मेरा यह भी कहना है कि बचा हुआ जो अवितरित तेल है उसको नष्ट करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किया ? इसके अतिरिक्त यह भी है कि जो धारा लगायी गयी है 304 आई. पी. सी. culpable homicide non-amounting to murder. इसके अलावा दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन में जो उपेक्षा बरती गयी है उसके लिए भी धारा लगायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी ने जो समय पर सजगता, सतर्कता नहीं बरती उसके लिए दोषी अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? डी.एम.एच.ओ., जिला रसद अधिकारी और पुलिस जो विजीलेंस सतर्कता रखती है, उसके अधिकारियों ने समय रहते हुए जो तत्परता नहीं दिखायी उसके लिए जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं निलम्बित किया गया ? क्यों नहीं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? ग्रास नेग्लीजेंस के लिए जो सप्लाई के माननीय मन्त्री महोदय हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, न ही वितरण व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी है, जो दोषपूर्ण तरीके से वितरण हुआ उसके लिए समय रहते हुए सरकार ने स्टेप उठाये, इसके लिए क्यों नहीं उनको त्यागपत्र देना नैतिक दृष्टि से वाजिब माना जाए ? उनसे मांग की जा रही है कि वह अपना त्याग पत्र दें।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): सभापति महोदय, 15 तारीख को आयली रिफाइनरी रैक कोटा पहुंची।

श्री सभापति : कौन सी 15 तारीख ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 15 फरवरी। 15 फरवरी को जब उस कैजुअल लेवर ने डिपो के मैनेजर को और दूसरे लोगों को यह बताया कि साहब, यह गलती हो गयी कि लाल पाइप जिस पैट्रोल के बैगन को खाली करने के लिए लगाया गया था वह कैरोसीन के टैंक नम्बर दो में,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

स्टोरेज टैंक नम्बर दो में डल गया, 27 हजार लीटर पैट्रोल कैरोसीन में मिल गया तो उस वक्त वहां के अधिकारियों ने पहले तो टाल दिया और टालने के बाद अपने जयपुर के अधिकारियों को सूचित किया। 16, 17 और 18 को वही मिलावटी कैरोसीन गाव-गांव में वितरित होता रहा। 18 तारीख को शाम को सवा सात बजे कोटा के बीच, मतलब हार्ट आफ दी कोटा जिसे कहेंगे, बाजार में टैंकर आता है और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पी डी. सिस्टम चलाने वाले लोग थे, कन्ट्रोल की शॉप वाले उन्होंने नौ ड्रम एक जगह रख रखे थे? और टैंकर ने कैरोसीन उनमें डाला। डालने के बाद जब वह वहीं खड़ा हुआ था टैंकर तो एक व्यक्ति ने माचिस से, जो कि उनकी नार्मल प्रेक्टिस होती है क्योंकि आप माचिस डाल भी दें कैरोसीन के भरे ड्रम में तो भी कैरोसीन नहीं जलता, न डीजल चलता है, सिर्फ एक यह पैट्रोल ऐसा है चूंकि उसका फ्लेश पाइन्ट चार और पांच के आस-पास होता है इसलिए वह वेपोर से, एक डेढ़ फीट से आग पकड़ लेता है, तो जब उसने नार्मल प्रेक्टिस के हिसाब से माचिस जलाकर के टैंक में देखा कि मेरे टैंक में कितना कैरोसीन डाल दिया गया है तो एकदम आग पकड़ ली और आग पकड़ते ही वहां पर जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ और इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि आस-पास के दो तीन मकान डेमेज हुए और दो किलोमीटर के एरिया में उसका धमाका हुआ। वहां से कैथूनीपोल थाना मुश्किल से आधा फर्लांग है। मेरे पास में उस एफ.आई.आर. की नकल है जो कि इस हादसे की लिखी गयी है। इसमें पुलिस ने खुद ने माना है कि जिस जगह गांधीजी की पुल पर वह हादसा हुआ वहां से कैथूनीपोल थाने की दूरी सिर्फ एक फर्लांग है। मेरे हिसाब से आधा फर्लांग है। खैर, टैंकर वहीं मौजूद था। उस टैंकर के एक टायर ने भी थोड़ी सी आग ले ली लेकिन ड्राइवर ने होशियारी करके उसको आगे बढ़ाया और उसकी आग को बुझाया। दो आदमी हादसे पर ही मर गये अन्नू और छन्नू और दो आदमी जो बाद में मरे मुन्नानाथ और छोटे खां, यह चार आदमी वहां पर जबरदस्त घायल हुए। दो आदमी ऐसे थे जिनमें एक इन्द्रदत्त जो स्वतन्त्रता सेनानी थे उनका लड़का अनूप मिश्रा जिसने यह एफ आई.आर. लिखवायी और यह 6 घंटे तक कंथूनीपोल थाने पर खड़ा रहा कि मेरे से एफ.आई.आर. लिखवा लो, खुद जला हुआ था, उसके बाल झुलसे हुए थे, उसकी बांहें जली हुई थी लेकिन 6 घण्टे तक उसकी एफ.आई आर. नहीं लिखी गयी। वाकिया है इसमें लिखा हुआ है एफ.आई.आर. में, 18.2.94 को करीब सवा सात बजे शाम को मैं अपनी दुकान बढ़ाकर जब घर पर आ रहा था तो गांधी जी के पुल पर टैंकर मैसर्स सीताराम दिनेशकुमार का वहां पर खड़ा था। सवा बजे का वाकिया बताता है यह और उसके बाद कैथूनीपोल थाने से यह हटा नहीं। डेढ़ बजे रात को उसकी एफ आई.आर. लिखी गयी। एफ.आई.आर. लिखने के बाद में पुलिस ने कार्यवाही की और कार्यवाही क्या की, चार लाइन लिख कर के दफा 304 और 285 में केस रजिस्टर कर दिया। 285 में आपको, सभापति महोदय, बताता हूं। Negligent conduct with respect to fire or cumbustible materiel. यह कम्बस्टीबल मैटीरियल जो

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है वही साबित कर देता है कि कोई न कोई ज्वलनशील पदार्थ इस ड्रम में मोजूद था। सरकार को जानकारी तो 18 तारीख को ही हो गयी। सरकार इस बात से बच नहीं सकती, जिला प्रशासन इस बात से बच नहीं सकता कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह मिलावटी और कम्बस्टीबल मैटीरियल का मामला है। क्या कार्यवाही की सरकार ने ? इसके बाद में उस टैंकर को जाने की परमिशन दे दी। उसको सीज नहीं किया, उसमें से सेम्पल नहीं लिये गये। 19 को एक रोज बाद थाना अधिकारी टेलीफोन करके मैसर्स सीताराम दिनेश कुमार को कहते हैं कि टैंकर भेज दो जरा जब्त करना है और उसमें से सैम्पल भी लेना है। उसने कहा, खूब लो। उसने आराम से उसको धुलवाया अन्दर से और फर्स्ट क्लास साफ करवाकर के थाने पर भेज दिया. और कहते हैं कि साहब, हमने जांच के लिए उसमें से नमूने लिये हैं। अब यह कब तो सैम्पल भरे गये और कब इसकी जांच आयी। इतना महत्व-पूर्ण मामला जिसकी जांच सोमवार तक कोटा नहीं पहुंची, समझ में नहीं आया कि यह प्रशासन किस तरीके का संवेदनशील है, राजस्थान की सरकार क्या सोचती है। 18 तारीख के बाद दूसरा वाकिया हुआ। चार आदमी जो मरे, चारों के चारों दुर्भाग्य की बात है, जिक्र नहीं करना चाहिए मुझे लेकिन करना यूं पड़ रहा है कि चतुर्वेदी साहब मेरे सामने बैठे हैं, कोटा के आप बरसों से एम एल ए हैं, चार व्यक्ति जो मरे वे चारों माइनोरिटी के थे लेकिन सरकार या जिला प्रशासन के किसी प्रति-निधि ने जाकर के यह नहीं पूछा कि आपका हाल कैसा है।

"कहते-कहते रह गये लोग-बाग
लम्हों का काल कैसा है।

तेरे शहर में किसी ने यह भी
न पूछा कि हाल कैसा है।"

सभापति महोदय, बहुत दुःख की बात है कि यह हादसे बढ़ते गये, बढ़ते गये, बढ़ते गये। 20 तारीख को कौशल्या का चिमनी फट कर के बदन जला और बाद में मर गयी। 21 तारीख को वाकिया हुआ, 22 को हुआ, 23 को हुआ, 24 को हुआ, 27 को तो 8-8, 9-9 आदमी भर्ती हुए और कहा यह जाता है कि 7 मार्च को सबसे पहली बार झालावाड़ के सी.एम.एच.ओ. ने यह इत्तला दी कि साहब, ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। यानि कि आप डेट देखिये, कहां 7 तारीख और कहां 18 तारीख, 8 और 7, 15 दिन का पूरा फर्क। 15 दिन तक राजस्थान की सरकार और जिले का प्रशासन टांग पर टांग धर कर कान में तेल डालकर के सोते रहे और लोग जलते रहे; झुलसते रहे, मरते रहे। कोई देखने वाला नहीं है। संवेदनशील सरकार है।

मुख्य मन्त्रीजी ने भी अभी स्टेटमेंट में कहा कि 8 को मेडिकल कालेज की टीम झालावाड़ पहुंच गयी। मतलब खबर जयपुर तक आ गयी। मेडिकल कालेज में आ गयी; सिविल लाइन्स में खबर नहीं आयी। 8 तारीख को असेम्बली थी, विधान सभा बैठी, 9 तारीख को विधान सभा बैठी; स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जब तक कि 13 आदमी मर चुके थे और कम से कम भी 50 आदमी घायल होकर चारों जिलों के विभिन्न

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अस्पतालों में भर्ती थे ? आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया ? आपने इस बात को गम्भीरता से उस वक्त भी नहीं लिया और आज भी आप सिर्फ इस बात को इतनी सी गम्भीरता से ले गये हैं कि आई.ओ.सी. के अफसरों पर सारी जिम्मेदारी डाल कर के अपने अफसरों को बचाना चाहते हैं जो कि क्रिमिनल नेग्लीजेंस के अपराधी हैं।

छह घण्टे बाद एफ.आई.आर. लोज हुई। डी.एस.ओ. का स्टाफ वहां पर पहुंच गया, एनफोर्समेंट आफिसर वहां पर दो घण्टे खड़ा रहा लेकिन जिला प्रशासन कहता है कि हमें इत्तला नहीं मिली। अनूप मिश्रा का यह आरोप है कि मैंने एफ आई.आर. लिखवायी उसमें साफ-साफ यह लिखवाया था कि पैट्रोल इसमें डला हुआ है, ज्वलनशील है और दूर से उसने आग पकड़ी है लेकिन थानाधिकारी ने यह चीजें एफ आई. आर. में नहीं लिखीं। दो आदमी मरे 18 तारीख को उन दोनों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या जिला प्रशासन ने देखी ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या थी ? क्या उससे यह पता नहीं लग सकता था कि पदार्थ कौनसा था, कितना ज्वलनशील था, क्या फ्लेश पाइण्ट था उसका ? और अगर फ्लेश पाइण्ट इतना ऊंचा था तो क्या कारण था ? और कारण समझ में आ गये थे तो क्यों नहीं उसी वक्त आई.ओ.सी. के डिपो में जाकर के अपने सामने फ्लेश पाइण्ट चैक करवाया जिला प्रशासन ने और क्यों नहीं उसकी रुकावट करी, मिलावट के कैरोसीन की और यह पाबन्दी क्यों नहीं लगायी कि यह आयन्दा बंटेगा नहीं ? इसका जिम्मेदार कौन है ? आई.ओ.सी. वालों ने तो मिलावट करी वह जगजाहिर है। चौड़े में आ गयी। गिरफ्तार भी हो गये। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन चारों जिला प्रशासन के अधिकारियों को बचाने का सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, आखिर यह क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को, जो कि क्रिमिनल नेग्लीजेंस के अपराधी हैं, घोषित अपराधी हैं ? टैंक नम्बर दो जिसमें मिलावट की गयी, 27 हजार लीटर पैट्रोल डाल दिया गया, छह लाख छत्तीस हजार लीटर करीब उसमें पहले से कैरोसीन मौजूद था। कैरोसीन भारी होता है तो जरा नीचे बैठ जाता है और पैट्रोल हल्का होता है तो जरा ऊपर सा रहता है, साफ दिख जाता है। किसी ने जाकर के देखने की कोशिश नहीं की। लोग मरते गये। झालावाड़ में रोज भर्ती होती रही, बारां के अस्पताल में रोज भर्ती होती रही, कोटा के अस्पताल में रोज भर्ती होती रही लेकिन रसद अधिकारी, जिला कलेक्टर वगैरह-वगैरह सारे के सारे लोग आराम से देखते रहे। टैंक नम्बर दो से सप्लाई आई. ओ. सी. वालों ने बन्द कर दी। 18 तारीख को जब उन्होंने वाकिया देखा कि यह मिलावटी कैरोसीन था और मिलावटी कैरोसीन से ही यह वारदात हुई है तो वो समझ गये इस बात को कि हमने जो मिलावटी कैरोसीन ट्रक टैंकरों के जरिये सप्लाई करने के लिए रवाना किया है यह मौत उससे हुई है, उन्होंने स्टोरेज टैंक नम्बर दो से सप्लाई फौरन बन्द कर दी और बन्द करने के बाद जो टैंक नम्बर एक था कुछ तो उससे सप्लाई चालू की और कुछ भारत पैट्रोलियम से और कुछ हिन्दुस्तान पैट्रोलियम से उधार लेकर सप्लाई चालू की। फिर चार तारीख को वापस उसी टैंक नम्बर दो

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

से सप्लाई चालू कर दी और जिला प्रशासन देखता रहा, सोता रहा। जाकर के उन्होंने तीन किलोमीटर दूर, जहां पर यह डिपो बना हुआ है, ज्यादा दूरी भी नहीं है, सिर्फ तीन किलोमीटर दूर है जिला प्रशासन के दफ्तरात, यह भी नहीं देखा कि क्या बात है, क्या चक्कर है, यह क्या वजह है। जब उनकी जानकारी में आ चुकी थी यह बात कि मिलावटी कैरोसीन बांटा जा रहा है तो उनको टैंक नम्बर दो को उसी वक्त सीज करना चाहिए था। क्या सरकार यह अपेक्षा करती है कि शहर के दो-चार आदमी, समाज-सेवी उसको जाकर सील करते? आपके आफिसर्स क्या कर रहे थे? कितना बड़ा नेग्लीजेंस उनके पार्ट पर था।....

श्री चतुर्वेदी साहब ने झालावाड़ में एक बयान दिया 10 तारीख को, जब यह पहली बार वहां पहुंचे। बयान दिया, राजस्थान पत्रिका में यह बयान छपा है उसमें लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने कैरोसीन हादसे में कथित प्रशासनिक लापरवाही की जांच करने की घोषणा की है। मुख्य मन्त्री महोदय, आज आप जांच करने की घोषणा कर रहे हैं। यह जांच की घोषणा तो चतुर्वेदी साहब 10 तारीख को ही कर चुके थे। अगर यह जांच उस वक्त बैठा दी गयी तो फिर आज क्यों रोक दी गयी और आज इस नयी जांच की घोषणा का तात्पर्य क्या है? बाद में आपने....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आई. ओ. सी के लिए लिखा हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रशासनिक अधिकारी लिखा हुआ है। आई. ओ. सी. के अधिकारियों के लिए आप अलग बोले हैं। आप फरमायें तो वो भी मैं पढ़कर बता दूं। और यह कोई दूसरी पत्रिका तो नहीं है, राजस्थान पत्रिका....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : जयपुर की नहीं, कोटा की होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर प्रशासन शीघ्र कार्यवाही करता तो इन हादसों को रोका जा सकता था। चतुर्वेदी साहब ने उस वक्त मना किया कि नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की बात की जाती है, जांच करवायेंगे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही नजर नहीं आती।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : यहीं पर तो गड़बड़ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह भी पत्रिका में छपा है। पत्रिका में तो साहब, वही छपता है जो... बारां की सी. एम, एच. ओ.....

श्री सभापति : आपका भी भाषण छपेगा, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठोड़ : दो लाइन आयेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बारां के जिला अस्पताल की डॉक्टर कटियार, जो सी. एम. एच. ओ. है, ने मुख्य मन्त्रीजी के सामने परसों खुद कबूल किया है, जब मुख्य मन्त्रीजी ने उनसे पूछा कि जब इतने हादसे होते रहे तो आपने जिला प्रशासन को इत्तला क्यों नहीं दी तो उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी से कहा कि आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं बराबर इत्तला करती रही

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

एक-एक व्यक्ति ज्यों-ज्यों मेरे अस्पताल में दाखिल होता रहा मैं बराबर इत्तला करती रही। मुख्य मन्त्रीजी ने पलटकर के वहां जो एडीशनल एस. पी. दामोर खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि बोलो, तो उन्होंने कहा हां साहब, थानों में इत्तला हो गयी थी। प्रशासन कहता है, सरकार कहती है कि हमें तो जानकारी 8 मार्च को झालावाड़ के सी. एम. एच. ओ. ने दी और वो कहती हैं कि 20 फरवरी से लगातार इत्तला कर रही हूं, कोई इत्तला झेलने वाला तो हो, किससे कहूं जा-जाकर के। 15 रोज तक कान में तेल डालकर के आराम से कुंभकरणीय नींद सोने वाली सरकार जो अपने आपको संवेदनशील कहने में थकती नहीं है, उसका यह जघन्य, यह क्रिमिनल नेग्लीजेंसी, सभापति महोदय, अधिकारियों के नाम पर ही नहीं, यह पालिटिकल नेग्लीजेंसी हमारे राजनेताओं के नाम पर भी लिखी जाएगी। जब कभी राजस्थान का नागरिक इस हादसे को याद करेगा तो इस सरकार को दोषी करार दिये बगैर वो रह नहीं सकता। सरकार ने इस हादसे में जितनी भी गलतियां की हैं, जो भी लापरवाही इस सरकार के नाते हुई है उससे बच नहीं सकते। ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। प्रधान मन्त्री से जांच की मांग करने वाले, मुख्य मन्त्री महोदय, उन जिला अधिकारियों के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर को बैठाकर आप लीपा-पोती करना चाहते हैं। और वो भी आई. ए. एस. आफिसर जो जिले में बैठे हुए हैं, उनको ये बचायेंगे। अगर आप इतने ही गम्भीर हैं, इस हादसे के प्रति आपके मन में वाकई कोई दुःख है तो मेहरबानी करके हाइकोर्ट के किसी जज को निष्पक्ष जांच दीजिए। इतना बड़ा हादसा है, आपके मुख्य मन्त्री काल में अगर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन अभी ले लिया और अफसरों को बचाने का मोह छोड़ दिया, क्योंकि कई बार यह मन में होता है जब पद पर नहीं रहेंगे तो यह लापरवाह अफसर जिनको आज सरकार बचायेगी हमारी हुकुम-अदूली नहीं करेंगे, ये दिमाग में से निकाल देंगे आप तो राजस्थान का हर आदमी आपका ऋणी होगा, आपके किये हुए कार्यों की सराहना करेगा। मेहरबानी करके जिन अधिकारियों ने अपनी आंखों के सामने लोगों को झुलसते देखा है, जिनकी कथा नहीं पूछी उनको बचाने की कोशिश न करें।

आपके नोटिस में हो सकता है कि यह फैक्ट आठ तारीख को आया हो। आपने तेजी दिखायी, कौशल साहब को भेजा, अनंग कुमारजी को भेजा, चतुर्वेदी साहब को भेजा, राठौड़ साहब भी गये। इनके जाने से एक फायदा तो हुआ कि बारां का अस्पताल जो महागन्दा पड़ा रहता था वहां यह 8-10 लाख रुपये दे आये। दे आये तो मुख्य मन्त्रीजी पहुंचे उसके पहले पहले रात के तीन बजे तक उसमें पुताई हो गयी, और कैजुअल लेबर लग कर खूब सर्फ से उसकी धुलाई हुई। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि जिन डाक्टरों पर आप यह आरोप लगाते हैं कि तुमने टिटनेस से क्यों मरने दिया, कौशल साहब, यह आपकी कांस्टीट्यूएंसी है, उस अस्पताल में स्पेशलिस्ट कितने हैं? सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ दो स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं और उनमें भी एक स्पेशलिस्ट तो रोज फैमिली प्लानिंग

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के लिए जाता है। कुल मिलाकर एक स्पेशलिस्ट रह पाता है, पूरे बारां जिले के अस्पताल में। पी. पी. यूनिट में डाक्टर नहीं है, पैथोलोजी डिपार्टमेंट में कोई डाक्टर नहीं, दो मैटर्न सैंक्शन्ड हैं, दोनों मैटर्न ही नहीं हैं। क्लेरीकल स्टाफ नहीं है, अकाउण्टेण्ट नहीं है, ओ. एस. नहीं है और तो और जो कैजुअल लेबर लगायी गयी थी उसको भी 10-15 दिन पहले राज्य सरकार के आदेश से हटाना पड़ा। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि यह 4-5 आदमी एक जिले के अस्पताल को चलायेंगे, हर मरीज को अटेण्ड कर लेंगे।... (व्यवधान) नहीं, मैं उनके हाथ मजबूत कर रहा हूं ताकि वह सरकार से अपने अस्पताल को सुधरवायें। मैं उनकी इस मांग में उनके साथ हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ट्रेजडी राजस्थान के इतिहास में बहुत कम हुई है। जो चिमनी हमें दीपक के रूप में रोशनी देती थी उसी चिमनी ने आज हमारी जान लेनी चालू कर दी मिलावटी केरोसीन के माध्यम से। तो इस जांच को गोलमाल न करके कुछ ठोस नतीजे सामने आयें इसलिए आपने रेवेन्यू बोर्ड की जो जांच बैठाने की घोषणा की है कृपया उसे वापस लें और राजस्थान की जनता के हित में और जो लोग झुलसे हैं, जो लोग मरे हैं, जिन लोगों के साथ यह हादसा गुजरा है उनकी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब आप हाई कोर्ट का जज निष्पक्ष तौर पर बैठा कर जांच कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, यह जो हादसा हुआ है इसमें प्रशासनिक नेग्लीजेंस की हद हो गयी। आप जानते हो कि केरोसीन वितरित किया जाता है आपके नागरिक रसद विभाग की ओर से। और यह भी आप जानते हैं कि उसका स्रोत एक है। एक या दो कम्पनी है, तेल कम्पनी दो हैं लेकिन स्रोत आखिर में एक है। 18 तारीख को आग लग गयी, दो लोग मर गये और उसके बाद 4 लोग मर गये। तो क्या जो आई. ए. एस. अधिकारी, आई. पी. एस. अधिकारी और कमिश्नर भी वहां मौजूद थे, इतनी भी कल्पना नहीं कर सके कि आखिर कैसे इस तरह के इतने दिन से हादसे हो रहे हैं तो फिर यह किस काम के लिए हैं। इनके एक-एक के तो 4-4 फोन हैं। कोई लाल फोन किसी काम के लिए और पीला फोन किसी काम के लिए और काला फोन किसी काम के लिए और 4-4 गाड़ियां, इतना स्टाफ और उसके बाद में लोग इस तरह से मरते रहें आप द्वारा सप्लाई की गयी चीज से, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो और सुनवाई तब हो जब इसमें गरीब 25-30 आदमी मर जाएं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा नेग्लीजेंस की कोई बात हो नहीं सकती। प्रशासन में क्या सोचने की इतनी भी शक्ति नहीं है? इनके पीछे इतना प्रशासनिक अनुभव है, इतनी भी सोचने की शक्ति नहीं है कि आखिर यह झुलस रहे हैं, चीज एक है, उसका स्रोत एक है, झुलस रहे हैं और उसकी तरफ कोई परवाह नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि ऐसी नेग्लीजेंस इतने लम्बे समय तक होती रही। एक दो दफा नेग्लीजेंस पहले भी हुई। 1979 की बाढ़ में हुई थी,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जब मेरे घर वाले पानी से घिर गये, नौ बजे कलक्टर को इत्तला दे दी कि बाढ़ से घिर गये हैं और डूब जायेंगे। उन्होंने कलक्टर को इत्तला दे दी, वापस रेलवे वालों ने इत्तला दे दी कि हमने कलक्टर को इत्तला दे दी है, शाम को वह 5 बजे डूबे, ऊपर से हेलीकाप्टर निकलते रहे और किसी ने देखा ही नहीं। खैर वह तो कुछ घंटों की बात थी, उसको क्षम्य मान सकते हैं। लेकिन इतने दिन तक लोग जलते रहे एक ही स्रोत से और किसी की आंख ही नहीं खुली। ठीक है अखबार वालों ने कह दिया, लिख दिया, हा-हुल्लड़ हुआ नहीं तो कोई सुनता भी नहीं।

एक माननीय सदस्य : एफ. आई. आर. दर्ज हुई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: नहीं-नहीं, यह खुद नेग्लीजेंट हैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नेग्लीजेंस है इनकी। ये प्रोटेक्टर हैं, जनता के रखवाले हैं। इस तरह की खतरनाक चीज का वितरण हो और वह बैठे-बैठे देखते रहे कि हमको पता नहीं है, यह क्षम्य नहीं हो सकता, इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामकिशनजी। (व्यवधान) मैं नम्बर से बुला रहा हूं।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, कैरोसीन दुखान्तिका के बारे में जो भी घटनाक्रम गुजरा, जितनी बातचीत हुई उन सब बात में सबने अपनी-अपनी बात कही और यह सच्चाई भी थी। मैं इस बात में यह कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग पाइण्ट अगर हम 18 फरवरी को ही मान लें और जहां से यह हादसा चालू हुआ उसी वक्त हमारा प्रशासन हरकत में आ जाता, जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ था, डी. एस. ओ. की जिम्मेदारी थी कि जब वितरण के समय में टैंकर से तेल भरते वक्त उस ड्रम में गेज को निकाल कर नापने की कोशिश की और सिर्फ बीड़ी जलाई, माचिस नहीं तो इतनी दूर से आग पकड़ कर विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के अन्दर दो आदमी तो वहीं पर जलकर के राख हो गये, एक अस्पताल में आकर मर गया और चौथा आदमी जयपुर में आकर मर गया फिर तो इनकी आंख खुल जानी चाहिए थी, उन्हें तत्परता से उसी वक्त सारे प्रशासन चाहे वह पुलिस विभाग था, चाहे जिलाधीश महोदय थे, चाहे डी. एस. ओ. थे और चाहे उनके नीचे काम करने वाले इंस्पेक्टर लोग थे, इन सभी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी और उनके खिलाफ एफ. आई. आर. लोज करानी चाहिए थी।

सभापति महोदय, इन सारी बातों के साथ-साथ यह भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है। तीन रुपये लीटर का कैरोसीन और 18 रुपये लीटर का पैट्रोल, पैट्रोल को कैरोसीन में नहीं मिलाया जा सकता। कोई आदमी घाटा खाने को तैयार नहीं है चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कम्पनी हो या चाहे राज्य सरकार हो। सच्चाई तो यह है कि कुछ ही लोगों का वहां पर जबरदस्त गिरोह बना हुआ है जो कैरोसीन को पैट्रोल में मिलाकर बेचता है और कैरोसीन के लिए गांव के गरीब लोग तरसते रहते हैं लेकिन उनको कैरोसीन

(श्री रामकिशन वर्मा)

नहीं मिलता है। उस सारी बात की सच्चाई में अगर हम जाएं तो इस बात का सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाएगा कि वास्तव में पैसे के लोभी, लालचियों ने इन लोगों की हत्याएं कर दीं, इनकी जान-ले ली। भूल-चूक से कि एक दफा हम लोग कैरोसीन मिलाते ही जा रहे हैं उन्हें ख्याल नहीं रहा और वह पैट्रोल उस कैरोसीन में मिल गया। कैरोसीन में जब पैट्रोल मिल गया और जब उसका वितरण हुआ तो 18 तारीख को यह निर्देश दे देने चाहिए थे कि जिले के सारे अधिकारी, पटवारी लेवल तक के लोग जहां-जहां भी इस कैरोसीन का वितरण किया गया है उसे ढोल दें, रोक दें उसके बदले में अपनी ओर से जिला प्रशासन उनको बिना मूल्य के तेल उपलब्ध करायें। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र रामगंज मण्डी में चाहे वह सायलखेड़ी था, चाहे वह कुम्भकोट था, चाहे वह मेरा चेचट का क्षेत्र था, गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, उनको जलाऊ लकड़ी नहीं मिलने से, गैस नहीं मिलने से इस कैरोसीन के माध्यम से अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं और....रात में उनके बच्चे चिमनी की रोशनी में अपना विद्याध्ययन करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं, उस चिमनी को खोलकर जब वे उसमें तेल डालने लगे तो तेल डालते वक्त ही विस्फोट हो गया। यह सारी बात अधिकारियों को जाकर बतायी गयी, वे लोग समझ नहीं पाये, उन्होंने इस बात की चिन्ता व्यक्त नहीं की कि आखिर कारण क्या है। विशेषज्ञों की टीम बुलानी चाहिए थी, सारी बात की चर्चा होनी चाहिए थी। यह घटना घटते-घटते सात आठ मार्च तक पहुंच गयी। जब झालावाड़ के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की रिपोर्ट कलक्टर, झालावाड़ को दी कि बर्निंग केस बराबर आते जा रहे हैं लेकिन आज एक साथ आठ केस आये हैं तो भी उन्होंने जाकर इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया। उसके बाद चर्चा की। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के स्वास्थ्य अधिकारी ने जब इस बात की चर्चा की तो मुख्य सचिव मिट्ठालालजी मेहता का टेलीफोन गया, इन्होंने कहा कि मुझे पांच तारीख को ही जानकारी देनी चाहिए थी। पांच को तो देनी चाहिए थी आठ को दो और आठ के बाद तो रोकते। आठ के बाद भी लोग मरते चले गये। जब दस तारीख का अखबार हमने यहां पढ़ा और दस तारीख को जब विधान सभा नहीं थी, हम लोग गये। भारत सरकार के माननीय मन्त्री भुवनेश चतुर्वेदी कोटा पहुंचे उसके पहले, वे झालावाड़ गये और उन्होंने जाकर इस हादसे को समझा और देखने की कोशिश की। संवेदनशीलता के अनुसार इस बात की कोशिश की कि जो भी दुर्घटना घटी है, इस घटना में जो भी लोग मरे हैं उन लोगों को भारत सरकार के प्रधानमन्त्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपये की सहायता देकर इनकी मदद की जाएगी, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उनमें किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी समाज के लोग हों, सबकी पूरी मदद की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां पर इस बात की चर्चा चली कि राजस्थान मन्त्रिमण्डल के 5-5 सदस्य भागकर कोटा गये, बारां भी गये। जाने के बाद जो उनसे बन सकता था। वह उन्होंने किया। उसके बावजूद बारां अस्पताल की जो हालत थी

(श्री रामकिशन वर्मा)

वहां बहुत गन्दगी थी, अन्दर घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। अंधेरा था, पेशेण्ट के पास कोई आदमी 15 मिनट भी टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं यह मानता हूं कि जयपुर से जो टोली गयी 12 तारीख को उसके बाद वहां पर सफाई हुई। पत्रिका में उस सफाई का फोटो भी छपा है जिसमें हमारे मन्त्री महोदय भी हैं और यहां से जो टोली गयी उसके अधिकारी लोग भी मौजूद हैं। क्या पहले इस बात को नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों के बावजूद झालावाड़ के हमारे चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की चिन्ता अपने लेवल पर की। मरीजों के लिए 100 चद्दरें खरीद लीं। बर्न पेशेण्ट्स को नंगा रखा जाता था, उनके शरीर को खुला छोड़ा जाता था ताकि किसी प्रकार गर्मी से, पसीने से, बदबू न बढ़े। उन लोगों के लिए जालियां भी लगवा दीं, मच्छरदानियां भी लगवा दीं, दवाइयां भी खरीद लीं। यही इन्तजाम अगर सब जगह होता तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलती। सभापति महोदय, इन सारी बातों के बावजूद मैं यह बात कहना चाहूंगा कि सारे घटनाचक्र की पूरी जांच हाई कोर्ट के जज से करायी जाए ताकि निश्चित रूप से दोषी लोगों को सजा दी जाए और कोई भी अफसर चाहे वह बड़ा से बड़ा अधिकारी हो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सके।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री रामनारायण : सभापति महोदय, मेरा नाम मूल प्रस्तावकों में है।

श्री सभापति : आपको पुकारूंगा रामनारायण जी।

श्री जगदीप धनखड़ : मूल प्रस्ताव में सभापति महोदय, हमारे भी हैं, दस्तखत हैं (व्यवधान) समझ में नहीं आता कि आप कौनसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं ?

श्री सभापति : मैं वही प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं जो सूची मेरे पास है।

श्री रामनारायण : आप कैसे टाल सकते हो इस बात को, मैं मूल प्रस्तावक हूं।

श्री सभापति : आपको पुकारूंगा, माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मूल प्रस्ताव पर जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं उनको तो बोलने का सुअवसर दे नहीं रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि कृपया उन लोगों को भी बोलने का अवसर दें जिन्होंने मूल प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी। संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, जो यह दुखान्तिका हुई, हादसा हुआ है, मैं तो आपको दो ही बात कहना चाहता हूं। इसकी आठ तारीख को जानकारी सरकार को आ गयी, 18 तारीख की बात को भी छोड़ते हैं। जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य है कि आठ तारीख को हमारी जानकारी में आया और 15 तारीख है आज। यह जो जांच की घोषणा की बात की है उसको मुख्य मन्त्रीजी ने यहां टैम्परविद कर दिया।

(श्री विष्णु मोदी)

उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रशासनिक सक्रियता के कारण हम इस हादसे को रोक पाये। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दस तारीख को आयुक्त, कोटा ने यह कहा कि मिट्टी का तेल जो मिला हुआ था उसको बदल दिया जाए। वह मिट्टी का तेल आज तक नहीं बदला गया। कल, पांच घटनाएं हुई हैं, पांच आदमी झुलसे हैं और परसों पांच आदमी झुलसे हैं। अभी तक मिलावटी तेल बदला नहीं गया। तुरन्त सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि वह तुरन्त बदला जाए। आप यह जांच की बात करते हैं इसको आपने टैम्परविद किया और आपकी नीयत 15 तारीख को यह रही कि वे अधिकारीगण उस रिकार्ड को टैम्परविद कर लें जिससे अपने आप बच जाएं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त उन अधिकारियों को सस्पैण्ड किया जाए, हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करायी जाए और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाएं जिस तरह आई ओ. सी. के आदमियों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं और इसमें बिलकुल भी कोताही नहीं बरती जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, जो हादसा हुआ उस पर चिन्ता सदन में व्यक्त की जा रही है, यह हादसा साधारण हादसा नहीं है। राज्य प्रशासन द्वारा यदि कोताही नहीं बरती जाती जांच में और इसे रोकने में तो मेरा जहां तक ख्याल है यह सीमित किया जा सकता था। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने सदन में वक्तव्य तो दिया, सदन में दिये गये वक्तव्य में क्या यह बात कहीं कही गयी है कि जो सैम्पल 19 तारीख को लिये गये थे और जिनकी फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच करायी गयी थी उनका नतीजा क्या रहा ?

एक माननीय सदस्य : रिपीटिशन हो रहा है, जवाब दिलवाओ।

श्री सभापति : आप शान्त रहें माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण : सत्ता पक्ष ने इस मामले में जो सक्रियता दिखाई उसका मुख्य कारण यह था कि प्रधान मन्त्री कार्यालय के राज्य मन्त्री कोटा पहुंचे और जब प्रधान मन्त्रीजी ने इस मामले को सीरियसली लिया और अपने आदमियों को कोटा भेजा। वे झालावाड़ पहुंचे, उन्होंने अपनी राहत की घोषणा की और प्रशासन को लताड़ा तब जाकर कहीं 13 तारीख को मुख्य मन्त्रीजी कोटा पधारे। इससे बड़ी संवेदनहीनता नहीं हो सकती। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य; जो मन्त्री भी हैं, गये। आजकल तो इन्होंने मुख्य मन्त्री के पद का दावा छोड़ दिया है इसलिए भैरोंसिहजी का विरोध घटने लगा है। खैर, इस बारे में मैं नहीं जाना चाहता कि इनके भीतर कौनसी खिचड़ी पक रही है, गुड़ पक रहा है। चने तो गुड़ से खाते हैं। ठीक है, मुसलमान मरे, सरकार ने मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं करना चाहा उसके बाद में जो हादसा हुआ वह तो हिन्दू था। मैं कहना चाहता हूं कि जिस पुलिस अफसर ने, सरकारी अधिकारी ने टैंकर को हाथों हाथ जब्त नहीं किया उसकी तफ्तीश आज

(श्री रामनारायण)

दिन तक पूरी नहीं हुई। एक महीने में तफतीश पूरी करके अदालत में चालान पेश करने के निर्देश की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इमीजिएटली इस बारे में कार्यवाही करेंगे। बड़े अधिकारियों के खिलाफ तो आप क्या करोगे, नीचे के लेवल पर जो नेग्लीजेंस बरती गयी है बड़े अधिकारियों द्वारा नीचे के लेवल के अफसरों को बचाने की बात की जा रही है। सबसे बड़ा दुःख तो यह है, जो नाटक आजकल राजस्थान में हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, सवाल का जवाब आता है, माननीय सदस्यों को लिखा जाता है कि शिकायत हुई हैं, सरकार ने पैसा नहीं दिया, कहते हैं भाई, इसमें जांच हो गयी, भ्रष्टाचार आपके अधिकारियों ने किया है, किस अधिकारी के खिलाफ जांच आयी है, किसने कितना पैसा खाया हैं, जवाब देते हैं--भारत सरकार ने टाइम पर पैसा नहीं दिया। जिस तरह का वातावरण राजस्थान में बनाया जा रहा है, जिस तरह का नाटक राजस्थान में किया जा रहा है संवेदनशीलता के नाम पर संवेदनहीनता बताकर, माननीय सभापति महोय, सबसे मुख्य बात यह है कि संवेदनशील सरकार, जो वाकई संवेदनशील बन रही है, ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, कितनों को सस्पैण्ड किया और कितनों के खिलाफ नेग्लीजेंस के आधार पर मुकदमे दर्ज किये? नेग्लीजेंसी से जो मौतें हुई हैं प्रशासन के ध्यान में बात आने के बाद में, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया 304 का? किया, नहीं किया, तो कितनों के खिलाफ कब तक मुकदमे दर्ज कर दिया जाएगा? एक तो यह बतावें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़। आपका विषय आ गया है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, पैसा आ गया? मैं दूसरी बात कह रहा हूं वह यह है कि राज्य सरकार मरने वालों को इस काण्ड से मरा हुआ नहीं मान रही है और नाटक इस बात का रचा जा रहा है, जैसे बूंदी में लड्डू रैगर मरा, माननीय सभापति महोदय, 10 तारीख को और कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या कहें, संवेदनहीनता के आधार पर आप लोग जो करें सो करें,+++जिसने इतना बड़ा हादसा होने दिया। माननीय सभापति महोदय, जिस लड्डू रैगर के घर में कलह नहीं है, बेरोजगार है पर चूंकि वह रैगर है, शिड्यूल्ड कास्ट का है, आप नाटक तो कर रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हमारे जीत कर आये हैं लेकिन वह रैगर है इसलिए उसका आत्म हत्या का मामला रचा जा रहा है। पुराना जो कैरोसीन पड़ा हुआ था उसका सैम्पल लिया जा रहा है। कल हमने जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारियों से कहा व्यक्तिगत तौर पर कि वह गरीब है, कोई कारण नहीं है आत्महत्या का, झुलस कर मरा है। कहते हैं कि रिपोर्ट आयेगी तब देखेंगे। रिपोर्ट तो राज्य सरकार के जो मन्त्री वहां गये हैं वह इस तरह का नाटक कर रहे हैं, प्रशासन को

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी!

(श्री रामनारायण)

निर्देश दिये गये हैं। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी इस बात की घोषणा करें कि जो भी इस तरह के केसेज,हैं, स्टोव और चिमनी से जो मरे हैं उनको माइन्यूटली देखा जाए। गरीब लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को और माइनोरिटी के लोगों को 25–30 हजार रुपये दे रहे हैं उससे उनको महरूम करने के लिए इस प्रकार की बात करते हो। उनके प्रति आप संवेदनशीलता की बात करते है तो उनके लिए दुःख-दर्द की बात करें, उनको पैसा दें। पैसा किसी की जेब से आप नहीं दे रहे हैं। इस तरह के मामलों को आप देखें। बून्दी का मैं स्पेशली कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, रेगर और दूसरे लोग मरे हैं उनको सरकार जान बूझकर महरूम करने के लिए, अपने आपको बचाने के लिए और कम संख्या बताने के लिए जो नाटक हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सतर्कता से देखें।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में झुलसे हुए बहुत से लोगों की ऊपर की ऊपर मरहम पट्टी की और भगा दिया और कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। एब्सकोण्डेड लिखा गया। ठीक है, आपके पास बर्न यूनिट नहीं है। पर आप तो कहते हैं कि हम चिकित्सा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। यह बात दूसरी है कि अब आप संभागीय स्तर पर इस हादसे के बाद में बर्न यूनिट स्थापित करने की बात करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग एब्सकोण्ड हुए हैं उनको हटा दें पर जो एब्सकोण्ड नहीं हुए उनसे डाक्टर्स द्वारा पैसा मांगा गया। बून्दी में लड्डू रेगर मरा है उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसको दवाइयां नहीं दी गयीं। मोहनलाल बैरवा से 40 रुपये मांगे गये। यह इनकी संवेदनशीलता है। लोगों ने कहा कि साहब, रसीद तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि कौन-सी रसीद मिलती है. राज्य सरकार से बात करो वह संवेदनशील है। इस तरह के हादसे अस्पताल में हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि सरकार के मन्त्री इसको हंस करके लें, यह उनकी अपनी संवेदनशीलता हो सकती है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जिस तरह से नकारा जा रहा है, उनका इलाज नहीं किया गया है, जो लोग डाक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरे हैं उन डाक्टरों के खिलाफ आप 304 का मुकदमा दर्ज करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सारे पाइण्ट्स आ चुके हैं।

श्री रामनारायण : यह कहीं नहीं आया कि उस रिकार्ड को उनकी वजह से शामिल नहीं किया गया है।

श्री सभापति : आप यह ले आए हैं।

श्री रामनारायण : मैं जो कह रहा हूं वह नयी बात कह रहा हूं। आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं और नकारना भी नहीं चाहिए।

श्री सभापति : कहते रहिये।

श्री रामनारायण : मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं पाइण्ट-वाइज बोल रहा हूं मैंने भाषण की बात नहीं की है, सरकार ने गलती की है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि सरकार

112

(श्री रामनारायण)

को खुद को +++ महसूस होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रिपीटिशन हो रहा है।

श्री रामनारायण : कोई रिपीटिशन नहीं है। मेरा विनम्र शब्दों में यह निवेदन है कि सरकार अपने आपको बचाने की बात कर रही है, अपने अधिकारियों को बचाने की बात कर रही है, इस प्रकार का एक नाटक हो रहा है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा नाटक यह है कि कागजात टेम्परविद आई ओ सी. वाले करें या नहीं करें, सरकार के अधिकारी जरूर करने लग गये हैं। इस केस की जांच को जिस ढंग से देखा जा रहा है, फोरेंसिक लेबोरेटरी में जिस तरह से रिकार्ड टेम्पर किया जा रहा है, कुछ लोगों के सेम्पल्स लिये गये हैं, मरे हैं उस रिकार्ड को टेम्परविद करने के लिए मौखिक इन्स्ट्रक्शंस दिये गये हैं। जो वाकई केरोसीन के जलाने के टाइम में मरे हैं उन सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाए। रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर्स ने तो क्या जांच की है इस बात को पूरा सदन जानता है। यदि सरकार में थोड़ीसी भी ईमानदारी है तो सबसे पहले यह घोषणा करती कि हम हाई कोर्ट के जज से इस बात की जांच करवायेंगे। मुझे विश्वास है कि जो सतर्कता प्रधान मन्त्री जी के कार्यालय से सतर्कता होने के बाद इन्होंने दिखायी है उसको बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवायेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री जगदीप धनखड़।

श्री रामनारायण : यह आज की तारीख में भरोसा देंगे और जिन अधिकारियों ने नेग्लीजेंसी बरती हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे।

श्री सभापति : आ गयी, माननीय सदस्य। श्री जगदीपजी धनखड़।

श्री रामनारायण : इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : कृपया पुनरावृति नहीं करें, प्रश्न पूछें। बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) माननीय सभापति महोदय, केरोसीन दुखान्तिका वर्तमान में राजनैतिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह पैदा करती है। देश में भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के समय एक वादा किया कि किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन वह देंगे, जो संवेदनशील होगा। इकलौती सरकार है, उम्मीद की जा रही थी कि जब 100 साल, 100 दिन पूरे होंगे, 100 साल की तो बात ही नहीं है, 100 दिन पूरे होंगे तो सरकार कहेगी कि हमने क्या किया। सरकार तो भूल गयी थी कि 100 दिन पूरे हो गये पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, श्रीमान् मदेरणाजी ने कहा कि आपकी 100 दिन में क्या उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की 100 दिन में उपलब्धि है टोटल कोलेप्स आफ दी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे प्रदेश में कहीं भी आपको इस प्रकार का दूसरा

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

उदाहरण नहीं मिलेगा। यह कोलेप्स ग्राफ दी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हुआ है इसको आज आपको और हमको गम्भीरता से लेना होगा।

माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इण्डियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी, जो अलवर में एस.पी. के पद पर कार्यरत था, को इस बात के लिए सस्पेण्ड कर दिया कि उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स में अटैच बर्ड का यूज कर दिया। किस बात का झण्डा गाड़ना चाहते थे वह? (व्यवधान)... पाली में जो उन्होंने कहा वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। मैं कहना दूसरी बात चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आम बहस नहीं हो रही है, माननीय सदस्य, अपने विषय पर आइये।

श्री जगदीप धनखड़ : इस घटना के कारण क्या हैं? इस घटना की महज इण्डियन आयल कार्पोरेशन पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने....

श्री सभापति : इस घटना का कारण अलवर एस.पी. का ट्रांसफर है?

श्री जगदीप धनखड़ : एक पालिटिकल माइलेज लेने के लिए एक एस.पी. को सस्पेण्ड कर दिया और अब पूरा प्रशासन कोलेप्स हो गया। चिमनी से अंधकार हो गया, गरीब के घर में हाहाकार मच गया और किसी को अभी तक मुख्य मन्त्रीजी ने सस्पेण्ड नहीं किया। कौन भूल सकता है कि यह वही मुख्य मन्त्रीजी हैं जिन्होंने बेरी कमेटी बैठायी। बेरी कमेटी ने जहां फुल प्रूफ मामले मुख्य मन्त्रीजी के सामने रखे और मुख्य मन्त्रीजी ने उनको क्लीन चिट दे दी। माननीय सभापतिजी, जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि प्रशासन पर पालिटिकल नियंत्रण खतम हो गया। स्वयं मुख्य मन्त्रीजी ने माना कि उनको जानकारी नहीं थी, एक ओथ सेरेमनी का आयोजन कर दिया गया। यह एक छोटासा उदाहरण है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न-चिन्ह इसलिये है कि इस सदन में आप और हम सब बैठते हैं, 18 फरवरी को घटना होती है और सदन में आज चर्चा होती है। तो जिम्मेदारी उन लोगों पर ज्यादा है जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है,

(14.00)

उस इलाके के मन्त्री बनते हैं, उस इलाके के अन्दर उनका अभिनन्दन होता है, अधिकारी लोग आते हैं पर कोई भी यह नहीं कहता कि जनता का कितना जबरदस्त संकट है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो लीपापोती की है ...

श्री सभापति : कृपया प्रश्न स्पष्टीकरण पर करें।

श्री जगदीप धनखड़ : उसके बारे में मैं पांच प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं। पहला, माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि घटना के दूसरे दिन मैंने माननीय प्रधान मन्त्रीजी से बात की। सदन को गुमराह करने की कितनी साजिश है? घटना के दूसरे दिन मुख्य

(श्री जगदीप धनखड़)

मन्त्रीजी सो रहे थे। पूरा प्रशासन सो रहा था। पता नहीं किस बात को वे घटना लेते हैं। सभापतिजी, आपके माध्यम से सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे डिवीजन में इस प्रकार कैरोसीन वितरण के ऊपर रोक 7 मार्च से पहले क्यों नहीं लगायी गयी। खास तौर से जब 19 फरवरी को डी.एस.ओ. को इसकी जानकारी हो गयी। कितना जबरदस्त क्रिमिनल नेग्लीजेंस है। इसके बारे में बतायें कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गयी और अधिकारियों के खिलाफ उसकी रिपोर्ट धारा 304 में दर्ज की गयी है। सेक्शन 304 इण्डियन पीनल कोड। आप देखिये 304 में जो प्रावधान है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिये दण्ड। अधिकारियों ने ऐसा क्यों मान लिया कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, माइनोरिटी के लोग मर रहे हैं। इतना बड़ा षड्यन्त्र हुआ है। इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लीजेंट एक्टिविटी हुई है और रिपोर्ट सिर्फ 304 में ही दर्ज कर रहे हैं। सभापति जी, यदि आप इण्डियन पीनल कोड की धारा 304 का अध्ययन करेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि यह शुद्ध मर्डर है। इसमें किसी प्रकार की कमी, मेरे को समझ में नहीं आता कि अधिकारीगण क्यों कर रहे हैं। मर्डर को डिफाइन किया गया है 304 में और बताया गया है कि कौन-कौन-सी कैटेगरी में मर्डर आता है। मैं क्लाज 4 को कहूंगा – "If the person, committing the act, knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury, amounts to murder act."

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिकारियों ने यह मिलाया, फ्लेश पाइण्ट नीचे आया, उनकी पूरी जानकारी में थी। यह इतना बड़ा षड्यन्त्र हुआ, इस पर लीपापोती करने की उन्होंने कोशिश की और उसके बावजूद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इतनी जानकारी जब जिला प्रशासन को आ गयी तो उन्होंने क्यों नहीं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में उन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया? इसमें यदि किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो एक उन्होंने इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि कोई आदमी भीड़ में किसी प्रकार की इन्टेंशन रखे बिना गोली चलाता है, पता नहीं कौन अनजान आदमी मारा जाएगा, पर मुकदमा धारा 302 में होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय हैं इसी मुद्दे पर। मैं एक तो यह कहूंगा कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित कर जांच की जाए और जांच में किसी प्रकार की लीपापोती न की जाए।

दूसरी बात, प्रधान मन्त्री जी यहां पर नवम्बर के महीने में आये थे। प्रधान मन्त्री जी की यात्रा का रूट बदला गया। एक जांच हुई ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषयान्तर न हों। आप इस कैरोसीन....

श्री जगदीप धनखड़ : मैं जांच पर आ रहा हूं....

श्री सभापति : मार्ग की जांच से मतलब नहीं है, आप....

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मैं उसी जांच पर आ रहा हूं जिसका कोई नतीजा निकले। मैं उस जांच पर नहीं जा रहा हूं जहां आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ रेंज हो जाए। डिवीजनल कमिश्नर जांच करके राज्यपाल महोदय को बताता है, 9 अधिकारियों को आप अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर रखते हैं और दबाव पड़ता है प्रशासन पर। मुख्य मन्त्रीजी एक पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी से जांच कराते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गयी, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गयी, जो आपकी और हमारी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। जो डेमोक्रेटिक सैटअप से सम्बन्धित है। मैं इस बात को कहते हुए बिलकुल नहीं घबराता कि बाहर की जनता का जनप्रतिनिधि में विश्वास उठ गया कि यह सदन 18 फरवरी से लगातार बैठा है उसके बावजूद आज इस मामले में चर्चा हो रही है। यह आप और हम सबके ऊपर कलंक है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मामले के अन्दर इतने साधारण तरीके से, लाइटली मत ट्रीट कीजिये और जांच हाई कोर्ट जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज से कराइये। जो भी हाई कोर्ट जज हैं, सिटिंग हाई कोर्ट जज ईमानदार हैं। समय पर जांच कराइये और उससे पहले चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी आ गये हैं, कितनी लाइटली अधिकारियों को इन्होंने सस्पैण्ड किया है। कम से कम इतनी गम्भीर घटना में जहां इनके सौ दिन के काल के अन्दर इतनी ख्याति प्राप्त की है कि टोटल कोलेप्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा हो, कितना ही सीनियर हो, उनके ऊपर पूरी कार्यवाही की जाए और कार्यवाही की शुरूआत दोषी अधिकारियों के लिए, उनको कम से कम निलम्बन का तो आदेश मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, माननीय, सभापति जी....

श्री सभापति : चौथी बात।

श्री जगदीप धनखड़ : बड़े दुःख की बात है इस घटना के अन्दर.... चलो स्टेटिस्टिकली आपने मुझे करेक्ट किया। राजस्थान पत्रिका के 10 मार्च के अंक में लिखा हुआ है – छह वर्षीय बालिका रिन्कू, तीन वर्षीय बालक। कैसी-कैसी घटना हुई है परन्तु अधिकांश लोग गांव के हैं, अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं, माइनोरिटी के हैं। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी, कितने ही उदारशील हों, इस मामले में आप इतने कंजूस निकले जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। बजाय कहने के, लिप सिम्पेथी देने के, उनके लिए ठोस कार्यवाही की जाए और यह ध्यान नहीं दिया जाए कि बाहर के अन्दर इस प्रकार का काम हो जाता माननीय मुख्य मन्त्री जी लाखों पर पहुंच जाते। गांव में गरीब के साथ इस प्रकार का हादसा हो गया, मुख्य मन्त्रीजी एकदम कंजूस निकल आये। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को पूरी सहायता प्रदान की जाए।

मेरी अन्तिम बात, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान दीजिये। मात्र अच्छा स्वास्थ्य मन्त्री होने से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ेंगी। आप उनको पूरा धन

(श्री जगदीप धनखड़)

उपलब्ध कराइये। आप जाओ और चमचमाहट आ जाए, this will not serve the cause. इसलिए इस बात को गम्भीरता से लेकर चिन्तन कीजिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सारी बातें आ चुकी हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरा नाम था....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, एक सैकण्ड।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : कोटा डिवीजन पर हमें मौका दिया जाए.... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये-विराजिये माननीय सदस्य। बोलिये माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : बून्दी की घटना है इसलिए मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पर्ची दी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में आप केवल प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : सभापति महोदय, कोटा सम्भाग के अन्दर पिछले समय में केरोसीन मिलावट से हादसा हुआ। पहला हादसा 18 फरवरी को हुआ जिसमें कोटा सैण्टर के अन्तर्गत बीच बाजार में चार व्यक्ति मारे गये, जिसमें दो व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये हैं, एक हास्पिटल में और एक जयपुर पहुंचते-पहुंचते मारा गया। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख, 22 तारीख तक लगातार घटनाएं होती रहीं एक के बाद एक। किसी दिन पांच और आठ। सात व आठ तारीख को डेली आठ-आठ केस हास्पिटल के अन्दर आते रहे और वहां का प्रशासन और यह सरकार कानों में तेल डाल कर बैठी रही। क्योंकि 22 दिन के अन्तराल में यहां के किसी भी अधिकारी ने इस बात की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचायी। जिस तरीके से गांवों के अन्दर आज 10 तारीख के बाद जब बारां से आये रघुवीर सिंह जी कौशल 11 तारीख को मांगरोल पहुंचे और वहां इस बात का आश्वासन देकर आये कि इस तरह की जो भी घटना हुई है उसमें राज्य सरकार के द्वारा दवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। माननीय मन्त्री महोदय के पहुंचने के तुरन्त बाद दूसरे दिन जब मैं मांगरोल पहुंचा तो जो वहां इलाज करा रहे थे, जो वहां पर एडमिट थे, गवर्नमेंट की तरफ से अस्पताल से उन्हें एक पैसे की दवा उपलब्ध नहीं करवायी जा रही थी। आज तक उनके पास सारे बिल मौजूद हैं किसी तरह से कोई भी दवाई सरकारी स्तर से उन्हें नहीं मिल रही थी। इस तरह से यदि इतनी बड़ी घटनाएं होती रहे और केवल सदन में आकर प्रशासन घोषणा करता रहे कि हम दवाइयों की भी सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता भी करेंगे लेकिन वास्तविकता यह है आज गांव में रहने वाले, दूरदराज में रहने वाले जो बालक और महिलाएं, जिनका इलाज चल रहा है आज उन्हें एक भी पैसे की दवाई अस्पताल से उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं, सभापति

(श्री रामगोपाल बैरवा)

महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार की और प्रशासन की जो लापरवाही रही, 22 दिन तक जो लापरवाही रही उसके अन्तर्गत हाई कोर्ट जज के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच करवायी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करके उनको सस्पैण्ड करवाया जाए।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा। (व्यवधान) विराजिये, श्री ओम प्रकाश शर्मा आप बोल रहे थे ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप विराजिये माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, घासलेट काण्ड के बारे में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, आपका नम्बर नहीं आयेगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जो अभी चर्चा हुई है, मैं बून्दी जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : सरकार की +++ पर बोल रहे हैं वह तो।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : बून्दी नगर में दस तारीख को लटूर रैगर नामक व्यक्ति जब स्टोव जला रहा था उस समय वह स्टोव भभका और, भभकने से उसके आग लगी और उसके आठ घण्टे बाद उसकी डेथ हुई। जिला प्रशासन ने सक्रियता निभायी, सारी राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें लगे और, पूरे बूंदी नगर और बूंदी जिले में जितना तेल था उस तेल को जिला प्रशासन ने अपने भण्डार में लिया और उस को कोटा भेजा गया। मेरा निवेदन करना यहां पर यह है कि लटूर रैगर जो गरीब था, उसका परिवार वहां पर मौजूद नहीं था जिस समय उसके आग लगी और जला। आज उसके बच्चे छोटे हैं और उसको निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : प्रश्न पूछेंगे आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हां। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार बैठी हुई है, एक महीने के लगभग हो गया इस हादसे को हुए लेकिन आज तक इनके दिलों में आग नहीं लगी। इतने दिन घटना के होते हुए हो जाएं, पर कारण क्या है उसके पीछे कि हमारे उसमें मुस्लिम भाई मर गये, हमारे एस.सी. के भाई मर गये। उन लोगों के प्रति, ये चाहते हैं कि ये मर जाएं,

---

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

118

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्योंकि यह सरकार मारना ही चाहती है इनको तो। पिछली बार मेरे विधान सभा क्षेत्र के चार मुस्लिम भाई, यहां मारुति के अन्दर आग लगा कर जला दिये गये इसी सरकार के टाइम में। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसा जो गम्भीर मसला हुआ है जो वास्तव में हत्या का मामला है एक तरह से देखा जाए तो। जिस सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है वह सरकार वास्तव में +++ है क्योंकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इतने दिन हो गये, आज तक सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया ? आज कहते हैं हम जांच बैठा देंगे और कुछ कर देंगे। ऐसी जांचों से कुछ नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं इस सरकार से आज जिस प्रकार से भगवा वस्त्र पहन कर, जिस प्रकार भगवा झण्डा लेकर के माननीय ललित किशोर जी, हमारे मन्त्रीजी जिस प्रकार निकल पड़ते हैं, आप चाहे कश्मीर की यात्रा करते हैं कभी कहां की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। आपको अपने क्षेत्र की याद नहीं आयी। अपने क्षेत्र में क्यों नहीं निकले झण्डा लेकर के ? मार दिया, जल गये और आप के दिलों में आज तक आग नहीं लगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी यह संवेदनशील सरकार, जो धर्म की बात करती है और लोग मारे जाएं। क्या गुजरेगी उस बहन पर जिसका भाई जल गया उसके अन्दर ...

श्री सभापति : आप बिराजें....

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या गुजरेगी उस बाप पर जिसका बेटा जल गया उसके अन्दर। सरकार कहती है कि उनको सहायता दी जा रही है, लेकिन उनको कोई भी सहायता नहीं, किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल रही है। आप एक-एक लाख रुपये की घोषणा करें।

श्री सभापति : मांग करिये, मांग करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा भी अरमान है इस बात का और तब तक यह सदन आगे नहीं बढ़े जब तक इस प्रकार की घोषणा नहीं हो जाती।

दूसरा मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, जो भी जांच की जा रही है वह हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से करवायी जाए और इस बात की भी यहां घोषणा की जाए और तीसरा मेरा निवेदन है कि जो इतनी देर हुई है, जिन अधिकारियों ने इस बारे में देरी की है और जिन्होंने गलत तथ्य सरकार के सामने पेश किये हैं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री हरिसिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : चौथा, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में एक बात फैल रही है कि मिट्टी के तेल को काम में लेंगे तो आग लग जाएगी और मर जाएंगे। कोई मिट्टी के तेल को काम में नहीं ले रहा है। सरकार लोगों को विश्वास में ले कि

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आने वाले भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा और वास्तव में मिट्टी का तेल बढ़िया बांटा जा रहा है, अब कहीं किसी प्रकार की मिलावट नहीं है कोई पैट्रोल नहीं है उसके अन्दर।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह जी, आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिसको काम में लिया जा रहा है, मेरा निवेदन है साहब।...(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हरिसिंह जी को बुलाया है मैंने।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, मेरे को बोलने दें।

श्री सभापति : मैंने पुकारा इनको है.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्ष से जितने भी ज्वलनशील पदार्थ यहां बिकते हैं, उनके स्टोरेज को, एक निश्चित मात्रा जहां रहती है, कम्पलसरीली इंश्योरेबल कर दिया है। इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी के लिए। अगर इस केस में थर्ड पार्टी के लिए इन्श्योरेंस हुआ होता वहां के डिपो का तो जो 15 आदमी मरे, डेढ़ सौ आदमी झुलस गये हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में कम्पन्सेशन इन्श्योरेंस कम्पनी देती। 25 मर गये, 25 जल गये, मारे गये इसलिए स्टोरेज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिला कलक्टर महोदय देखें कि यह स्टोरेज कम्पलसरीली इन्श्योरेबल है या नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर यह देखा जाए कि आई.ओ.सी. के डिपो का इन्श्योरेंस थर्ड पार्टी के लिए है अथवा नहीं है और नहीं है तो जिला कलक्टर महोदय ने कराया क्यों नहीं। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह सिंघवी (व्यवधान) हां बोलिये। माननीय सदस्य आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : यह घटना मेरे क्षेत्र की है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय....

श्री सभापति : हां मैं दूंगा, आपको। मैं आपको अवसर दूंगा। आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महिला हैं साहब। पहले इनको मौका दे दें।

श्री सभापति : मैंने उनको पुकारा है। मैं आपको दूंगा अवसर....(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, (व्यवधान).... यहां भर्ती है हास्पिटल में उनकी केयर नहीं कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, श्री प्रतापसिंह जी बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : उसमें से एक लड़का एस.एम.एस. हास्पिटल में भर्ती है

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

उसकी केयर ढंग से नहीं हो रही है कृपया उसकी केयर ढंग से करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी।

एक माननीय सदस्य : सरकार के प्रति अविश्वास हो रहा है खुल्लम-खुल्ला।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं तो सिर्फ दो ही बातें कहना चाहती हूं कि यह जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, झालावाड़, कोटा में और कुछ जगह बारां में, वहां पर अधिकतर महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई हैं तो जिन महिलाओं की मृत्यु हो गयी है और जिनके बच्चे अभी रह रहे हैं उन बच्चों के प्रति मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता है। अभी बहुत बातें कही गयी हैं मैं उनको यहां दुबारा रिपीट नहीं करूंगी पर मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि उन बच्चों के लिए सरकार जरूर इस तरह का प्रबन्ध करे कि वह उनके रिश्तेदारों पर नहीं छोड़ दिये जाएं, जिनकी मां मर गयी है, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाए, होस्टलों में रखा जाए, उनके रहने के लिए प्रबन्ध किया जाए जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हों। उनका कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य किया जाए।

आपने टाइम दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राधेश्याम जी। प्रश्न पूछेंगे।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि आज यह जो घटना हुई है, आपके समक्ष शांतिजी और हमारे नेता महोदय ने बड़े सुन्दर तरीके से उस बात को रखा है जबकि पहले से जानकारी थी तो सरकार सोयी क्यों रही। मैं तो यह निवेदन करूंगा चीफ मिनिस्टर महोदय से, इनको एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी। लाल बहादुर शास्त्री रेल मन्त्री थे और उन्होंने एक मिनट में त्याग पत्र दिया था। वह एक बार ऐसा करके दिखा देते तो राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में उनका नाम होता और दुनिया कहती कि लाल बहादुर के बाद कोई और पैदा हुआ है। आज मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया वह समय चला गया तो कम से कम ...

(14.20)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

इनको अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर फोरन उनको सस्पैण्ड कर इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से करवाये, इस बात की घोषणा आज ही हाउस में करनी चाहिए। यह मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहती हूं। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाह रही हूं कि अगर आप प्रतिपक्ष में बैठे होते और इतनी भयानक दुखान्तिका हो जाती और इतने समय तक प्रशासन हरकत में नहीं आता, तमाम मन्त्रीगणों के वहां पहुंचने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती और जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थीं वह नहीं की जाती तो क्या आप सरकार से

(श्रीमती कमला)

इस्तीफा नहीं मांगते ? क्या आप इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाने को नहीं कहते ? और क्या आप इसको इतनी गम्भीरता से, इतने हंगामे के साथ नहीं उठाते कि यह सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसको शासन में रहने का अधिकार नहीं है। क्या आप यह नहीं कहते ? आप जरूर कहते और आज मैं यह चाहता हूं कि आप वही बात महसूस करें और इसके साथ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तवारीख में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिससे अखबारों में पढ़ते हुए सभी माननीय सदस्यगण इस बात को एक महीने से जान रहे थे लेकिन महज मूकदर्शक की सी स्थिति हो रही थी। यह जो सारा हादसा हुआ इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है ? सवाल इस बात का नहीं है और जिन लोगों की क्षति हो गयी उनको इसके लिए भुगतना पड़ा। मैं तो महज एक सवाल करना चाहता हूं, यह एक सत्यता होनी चाहिए, महज एक मोम का मुजस्मा होकर नहीं रह जाए सारी बात। यह जो सारा हादसा हुआ क्या महज कोटा तक सीमित रहेगा या राजस्थान के अन्य जिलों और तहसीलों में इसका खतरा मंडरा सकता है। इसकी सत्यता की जड़ तक जाना होगा। राजस्थान में 28-30 जिलों में कितनी बर्न यूनिट्स हैं हास्पिटल्स में और उन बर्न यूनिट्स में क्या व्यवस्था है। मैं इस बात को आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। हर पैट्रोल पम्प की स्थिति आज यह है कि आप पैट्रोल पम्प का सेम्पल ले लीजिये। यह मामला उलट गया। माननीय रामकिशन जी ने जो बात बतायी थी यह बहुत बड़ी साजिश है अध्यक्ष महोदय। मामला भयानक हादसे का था लेकिन पैट्रोल पम्पों पर खुले आम पैट्रोल के अन्दर केरोसिन आयल मिलाकर बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को सारे फैक्ट्स बताना चाहूंगा। इस बात की आप जांच कराइये। सारी सत्यता थी, जिसको जाना था सो चला गया, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो छात्रगण बैठे हुए हैं और जिनको यह हादसा सता रहा है कि चिमनियों की इस रोशनी के अन्दर पढ़कर दूसरा धमाका नहीं हो जाए, उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। उसके बारे में आप जो भी अपनी ओर से राहत दिला सकें दिलाइये। मुख्य मन्त्री जी को जो कहना है वह कहेंगे लेकिन उन जले हुए लोगों के घावों पर मरहम लगायें– यही मेरी गुजारिश है, मेरी यही सरकार से इल्तजा है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी के सामने इस लोमहर्षक दुखान्तिका के कुछ तथ्य हमने सदन में प्रस्तुत किये और मैंने दो मांग प्रतिपक्ष की तरफ से की है प्राइमाफेसी जो अधिकारी क्रिमिनल नेग्लीजेन्स के लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेण्ड किया जाए और इसकी जांच रेवेन्यु बोर्ड के किसी भी मेम्बर से नहीं कराकर हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से करायी जाए। मुख्य मन्त्री जी आप कल कोटा में थे और सिमको फैक्ट्री का उद्घाटन भी आपने वहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

किया। मेरी तीसरी मांग यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ी नृत्यनाटिका का आयोजन किया जा रहा है और श्रीमती हेमामालिनी को बुला रहे हैं और झालावाड़ में एक महोत्सव करने जा रहे है जब कि एक ओर 150 झुलसे लोग वहां पर अस्पताल में जीवन और मरण के बीच में झूल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी दारूण घटना के वक्त इस प्रकार का कोई भी महोत्सव नहीं होना चाहिए जिसमें नाचने का कार्यक्रम हो और आपने बुलायी है किसी फेमस एक्ट्रेस को। इसको बाद में भी किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उसको आपको स्थगित करना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, इस घटना को लेकर माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है वह बहुत ही स्वाभाविक है। केरोसिन में मिलावट के कारण लोग मर जाएं, घायल हो जाएं, उसके कारण से चिन्ता न की जाए यह अस्वाभाविक चीज लगती है।

अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से यह प्रश्न किया कि 18 तारीख से लेकर विधान सभा की कार्यवाही जब शायद 9 तारीख को स्थगित हुई उस समय तक इस मामले में वक्तव्य क्यों नहीं दिया। इनका प्रश्न बहुत ही उचित है लेकिन यह बात भी सही है कि मैं 9 तारीख को वक्तव्य देना चाहता था। मैंने अध्यक्ष महोदय से इसकी अनुमति भी ले ली थी। मेरा विश्वास यह था कि सदन की. कार्यवाही 7 बजे तक चलेगी लेकिन अचानक 5 बजे वह स्थगित हो गयी और इस कारण से उस समय वक्तव्य नहीं दे सका। यहां प्रश्न यह भी आता है कि 18 तारीख की घटना है और 9 तारीख तक वह इस सदन में नहीं उठी। उसके लिए तो मैं अब यही कह सकता हूं कि सरकार ने चाहे जानकारी नहीं दी हो लेकिन छोटी सी भी घटना को लेकर इस सदन में स्थगन प्रस्ताव आते है, काल अटेन्शन नोटिस आते हैं, 295 में रेफरेन्स का भी प्रश्न आता है (व्यवधान) अब मुझे बोल लेने दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): ज्यादातर आपकी ही पार्टी के सदस्य हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हाडोती सम्भाग से कम है। आपकी तादाद ज्यादा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खैर, आपने यह स्वीकार किया कि हम लोग आरोपी ज्यादा हैं और आप आरोपी कम हैं लेकिन आरोपी तो हैं? यह आपने स्वीकार कर लिया....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : कसूर प्रतिपक्ष का है आपका नहीं है। संवेदनशील हमको होना चाहिए आपको क्या जरूरत है होने की ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि 18 की घटना 9 तारीख तक इस सदन में किसी भी रूप में चर्चित नहीं हो, उसके लिए तो लगभग सभी की रेस्पान्सिबिलिटी है। उस रेस्पान्सिबिलिटी से हम मुक्त नहीं हो सकते....

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास

(श्री परसराम मदेरणा)

जो जानकारी थी कि इसमें पेंट्रोल मिक्स कर दिया गया है और स्टेटमेन्ट आप दे देते तो इसका मतलब यह है कि सरकार को इस बात की नालेज थी और हमको नहीं थी इस बात की नालेज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं ना, अब आपके राजीव ब्रिगेड ने वहां पर अखबार में दे दी और यह आपको समय पर नहीं मिला ?

श्री परसराम मदेरणा : वह अखबार उस समय तक नहीं मिला था। वह वहां का लोकल अखबार है और इसलिए वह बाद में मिला है और यह कोटा वाले लेकर आये हैं। उसके बाद मेरे पास में मेरी कापी आयी। झालावाड़ से भी ले आये लेकिन यह जानकारी 9 तारीख को नहीं थी। इस तरह की आपको जानकारी थी। अगर आपको जानकारी नहीं होती तो 9 तारीख को स्टेटमेन्ट कैसे देते ? 9 तारीख को आपने दो मिनिस्टर को क्यों भेजा, अगर मामले की सीरियसनेस नहीं थी तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको खुद ही कह रहा हूं कि मैं 9 तारीख को यहां पर वक्तव्य देना चाहता था। लेकिन एक तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख तक यह मामला विधान सभा में क्यों नहीं आया। आपने कुछ अखबारों का उद्धरण देकर कहा और राजीव ब्रिगेड के किसी नेता के वक्तव्य का उल्लेख किया। अब राजीव ब्रिग्रेड से आपका सम्बन्ध इतना सा भी नहीं हो कि वहां पर कोई वक्तव्य दें और वह आपकी जानकारी में नहीं आये, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह एक एरर है इसको मान लें कि विधान सभा में यहां यह कहा जाए कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, सरकार कानों में तेल डालकर सो रही थी, सरकार आंख बन्द कर रही थी तो मैं भी यह कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में जो लोग जानकारी रखते थे, 18 तारीख की घटना के सम्बन्ध में जो जानकारी रखते थे और जिनको यह मालूम था कि एफ. आई. आर. में इस तरह की कमियां हैं, 18 तारीख को एफ. आई. आर. सही नहीं लिखी गयी, 18 तारीख को टैंकर जब्त नहीं किया गया, 18 तारीख को अमुक प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, उनका फर्ज था कि सदन को इस बात की जानकारी देते। मुझे व्यक्तिशः जानकारी नहीं देते, समझ में आ सकता है लेकिन सदन को इस बात की जानकारी देते। जानकारी नहीं देने की स्थिति में एक परिणाम निकलता है कि उस स्थिति को उन्होंने भी गम्भीरता से नहीं लिया। अगर गम्भीरता से लेते तो सदन में छोटी-सी बातों को लेकर एडजोर्नमेन्ट मोशन आते हैं तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में भी एडजोर्नमेन्ट मोशन आते और एडजोर्नमेन्ट मोशन यदि धारीवाल जी पहले ही रख देते तो यह घटना जिस गति में आयी है और जिस तरह से विस्तार हुआ है इसका विस्तार निश्चित रूप से रुक जाता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मन्त्री महोदय, इन आरोपों को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर): आप जिम्मेदार नहीं हैं क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आप कहेंगे कल को, मुख्य मन्त्रीजी, आप अधिकारियों को सस्पेण्ड करें।

एक माननीय सदस्य : आप यह मानते हैं, सरकार थी ही नहीं इसलिए यह दुर्घटना घटी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो भाषण दे नहीं पाऊंगा इनकी तरह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं हिण्डोली से चुनकर आया हूं और हिण्डोली में एक भी हादसा नहीं हुआ। हादसा हुआ है दो-तीन रोज पहले। यह पूरी जिम्मेदारी माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदीजी की थी। दो आदमी आन दी स्पाट मर गये, दो आदमी अस्पताल में दम तोड़ते रहे और आपने जिक्र नहीं किया। यह सारी जिम्मेदारी सरकार की और जिला प्रशासन की बनती थी। आप हम पर जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकते। आप जिम्मेदारी से कन्नी नहीं काट सकते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं न उससे कन्नी काटता, न कोई तथ्य आपके सामने छिपाता। मैं तथ्य ही रख रहा हूं, लेकिन धारीवाल जी थोड़ा मन में विचार करो कि आप आज जिस जोश में बोल रहे हो, यह 18 तारीख के बाद में 20 को बोल जाते, 22 तारीख को बोल जाते, 25 तारीख को बोल जाते तो उस दिन सरकार जिसको आप कह रहे हैं कानों में तेल डालकर सो रही थी, वह सरकार सक्रिय होकर इस प्रकार की मौतों से लोगों को बचा सकती थी। मेरा कहना इतना सा ही है, इससे ज्यादा आप कोई अर्थ नहीं निकालें। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ...

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : हमारे बोलने से आप कितने-कितने काम करते हैं, वह बताइये। कौनसा काम आपने हमारे बोलने से किया, इसमें तो आप बुरी तरह से फंसे हुए हो। आप टालने की कोशिश मत करो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं फंसा हुआ हूं कि नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं खेतसिंहजी, आप मुख्य सचेतक हैं, आप कोटा गये? आपके कोई नेता गये? ....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके पहले गये हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपसे पहले गये....(व्यवधान) आपसे ज्यादा धन दिया। कौन नहीं गया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये तो वहीं के हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भुवनेश चतुर्वेदीजी गये और जाकर के 25 लाख रुपया दिलवाया। आपकी मेडिकल कॉलेज की टीम बाद में गयी, आल इण्डिया मेडिकल इस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को प्रधान मन्त्री जी ने पहले भेजा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप जानकारी के 100 घण्टे बाद गये।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : हमें पता नहीं था कि सरकार इतनी

(श्री रामनारायण मीणा)

+++ हो चुकी है। सरकार की +++ का पता चल जाता तो हम पहले ही चले जाते।....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : प्रतिपक्ष के नेता ने मामला उठाया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मन्त्री महोदय, आपका प्रोग्राम 13 और 14 तारीख का पहले से फिक्स था। आप इस दुखान्तिका पर शोक प्रकट करने के लिए कोटा नहीं पधारे। मेरा स्पष्ट आरोप है, आपको सिमको का उद्घाटन करना था और चम्बल फर्टिलाइजर के बिरला सेठ का खाना खाना था, आप इसलिए पधारे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां, बिल्कुल सही है कि 14 तारीख को मेरा कोटा में पहले से कार्यक्रम निर्धारित था। मैं एक दिन पहले केवल इसी दुखान्तिका का अध्ययन करने के लिए गया हूं। 13 तारीख का प्रोग्राम नहीं था लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, प्रतिपक्ष में बैठे मित्रों से, सहानुभूति हाउस में बड़ी प्रकट की है, किसी मृतक के परिवार के घर में पहुंचे हैं क्या? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हम गये हैं.... (व्यवधान) किसके नहीं पहुंचे। जहां पहुंच सकते थे, वहां-वहां पहुंचे। (व्यवधान) आप जाकर आये हो क्या? बता दो हमें।

एक माननीय सदस्य : जहां आपका मन्त्री पहुंचने के बाद एक भी रुपये की दवाई उपलब्ध नहीं करायी गयी। अभी मैं मांगरोल में घर-घर में जाकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मान गया भाई, मैं मान गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो आदमी 18 तारीख को स्पॉट पर मरे लेकिन आपके मन्त्री मण्डल का कोई सदस्य वहां पर नहीं गया, अस्पतालों में नहीं पहुंचा जबकि मुन्नानाथ जयपुर अस्पताल में दम तोड़ गया लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): मुख्य मन्त्रीजी, मैं समझता हूं कि अपने मन्त्री मण्डल के सदस्यों को ही इंगित कर रहे हैं कि वे नहीं गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर पूछना चाहता हूं कि धारीवालजी मृतक के परिवार ने सारा किस्सा बताया, इस हाउस में जानकारी क्यों नहीं दी। यह जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, "राजस्थान पत्रिका" में लिखा है कि मुख्य मन्त्रीजी ने कितनी गम्भीरता से इस बात को लिया है। वह गम्भीरता आपकी क्या है, आपने 9 तारीख को रघुवीर सिंह जी कौशल को और अनंग कुमारजी को भेजा और 10 तारीख को हैलीकाप्टर पर, हैलीकाप्टर का

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(126)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जो उपयोग राजस्थान सरकार कर रही है, रासलीला का उद्घाटन करने भी मन्त्री हैलीकाप्टर में जाते हैं....(व्यवधान) हां यह निश्चित आरोप है मेरा, जो कम खर्च की बात करते हैं, खर्चा बचाने की बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, एक मिनट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं विषय पर ही आ रहा हूं, आपकी गम्भीरता का उल्लेख किया।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी एक मिनट, आप सब लोग चाहते हैं कि विषय गम्भीर बना रहे, please, hear him. और जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब मुख्य मन्त्रीजी की स्टाइल से भले ही आप कुछ समझें लेकिन उनका कहने का मतलब जो मेरी समझ में आया है वह यह आया है कि उस समय जब घटनाओं की शुरूआत हुई, किसी ने भी उसको एंटिसिपेट नहीं किया कि यह कोई बड़ी दुर्घटना होगी। उस समय उसको नार्मल-वे में लिया गया। शायद अस्पताल वालों ने भी यह समझा कि जले हुए केस आये हैं, किसी ने भी उसकी तह में जाने की कल्पना नहीं की कि यह बहुत बड़ी घटना होगी.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो वहां बिराजे हैं उनकी जिम्मेदारी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम यही तो कहना चाह रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी अब भी सीरियस नहीं हैं। नॉन-सीरियस हैं। डि-प्रेशर करना चाहते हैं। किसी बात का गम्भीरता से जवाब देना ही नही चाहते। आप माननीय सदन के नेता से ही कहें कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें....(व्यवधान) इसको केजुअली ट्रीट नही करें। ये नहीं गया, वो नहीं गया, इससे क्या समस्या का हल होगा।

श्री अध्यक्ष : एग्जेक्टली, इसीलिए उसको गम्भीरता के हिसाब से ही, मैं जो बता रहा हूं, गम्भीरता के हिसाब से ही बता रहा हूं। घटना ने जो टर्न लिया उसके बारे में जब घटनाओं की शुरूआत हुई तो किसी ने एन्टिसिपेट नहीं किया कि यह कोई बड़ी दुर्घटना से सम्बन्धित है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं गम्भीरता की बात बता रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी ने गम्भीरता से इतना लिया कि जनता में इस बात की चर्चा है। 8 तारीख को रघुवीरसिंह जी कौशल और अनंगकुमार जी को भेजा। 9 तारीख को माननीय चतुर्वेदी जी और राजेन्द्रसिंह जी राठौड़ और रामप्रताप जी को भेजा। इनको भेजने के बाद में 11 तारीख को अपने निजी सचिव श्री सुनील अरोड़ा साहब को इसलिए भेजा कि.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : सी. एम. साहब ने इस बात को स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : 9 तारीख के बाद की बात है न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मन्त्रीजी बहुत बिजी रहे। जनता इस बात की मजाक उड़ा रही है कि मुख्य मन्त्री जी ने अपने कलिग, यहां के वरिष्ठ सदस्य रहे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हैं और मन्त्री मण्डल के आज सदस्य हैं, उनको भेजने के बाद में भी गम्भीरता काहे में दिखायी कि एक अपना निजी सचिव भेजा।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्रीजी यह कहते हैं कि राजीव ब्रिगेड ने यह सूचना नहीं दी, मुख्य मन्त्रीजी यह नहीं कहते कि डिविजनल कमिश्नर ने सूचना क्यों नहीं दी, इनके कलक्टर ने सूचना क्यों नहीं दी, इनके डी.एस.ओ. ने सूचना क्यों नहीं दी, इनके एस.पी. ने क्यों नहीं दी, इनके डी.आई.जी ने क्यों नहीं दी। इस प्रकार के दृष्टिकोण को बदल कर कम से कम गम्भीरता से इस मामले को लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कइयों की शक्ल और कइयों के स्वभाव से चाहे वे कितनी भी गम्भीर बात कहें, गम्भीरता प्रकट ही नहीं होती है।

श्री जगदीप धनखड़ : पर हमको बरदाश्त करना ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब धनखड़ साहब बोल रहे हैं तो बोलने से इनका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, कोई आदमी अनुमान नहीं लगा सकता कि हंसते हुए चेहरे में कोई सीरियस बात कह रहे हैं। इसलिए कइयों का स्वभाव, कइयों के बोलने की प्रकृति और कइयों की शक्ल, इन सब चीजों का मिलाजुला असर होता है कि कौनसी बात कितनी गम्भीरता से ली जा रही है।

श्रीमती कमला : मेरा एक हल्का सा निवेदन है, और मौकों पर आप इस तरह के स्टाइल में अगर जवाब दें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले में कम से कम इस तरह से जवाब नहीं दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस सम्बन्ध में आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं गम्भीर हूं और गम्भीरता से इस सारे मामले को मैंने लिया है। यदि गम्भीर नही होता तो मिनिस्टर्स की टीम दो बार नहीं भेजता, सरकारी अधिकारियों को नहीं भेजता, मेडिकल कॉलेज के यहां के बर्न यूनिट के एक्सपर्ट्स को नहीं भेजता और खुद भी नही जाता। पूनमचन्दजी, आप तो स्पीकर रहे हुए हो। मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि गम्भीरता में किसी प्रकार की कमी नही हुई पर आप लोगों से जानकारी करना चाहता हूं कि फतेहपुर में शराब के काण्ड में 30 व्यक्ति मर गये और सरकारी शराब थी। इसमें इण्डियन ऑयल कम्पनी नहीं आ रही है। यह राजस्थान में आबकारी विभाग जो शराब उत्पन्न करती है उस शराब को पीने से मेरे ख्याल से 30 आदमी मर गये। अब 30 आदमी मर गये, मुझे सूचना मिली, मैं न तो मुख्य मन्त्री था, न विपक्ष का नेता था, न विधायक था लेकिन मैं दूसरे दिन वहां पहुंच गया.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : चुनाव नजदीक थे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : सी.एम. साहब के कितनी गम्भीरता है, इस बात को किस बात से जोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी, देखिये,

(श्री अध्यक्ष)

आप एक तरफ तो गम्भीरता की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब भाषण गम्भीरता की ओर जा रहा है तो उसको रोकते हैं, सुन लीजिये एक बार, 5–10 मिनट शांति से सुन लीजिये। जब आपको लगे कि गम्भीर हो गया है तब बोलना। अब आप बोलने तो दोगे.... (व्यवधान) चार वाक्य नहीं बोलेंगे और आप खड़े हो जाओगे। इससे गम्भीरता नहीं आयेगी। आप बैठिये राधेश्याम जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज यह मांग की जा रही है कि इस मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्क्वायरी करायी जाए। मैं इस विषय पर बाद में कहूंगा लेकिन उस समय कोई कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में सदस्य नहीं था क्या कि 30 आदमी मर जाए और हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करायी जाए, इसकी मांग करना भी क्या वाजिब नहीं था ?

श्री राधेश्याम : इस इश्यु को उस इश्यु से क्यों जोड़ रहे हो। यह इश्यु अलग है। अगर उस सरकार ने अच्छे काम नहीं किये तो उसका मतलब आप भी नहीं करेंगे।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सबसे पहले हमने सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस बात की मांग की कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हम सबसे पहले वहां गये हैं और भैरोंसिंह जी गये हैं, उसके पहले गये हैं। हमने वहां लोगों की मदद की है। आप यह कह रहे हैं कि मांग नहीं की है। हमने की है, कांग्रेस ने की है सबसे पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है, मांग की है और उस मांग के ऊपर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): कांग्रेस चार दिन बाद सक्रिय हुई वहां पर क्योंकि कांग्रेस को तो वहां दूसरा नजारा नजर आ रहा था, कांग्रेस वहां कहां सक्रिय हो रही थी।.. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच शायद डिस्ट्रिक्ट जज को दी गयी। तीस आदमी मर जाए, सरकार शराब सप्लाई करे और उस शराब के कारण से लोग मरें, उसकी जांच डिस्ट्रिक्ट जज से करायी। अब ऐसी स्थिति में आप मांग कर रहे हैं। हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें उठायी। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को जिस ड्रम में माचिस....

कई माननीय सदस्य : 18 को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 18 तारीख को जिस ड्रम में आग लगने के कारण से पटाखा हुआ, उसमें बम ब्लास्ट सा हुआ, एक-एक मील में मकान हिल गये, दो-दो मील तक झटके लगे, अब यह सब कुछ हुआ, मैं कह रहा हूं न, यह सही होगा, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस दिन टैंकर्स में से जितने भी ड्रम भरे थे वह सारे ड्रम पुलिस ने जब्त किये, जब्त करने के बाद में उनके नमूने लिये और नमूने लेकर एफ.एस.एल. के लिए भेजे। उस एफ.एस.एल. की रिपोर्ट हमको मिली, उसके पहले जिस समय यह तेल का कांड हुआ उस समय आई.ओ.सी. को लिखकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया गया डी.एस.ग्रो. की तरफ से कि यहां पर इस प्रकार की घटना हुई है, यह तेल कैसा है, इसमें कोई मिलावट है या नहीं ? ग्राई.ग्रो.सी. ने लिख कर दिया – ग्रापके पत्र संख्या सो एण्ड सो दिनांक 29.2.94 के सन्दर्भ में हम ग्रापको सूचित करते हैं कि 18.2.94 को श्री सीताराम दिनेशकुमार का एक.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : यह 28 का महीना है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 19 तारीख है श्रीमन् ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 19 तारीख का लेटर है वह लेटर फोटोस्टेट कापी होने के कारण से मेरे पढ़ने में नहीं ग्रा रहा है, मैं ग्रभी उसको पढ़ दूंगा। उसका मतलब यह था कि यह कैरोसीन है ग्रौर इसमें कोई मिलावट नहीं है । यह इत्तला उन्होंने ग्रपने यहां जो जयपुर में इनके ग्राफिसर इन्चार्ज है यहां इनको भी इस प्रकार की सूचना दे दी ...

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी तारीख को ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 19 तारीख का लेटर है उनका, 19 का रैफर किया हुग्रा लेटर है, 18.2.94 को सीताराम दिनेशकुमार का टैंकर नं. सो एण्ड सो में कैरोसिन ही भरा गया था । यह उनका लेटर है ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : कैरोसिन ही भरा गया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैरोसिन ही भरा गया था, इसका मतलब कोई ग्रौर नहीं था । यह ग्रगर लिख देते कि कैरोसिन भी भरा गया था तो ग्रर्थ दूसरा हो जाता। कैरोसिन ही भरा गया था इसका मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं थी । ग्रध्यक्ष महोदय, इस सारे कांड को इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, यह मेरी समझ में ग्रौर मेरी याददाश्त के ग्रनुसार शायद देश में पहली घटना है कि इस प्रकार की मिलावट पकड़ी गयी है ग्रौर....

श्री विष्णु मोदी : कोचीन में भी हो चुकी है, छह ग्रादमी मरे थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोचीन में हो चुकी होगी, ग्रापको जानकारी होगी ऐसी घटनाग्रों की कि किस-किस तरह से पैट्रोल में डीजल मिलता है ग्रौर डीजल में तेल मिलता है। मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को यह सूचना दी ग्रौर उसके बाद में पुलिस ने जो नमूने एफ.एस.एल. के लिए भेजे उन नमूनों के ग्राधार पर यह बात एस्टेब्लिश हो गयी कि इसमें मिलावट थी ग्रौर उस मिलावट के कारण से यह सारी गड़बड़ हुई है । इसलिए जहां तक 18 से लेकर इस तारीख तक का सम्बन्ध ग्राता है उस समय तक पुलिस ने, जो भी कार्यवाही की जा सकती थी, कार्यवाही की है । प्रश्न यह ग्राता है कि प्रशासन सो क्यों रहा था। यह एक बड़ा मोटा प्रश्न है । इसमें दो बातें हो सकती हैं कि, जो भी घटनाएं ग्रा रही थीं, प्रत्यक्ष में झालावाड़ में, कोटा में ग्रौर बूंदी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में जितने भी पेशेन्ट मिले हैं उन सारे पेशेन्ट्स से मैंने बात की और बात करने के बाद में सब ने एक बात कही कि चिमनी जल रही थी, उस चिमनी का जलते हुए ढक्कन उतारा और उसमें केरोसिन डालना चाहते थे उस समय वह भभक गयी और भभक कर आग लग गयी जिसमें मैं जल गया; मेरे बच्चे जल गये, यह इस तरह की बातें थीं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह जानकारी होगी कि राज्य में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, तेल जलने की घटनाएं पहले भी आती रही हैं इसलिए यह मनुष्य के स्वभाव में आप कोई यह समझें कि उसमें यह भूल नहीं हो सकती कि इस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने ऐसा नहीं लिया कि इसमें कोई ज्वलनशीलता ज्यादा बढ़ गयी और इसके कारण से यह सारी घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन यह नोटिस में आया वह चाहे झालावाड़ हो, चाहे कोटा हो, चाहे बारां हो, सब लोग इसमें सक्रिय हो गये, सबने प्रचार कराया कि इस तेल का उपयोग नहीं किया जाए। तेल को जब्त किया गया, तेल को नष्ट कराया गया, दूसरे तेल वितरण की व्यवस्था की गयी, उपचार की व्यवस्था की गयी, यह सारी बातें हुई।

अध्यक्ष महोदय, ह्यूमन बिइंग और ह्यूमन बिइंग में एरर आफ जजमेंट होना, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बात को आप, धनखड़ जी खास तौर से लेंगे क्योंकि वह हमेशा वकालत करते रहे हैं, एरर आफ जजमेंट के आधार पर इन्होंने कितने लोगों को बचाया होगा, कितने लोगों को फंसाया होगा, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जजमेंट का एरर है, आज मैं यह कहता हूं कि कलक्टर, एस.पी. या कमिश्नर का एरर आफ जजमेंट हुआ है, हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता यह भी कह सकती थी कि विधान सभा में मामला नहीं उठा कर हमने भी एरर आफ जजमेंट किया है। अध्यक्ष महोदय, हम इतना सा कोई काम करेंगे उससे कोई काम नहीं चलना। मैं इस चीज को सीरियसली लेता हूं कि इस प्रकार को जानकारी होनी चाहिए थी, जिस समय यह ब्लास्ट हुआ उसका, दो आदमी मरे उसका, उसके बाद में हास्पिटल में लगातार जले हुए व्यक्ति भर्ती हो रहे हैं, उस समय ही मामला सीरियसली ले लेना चाहिए था कि यह संख्या क्यों बढ़ रही है, यह संख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या है। पिछले एक वर्ष में, मैंने पूछा है सारे आफिसर्स से कि पिछले एक वर्ष में कितने केसेज इस प्रकार के आये हैं जिनमें लोग जले हैं, जल कर मरे हैं, सारे हास्पिटल्स से मैंने आंकड़े लिये हैं और इस तरह की घटनाएं रिपीटेडली वहां आती रही हैं और आते रहने के कारण से मैं ऐसा समझता हूं कि वह इसके सीरियसनैस का अन्दाज नहीं लगा सके कि इसमें ज्वलनशीलता होने के कारण से लगी है या साधारण केरोसिन तेल के कारण से आग लगी है, यह एक एरर आफ जजमेंट का सवाल है, एक एरर आफ असेसमेंट का सवाल है और इस एरर में, अब आप कोई यह चार्ज लगायें कि सरकार इस प्रकार का एरर जानबूझकर कर रही है या सरकारी अधिकारियों ने जानबूझ कर इस प्रकार की स्थिति की है, मैं समझता हूं कोई सरकारी अधिकारी या मन्त्री या सरकार इस चीज को एरर आफ जजमेंट के नाम पर छोड़ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को तैयार नहीं है, प्रश्न यह आता है कि सरकारी अधिकारी का क्या इन्ट्रेस्ट था कि लोग मरते रहें, वह चुप बैठा रहे। आखिर प्रशासन किस लिए है। आज प्रशासन इसी लिए है कि यदि इस प्रकार की घटना हो तो उनकी रोकथाम की जाए, उनका एक एरर आफ असेसमेंट हो सकता है और एरर आफ असेसमेंट को लेकर हम यह कहें कि सारा प्रशासन सो गया, सब कुछ सो गया, कुछ नहीं हुआ। प्रशासन का असेसमेंट तो आप इस आधार पर करिये कि जिस दिन प्रशासन को जानकारी मिली, जानकारी पहले मिल जानी चाहिए, वह नहीं मिली, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया लेकिन मिल गयी उसके बाद में क्या प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की? अगर दोनों पार्ट्स में देखें तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जानकारी जो सात तारीख को मिली, यह जानकारी यदि एक तारीख को मिल जाती तो....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको 18 को ही जानकारी मिल गयी। यह एफ. आई. आर. में 285 में 18 तारीख को केस रजिस्टर हुआ है और 285 में साफ लिखा हुआ है – कम्बस्टिबल मैटेरियल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब हो गया वह तो। अध्यक्ष महोदय, यह कोई तमाशा है क्या।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी, बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक थानाधिकारी ने ही यह जांच कर ली कि इसमें कोई न कोई ज्वलनशील पदार्थ था। 18 की शाम को ही आपको जानकारी मिल चुकी थी। आप सात तारीख तक का जो गेप, यह पीरियड लेना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये न, सुन तो लीजिये पूरी बात।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गलत तथ्य बताये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुन तो लो। बोल रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 18 तारीख को साबित हो गया कि प्रशासन; लोकल प्रशासन की जानकारी में आ गया....

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिये, एक-एक बात को ..इस तरह से ..कैसे साबित करेंगे, वह एक लैटर पढ़ रहे हैं, इनका है यहां का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह ज्वलनशीलता का पता यदि पहले लग जाता तो सरकार उस रूप में कार्यवाही करती। सरकारी अधिकारी भी उस रूप में कार्यवाही करते। जो कुछ भी इसमें सहायता दी जाती है, सहायता भी उसी आधार पर दी जाती है, यह सारी बातें उसी आधार पर चलती हैं। आप 18 तारीख की एफ. आई. आर. का जिक्र कर रहे हैं (व्यवधान) यह क्या तमाशा लगा रखा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पुलिस की कार्यवाही है जिसमें आई.पी.सी. का सेक्शन लगाया गया है, 285। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, 285 जब ही लगता है जबकि ज्वलनशील पदार्थ हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने मान ली आपकी बात। बिलकुल सही है। ठीक है। मैं बता रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : यह सरकारी रिकार्ड है, सरकारी रिकार्ड को आप अपना नहीं मान रहे हो गया ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रिकार्ड आपके पास है। आपके अधिकारियों को जानकारी 18 तारीख को ही मिल गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18 तारीख को जानकारी मिली, उसके बाद लैटर भेजा और इण्डियन आॅयल कम्पनी ने यह लिख कर भेज दिया कि इसमें....

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब आप एक बार सुन लीजिये। यह तो ठीक नहीं है, देखिये, यह डिबेट नहीं हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें तथ्य ही गलत बताये जाएंगे। ऐसी दुर्खान्तिका ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : फिर आप। बिलकुल खुल कर जितना बोलते हैं, सबको बोलने का मौका दिया, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने आपको रोका नहीं, आपको जो समझ में आया आपने कहा। मुझे एक बात बताइये, मैंने यह भी सुना है कि सदस्य यह बोल गये कि वह मुस्लिम थे, शिड्यूल्ड कास्ट के थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया; यानि कहां-कहां से लोग बोलते हैं, उनकी मर्जी में आये... (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : यह वास्तविकता है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। उनकी मर्जी की बात है इसलिए हर आदमी अलग-अलग तरीके से बोलता है। आप शांति से सुनते रहिये। आप सुनने की शान्ति रखिये।

श्री रामनारायण वर्मा : यह वास्तविकता है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बोलते हैं तो फिर उत्तर भी सुनिये। केवल बोलना ही नहीं है, उत्तर शांति से सुनिये और फिर कोई बात हो तो देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस 18 तारीख का जिक्र किया गया है, मैंने उसके सम्बन्ध में जानकारी इस सदन में दी है कि 18 तारीख को इस सारी घटना के बाद वहां के डी.एस.ओ. ने लैटर भेजा और उस लैटर का जवाब 19 तारीख को आ गया। उस समय जो फोटो कापी थी मैं पढ़ नहीं पाया, अब उसको पढ़कर फिर सुना देता हूं।

जिला रसद अधिकारी, कोटा। महोदय, आपके पत्र संख्या–रसद/केरोसिन/94/2304, दिनांक 19.2.1994 के संदर्भ में हम आपको सूचित कर रहे हैं कि दिनांक 18.2.1994 को मैसर्स सीताराम दिनेशकुमार के टैंकर नम्बर आर.जे.आर. 4407 में केरोसिन ही भरा गया। यह सूचना आ गयी। अब यह ठीक है, इस सूचना के आधार पर जो आगे कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह कार्यवाही नहीं हुई। अब मैं इतना कहना चाहता हूं.... (व्यवधान) यह मालूम पड़ा, उसी के आधार पर वह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गिरफ्तार हो गये, उनको किसी ने छोड़ा नहीं है, इस आधार के ऊपर यह सारा मामला बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, अब सारी स्थिति में इस सारे प्रकरण को इस आधार पर देखना पड़ेगा कि....

श्री परसराम मदेरणा : मेरा प्रश्न यह है कि डी.एस.ओ. ने लैटर क्या लिखा है? वो मिलना जरूरी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो डी. एस. ओ. को लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, डी. एस. ओ ने लैटर क्या लिखा था....

श्री भैरोंसिह शेखावत : डी.एस.ओ. ने जो लैटर लिखा है वह लैटर मैं अभी बता देता हूं। उसमें आप यह विश्वास करके चलिये जो रिकार्ड है वह रिकार्ड खुला है और इस विधान सभा से उस रिकार्ड को या किसी दोषी व्यक्ति को बचाने का या रिकार्ड को छिपाने का हमारा कोई प्रयत्न नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि मैं नहीं समझता कि मेरा कोई सरकारी अधिकारी इतना निकट का आदमी है। यह डी. एस. ओ. की चिट्ठी बता देता हूं – विषय-बाबत दी जाने वाली सूचनाएं....(व्यवधान) मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि किस बात के लिए छिपायी जाए? कोई छिपाने का रहस्य हो या छिपाने से हमारा कोई स्वार्थ हो या...

श्री परसराम मदेरणा : छिपाने का नहीं है। अगर डी एस.ओ. को यह सस्पीशन हो गया कि इसमें कम्बेस्टेबिलिटी और इन्फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है और तभी लैटर लिखा होगा और लैटर लिखा तो उन्होंने छिपाया, उन्होंने कन्सपाइरसी की, वह बात अलग है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लैटर लिखने का मतलब यह है कि यह आर्डिनरी कैरोसिन नहीं है, इसमें कोई न कोई गड़बड़ है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह बताइये। हां, यही होगा।

श्री परसराम मदेरणा : लैटर लिखा होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह छिपाने की बात है, जब उसने लैटर लिखा है तो लैटर सदन में आप पढ़ दीजिये, उससे यह जानकारी हो जायेगी कि उन्होंने उसका किस तरह से असेसमेंट किया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जो कह रहे हैं, लैटर के वही कंटेंट्स होने चाहिए जो आपने अभी कहे हैं और उसका जवाब उन्होंने दे दिया और जवाब देने के बाद सहज ही जब वह सप्लाई करता है और वहां के आफिसर सर्टिफाइड करते हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पर कि इसमें केवल कैरोसिन ही है, अविश्वास करने का उस समय कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि तेल के ढोलों में भी, मेरी जानकारी है कि कई बार माचिस के कारण से आग लगती है, ढोल फूटते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वह तेल का ढोल भर रहा था, भरने के ऊपर उसने गेज डाला और गेज डालकर गेज को चैक करने के लिए, अन्दर से माचिस की तिल्ली जला कर वह देख रहा था कि गेज सही है या गलत। अब तेल के नजदीक पहुंच जाए माचिस तो कई बार भभक जाता है। आप यह समझिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि तेल के ढोल में माचिस दी और माचिस के कारण से तेल भभक गया, तेल में आग लग गयी, यह कई बार ऐसा होता है, इस को आप इन्कार करके मत चलो और कई घटना इस प्रकार की हुई हैं। अब उसके बाद इस सारे प्रसंग में एफ.एस.एल. की जांच करायी, एफ.एस.एल. की जांच रिपोर्ट आ गयी और जांच रिपोर्ट में यह साफ आ गया कि इसमें जो फ्लेश पाइण्ट है, शायद 7 पर्सेण्ट या इतना बताया और 7 पर्सेण्ट बहुत लो है और उसकी ज्वलन शक्ति अपने आप ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिस समय एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आ गयी उस समय बिलकुल सिद्ध हो गया कि इण्डियन् ऑयल कम्पनी ने इस तेल में मिलावट को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मिलावट चाहे उनकी जानकारी में हुई, उसको छिपाने की कोशिश की, अगर उस समय यह माल बंटता नहीं और रुक जाता तो इस प्रकार की यह दुखान्तिका किसी प्रकार से भी नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यहां यह उठाया गया, वह इस बात की भी चर्चा की गयी, यहां पर सरकारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इतना ही विश्वास से कह सकता हूं कि बचाने की कोई कोशिश नहीं है और इसी दृष्टि से मैंने सोचा, राजस्व बोर्ड के जो जुडीशियल मेम्बर हैं, उनसे इस बात की जांच करा ली जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि जुडीशियल मैम्बर से काम नहीं चलेगा तो हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं इन्क्वायरी करवा लूंगा। यह इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई तथ्य छिपाये नहीं जा सकते हैं और न छिप सकते हैं। कोई छिपाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं छिप सकते और क्यों छिपाये ? किसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसको छिपाने से ? अगर सारे सिस्टम में कोई खराबी आयी है, प्रशासनिक सिस्टम में, तो इस इन्क्वायरी से उस सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलेगा, कुछ सजेशन्स आयेंगे, कुछ रिकमन्डेशन्स होगी। इसलिए इस बात को छिपाने के लिए मैं नहीं कह रहा। एक बात मैं समझता था कि इमिजिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी हो जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाए मेरी इच्छा थी कि 15 दिन में रिपोर्ट मिल जाए, उस रिपोर्ट में डाक्टर्स का क्या दोष है, पुलिस का कितना दोष है, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के रूप में, बाकी के प्रशासन का कितना दोष है, वह जानकारी मिल जाए, तो जैसे आप कह रहे थे कि इनको निलम्बित किया जाए, मुकदमा बनाया जाए। उस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के आधार पर मैं एक्शन ले पाता और उसके बाद आवश्यकता होती तो मैं जुडीशियल इन्क्वायरी कराता। जुडीशियल इन्क्वायरी का चैप्टर मैंने बन्द नहीं किया है। आज मैंने जो इन्क्वायरी की घोषणा की है, माननीय सदस्य चाहे तो पुनर्विचार करें। मैं इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हूं, लेकिन जो इमिजिएट एक्शन मुझे लेना है, जुडीशियल इन्क्वायरी के अनाउसमेंट के बाद में इमिजिएट एक्शन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं ले पाऊंगा और यदि आपने यह कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करवाऊं और 15 दिन में उस बोर्ड की रिपोर्ट लेऊं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो लेप्सेज हैं, उन लेप्सेज के लिए जो सरकारी अधिकारी उत्तरदायी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मैं एक्शन लेऊंगा। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं...(व्यवधान) वह बिलकुल सही है। हटाने के लिए आप कहें। आप किस लिए नाराज हैं, मैं बताऊं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिन्होंने लापरवाही की है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कह रहा हूं कि जिसने गड़बड़ की है वह जेल में हो। मैंने जो बात कही थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी कराना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी से यह मालूम हो जाता है कि किस-किस आदमी की कितनी रेस्पान्सिबिलिटी है, उस रेस्पान्सिबिलिटी को उन्होंने डिस्चार्ज किया या नहीं किया। कौन-कौन कितना दोषी है, उनके खिलाफ ट्रांसफर से काम चलेगा या सस्पेंशन से काम चलेगा या और कोई मेजर इन्क्वायरी कराने से काम चलेगा। आखिर उसका असेसमेंट हो, आज तो हम सब भी गये। पहला हमारा काम था जो बीमार हैं, उनका उपचार हो, मृतक परिवारों की सहायता हो, दो काम के अन्दर सरकार का अधिकारियों का एक प्रकार से ध्यान रहा है। अब उसको देखने का मौका है कि किस-किस ने कितनी-कितनी गलती की हैं और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप विचार करें, मैं जुडीशियल इन्क्वायरी की आज ही घोषणा कर दूंगा। सीटिंग जज से मैं इन्क्वायरी कराऊंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे न तथ्य छिपाने हैं बल्कि इसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्फूर्ति आयेगी, एक तत्परता आयेगी। यदि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कई प्रकार की कमियां आयी हैं उन कमियों को दूर करने का एक प्रयास इसमें निश्चित रूप से होगा, लेकिन मेरा अनुभव है, परसराम जी का अनुभव है, चन्दनमल जी का है, पूनमचन्द जी का है, इस सदन के सीनियर सदस्यों का अनुभव है कि जिस मामले की हम जुडीशियल इन्क्वायरी करवाते हैं जुडीशियल इन्क्वायरी के कमीशन को मैं तो यह नहीं कह सकता कि....

(15.00)

आप एक महीने में रिपोर्ट देओ, दो महीने में रिपोर्ट देओ। मैंने कई जुडीशियल इन्क्वायरी बहुत बरसों से आज के एक-एक दो-दो वर्ष पहले से जुडीशियल इन्क्वायरी नियुक्त की थी आज तक वो रिपोर्ट नहीं आयी और जिसके कारण से एक्शन जो लेना चाहता था वह एक्शन नहीं ले पाया। और न वे जो उस समय सरकार में बैठे थे आज के प्रतिपक्ष के नेता लोग उस समय भी कोई एक्शन वे नहीं ले पाये। केवल एक ही जवाब मिलता था कि मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है। मैंने इस सिस्टम को चैन्ज किया कि सीधा जुडीशियल इन्क्वायरी पर पहुंचने के पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी करके प्रिलिमिनरी आधार पर यह असेसमेंट कर लेना चाहिए कि इसमें कौन-कौन अधिकारी किस सीमा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक दोषी हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेने के बाद में यदि फिर भी कुछ मामले बचते हैं तो उनकी जुडीशियल इन्क्वायरी करानी चाहिए। मैं प्रतिपक्ष के नेता पर छोड़ता हूं कि वह किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, वही व्यवस्था मैं स्वीकार करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर सहायता का प्रश्न आया, कइयों ने कहा कि मैं बहुत कंजूस हो गया। मेरे व्यक्तिगत रूप से तो कंजूसी का सवाल ही नहीं है। मैं यदि पैसा बचाता हूं तो जनता के लिये, खर्च करता हूं तो जनता के लिये। मैंने अपने प्रथम भाषण में भी यह बात कही थी कि कुछ पैसे हमने दिये हैं, कुछ पैसे भारत सरकार से मिलेंगे। अल्टीमेट रेस्पान्सिबिलिटी इण्डियन आयल कम्पनी की हैं। मामला कन्ज्यूमर्स कोर्ट में जाएगा और कन्ज्यूमर्स कोर्ट में जाकर, मैं आज तो कोई प्रीजज नहीं कर सकता लेकिन कन्ज्यूमर्स कोर्ट से भी इन मृतक के परिवारों को रिलीफ मिलेगी और फिर भी मैंने इस सदन को एश्योरेंस दिया है कि आई.ओ.सी. जितना पैसा दे, भारत सरकार कुछ सहायता दे और उस सहायता में राजस्थान सरकार की सहायता शामिल हो, फिर भी यदि कमी पड़ेगी तो राजस्थान सरकार उनके रिहेबिलिटेशन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न तो हमने इस काण्ड को छिपाया है, न इस काण्ड के दोषी व्यक्तियों को बचाने का हमारा किसी प्रकार का प्रयास है। जो कुछ घटना हुई है उसका जितना दु:ख आपको है उससे ज्यादा दु:ख मुझे भी है और इस दु:ख के कारण से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर पायेंगे उसी आधार पर मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। मेरा विश्वास है कि परसराम जी मुझे कहेंगे कि मुझे जुडीशियल इन्क्वायरी की तुरन्त घोषणा करनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी पहले करानी चाहिए, उसी प्रकार का फैसला राज्य सरकार का होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने रेवेन्यू बोर्ड के जुडीशियल मैम्बर्स से प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करने की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेवेन्यु बोर्ड के मैम्बर से तो होगी प्रशासनिक इन्क्वायरी, जुडीशियल मैम्बर से या हाई कोर्ट के जज से होगी जुडीशियल इन्क्वायरी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जुडीशियल मैम्बर को नहीं रख रहे हैं। दूसरे मैम्बर को रख रहे हैं क्योंकि वहां जुडीशियल मैम्बर रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट देने के लिये मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री चन्दनमल बैद : रेवेन्यु बोर्ड के जुडीशियल मैम्बर को क्यों नही बाध्य कर सकते ? he is a Member of Revenue Board.

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाध्य नहीं कर पाऊंगा। मुझे चन्दनमल जी कोई आपत्ति नहीं है मैं रेवेन्यु बोर्ड के जुडीशियल मैम्बर को दे दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : हां ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी उनसे करा लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी मांग यह रखूंगा कि प्रिलिमिनरी प्राइमाफेसी नेग्लीजेन्ट कौन-कौन ऑफिसर किस-किस स्टेज पर रहे, यह कोई फाइनल इन्क्वायरी नहीं है और इसलिए प्राइमाफेसी नेग्लीजेन्स या सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स या इन्टेन्सनल नेग्लीजेन्स या लापरवाही या असावधानीता इसमें 15 दिन का बहुत ज्यादा समय है। आप 10 दिन के अन्दर नतीजे पर पहुंच सकते हैं, 10 दिन के अन्दर यह रिपोर्ट आ सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 10 दिन में इसलिये नहीं पहुंच सकते कि सबके घर जाना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट रिकार्ड करने पड़ेंगे। 10 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होता तो I will be the most happy person. 150 लोग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हर सूरत में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी इस माह के अन्त तक समाप्त हो जानी चाहिए। आज 15 तारीख है। 15 दिन मिल गये आपको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सम्भव नहीं है।....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : 30 तारीख तक। 15 दिन कह रहे हैं ना आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 15 दिन में नहीं होगी। दो सौ-ढाई सौ आदमियों के स्टेटमेंट रिकार्ड करने हैं। गांव-गांव में जाना है। 15 दिन में सम्भव नहीं है। आप यदि चाहें तो मैं आर्डर यह कर सकता हूं कि 15 दिन में इन्क्वायरी कम्पलीट की जाए, लेकिन इन्क्वायरी ऑफिसर यदि कहे कि मैं 15 दिन में इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं कर पाऊंगा तो टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने ही यह कहा है कि 15 दिन में मेरे पास इन्क्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। आपने खुद ने कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आज भी कह रहा हूं। 15 दिन में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराने के लिए मैं आर्डर्स कर रहा हूं। लेकिन आप यह कहें कि 15 दिन में हो जाएगी, मैं कोशिश यह करूंगा कि सारे साधन उनको देऊं और साधन देने के बाद में वह इन्क्वायरी 15 दिन में खतम कर दें। लेकिन सारी इन्क्वायरीज का एक रिजल्ट है। आप चाहो तो कभी हाउस में मैं स्टेटमेंट रख सकता हूं कि जितने समय के लिए हमने इन्क्वायरी कमिश्नर अपाइंट किया, तीन महीने के लिए किया, डेढ़-डेढ़ वर्ष तक इन्क्वायरी चलती रही। मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि मैं आर्डर 15 दिन में ही करने के लिए करूंगा, 15 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि प्रिलिमिनरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्क्वायरी हो जाए रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स-अप हो जाए उसके आधार पर जो आगे कार्यवाही करनी है वह कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन मिल जाए।

श्री चन्दनमल बैद : ऑफिसर्स की नेग्लीजेन्स का पता लगाना है उसमें दो सौ-ढाई सौ आदमियों के बयानों की जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स ने क्या-क्या नेग्लीजेन्स की है। उनको आदेश मिलने के बाद, उनको जानकारी होने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं कदम उठाये हैं, इस बात का पता लगाने के लिए कि जो आदमी जला हुआ है या पीड़ित है उसका बयान लेने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसको घुमाने की कोशिश मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घुमाने से मेरा स्वार्थ पूरा होने वाला नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : हम तभी सन्तुष्ट होंगे जबकि 31 मार्च तक इसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी सदन में आ जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै एक बात और कह सकता हूं कि इसको घुमाने में मेरा स्वार्थ क्या है। कोई स्वार्थ नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्वार्थ तो है। मेरा स्वार्थ क्या है? मुझे इसमें लेना क्या है। आपने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता जो कहेंगे उसे मैं मन्जूर करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मन्जूर कर रहा हूं ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने कहा, आपने कहां मन्जूर किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें स्वार्थ तो नही है ना। खेतसिंह जी हमेशा स्वार्थ के बाहर कुछ सोचते ही नहीं हो।.... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 15 दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी समाप्त कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी की जाए मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो आप तैयार हैं लेकिन आप 31 तारीख को वापस कह दोगे कि मैंने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह रिपोर्ट नहीं आ सकी है तो फिर वहां की वहां रहेगी बात। यह नहीं, यह कहिये कि 31 तारीख को निश्चित तौर से हम यह जांच करा कर रिपोर्ट पेश कर देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विश्नोई जी बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेतसिहजी तो चाहते हैं कि पैट्रोलियम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए इनको तो। मुख्य मन्त्री जी का नहीं आप पैट्रोलियम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुख्य मन्त्री जी मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस मामले में प्रारम्भिक इन्क्वायरी में इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है क्या वह जिम्मेदार और दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन है। जिनकी यह कल्पना होनी चाहिए थी कि यह चीज हो सकती है या यह नहीं हो सकती है, इसमें मुख्य प्रश्न यह है। अपन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

एक-दूसरे को क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, क्लेम नहीं कर रहे हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि ज्वलनशीलता का पता सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को कब मिला और उसके बाद में उन्होंने क्या कार्यवाही की।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मुख्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मुख्य है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जल गया तो उसमें उनको नहीं पड़ना चाहिए था कि वे वहां से सर्टिफिकेट मंगवाते। उनके सामने प्रश्न यह था कि चार ढोलों में आग लग गयी और वहीं के वहीं लोग जल करके मर गये। मुख्य प्रश्न यह था। वह जो आप फरमा रहे हैं वह कानूनी पक्ष है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं मामला सैटल हो गया है। आपके प्रतिपक्ष के नेता के अनुसार 15 दिन का ही आर्डर कर रहे हैं। अब उस बात को कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें काहे की चिन्ता कर रहे हो। चर्चा समाप्त हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 दिन में, रिपोर्ट नहीं आयी तो हाउस नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : हां आयेगी। चर्चा समाप्त। प्रक्रिया के नियम संख्या 295 के जितने भी आज विशेष उल्लेख हैं वह सारे पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा नगरीय विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, ओमप्रकाश जी, बैठिये।

आप वित्त समिति का प्रस्ताव रख रहे हैं? रखिये, दोनों प्रस्ताव रखिये वित्त समिति का भी और यह भी। पहले कार्य-सलाहकार समिति का रख दीजिये।

सदन की कार्यवाही

कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन हेतु प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में दिनांक 16 मार्च, 1994 को आय-व्ययक वर्ष 1994-95 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना निर्धारित किया गया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अधीन 20 जून, 1991 को नियुक्त किये गये प्रशासकों की पदावधि 19 मार्च, 1994 को समाप्त हो रही है इस कारण राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जा कर पारित किया जाना आवश्यक है अतः कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन के आंशिक संशोधन का इस आशय का प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1994 दिनांक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

16 मार्च, 1994 को विचारार्थ लिया जा कर उसका पारण किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : किस वक्त?

श्री अध्यक्ष : कल।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब इस बहस के....

श्री अध्यक्ष : बाद में

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री ओमप्रकाशजी।

श्री राधेश्याम : पहले मेरा है, बीच में रहा हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कल बोलते-बोलते बीच में रह गये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे आज ही। हां, इसलिए मैंने स्पेशल मैन्शन पढ़े हुए मान लिये ताकि आपको बोलने का मौका जल्दी मिले, यही तो कर रहा हूं मैं और क्या कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम : नहीं, मेरा बीच में रहा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपका नाम है। कांग्रेस की सूची में सबसे ऊपर है आपका नाम....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 295 दिये हुए हैं और हमारा लग नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह सब पढ़े हुए मान लिये जाएंगे।

श्री रामनारायण : नहीं, मेरा तो लग ही नहीं रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लग रहे हैं सब के।

श्री रामनारायण : दो सप्ताह से नहीं लग रहे हैं मेरे तो ....(व्यवधान).... नहीं कहां लगा दिया जाएगा? इसमें सरकार की बात है क्या, सरकार की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समिति का रख रहे हैं आप? ओमप्रकाशजी, बिराजिये, एक मिनट। आर्डर प्लीज, वित्तीय समिति का प्रस्ताव है।

समिति गठन-प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति के समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1994-95 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1994-95 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1994-95 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तिय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री ओमप्रकाशजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बूंदी में पूर्व घोषित मास्टर प्लान लागू न करने से उत्पन्न स्थिति

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले का मुख्यालय बूंदी नगर है उसके बारे में-में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बूंदी नगर राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर और जबलपुर के मध्य आता है....

श्री अध्यक्ष : आप तो ध्यान आकर्षित करिये फिर बोल लेना। आप सवाल पूछ लीजिये, मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ जाए फिर सवाल पूछ लीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नगर नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कोटा में ही है। बूंदी नगर का मास्टर प्लान नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा ही तैयार किया गया है। उक्त मास्टर प्लान बनाने हेतु बूंदी नगर की वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था जिसके लिए विभाग के कर्मचारी बूंदी नगर में काफी दिनों तक रहे। अभी भी बूंदी के नगर नियोजन सम्बन्धी मामलों के लिए विभाग के अधिकारी बूंदी निरन्तर जाते रहते हैं तथा नगरपालिका एवं अन्य विभागों को आवश्यक तकनीकी परामर्श देते रहते हैं तथा बूंदी नगर की विभिन्न योजनाएं मास्टर प्लान के अनुसार ही बनायी जाती हैं।

बूंदी नगर में वर्तमान बस अड्डा जिला कलक्ट्रेट के पास पर्याप्त भूमि में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

स्थित है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जो वर्कशाप एवं डिपो विकसित किया गया है, वर्तमान नगरीय विकास के दृष्टिगत इसकी स्थिति उत्तम है क्योंकि यह पुराने शहर, अस्पताल, कलक्ट्रेट आदि के पास है तथा कोटा रोड, जयपुर रोड, चित्तौड़गढ़ रोड, नैनवां रोड आदि से जुड़ा हुआ है। इन्हीं बातों को देखते हुए मास्टर प्लान में नये बस स्टैण्ड का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

रेलवे लाइन बूंदी में अभी हाल में ही आयी है और रेलवे स्टेशन के पास के क्षेत्र में अभी विकास होना शेष है अतः वहां मुख्य बस अड्डा नहीं प्रस्तावित किया गया क्योंकि इसकी निर्जनता के कारण यात्रियों को मुख्य नगर में आने-जाने में काफी असुविधा होती है। वैसे मास्टर प्लान में रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन से सम्बन्धित विभिन्न उपयोगों के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित की गयी है। इस भूमि में एक छोटा बस स्टैण्ड भी आवश्यकता पड़ने पर बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई लम्बी बहस की आवश्यकता मैं नहीं समझता क्योंकि मास्टर प्लान बना था 1985 में और उसके आधार पर इस बस स्टैण्ड को यहां रखा था। जहां तक बस स्टैण्ड का सवाल है उसकी जगह तो पर्याप्त है लेकिन उसकी सवारियों को लेने के लिए बाहर या तो दुकानें लग गयी हैं या जीपें खड़ी रहती है इसलिए उससे असुविधा होती है मगर माननीय सदस्य का मानना है कि यहां से बस स्टैण्ड हटा कर जो नया रेलवे स्टेशन आया है वहां चला जाए तो मेरे को यह जानकारी दी गयी है कि लोगों को असुविधा ज्यादा होगी लेकिन फिर भी यदि आपका यह आग्रह है कि वहां लोगों को जाने से सुविधा होगी तो मैं सुझाव दूंगा कि हमारे जो टाउन प्लानर हैं उनके साथ माननीय सदस्य चले जाए और यदि यह ठीक समझते हैं, जनहित के लिए उपयोगी है. जनहित में अच्छा है तो इसमें कोई जिद की बात नहीं है किसी को भी वहां इसको बना सकते हैं लेकिन एक बार पुनर्विचार कर लें और जो सम्बन्धित हमारे अधिकारी हैं उसके साथ चर्चा कर लें, जैसा कहेंगे वैसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी जिला मुख्यालय बूंदी नगर में है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर और जबलपुर के मध्य है। बूंदी नगर पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। देवली मार्ग के चुंगी नाके से बूंदी में प्रवेश करते हैं। जब जयपुर से जाते हैं तो बायीं ओर नोवा सागर पार्क आता है और वहीं से बाईपास जाते हैं तो वहां से बूंदी का किला और पूरा बूंदी जो पहाड़ी के मध्य बसा हुआ है, बड़ा सुन्दर और बहुत अच्छा लगता है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुझाव बताओ आप.. (व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा सुझाव है कि बस स्टैण्ड जो वर्तमान में है वह उपयुक्त स्थान पर नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो कहां बनायें ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : लंका गेट के बाहर जो अभी आपने ढाई हजार बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है उसके पास ही बना दिया जाए। मास्टर प्लान जो आपने बताया है कि वहां पर जगह नहीं थी, छोटे बस स्टैण्ड की जगह है, वह गलत बतायी है। मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड की जगह दी है। मेरा निवेदन करना है कि लंका गेट के बाहर जहां अभी लोग बस रहे हैं, कॉलोनी बन चुकी है, धान मण्डी वहां पर है, कारखाने भी उधर हैं वहीं बस स्टैण्ड लगाया जाए। उधर ही राष्ट्रीय राजमार्ग भी आता है और उधर ही रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन वहां से दूर पड़ेगा। लंका गेट के बाहर ही अगर बस स्टैण्ड लगा दिया जाए तो बिलकुल बूंदी नगर के मध्य पड़ेगा और किसी को आपत्ति नहीं होगी। बस स्टैण्ड वहां लगाने से कई बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : यह एक ही मांग है न आपकी ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : यह इसी के लिए है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : बस स्टैण्ड के लिए।

श्री अध्यक्ष : तो इसके लिए मंत्रीजी तैयार हैं। आप बैठ जाइये टाउन प्लानर के साथ। कर लेंगे, हां बैठ जाइये आप इनके साथ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार पुनर्विचार कर लो।

श्री रामनारायण : यह बूंदी जिले का मामला है....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप पुनर्विचार कर लो, कम से कम कोई दिक्कत नहीं आये।

श्री रामनारायण : एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब बूंदी का मामला कुछ नहीं है। उनकी मांग वह मंजूर कर रहे हैं।

श्री रामनारायण : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बूंदी जिले का मामला है यह कोई बपौती नहीं है कांस्टीट्यूएंसी की, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि बस स्टैण्ड वहीं रहे, हटे नहीं....

श्री रामनारायण : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलने को नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि बस स्टैण्ड जो वहां बता रहे हैं लंका गेट के बाहर नहीं बने ?

श्री रामनारायण : यही तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं क्या आप यह चाहते हैं कि नहीं बने ?

श्री रामनारायण : मैं तो यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि बस स्टैण्ड का

(श्री रामनारायण)

मामला वहां से शिफ्टिंग का है और यह शिफ्टिंग का मामला नहीं हैं, बूंदी की तो यह हालत है कि रोजाना तो इनकी पार्टी बी.जे.पी. के कार्यकर्ता वहां प्रतिक्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रमण तो हटे।

श्री अध्यक्ष : आप कहां ले जा रहे हैं? आप चाहते हैं या नहीं? नहीं कोई कालअटेंशन नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण : जब तक वहां प्लान बनेगा वे करोड़ों की जमीन हड़प जाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। इसको रूकवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये हो गया। चलिये नैक्स्ट। आप कर लेना घर की ही बात है आपकी।

नैक्स्ट। श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामनारायण : सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिये कि....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

जयपुर शहर की अस्त-व्यस्त यातायात व्यवस्था

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या व वाहनों के कारण हो रही अस्त-व्यस्त यातायात व्यवस्था की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगरीय क्षेत्र की यातायात से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए, विभिन्न सड़कों की दशा सुधारने के लिए, रोड डवलपमेंट प्लान तथा चौराहों के विकास के लिए जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार किये गये हैं। ट्रकों को पार्किंग के लिए सीकर रोड तथा अजमेर रोड पर ट्रक स्टैण्ड बनाने का प्रावधान है। यातायात की समस्या के समाधान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नेट-पैक के सुझावों के अनुसार कार्यवाही जा रही है।

जहां तक रेलवे क्रासिंग एवं ओवरब्रिज बनाने का प्रश्न है, मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित स्थलों पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे अधिकारियों से वार्ता हुई है। प्रस्तावित स्थलों पर ओवर ब्रिज बनाने के कार्य को कार्य रूप में परिणत करने हेतु अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। एक साथ बड़ी मात्रा में धन की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है। अत: जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होगी, विभिन्न चरणों में इन ओवर ब्रिजों के कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा।

जहां तक पुराने शहर की व्यस्त सड़कों पर यातायात के भारी दबाव का प्रश्न है, पर्याप्त स्थल के अभाव में तथा शहर के वास्तविक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अजमेरी गेट पर पैदल चलने वालों के लिए एक भूमिगत मार्ग तैयार करवाया है। नगर निगम जयपुर ने राजस्थान हैण्डलूम एम्पोरियम के पीछे नगर निगम की सब्जी मण्डी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की दुकानों को हटाकर एक पार्किंग स्थल की जगह निश्चित की है जिस पर योजना बनायी जा रही है। इस पार्किंग स्थल के बनाने से एम. आई. रोड पर अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था होगी। इसी प्रकार जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट के पास स्थित रूई मण्डी में जौहरी बाजार क्षेत्र के लिए एक पार्किंग स्थल की योजना पर कार्य चालू है। इसके अतिरिक्त 15 अन्य स्थानों पर (सूची संलग्न है) भी पार्किंग की व्यवस्था और करायी जा रही है। बेहतर यातायात के प्रबन्धन हेतु चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगायी गयी है तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस विषय में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार प्रशासन जयपुर शहर की यातायात के समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप समुचित कार्यवाही कर रहा है।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी-बड़ी कुछ योजनाओं का जिक्र अपने उत्तर में किया है और उसमें पैसे के अभाव की बात कहकर उन योजनाओं को एक तरफ कर दिया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जयपुर में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और उसके कारण जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो जयपुर के सुधार के काम में उपयोगी हो सकती हैं। जैसे मुख्य बाजारों में जो यातायात की व्यवस्था है उसमें सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश है। माननीय मंत्रीजी ने जहां सड़कों के सुधार की बात कही है, उन सड़कों के सुधार में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि उसी सड़क पर रिक्शा भी चलता है, तांगा भी चलता है, रिक्शा ट्राली भी चलती है, ऊट लड्डा भी चलता है, टैम्पों भी चलते हैं, जो 12 सीटेड कहलाते हैं और उसके साथ-साथ मिनी बस और सरकारी बस भी चलती है। यदि आप एक बार चांदपोल से प्रवेश करें तो मैं समझता हूं शहर के दूसरे कोने पर जाते-जाते एक घन्टे का समय लगता है। जहां तक शहर में पार्किंग का सवाल है, उसमें भी सुधार की इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारी सड़कों को चौड़ा किया गया है। उसके बावजूद भी जो एक लाइन में पार्किंग रहनी चाहिए, अभी भी कई-कई लाइनों में पार्किंग की व्यवस्था रहती है जिसकी अनदेखी की जाती है और उसी के साथ-साथ जो एक ही रोड पर सब प्रकार के वाहन हैं, मेरा इस सम्बन्ध में भी सुझाव है कि कुछ वाहनों को इसमें प्रवेश से रोका जाए। जैसे लम्बे टैम्पो हैं ये सिटी में प्रवेश के लिए बन्द किये जाएं क्योंकि इसमें इतना धुआं निकलता है कि यदि उस टैम्पो के पीछे-पीछे आप स्कूटर से जाने का प्रयत्न करेंगे तो सारे के सारे कपड़े काले हो जाते हैं। जब एक टैम्पों से ही इस प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो शहर में सैकड़ों टैम्पो दिन भर चलते हैं, उनकी आवाज भी बहुत तेज होती है तो मेरा यह सुझाव था कि एक तो टैम्पो का शहर में प्रवेश बन्द किया जाए। प्राइवेट बसें भी शहर में लगा रखी हैं उन प्राइवेट बसों को भी किसी भी प्रकार से बाहर के रास्तों पर जो हमारे उप-नगर बने हैं उन्हीं में उनको चलाया जाए। उसके साथ-साथ न तो उनकी कोई

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

रुकाव की जगह निश्चित है और न ही इस प्रकार की व्यवस्था है इस कारण वह सड़क के बीच में ही खड़ी करके सवारी बिठा भी लेते हैं और उतार भी देते हैं।

मैं माननीय मन्त्रीजी आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो भी निर्धारित बस स्टैण्ड हैं उन बस स्टैण्डों पर शेड बनाये जाएं और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए पाइप लगा कर कि यात्री लाइन में खड़ा रहे और जब भी बस आये वह लाइन से उसमें बैठे और लाइन में ही उतरे। इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो बस भी बीच में खड़ी नहीं होगी और स्टैण्ड का भी उपयोग हो जाएगा।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे शहर की बात कह रहा था कि रात्रि के समय 10 बजे बाद भारी वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। जो वाहन जयपुर में बाहर से आता है और उसको अन्यत्र कहीं जाना होता है, जयपुर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप देखेंगे बाजार में से जब रात के 10 बजे के बाद ट्रक निकलने शुरू होते हैं तो इतनी तीव्र गति से जाते हैं, कभी-कभी तो उनकी स्थिति ऐसी बनती है, कई बार तो आपने देखा होगा त्रिपोलिया पर ट्रक उलट जाता है, गवर्नमेंट होस्टल के चौराहे पर ट्रक उलट जाता है। एक बार गैस का ट्रक वहां उलट गया। मैं समझता हूं इन ट्रकों की जिनका जयपुर में कोई काम नहीं उनको बाई पास से ही निकालने की व्यवस्था करें माननीय मन्त्रीजी, तो उसका दबाव काफी कम होगा क्योंकि 10 बजे शहर का ट्रैफिक बन्द नहीं होता। आवागमन बराबर शहर में चालू रहता है और उसी समय ट्रकों का प्रवेश होता है। तो मैं समझता हूं उनको भी किसी प्रकार से बाईपास से ही आप निकालने की व्यवस्था करायें।

इसी के साथ-साथ, कई बार बड़ी दिक्कत आती है, जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के पास बड़ी क्रेन नहीं है, एक ट्रक यदि उलट गया तो उसको खाली करने के बाद ही सीधा करने की व्यवस्था होती है। तो मैं इस व्यवस्था का यह सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में ऐसी बड़ी क्रेन रखें कि भरे ट्रक को ही एक बार किनारे करके ट्रैफिक को चालू करें।

इसी प्रकार स्टेशन और बस स्टैण्ड को भी सुधार की काफी आवश्यकता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा माननीय मन्त्रीजी को कि स्टेशन को इस प्रकार से कोई लाइन सिस्टम बनाया जाए। एक तरफ से आटो-रिक्शा एक लाइन में या दो लाइन में खड़े हों और जैसे-जैसे यात्री आता हो उस यात्री को लेकर एक-एक रिक्शा या एक-एक आटो रिक्शा निकलता रहे, वहीं पर कोई पुलिस कन्ट्रोल बूथ बनाया जाए और उसी स्थल पर जयपुर का एक बड़ा सा मेप बना कर उसकी कुछ दूरियों को दर्शाया जाए और वहीं पर कोई रेट-लिस्ट लगायी जाए कि अगर स्टेशन से गांधीनगर जाना हो तो अमूमन 15 रुपया लगेगा या 20 रुपया जो भी लगता होगा। उसके बिना बस स्टैण्ड में बड़ी दिक्कत होती है। बस स्टैण्ड पर भी आप कई बार देखते होंगे रिक्शा और आटो रिक्शा वाले अन्दर घुस जाते हैं और यात्री को कहेंगे आठ आना धर्मशाला, एक रुपया होटल। इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाते

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

हैं, उस यात्री का सामान भी हाथ में ले लेते हैं तो मैं यह चाहूंगा स्टेशन और बस स्टैण्ड पर कोई लाइन सिस्टम बनाया जाए। बस स्टैण्ड के सामने जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया सड़क काफी चौड़ी की है परन्तु फिर भी आटो-रिक्शा पीछे 10 फीट जगह छोड़कर खड़े होते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से उसको व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाए और जो आटो-रिक्शा पहले आये; पहले जाए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए तो उनको भी मजदूरी मिलने में सुगमता रहेगी और इसी प्रकार से आटो-रिक्शा में मीटर की समस्या को हम काफी दिनों से चर्चा में लेते हैं परन्तु उस पर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया इसलिए उनको भी इस प्रकार से और मीटर से चलाने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। जैसा कि मैंने सुझाव दिया था तांगा और रिक्शा, इनको हमारे उप-नगरों के लिए निश्चित कर दिया जाए शास्त्री नगर है, मालवीय नगर है, आदर्श नगर है। ऐसे अगर कुछ उप-नगरों में उनकी व्यवस्था कर दी जाए तो हमें शहर के यातायात में काफी सुगमता होगी। इसी के साथ-साथ इतने बड़े शहर में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते पर कोई सहायता केन्द्र नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि मुख्य मार्ग हैं जो हमारे नेशनल हाइवे से जुड़े हुए हैं ऐसे कुछ मार्गों पर इस प्रकार के सहायता केन्द्र बनाये जाएं जो सब उपकरणों से सुसज्जित हों। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, सूचना देते देते भी आधा घण्टा लग जाता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा कोई सहायता केन्द्र निश्चित रूप से बनाया जाए।

इसी तरह से ये जो बसें चलती हैं इन बसों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। इनमें इतनी तेज ये लाउड-स्पीकर्स, जिनको टेप रिकार्डर कहते हैं, बजाया जाता है और उनका स्टाफ तो इतना खराब होता है कि वे यात्री के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इस समस्या से माताएं और बहनें बहुत परेशान हैं इसलिए उनका भी बराबर ध्यान रखा जाए।

ट्रैफिक की दृष्टि से यहां पर जयपुर में कोई प्रशिक्षण हो इसके लिए मेरा एक सुझाव था। कुछ ट्रैफिक पार्क जयपुर में बनाये जाएं और ऐसे नये-नये जो नियम बनाते हैं ट्रैफिक की दृष्टि से, उन नियमों का प्रशिक्षण भी हमारे ट्रैफिक कर्मचारी हैं उनको समय-समय पर निश्चित रूप से दिया जाए। पिछले काफी समय से हम लोग देखते हैं, आते-जाते आपको भी लगेगा कभी सिग्नल पर सीधे और दांये निकाल देते हैं। किसी पर सीधे और बांये निकाल देते हैं। अब आज कोई एक नया सिस्टम बनाया, सीधे भी जा सकते हैं, बांये भी जा सकते हैं, दांये भी जा सकते हैं। यदि इतने प्रयोग हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बैठ कर इस पर विचार करना चाहिये। जयपुर शहर को देखते हुए काफी समय हो गया। उस पर कोई एक सर्वोच्च समिति बना कर कौनसे रास्ते में क्या कठिनाई आती है, उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो सुझाव दे रहे हैं वे अलग से भी दे सकते

(श्री अध्यक्ष)

हैं। सदन इसके लिए नहीं है। आप इनसे कुछ पूछना चाहें, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिये और मैं समझता हूं कि इनकी लिस्ट बनाकर मन्त्रीजी को दे दें तो इन्होंने कहा है कि वे सब चरणबद्ध करेंगे।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : मैं माननीय मन्त्रीजी से यही पूछना चाहता हूं कि इन सब सुझावों के सम्बन्ध में कोई कमेटी बनायेंगे ? कोई योजना बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछिये ?

श्री रामेश्वर भारद्वाज : उस योजना के तहत इनको लागू करेंगे ? क्योंकि विचार तो हम रोज करते हैं ये कब तक लागू कर सकेंगे यह मेरी माननीय मन्त्रीजी से आपके माध्यम से गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष : बस यह ठीक प्रश्न है आपका। बिराजिये। श्री कालीचरण जी बोल रहे हैं। अभी इनके नाम हैं। हां बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके कारण यातायात की जो अव्यवस्था है, उसके बारे में माननीय मन्त्रीजी ने जो दिया है वह बिलकुल भी पर्याप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आंकड़ों के आधार पर यह बताना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप या तो सुझाव दीजिये या सवाल पूछ लीजिये। वो आंकड़े तो सब जानते हैं....

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, इसमें नेटपैक योजना पर कार्यवाही जारी है। नेटपैक योजना क्या है, पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो सवाल पूछ लीजिये ना, सवाल पूछ लीजिये कि यह योजना क्या है ?

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, 1981 में जयपुर की जनसंख्या 9 लाख 66 हजार 677 थी और 1991 में जनसंख्या हो गयी 15 लाख 14 हजार 425, मोटर यान 1981 में थे 73,575 और 1991 में हो गये 3 लाख 282 और नगर का क्षेत्रफल जो रेडियस था 1981 में 18 किलोमीटर अब 55 किलोमीटर हो गया। परन्तु आपको यह आश्चर्य होगा कि यातायात पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वह जो 1989 में थी वही आज है। अभी यदि यही संख्या रहेगी; आज जयपुर शहर की यह स्थिति है कि जो इन्होंने 80 ट्रेफिक पाइन्ट बना रखे हैं वे खाली रहते हैं। वे इसलिए खाली रहते हैं कि इनके पास पुलिसकर्मी नहीं है। अगर कोई वी. आई. पी. आ जाए जयपुर में जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेण्ट आ जाए या और कोई मंत्री आ जाए तो सारे ट्रेफिक पाइन्ट खाली रहते हैं। इसके बारे में मन्त्रीजी क्या कर रहे हैं ? इसके बारे में इसमें कोई सुझाव नहीं दिया। मन्त्रीजी ने कहा कि रोड चौड़े किये जा रहे हैं। रोड तो चौड़े होते हैं परन्तु बिजली के खम्भे और टेलीफोन के खम्भे वहां ऐसे ही खड़े रहते हैं। दुर्घटनाएं आये दिन होती हैं। होना यह चाहिए कि जिस दिन आप रोड चौड़ी करने का टेण्डर पास करते हैं और रोड चौड़ी करने का काम करते हैं उसी दिन बिजली और टेलीफोन

(श्री कालीचरण सराफ)

के खम्भे भी वहां से स्थानान्तरित किये जाएगे, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 40 हजार ट्रक रोज आते हैं परन्तु उनके लिए कोई रिंग रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई बाई पास की व्यवस्था नहीं है। पूरे शहर के अन्दर से 40 हजार ट्रक गुजरते हैं। होना यह चाहिए कि इस प्रकार का रोड बनाया जाए कि जिन ट्रकों को जयपुर शहर के अन्दर नहीं आना है वे बाहर से ही चले जाएं। मेरे ख्याल से जयपुर में 40 हजार में से 2 या 3 हजार ट्रक ही जयपुर में आते होंगे परन्तु सारे ट्रक जयपुर शहर के अन्दर से होकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बाई पास भी शहर में आ गये सब के सब।

श्री कालीचरण सराफ : अब बाई पास सारे रेजीडेंशियल एरिया में आ गये। अब जवाहर नगर बाई पास है उसके दोनों तरफ बस्ती बसी हुई है। जब ट्रक चलते हैं तो जवाहर नगर में हाउसिंग बोर्ड के फ्लेट हैं वे कैसे हैं आपको भी पता है, आपका भी मालवीय नगर में फ्लेट है, वे किस प्रकार से हिलते हैं, कब वे गिर जाएं इसके बारे में मन्त्रीजी ने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यातायात के बारे में अब स्थिति बड़ी विचित्र है। यातायात पुलिस तो अलग महकमा है, जे.डी.ए. रोड चौड़ी करेगी, कहीं नगर निगम करेगी, यानि यातायात पुलिस का व्यक्ति कहे कि साहब इस रोड को चौड़ा करना चाहिए। वह नगर निगम के पास जाएगा तो वे कहेंगे कि साहब यह हमारे अण्डर में नहीं आता आप जे.डी.ए. के पास जाइये। जे.डी.ए. के पास जाएं वो कहते हैं कि नहीं हमारे अण्डर में नहीं आता आप पी.डब्ल्यू.डी. के पास जाइये। पी डब्ल्यू डी. के पास जाएं तो वे कहेंगे नगर निगम के अण्डर में आता है। लाइसेंस देने का काम आर.टी.ओ. करता है तो कम से कम जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो इसके लिए जयपुर में एक ट्रैफिक बोर्ड बनाया जाए जिसमें हर डिपार्टमेंट का सम्बन्धित अधिकारी हो और वहां कोई इस प्रकार की योजना बने। अब नेटपैक योजना क्या है, हमें पता नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। होना तो यह चाहिए था कि इसमें यह सुझाव देते जब जयपुर के इन्वाल्स के अन्दर इतनी पार्किंग की असुविधा है, कहीं जगह ही नहीं है और आप यदि धरातल पर पार्किंग बनाना चाहेंगे तो उसके लिए व्यवस्था हो भी नहीं सकती क्योंकि किसी के मकान नहीं तोड़े जा सकते। इसके लिए मेरा सुझाव है अण्डरग्राउण्ड पार्किंग की व्यवस्था यदि माननीय मंत्रीजी और सरकार सोचें और अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग, जैसे बड़ी चौपड़ पर अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग हो, छोटी चौपड़ पर अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग हो। अब आपने कहा कि अजमेरी गेट पर हमने पैदल चलने के लिए भूमिगत मार्ग बना दिया। आप सर्वे करवाइए उसमें कितने लोग जाते हैं। होना क्या चाहिए कि भूमिगत मार्ग यातायात के लिए हों। कार, स्कूटर और टैम्पो उसमें से जाएं। उसके बारे में तो व्यवस्था की नहीं। अब रामनिवास बाग बन्द कर दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन है इसलिए रामनिवास बाग बन्द हो गया। मोती डूंगरी रोड को आपने

(श्री कालीचरण सराफ)

चौड़ा ही नहीं किया। अजमेर रोड पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। रामनिवास बाग, उसमें बन्द क्या किया आपने? उधर रवीन्द्र मंच के लिए रोड निकाल दिया, इधर साइड में एक रोड और निकाल दिया। हाई कोर्ट के डिसीजन की पालना हो गयी। होना यह चाहिए था, कि रामनिवास बाग में अण्डर ग्राउण्ड यदि ट्रैफिक निकालते हैं और म्युजियम के बाहर से निकलता तो उसका कोई उपयोग होता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ओवर ब्रिज के बारे में आज यह स्थिति है कई जगह दो-दो, तीन-तीन घण्टे ट्रैफिक जाम रहता है। ओवर ब्रिज के बारे में इतना सा जवाब देना पर्याप्त नहीं है कि जब धन की व्यवस्था होगी ओवर ब्रिज बना दिये जाएंगे। आपने 50 साल ही व्यवस्था नहीं होगी तो क्या जयपुर के लोग इसी प्रकार से चलते रहेंगे? घाटगेट पर बस स्टैण्ड है, आपने भी वहां देखा होगा कि तीन-चार घण्टे तक वहां ट्रैफिक जाम रहता है। जवाहर नगर बाई पास पर बस स्टैण्ड बना दिया परन्तु उसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। वह इसलिए नहीं कि विभागों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक यातायात बोर्ड का गठन किया जाए। उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग लिए जाएं। यातायात पुलिस में जितने कर्मचारी होने चाहिए जयपुर के हिसाब से, यहां के रेडियस के हिसाब से, यहां की जनसंख्या के हिसाब से, यहां के वाहनों के हिसाब

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

से, उस हिसाब से और बनें।

श्री अध्यक्ष : अब आप रिपीट कर रहे हैं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। आप देखते हो बच्चों को जो टैम्पो और रिक्शा स्कूल ले जाते हैं, उनमें 20-20, 25-25 बच्चे एक-एक रिक्शा में और टैम्पो में बैठकर जाते हैं। कब उनकी दुर्घटना हो जाए, कब बच्चे मर जाएं, इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। मेरा यह कहना है कि इन सब बातों के बारे में गम्भीरता से विचार करके एक यातायात बोर्ड बनाया जाए, यातायात पार्क बनाया जाए जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके।

(15.37)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

अभी कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो जवाब दिया है यह अधूरा है, अपर्याप्त है। इसलिए क्या योजना राज्य सरकार इसके बारे में रखती है, उसकी पूरी जानकारी सदन के माध्यम से दी जाए।

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदया, मन्त्रीजी ने अपने उत्तर के अन्दर रोड डवलपमेंट प्लान की बात की है। जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान की बात की है, नेटपैक की भी बात की है। जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत कौनसे जंक्शन लिये जाने चाहिए, उनके क्या पैरा-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मीटर्स उन्होंने तय किये ? रोड डवलपमेंट से उनका क्या मतलब है और कौनसी रोड का डवलपमेंट होना चाहिए, यह तय करने में कौनसे पैरामीटर्स लिये ? अब रोड्स को चौड़ा करने की बात कर रहे हैं, रोड्स चौड़ी हो रही हैं इसमें कोई शक नहीं है। स्लीपलेन्स भी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह का पापूलेशन का वाल्यूम जयपुर में बढ़ा है और जितना जयपुर का एक्पान्शन हुआ है, उसके रेश्यो में बात करें तो कई रोड्स ऐसी है जहां पर अब चलना भी वायेबल नहीं है, आदमी चल भी नहीं सकता। क्या वे रोड्स जयपुर के रोड डवलपमेंट प्लान में नहीं हैं ? और रोड डवलपमेंट प्लान अगर जयपुर का है तो इसके बारे में अभी जैसा कालीचरण जी कह रहे थे कि राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में जब मोती डूंगरी रोड का इस्तेमाल होने लगा, यह चीज 2-3 साल से चल रही थी,- और आपका एक प्लान आलरेडी है। तो क्या मोती डूंगरी रोड इस प्लान में नहीं आती थी और नहीं आती थी तो क्यों नहीं आती थी ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाई पास अब रेजिडेन्शियल एरिया में आ गये हैं उनके लिए रिंग रोड बनाया जाए। जैसा कालीचरण जी बता रहे हैं कि सिटी का रेडियस 55 किलोमीटर हो गया तो एक सबब से दूसरे इलाके में जाने के लिए एक इनर रिंग रोड बनायी जाए और बाई पास का इस्तेमाल होने के लिए आउटर रिंग रोड बनायी जाए। अब फाइनेंस कितना चाहिए जयपुर के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, इसकी ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्या इसका कोई तखमीना डिपार्टमेंट ने तैयार किया है ? मैं समझता हूं ऐसा नहीं किया। अब कितने पैसे की जरूरत इस मांग को पूरी करने में होगी इसके बारे में जब विभाग को पता नहीं है तो कितने धन की किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था करने के लिये जिस प्रकार के प्रयास होने चाहिये उतने प्रयास नहीं होते। मैं यह उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जयपुर का किस तरह का यातायात उनके दिमाग में है और जिस तरह का यातायात उनके दिमाग में है उसकी पूर्ति करने में कितने धन की जरूरत वे महसूस करते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने आज तक कितने प्रयास किये ? जयपुर के अन्दर 20 लाख के करीबन आबादी होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ दो फ्लाई ओवर है। आज तीसरा फ्लाई ओवर बन रहा है और लगातार बनता जा रहा है, 4-5 साल हो गये, और दो साल में पूरा होने की सम्भावना नजर नहीं आती। किसी भी शहर में जिसकी पापूलेशन डेढ़-दो लाख की है वहां एक फ्लाई ओवर मिल जाता है। आज फ्लाई ओवर के लिये जयपुर जैसे शहर के अन्दर हम धन की व्यवस्था नहीं कर पाये तो मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जयपुर के अन्दर जे. डी. ए. की कई जमीनों पर एन्क्रोचमेंट हुआ है, एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं, महीनों जमीनों को लैण्ड ग्रेबर्स खा रहे हैं उनको हम रोक नहीं पा रहे हैं और जयपुर के लिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जयपुर की यातायात व्यवस्था के बारे में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उनका दृष्टिकोण क्या है ? उस दृष्टिकोण में कितना पैसा लगेगा ? उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयास किये हैं और कब तक वे सोचते हैं कि यह व्यवस्था हो जाएगी ?

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)। श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदया, यातायात की व्यवस्था को लेकर जो सरकार का ध्यान आकर्षण किया है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था खास तौर से जयपुर के अन्दर ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है उसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आमेर एक ऐतिहासिक नगर है और आमेर के अन्दर देश-विदेश से पर्यटक भी आते हैं, प्राइवेट बसेज भी आती हैं और रोडवेज की बसें भी मैन मार्केट में से गांधी चौक और मावटा से गुजरती हैं और कई बार तो 6-7 बसें खड़ी हो जाती हैं। यदि कोई ट्रैफिक द्रुतगति का हो या अति आवश्यक भी हो तो वह इस कदर फंस जाता है कि उसको 15 मिनट तक निकलने के लिये वहां जगह नहीं मिलती। आमेर में एक बार मन्त्री महोदय ने मीटिंग ली थी तब भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि गांधी चौक में जो बस स्टैण्ड है उसको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो।

इसी के साथ-साथ ओवर ब्रिज के बारे में धन की समस्या बतायी। लेकिन झोटवाड़ा जैसे क्षेत्र में जहां औद्योगिक क्षेत्र भी है और काफी दूर-दूर से जोधपुर साइड के और कई बाहर के लोग आते है और जब रेल्वे क्रासिंग एक बार बन्द हो जाता है तो आधा घण्टे पहले वह खुलता नहीं है, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई मरीज हो उसको जयपुर में हास्पिटल तक पहुंचने की कोई सुविधा नहीं होती। हालांकि धन की कमी है लेकिन इसके साथ-साथ वहां पर रेलवे के दोनों साइडों में छोटे-छोटे पुल बने हुए हैं उसके नीचे से सब-वे बन सकता है। सरकार का ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। झोटवाड़ा थाने के बगल में जो पुलिया बनी हुई है उसमें सब-वे बना दिया जाए तो वहां की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर चांदपोल गेट के बाहर बसेज खड़ी रहती हैं। मिनी बसेज भी वहां आ जाती हैं और चांदपोल से स्टेशन जाने वाला ट्रैफिक वहां पर जाम हो जाता है। चांदपोल चर्च के पास में टैम्पुओं का साम्राज्य है, जो 12 सीटर डीजल से चलने वाले टैम्पू हैं वे प्रदूषण फैलाते हैं वह एक अलग बात है इसके अलावा वे रास्ता जाम करके खड़े हो जाते हैं और स्कूटर, साइकिल वालों को निकलने में असुविधा होती है। माननीय रामेश्वर जी भारद्वाज ने सुझाव दिया था उसका मैं समर्थन करता हूं। जो डीजल के टैम्पू चलते हैं उनको उप-नगरीय सेवाओं में और छोटे-छोटे गांवों में लगा दिया जाए, उनको झोटवाड़ा से आगे नहीं आने दिया जाए।। वहां तक रोडवेज की बसें चले। तो कई गांवों के अन्दर इस तरह से टैम्पू चला कर गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी और जयपुर की जनता प्रदूषण से

(श्री गोपीराम जाट)

भी बचेगी। इस तरह की व्यवस्था करायें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय ने जयपुर के बारे में बताया। बनीपार्क और किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी बहुत विस्तार से बताया। वह योजना तो बहुत वर्षों की है और माननीय मन्त्री महोदय ने भी बताया वह भी बहुत वर्षों की है। मेरा सूक्ष्म सुझाव है और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जयपुर में जैसे आप पांचवीं बार आ रहे हैं और सौभाग्य से यह विभाग आपके पास है। आप इससे सम्बन्धित तमाम मन्त्रियों को बुला करके योजना बनायें यातायात और सड़क की। इन दोनों मन्त्रियों को आप जरूर अपने साथ में बैठा कर योजना बनायें।

चौमूं का जो बाई पास है, इसको आप आगे थ्रू कीजिये और इधर जो बाई पास है इसको आप आगे तक कीजिये। जो सैन्ट्रल बस स्टैण्ड बना हुआ है जिसके बारे में अभी से आपको सोच लेना चाहिए कि आने वाले 4–5 साल बाद में यह बिलकुल नामुमकिन हो जायेगा कि वहां घुसना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए पहले से ही आप इसकी प्लानिंग कीजिये।

अण्डर ग्राउण्ड जितनी आप सड़कें निकलते हैं वे यूजलेस हैं, उससे कोई ट्रैफिक कन्ट्रोल नहीं होगा, जयपुर को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज जैसा माननीय सदस्य ने ट्रकों के बारे में कहा है कि इन ट्रकों को जो जयपुर से अन-कन्सर्न्ड हैं उनको आप सीधे ही निकालने की व्यवस्था कीजिये। रास्ते में खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जयपुर शहर से गुजरते हैं तो पर्यावरण भी बिगड़ता है। उनको सीधे ही निकालने की व्यवस्था कीजिये कि वे जयपुर में रुके नहीं। इसके लिये आप यातायात मन्त्री और खास तौर से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर और आप तीनों बैठ कर जयपुर के बारे में कोई योजना बनायें। जयपुर नार्थ इण्डिया का दिल्ली को छोड़ने के बाद सब से बड़ा शहर है और इसकी जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसलिये आप इस पर गौर कीजिये। जयपुर का सौभाग्य है कि आज के दिन आप मन्त्री हैं, आपके हाथ में काम है। इसलिये जयपुर में इस तरह की व्यवस्था कीजिये ताकि माननीय सदस्यों ने, हमने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं वह नियंत्रित हो सकें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): एक जरूरी सुझाव मुझे देना है....

श्री सभापति : माननीय सदस्या अभी आगे और लेने हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा एक ही मिनट का सवाल है।

श्री सभापति : आप लिख कर भेज दीजिये, क्या सुझाव हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप महिला सभापति हैं। महिला सभापति होकर एक महिला को नहीं बोलने दे रही हैं।

श्री सभापति : अभी तो एक और है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक महिला सभापति, एक मिनट एक महिला को तो दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : बोल दीजिये, बोलने दीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा एक छोटा सा सुझाव है, भाषण नहीं देना है । निवेदन यह है कि अशोक मार्ग पर एक चौराहा बना हुआ है । कुछ दिन पूर्व एक स्टेच्यु लगाने के लिए वहां मूर्ति के लिए जगह बनायी गयी थी और उसमें अम्बेडकर की मूर्ति लगने वाली थी । उस अम्बेडकर की मूर्ति को वहां से हटा कर हाई कोर्ट के चौराहे पर लगा दी और वहां पर उसके बाद कुछ नहीं लगाया गया । वह वी.आई.पी. रूट है, वन वे ट्रेफिक हो जाता है । उस रूट पर बहुत भिखारी लोग पड़े रहते हैं जो आसपास चोरियां करते हैं, गन्दगी फैलाते हैं सारे घरों में और गलत जगह पर मल-मूत्र करते रहते हैं । मेरा निवेदन यह है कि उस चौराहे पर, वहां से एक मालवीया रोड शुरू होती है, अशोक रोड शुरू होती है । उस चौराहे पर या तो अशोक की या मालवीया की स्टेच्यु लगायी जानी चाहिए ताकि वह जगह भी सुन्दर लगे और वह वी.आई.पी. रूट है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था बहुत जटिल है और यह आज की नहीं है । यह बात सही है कि जनसंख्या का विस्तार और उसके साथ ही वाहनों का विस्तार इन दोनों कारणों से आज जयपुर छोटा पड़ने लगा है । मैंने पिछली बार भी क्योंकि यह जो समस्या का समाधान है वह केवल मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है । जैसे माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यातायात मंत्रीजी, पुलिस विभाग भी शामिल हो, पी डब्ल्यू.डी. भी इसमें लगे और यह सब मिल कर जैसे कहा कि रोज ट्रक आते हैं। तो पुलिस विभाग का मामला है कि वह ट्रकों को रोके । यदि बस रास्ते में चलते चलते खड़ी होती है तो यह यातायात विभाग का काम है उसको रोके । तो यह जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है और जोइंटली बैठकर ही कुछ तय कर सकते हैं ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): बोर्ड बना दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी पिछले दिनों ही इस समस्या को लेकर मैंने यातायात मंत्रीजी के साथ इनके विभाग की बैठक करायी थी और उनके सुझाव भी आये थे, अब उन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि बड़ी समस्या यह है कि गाड़ियां कहां खड़ी की जाएं । जयपुर में पार्किंग की सुविधा भी बड़ी मुश्किल हो गयी है । जौहरी बाजार में यदि कोई सामान खरीदने जाए तो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी । इसलिए सांगानेरी गेट के बाहर जो म्युनिसिपल मार्केट का रास्ता जाता है, वहां सब्जी, रूई मण्डी है वहां पर हम एक बहुत बड़ा पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं । इसी प्रकार किशनपोल बाजार के लिए किशनपोल सब्जी मण्डी थी वहां हमने जमीन एक्वायर करके कोशिश कर रहे हैं । साथ ही जो नेटपैक का सुझाव है वह 10-15 स्थानों के लिए है । रामलीला मैदान के अण्डरग्राउण्ड का सुझाव है. सांगानेरी गेट के बाहर परकोटे के बीच में दोनों तरफ के रास्ते हैं उनमें भी अण्डर ग्राउण्ड करने के विचार हैं ऐसे कई सुझाव उनके हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन सबका निदान तब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो सकता है जब विस्तार भी हो, पार्किंग प्लेस भी बढ़े और जो यातायात के बीच में शहर में आते हैं वह नियंत्रित हो इसके बाद ही ये सब बातें हो सकती हैं। माननीय रामेश्वर भारद्वाज जी ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुत ही उपयोगी हैं। आपने भी जो बताया, वह बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी मिलकर जो भी सम्बन्धित विभाग के लोग हैं, उन पर चर्चा करेंगे और पैसे का तो मैंने इसलिए कहा कि एक साथ करना बड़ा कठिन होगा कि आप कई करोड़ रुपया जयपुर में खर्च कर दें, यह तो सम्भव नहीं है। वैसे मुख्य मंत्रीजी ने अपनी पिछली घोषणा में कहा था कि दो ओवर ब्रिज के पैसे और 8 करोड़ रुपये जयपुर को देंगे। इतना भी पर्याप्त नहीं है। जो साधन हमारे पास हैं, कुछ पी.डब्ल्यू.डी. से लेकर और अगले कुछ दिनों बाद इसी विधान सभा के सत्र के बाद हम एक साथ बैठकर कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें माननीय सदस्यों को भी साथ जोड़कर क्या योजना बन सकती है, निश्चित रूप से इसको करेंगे। धन का अभाव जितना है, उतना रहेगा। लेकिन धन के अभाव के कारण से हम कोई जयपुर को ठीक नहीं करेंगे यह कोई धन की कमी भी नहीं है। धन कहीं से भी लायेंगे। कुछ योजना बनेगी। एक साल में सब पूरा होगा नहीं। लेकिन अगर शुरू होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ जयपुर में यातायात को मिलेगा और मेरी खुद की भी यही चिन्ता है और जैसा मैंने निवेदन किया यातायात मंत्रीजी के साथ बैठकर इसकी चर्चा भी की है और उसके कुछ परिणाम भी निकलेंगे कि जो वाहन धुंआ फेंकते हैं, उनके लिए क्या नियम बनाये जा सकते हैं। बसें जो जयपुर में चलती हैं उनको बाहर अगर किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। यह सब चर्चा हुई है। अब क्रियान्विति में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ नियमों की पाबन्दी भी आ सकती है। उन सब पर विचार करके और मैं आपका सहयोग भी उसमें मांगता हूं....

एक माननीय सदस्य : पहले बोर्ड तो बनाओ साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां वह बोर्ड बनायेंगे हम सब बैठकर आवश्यकता हुई, वैसे जे.डी.ए. में बोर्ड बना हुआ है। वह आलरेडी है उसको और सक्रिय किया जा सकता है। उसके बाद भी कोई आवश्यकता पड़ी तो बात कर सकते हैं....(व्यवधान).... वह एक्टिव नहीं है तो एक्टिव कर सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : खम्भे लगे हुए हैं। टेलीफोन के खम्भे लगे हुए हैं उनको तो हटवाओ कम से कम। रोज एक्सीडेंट होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोश में आने की आवश्यकता नहीं है। यह तो बिजलीघर का काम है। यह टेलीफोन का काम है। मैंने खुद ने निवेदन किया कि यह मेरे विभाग का काम नहीं है। यह दूसरे विभाग का काम है और बिजली का खम्भा...

श्री रामेश्वर भारद्वाज : यह जो शहर में से ट्रक निकलते हैं इनको तो आप बन्द कर दें। इसमें तो पैसे नहीं लगेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य जी, यह पुलिस का काम है। मैं उनको निवेदन करूंगा, पत्र लिखूंगा, आग्रह करूंगा कि भई इनको रोको....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : कब बुला रहे हैं मीटिंग ? आप बुलाओ साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : विधान सभा के बाद बुलायेंगे।

श्री गोपीराम जाट : बाईपास प्रर जो बहुत पैसा खर्च हुआ है उसको कब तक चालू करवा देंगे इसके बारे में....

श्री भंवरलाल शर्मा : बुलाने के लिए आपको दस दिन पहले सूचना दूंगा। फिर बुलाकर इसको करेंगे। मैं समझता हूं अभी तो यही पर्याप्त है।

श्री राधेश्याम : सभापति महोदया, एक बड़ी अजीब बात मंत्री महोदय ने कही है....

श्री रामनारायण चौधरी : आप स्वायत्त शासन और अरबन रिलेटेड मिनिस्टर हैं आपको बहुत अधिकार हैं। आप अपने अधिकारों को जानिये। हनुमान जी ने....

श्री सभापति : नहीं नहीं। भीमसेन चौधरी।

श्री भंवरलाल शर्मा : और जो मेरे सहयोगी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री राधेश्याम : सभापति महोदया, एक सैकन्ड की बात है। मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। कुछ समझ में भी नहीं आता। एक-एक बोलिये।

श्री राधेश्याम : सिर्फ एक सैकण्ड। आपने फरमाया है कि मैं उनको निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर खतम हो गयी। सरकार तो है ही नहीं। आप रिक्वेस्ट करोगे, आप तो मालिक हो सरकार के।

श्री सभापति : आपस में तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, आर्डर थोड़े ही देंगे। मुख्य मंत्रीजी देंगे आर्डर तो।

श्री राधेश्याम : आर्डर देंगे। रिक्वेस्ट क्या करेंगे भई मेरे हाथ में नहीं है। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा....

श्री सभापति : आर्डर तो मुख्य मंत्रीजी देंगे। यह तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपकी नींद बहुत देर से खुली। मैंने तो मंत्री को लिखा है कि मंत्री को रिक्वेस्ट करूंगा। इनको आदेश थोड़े ही दे दूंगा।

सादुंल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में व्याप्त अव्यवस्था

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, मैं बीकानेर में सादुंल स्पोर्ट्स स्कूल में व्याप्त अव्यवस्था से अध्ययनरत विद्यार्थियों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया(शिक्षा मंत्री): सभापति महोदया, यह सही है कि राजस्थान प्रान्त के लिए ही नहीं अपितु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खेल व खिलाड़ियों के स्तर में वृद्धि के लिए स्पोर्ट्स स्कूल की व्यवस्थाएं उच्च कोटि का होना एवं स्कूल स्तर पर खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देना परम् आवश्यक है। यह भी सही है कि राज्य सरकार के अधीन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1982 से बीकानेर में स्पोर्ट्स स्कूल संचालित किया जा रहा है।

उक्त विद्यालय में छात्रों की वर्तमान संख्या 148 है तथा उनके रहने के लिये छात्रावास भवन बने हुए हैं तथा छात्रों के आवास की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

होस्टल का नाम	कमरों की संख्या	रहने वाले छात्रों की संख्या
1. करणी हाउस नार्थ	07	25
2. करणी हाउस साउथ	07	22
3. अमर हाउस	10	39
4. प्रताप हाउस	05	37
5. बीका हाउस	10	25

यह सही है कि सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु 10/- रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय किये जाने का प्रावधान वर्तमान में है तथा इस राशि से खिलाड़ी छात्रों को बहुत अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह राशि कम होने के कारण राशि में उचित वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर नये सत्र के प्रारम्भ तक निर्णय लिया जाकर उचित वृद्धि की जा सकेगी।

यह सही नहीं है कि आवास व्यवस्था दयनीय स्थिति प्रदर्शित करती है, बल्कि तथ्य यह है कि विद्यालय की छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त छात्रावास भवन बने हुए हैं, परन्तु उनमें रंग रोगन, बिजली फिटिंग, मरम्मत का कार्य लम्बे समय से नहीं हुआ है। आगामी सत्र 1994-95 में पूरा कर दिया जाएगा। शौचालय मरम्मत हेतु 25,000 रुपये की राशि शिविरा/बजट/बी-6/25508/93-94 दिनांक 7.1.94 द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

यह सही है कि विद्यालयों में स्वीमिंग पूल उपयोग में लेने योग्य नहीं है क्योंकि यह कई वर्ष पुराना है परन्तु यह सही नहीं है कि ट्यूब वैल मेन्टिनेंस के अभाव में खराब है। यह सही है कि हाल ही में ट्यूबवैल की बोरिंग का कार्य पूरा करवाया गया है तथा पम्प स्टेशन व पानी स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय के लिए स्वीकृत निम्न खेल हैं:–

1. हाकी, 2. फुटबाल, 3. बास्केटबाल, 4. वालीबाल, 5. टेबल टेनिस, 6. कुश्ती, 7. जिम्नास्टिक, 8. कबड्डी, 9. क्रिकेट, 10. एथेलेटिक्स जिनमें स्वीमिंग स्वीकृत नहीं है।

यह सही है कि खिलाड़ियों के लिए किट्स की राशि 1000/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष स्वीकृत है जिसमें छात्रों को खेल विशेष के लिये किट उपलब्ध कराया जाता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है और इसके साथ ही प्रति छात्र स्कूल वर्दी के रूप में दो पेंट व दो कमीज सिलाई सहित दी जाती है तथा एक स्वेटर प्रति एक वर्ष बाद व एक गर्म कोट प्रति दो वर्ष में उपलब्ध कराये जाते हैं। यह पर्याप्त है इस राशि में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यह सही नहीं है कि स्कूल की हालत दयनीय है। तथ्य यह है कि सरकार स्कूल के संचालन पर ध्यान देती है। वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत खेलों के प्रशिक्षण हेतु खेल के प्रशिक्षक पद स्थापित हैं एवं अध्यापन हेतु 14 व्याख्याता एवं 12 वरिष्ठ अध्यापक, तीन अध्यापक पद एवं एक व्याख्याता शारीरिक शिक्षक पदासीन है। अध्यापन एवं खेल प्रशिक्षण पर समुचित ध्यान दिया जाता है जो गत वर्षों के परीक्षा परिणामों से स्पष्ट है :-

शैक्षिक परीक्षा परिणाम :

वर्ष	परीक्षा	प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण	परिणाम प्रतिशत में
1991-92	सैकण्डरी	30	21	70
	सी. सैकण्डरी	20	13	65
1992-93	सैकण्डरी	13	06	46
	सी. सैकण्डरी	20	13	65

खेलों में उपलब्धि :-

विद्यालय में स्वीकृत खेलों में से पिछले वर्षों में एथेलेटिक्स, कुश्ती, वॉलीबाल, हाकी, फुटबाल, खेलों में 24 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया है एवं राज्य स्तरीय खेलों में विद्यालय के छात्र हाकी, वॉलीबाल खेलों में उप विजेता रहे हैं। वॉलीबाल में 91-92 में विजेता भी रहे हैं।

यह सही नहीं है कि प्रविष्ट छात्रों को भर्ती होने के पश्चात् स्कूल में ही रहने को बाध्य किया जाता है तथा उनका कैरियर बरबाद होता है। सरकार विद्यालय के शैक्षिक स्तर एवं खिलाड़ियों के खेल स्तर उन्नयन के लिए प्रयत्नशील है। विद्यालय के भवनों की मरम्मत एवं छात्रों के भोजन भत्ते की राशि में बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

मैं कुछ तथ्य और आपके सामने रख देता हूं जिससे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह विद्यालय 1982 से स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में स्थापित है। इससे पूर्व यह स्कूल सादुल पब्लिक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय था। 1982 से दस रुपया भोजन भत्ता दिया जाता है। अभी हमने इसका चालीस रुपये का प्रस्ताव 1992 से भेज रखा है जिसकी स्वीकृति होनी है। विद्यालय भवन बहुत पुराना है। जो राजा महाराजाओं के समय बने विद्यालय भवन हैं। भवन में गत कई वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग को टूट फूट, मरम्मत, रंग रोगन आदि हेतु लिखा जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए 8 लाख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

20 हजार रुपये का अनुमानित व्यय विवरण बनाया है। विद्यालय भवन की बिजली फिटिंग पुरानी होने से कहीं टूटी हुई है। 1982 से ही किट के रूप में एक हजार रुपया प्रति छात्र स्वीकृत है। उसकी बढ़ोतरी हेतु कोई प्रस्ताव कभी आया नहीं। प्रस्ताव आने पर वित्तीय प्रावधान पर विचार किया जाएगा। तीन सौ रुपया एन्ट्रेन्स अलाउंस अतिरिक्त दिया जाता है। जिससे खाट, निवार और उनकी मरम्मत का है। सभी छात्र छात्रावास में रहते हैं। नॉन प्लान और प्लान में कुल 90 पद, आपको आश्चर्य होगा मैंने जब विद्यालयों के बारे में सोचा। इसमें 148 छात्र पढ़ते हैं और 90 पद इसमें स्वीकृत हैं। जिनकी साल की 30 लाख रुपये सेलेरी बनती है और विद्यालय में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले बालक को केवल दस रुपया भोजन पर दिया जाता है, वास्तव में बहुत ही चिन्तनीय विषय है और इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इसी वर्ष जितना जल्दी से हो सके इसको बढ़ाया जाए।

(16.00)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि वहां के होस्टल की व्यवस्था पर्याप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां बाथरूम, लेट्रीन की कोई व्यवस्था नहीं है, लड़कों को बाहर जाना पड़ता है और वहां बिजली व पढ़ने लिखने की व्यवस्था वहां उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा वहां पर आपने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ही वहां के विद्यार्थी नहीं पहुंच पाये। आपने क्या उनका स्तर बढ़ाया ? मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो प्रिंसीपल हैं वह प्रिंसीपल खेल एकेडमी का न होकर कोचिंग का होना चाहिए जिससे कि उसका कण्ट्रोल रहे और खिलाड़ियों को तैयार करने में उसकी भूमिका हो सके। इसके अलावा जो आपने किट्स के बारे में बताया 1982 से इतने वर्षों में मूल्य वृद्धि हुई है, एक हजार रुपये में जो चीज आती थी आज के मूल्य को देखते हुए क्या उचित होगा कि एक हजार रुपया ही किट्स के लिए रखा जाए ? इसके अलावा खाने पर दस रुपये हर छात्र पर खर्चा होता है....

श्री सभापति : अब तो यह बढ़ा दिया न।

श्री भीमसेन चौधरी : हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक स्कूल और है हरियाणा में "राई" स्थान पर; हरियाणा का स्पोर्ट्स स्कूल बना हुआ है वहां का स्टेण्डर्ड आप देखिये और उसको देखकर हमारे यहां भी उस तरह की व्यवस्था आप कर सकें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां बीकानेर में या राजस्थान में अच्छे खिलाड़ी आप तैयार कर सकेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि बीकानेर ने अच्छी खेल प्रतिभाओं को पैदा किया है। उनका स्तर बना रहे उस लिहाज से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कूल में जो अव्यवस्था है उसकी तरफ आप ध्यान देवें। केवल स्टाफ होने से काम नहीं चलता। स्टाफ के कर्मचारी जो अध्यापक वर्ग हैं वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। जो उनका

(श्री भीमसेन चौधरी)

काम होता है पढ़ाने लिखाने का उस तरफ वह ध्यान नहीं देते और विद्यार्थियों का स्टेण्डर्ड भी वाजिब नहीं होता। अभी आपने जो परीक्षा फल बताया कि 46 प्रतिशत रहा, इससे आप ध्यान कर सकते हैं कि इतना स्टाफ होते हुए भी वहां का कितना पूअर रिजल्ट है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था आप सुधारें ताकि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी वहां तैयार हो सकें।

श्री सभापति : श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब खेलों के विकास में, स्टेडियम बनाने में, या खेल प्राधिकरण बनाने में, या खिलाड़ियों को बाहर भेजने में अपन इतना बड़ा धन खर्च कर रहे है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से तो राज्य में खिलाड़ियों को तैयार करने का जो एकमात्र संस्थान है उसमें इस से ज्यादा धन खर्च करना चाहिए। जैसा अभी आपने आंकड़े बताये कि 36 लाख के करीब तो आप तनख्वाह में ही खर्च कर देते हैं और विद्यार्थियों के खाने पर, उनके रहने पर, उनका स्टेण्डर्ड सुधारने के लिए बहुत कम खर्च कर रहे हो। आपने इस ओर कुछ ध्यान दिया इसके तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरे प्रान्तों में जो खेलों से सम्बन्धित संस्थान हैं उनका जो स्टेण्डर्ड है उसका भी आप अध्ययन करायें और वहां से आप रिपोर्ट मंगवा कर आगे का निर्णय लें। जैसा आपने बताया कि 40 रुपये प्रति दिन खाने के लिए देने का हमने प्रस्ताव भेज रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य या तो सुझाव दें या स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री हरजीराम बुरडक : पूछ रहा हूं। जो आपने 40 रुपये का मानदण्ड रखा है वह भी मेरे हिसाब से बहुत कम है और फिर आपका यह प्रस्ताव भी बहुत पुराना है कोई आज-कल का नहीं है। इसलिये आप इसको दिखवायें। जहां तक आपने फरमाया आठ लाख का एस्टीमेट बिल्डिंग की मरम्मत के लिये पी.डब्ल्यू.डी. ने बनाया है. उसमें आप इतना धन प्राप्त कर लेंगे और बिल्डिंग की मरम्मत आप कब तक करा लेंगे? यह जो विद्यार्थियों को खाने का आप 40 रुपये बता रहे हैं उसको और बढ़ाना चाहते हैं वह अगले सत्र से मिलना शुरू हो जायेगा या नहीं हो पायेगा? इस बात की भी आप निश्चित रूप से गारण्टी दो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और दूसरे प्रान्तों में खेल सम्बन्धी जो संस्थान हैं उसके मुकाबले में अपने राजस्थान के संस्थान को भी बनायेंगे। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री जीतराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण,

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदया, इस बात की तो खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस स्कूल के बारे में...

श्री सभापति : आपको सवाल पूछने हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, सवाल ही पूछ रहा हूं लेकिन मन्त्रीजी को धन्यवाद तो दूं जो इन्होंने इसे समझा है। इन्होंने महसूस किया कि दस रुपये की जो खुराक है, कम है। सभापति महोदया, आज जयपुर के किसी भी साधारण से साधारण होटल में चले जाइये, एक टाइम के 15 रुपये तो सूखी रोटी के देते हैं। आप भारत वर्ष के अन्दर नेशनल और इण्टरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को तैयार चाहते हैं दस रुपये खुराक के देकर? मन्त्री महोदय, आप स्वयं अन्दाजा लगाइये। अब आपने 40 रुपये का सुझाव दिया है तो आप इस को स्वीकार करवाइये। 40 रुपये तो कम नहीं हैं, काम चलेगा इससे और आप इसको पटियाला और हरियाणा के पैटर्न पर चलाने की चेष्टा कीजिये और इसमें अच्छे लड़कों की भर्ती कीजिये। भर्ती में पक्षपात होता है। भर्ती उन लोगों की की जाती है जिनको वहां के प्रिंसीपल चाहते हैं। एक ऐसा क्राइटेरिया बनाइये कि जो मेरिट के लड़के हैं वह लड़के ही सलेक्ट हों ताकि देश और विदेशों में आपका नाम हो। आप दस रुपये देकर मनमाने तरीके से स्कूल में भर्ती कर के देश और विदेश के स्तर के खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। सभापति महोदया, यह मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं, आप इसमें दिलचस्पी लेकर के इस भर्ती में सुधार कीजिये, उनकी खुराक की व्यवस्था कीजिये और उनके रहन-सहन को आप सुधारिये।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, वास्तव में इस स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में सारा देखने के बाद मन को भी बहुत पीड़ा हुई कि इतना अधिक व्यय करने बाद भी हम खिलाड़ियों को दस रुपये दे रहे हैं। हमने यह प्रस्ताव 1992 में भेज रखा है कि इस खुराक को 40 रुपये किया जाए लेकिन फाइनेन्स से इस साल भी वह नदारद हो गया, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। मैं अपने स्तर पर आपको विश्वास दिलाऊं, अगली बार और कोशिश करूंगा। विभाग के स्तर पर कहीं से भी पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं निश्चित रूप से करके और इन बच्चों का जो भोजन है वह कम से कम 30 रुपये का हो, जो मेरे अभी अपने अधिकार क्षेत्र में है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से इसकी घोषणा करता हूं। इसके साथ ही तुरन्त इसकी लाइट और बाकी सारी व्यवस्था हो जाए, एक लाख रुपये इस भवन की मरम्मत रिपेयरिंग के लिये विभाग की तरफ से देने की मैं घोषणा करता हूं। लेकिन इसके साथ एक और समस्या है जिसके बारे में इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इसमें पढ़ाई का काम भी है और खेल का भी काम है, दोनों काम साथ हैं पर बच्चों की संख्या काफी कम है। 148 लड़कों के ऊपर 90 का स्टाफ है। 30 तो उसमें पिअोन लगे हुए हैं। तो इस को भी फिर से देखेंगे कि इनकी पढ़ाई पास के किसी स्कूल में करायें और यहां केवल खेल और इनको रहने के लिये ही सारा पैसा लगायें तो हम ज्यादा बच्चों को रख कर भी ज्यादा अच्छी प्रकार से इनको तैयार कर सकेंगे। इस बारे में फिर से बैठ कर के विचार कर सकेंगे और हम चाहेंगे कि राजस्थान में एक अच्छा स्पोर्ट्स स्कूल बने और वास्तव में इसमें जो कमियां हैं उसकी पूर्ति की कोशिश करेंगे।

(162)

श्री सभापति : बजट पर चर्चा। श्री राधेश्याम जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेट्रीन, बाथरूम की तकलीफ है। लेट्रीन, बाथरूम बहुत टूटे हुए हैं। अभी हमने 25 हजार स्वीकृत किया था दो-तीन महीने पहले ही, उसका काम होकर वह रिपेयरिंग हो रही है और उसमें जरूरत होगी तो और उसको बढ़ायेंगे।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : सम्माननीय सभापति महोदया, बजट पर जो भाषण माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दिया उसमें बताया कि पंचायत बिल आ रहा है और नगरपालिका बिल सलेक्ट कमेटी को भेज रखा है लेकिन उसके साथ-साथ चुनाव कब करवाये जायेंगे इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। नगरपालिकाओं के चुनाव, पंचायत के चुनाव का खुलासा तौर पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि कब तक यह चुनाव होंगे। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है कि आप जब भी इसका उत्तर दें उस वक्त तारीख की भी घोषणा करें कि कब तक आप यह चुनाव करवायेंगे।

इसके साथ-साथ पेयजल के लिये आपने कहा है कि चूरू और गंगानगर जिले के 325 गांवों के लिये 253 करोड़ रुपये की पेयजल योजना बनाकर जर्मन आर्थिक सहायता के लिये भेजी गयी है। जर्मन आर्थिक सहायता के लिये भेजी तो गयी है लेकिन यह मंजूर होगी अथवा नहीं होगी ? मान लो कि जर्मनी उसको स्वीकार नहीं करता, तो अपने पास कोई तरीका है लोगों को पानी पिलाने का। गंगानगर जिले का नाम इसमें लिखा गया है जबकि सिर्फ नौ तहसीलों को इसके अन्दर शामिल किया गया है। केवल यह भ्रमित बात है। गंगानगर जिले में टोटल नीचे खारा पानी है, इस वक्त चार-चार, पांच-पांच दिन तक पीने का पानी लोगों को प्राप्त नहीं होता उस स्थिति के अन्दर गंगानगर जिले के लिए सिर्फ इतनी सी बात कही है कि नोहर तहसील के कुछ गांव उसमें शामिल किये गये हैं। वह भी मालूम नहीं कि जर्मनी की जो स्कीम भेजी है उसको जर्मन सरकार मान ही लेगी। कहीं भी श्योरिटी नहीं है। अगर वह नहीं माने तो हमारे पास कोई इसका आल्टरनेटिव नहीं है। इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है।

इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस चीज पर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां गंगानगर में 5 कालेज हैं, इसी तरह से हनुमानगढ़ और नोहर में भी कालेज हैं, उन कालेजेज का एफीलियेशन अजमेर यूनिवर्सिटी से है और बहुत लम्बे अरसे से हमारी यह डिमाण्ड चल रही है और कई बार हमने लिखित में भी निवेदन किया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेशन होना चाहिए। इसी तरह से हाई कोर्ट की बैंच का सवाल है। इसके लिए बहुत सारे मेमोरेण्डम भी दिये गये, कई दफा निवेदन भी किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखकर दिया गया है कि हाई कोर्ट के लिए हमको जयपुर ही नजदीक पड़ता है और आपने हमारे गंगानगर जिले को जोधपुर के साथ जोड़ रखा है। तो गंगानगर को जयपुर के साथ जोड़ना चाहिए।

हमारी कच्ची बस्तियों का मामला है

(श्री राधेश्याम)

इसमें शिव कालोनी, इन्दिरा कालोनी, गांधी कालोनी, पटेलनगर आदि कालोनीज है इनका 1985 के सर्वे में नाम आया हुआ है और इनका सर्वे किया हुआ है वह सर्वे रिपोर्ट कहीं गुम हो गयी। उसके बाद प्रशासन जब शहरों की ओर गया तो वहां कमिश्नर महोदया मिसेज हल्दिया पधारीं। उनसे हजारों गरीब हरिजन जो इन बस्तियों में रहते हैं, खड्डों में और नीचे इलाके में रहते हैं उन्होंने प्रार्थना की कि हमें पट्टे दिलाये जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्वे रिपोर्ट मिस हो गयी है और मैं दुबारा सर्वे करा कर आपको पट्टे जल्दी से जल्दी दिलाऊंगी। लेकिन उसके उपरान्त यह हुआ कि सरकार बनते ही उनको नोटिस आ गये। उनके ऊपर मुकदमे चलाये गये हैं। वह बहुत ही गरीब आदमी हैं जो कि कम से कम तीस सालों से वहां निवास कर रहे हैं निचले इलाके में जहां पानी भरा रहता है। शिव कालोनी, पटेलनगर, गांधी नगर, बापू बस्ती यह सारी बस्तियां ऐसी है कि जो बिलकुल निचले इलाके में हैं और गरीब हरिजन लोग वहां निवास करते हैं। उनको जल्दी से जल्दी पट्टे दिलवाने का प्रबन्ध किया जाए।

इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की बात कही गयी है। हजारों की तादाद में चोरियां हो रही हैं। कोई-कोई तो 10 लाख की चोरी हुई है। दस हजार से लेकर दस लाख की चोरियों का आज तक कोई पता नहीं चला। दुनिया भर के मर्डर हुए हैं। गंगानगर के लोगों ने आपको लिखकर दिया है और आपकी नालेज में है। वह मर्डर कौन कर गया, क्यों हुए इसका भी मालूम नहीं है। हां, बजट में यह बात जरूर कही गयी है कि पुलिस की मुस्तैदी के लिए कुछ जीपें दी जायेंगी, कुछ वायरलैस सैट दिये जायेंगे और कुछ इसी तरह का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपिये। आप इस कार्य के लिए उनको जिम्मेदार बनाइये कि इन केसेज में ऐसा होगा तो उसके लिए एस.पी., डी.एस.पी. या कोतवाल जिम्मेदार होगा। इतने दिनों के अन्दर चोरी की बरामदगी नहीं हुई या इतने दिनों में जो मर्डर हुआ है उसका पता नहीं चला या डकैती हुई है उसके लिए उनकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो यह कार्य राजस्थान में इसी तरह से जारी रहेंगे और हम और आप यहां बोल कर चले जायेंगे इसका अर्थ कोई नहीं रहेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कहने को तो किसानों की सरकार है, बजट भी बहुत अच्छा दिया, सैल्स टैक्स में कमी है वह तो अच्छी बात है, देर आयद दुरुस्त आयद – आये तो सही लेकिन इसके साथ ही साथ जो ट्रैक्टर है वह जमींदार के काम आता है इसमें उस ट्रैक्टर को तो छोड़ दिया। कारों के लिए, फियेट के लिए और जो भी व्हीकल्स हैं उनके लिए तो सैल्स टैक्स में कमी की है लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर के ऊपर सैल्स टैक्स वही का वही है जो पहले था। इसका आप स्पष्टीकरण दें क्योंकि वह किसान के यूज करने की चीज है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आपकी बात मानी जाएगी।

164

श्री राधेश्याम : बड़ी कृपा है आपकी।

मैं निवेदन कर रहा था कि जब हमारे मुख्य मन्त्री महोदय गंगानगर से चुनाव लड़ रहे थे उससे पूर्व जब वहां राष्ट्रपति शासन था उस समय कलक्टर श्री डी.डी. सूद थे और श्री धवन डी.आई.जी. थे और तीन माह पूर्व ही उनकी पोस्टिंग वहां हुई थी और वह पोस्टिंग इसलिए की गयी कि उनकी सी.आर. हमेशा बहुत अच्छी रही है, अच्छा समझकर उनकी पोस्टिंग हुई क्योंकि वह बड़ा जिला है और इधर हरियाणा, पाकिस्तान और पंजाब से सटता हुआ जिला है इसलिए संवेदनशील होते हुए कुशल अधिकारियों को वहां भेजा गया। लेकिन यह हुआ कि चार महीने के बाद जब वहां चुनाव हुए तो चुनावों के अन्दर हरियाणा के हमारे पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलालजी भी वहां मौजूद थे, श्री बलराम जी जाखड़, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भारत सरकार भी वहीं थे, वहीं श्री ओमप्रकाश जी चौटाला मौजूद थे, वहीं श्री भजनलाल जी मौजूद थे और वहीं हमारे भैरोंसिंह जी चुनाव लड़ रहे थे उस सारी चीज को देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा इन्तजाम किया और हमारे जो चुनाव कमिश्नर रहे हैं उन्होंने उनको प्रमाण पत्र दिया कि आपके जैसा कोई कलक्टर नहीं है लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर क्योंकि वहां से हार गये तो उनसे नाराज हो गये। वैसे यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने ट्रांसफर क्यों किया लेकिन वहां पर पीसफुल चुनाव हुए और इस तरह का सुन्दर वातावरण बनाया और जब वहां से चले तो दो हजार आदमी स्टेशन पर आंसू बहा रहे थे। यह इसलिए कि उन्होंने अच्छा कार्य वहां किया, 4 महीने के अन्दर उन्होंने जो अपनी वहां रेपूटेशन बनायी। विकास के लिए और लोगों से मिलने के लिए इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। आज तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली। ऐसा अन्याय कभी नहीं हुआ। मेरी कोई वकालत नहीं है। उनको वहां से हटाकर यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई और बैठे थे और वह आई.ए.एस. अधिकारी थे जिनकी सी.आर. आउटस्टैंडिंग है। वह अधिकारी आज धक्के खाता-खाता फिर रहा है क्योंकि वहां से हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हार गये। अगर उनको जिता देते, ऐसा कोई तरीका जिताने का होता तो वह अच्छे होते। इसी तरह से धवन साहब डी.आई.जी. 4 माह पूर्व लगाये गये और केवल 6 महीने मात्र उनके रिटायरमेंट के थे उनको वहां से हटाया गया। भाटी साहब और उनकी बनती नहीं थी। उनकी पोस्टिंग की और फिर उनका उन्होंने वापस ट्रांसफर करवा दिया और फिर तीसरे व्यक्ति को लगाया।

इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा-सा निवेदन करूंगा। बजट भाषण में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि जो नये विद्यालय बनेंगे उनके भवनों के लिए कुछ राशि रखी गयी है या नहीं। आज सैकड़ों भवन ऐसे हैं जिनकी छतें गिरने वाली हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। अन्दर इसलिए डर के मारे नहीं जाते कि कहीं छत नहीं गिर पड़े। उस के लिए भी बजट के अन्दर कोई जिक्र नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदया, 1978 के अन्दर चीफ मिनिस्टर श्री भैरोंसिंहजी थे

(श्री राधेश्याम)

उस समय उन्होंने एक घोषणा की थी कि गंगानगर जिला एक संवेदनशील जिला है और बहुत बड़ा जिला है, वहां के छात्र बड़े प्रतिभाशाली हैं और वह भारत का नाम सारी दुनिया में ऊंचा रखते हैं, गंगानगर का जो स्टेडियम है वह यदि बनेगा तो हिन्दुस्तान से बाहर की टीमें भी यहां आकर खेला करेंगी ताकि पाकिस्तान वालों को यह मालूम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान से बिलकुल सटा हुआ है। स्टेडियम पर 2-2-½ लाख रुपया नगर विकास न्यास ने खर्च किया था और आज तक एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि उस स्टेडियम का भी ध्यान रखा जाए।

इसी तरह से पीने के पानी की समस्या जो मैंने आपके सामने रखी थी, गंगानगर शहर में आज आप पता करवा लीजिये तीन-तीन दिन तक पानी और बिजली दोनों गुल हैं। तो यह सरकार किस दिशा में जा रही है। पीने के लिए पानी नहीं होगा तीन दिन तक, जो सबसे अहम चीज है। जिस नगर की आबादी तीन लाख के करीब हो और अड़ौस-पड़ौस में दुनिया भर के गांव हों, नीचे का पानी खारा हो तो आखिर हम क्या चीज पब्लिक को देना चाहते हैं। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि आप बिजली और पानी जो 4-4 दिन तक बिजली गुल रहता है, बिलकुल नहीं आता, उसकी व्यवस्था करें। नाम तो हम लेते हैं कि दो हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो रहा है, इण्डस्ट्रीज यहां पर बहुत हो रही हैं। कैसे होगी ? बिजली तो हमारे पास है ही नहीं। जब पहले वाले लोगों को भी हम बिजली पर्याप्त नहीं दे पाते, 7-7 सालों से ट्यूबवैल के कनेक्शन बाकी पड़े हैं, अभी तक वे कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि इस तरह का जिला है, सबसे उपजाऊ जिला है। गंगानगर जिले से जहां तक मेरी नॉलेज है 10 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हमारी सरकार को होती है। उस जिले की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, गंगनहर की रिपेयर के लिए जो पैसा रखा गया था। 10 करोड़ उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया। मैंने 9 तारीख को भी कहा था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामप्रताप कासनियां : पढ़ा नहीं है, जिक्र है।

श्री राधेश्याम : गंगनहर का जिक्र नहीं है, मैंने तो पढ़ा है आप दुबारा पढ़ लें, आप भी वहीं के हो। बहुत अच्छी बात होगी अगर है और मेरे पढ़ने में कहीं कमी रह गयी है तो कृपया आप दूर कर देना। आप भी मेरे राशि भाई हैं। तुला राशि है आपकी भी। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और उसी जिले से हो आप।

किसानों के लिए बीज की बात जो यहां कही गयी है उसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि प्रमाणित बीज जो हमारे दुकानदार बेचते हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती है। हमें यूनिवर्सिटी से सब्सिडाइज रेट पर किसानों को बीज देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आप तो पिछली बार भी बहुत देर तक बोल रहे थे।

श्री राधेश्याम : एक मिनट में खतम कर दूंगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों को बीज सब्सिडाइज रेट पर मिले और प्रमाणित बीज, बढ़िया से बढ़िया देने चहिए। मैं पहले भी 9 तारीख को निवेदन कर चुका था, दुबारा पुन: आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। अभी छुट्टियों में लौटा, वास्तव में मैं बिलकुल सही अर्ज कर रहा हू, 6-6 इंच और एक-एक फीट पानी गलियों में भरा हुआ है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप रिपीट कर रहे हैं, दूसरों की भी बारी है।

श्री राधेश्याम : ड्रेनेज का सिस्टम इतना खराब है। रोड की कोई लाइट जलती नहीं है। वही गंगानगर था, जगमगाता था, पता नहीं उसको क्या नजर लग गयी अब बिलकुल अंधेरा छाया हुआ है। कृपा करके मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर महोदय से आप भी मेरी सिफारिश करें और गंगानगर के विकास में योगदान दें, मैं उनका आभारी रहूंगा।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा): सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सन् 1994-95 को जो बजट पेश किया है इसकी प्रशंसा सभी वर्ग के व्यक्ति कर रहे हैं। गलियों में, फुटपाथों पर, सुबह-सुबह मेरी घूमने की आदत है, मैंने हर वर्ग के व्यक्ति से इस बजट की प्रशंसा सुनी है। वार्षिक योजना का आकार जो इस वर्ष 2450 करोड़ रुपये का रखा है उसमें पिछले वर्ष के बनिस्पत 44 पर्सेण्ट की वृद्धि है। वर्ष 1994-95 की योजना में विभिन्न मदों में जो खर्च करने का प्रावधान रखा है वह भी सराहनीय है। जैसे कृषि और सम्बन्धित सेवाओं पर 240.55 करोड़ रुपये रखा हैं, ग्रामीण विकास पर 191.06 करोड़ रुपये, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 9.66 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है यह भी सराहनीय है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 414.88 करोड़ रुपये और विद्युत पर इस वर्ष सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा 640.45 करोड़ रुपये। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि गंगानगर में बिजली की कमी है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि बिजली की पूर्ति सूरतगढ़ थर्मल पावर से होगी और वह गंगानगर जिले में ही बन रहा है।

इसके अलावा उद्योग और खनिज पर 105.14 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, परिवहन पर 163.93 करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा है, वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान पर 5.47 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा गया है यह भी सराहनीय है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं प 634.61 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, आर्थिक सेवाओं पर 19.3 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, सामान्य सेवाओं पर 24.89 करो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। कुल मिलाकर इस वर्ष का बजट जो है वह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार की मंशा है, गांव और गरीब किसान का भला करना। यह इस बजट में साफ जाहिर होता है। जैसे शिक्षा के बारे में राजस्थान में इतनी आर्थिक कठिनाई होने के बावजूद भी सन् 1975-76 के अन्दर शिक्षा के मद में 23 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किये जाते थे और अब इसे बढ़ाकर वर्तमान में करीब 214 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने का सरकार ने जो प्रावधान रखा है यह कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय औसत 208 से भी ऊपर है। राज्य के व्यय का 25 पर्सेण्ट से अधिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसमें से लगभग 60 प्रतिशत खर्चा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस वर्ष गांवों के अन्दर 2313 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। यह गांव और गरीब जो शिक्षा से वंचित रह गये थे उन लोगों के लिए वरदान है। वह भी मैं बताने जा रहा हूं 6 हजार वाली बात है।....(व्यवधान).... शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका क्राइ-टेरिया .. (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : माननीय सभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत 23 पर्सेण्ट बताया है, राष्ट्रीय औसत क्या होती है, आप बताइये। आपको किसने बतायी है यह बात ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : मैंने बताया है, राष्ट्रीय औसत 208 प्रति व्यक्ति है इससे भी ज्यादा राजस्थान में खर्च हो रहा है, 214 रुपये प्रति व्यक्ति। यह कहा है मैंने।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप। उनको बोलने दीजिये।

श्री घासीराम यादव : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत क्या है जो बोल रहे हैं यह।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैंने कहा है कि राष्ट्रीय औसत 208 रुपये प्रति व्यक्ति है। सभापति महोदया, इनके क्यों दर्द हो रहा है... (व्यवधान) मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, जो सही तथ्य है वह कहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस तरह से कैसे सवाल कर रहे हो। आप विराजें। उनको बोलने दीजिये। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। आप विराजें।

श्री घासीराम यादव : क्या यह सही है... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। आपको जवाब चाहिए ना ?

श्री रामप्रताप कासनियां : और 50 प्राथमिक पाठशालाएं शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में खोली जाएंगी। इसके अलावा इसका जो क्राइटेरिया है, सामान्य क्षेत्र में 250 की जहां जनसंख्या है वहां पर प्राथ-मिक पाठशालाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा रेगि-स्तानी क्षेत्र के अन्दर जहां 150 की जन-संख्या है उस क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालय

(श्री रामप्रताप कासनियां)

खोले जाएंगे। यह क्राइटेरिया माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने तय नहीं किया कि यहां पर कांग्रेस का विधायक है इसलिए यहां स्कूल नहीं खोलेंगे। यह क्राइटेरिया तय नहीं किया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है यहां ज्यादा स्कूल खोलेंगे। इस क्राइटेरिया के अन्दर....

श्री घासीराम यादव : यह तय हो गया क्या ? हमारे कहने से स्कूल खोलेंगे ? ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, क्यों बार-बार आप खड़े होते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं सही बता रहा हूं बिलकुल। 250 सामान्य क्षेत्र ....

श्री सभापति : जब राधेश्यामजी बोल रहे थे तब तो सुन रहे थे।

श्री परसादीलाल मीणा : सही नहीं बता रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, मुझे बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने यह स्कूल खोलने का क्राइटेरिया बताया है कि 250 की जनसंख्या जिस गांव की होगी...

श्री सभापति : यह कोई बात हुई ?

श्री रामप्रताप कासनियां : सामान्य क्षेत्र में, वहां प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएंगी और अनुसूचित जाति, जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 की जनसंख्या होगी वहां भी प्राथमिक शालाएं खोली जाएंगी। मैंने यह कहा है कि हमारी सरकार में जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में होता था, वह नहीं है।

श्री सभापति : मान गये।

श्री रामप्रताप कासनियां : हमने अपना क्राइटेरिया तय कर दिया है, जो नार्म्स तय कर दिये हैं उनके मुताबिक ही प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएंगी चाहे कांग्रेसी विधायक के क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल खुलें, हमें कोई एतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यादव साहब के भी खुल जाएगी।

श्री घासीराम यादव : ठीक है।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा 3646 ऐसे गांव हैं जहां पर प्राथमिक पाठशालाओं में एक-एक अध्यापक कार्यरत है उन 3646 गांवों में सरकार एक-एक अध्यापक और उपलब्ध करवायेगी। यह भी कोई कम बात नहीं है। इसके अलावा सौ प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत करने की बात कही है।

श्री परसादीलाल मीणा : एक हजार।

श्री रामप्रताप कासनियां : सॉरी, एक हजार पाठशालाएं क्रमोन्नत करने की बात कही है। इसके अलावा 90 उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है....

श्री घासीराम यादव : यह कम है, ज्यादा करो।

श्री रामप्रताप कासनियां : और 138 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अखबार न पढ़ें सदन में। लाइब्रेरी नहीं है, सदन है।

श्री रामप्रताप कासनियां : प्राथमिक पाठशालाओं में नामांकन में वृद्धि करने के लिए कमजोर वर्ग के बालक व बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान रखा है वह कोई कम बात नहीं है। आज तक महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इससे यह साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और जो गरीब से गरीब घर की लड़की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री सभापति : आप उधर लक्ष्य न करें, इधर करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह सही है। यह तो उन्होंने जान बूझकर शुरू कर लिया सभापति महोदय, मेरी यह आदत नहीं, उधर से शुरू हुआ है।

कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा कक्षा एक से पांच तक समस्त बालिकाओं-बालकों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएंगी, यह कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए तरसता है। पहली बात गांव में प्राथमिक पाठशाला नहीं और पाठशाला है तो फिर पुस्तकें खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता। सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे गांव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या 600-700 के ऊपर है, आज तक पाठशाला वहां पर नहीं खुली? इसका कारण यह है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया और इन्होंने तो इतना ही सोचा कि हमारे जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलने चाहिए।

श्री घासीराम यादव : आप मन्त्री क्यों नहीं बने? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, यह बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी बात अच्छी लगी, आपका भाषण इनको अच्छा लगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है वह पूर्व में इतना गिर चुका है कि एक तो इसमें कक्षा एक से पांच तक जो पास करने का प्रावधान रखा है इसके कारण से न तो अध्यापक पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और न बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। इसका कारण यह है कि कक्षा एक से लेकर पांच तक बिना पढ़े ही पास करने का प्रावधान रख दिया। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह संशोधन किया जाए कि कक्षा पांच की परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए। जिस पाठ-

170

(श्री रामप्रताप कासनियां)

शाला का रिजल्ट कमजोर रहे उस अध्यापक की लाइबिलिटी फिक्स की जाए ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके।

प्रतिपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गंगानगर में यह नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि गंगानगर का किसान जिस बात को लेकर पिछले बीस सालों से संघर्ष कर रहा था कि 'खुशहाली कर'' समाप्त किया जाए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने 9 करोड़ रुपये का जो किसानों को लाभ दिया है यह कोई कम बात नहीं है। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ी राहत है।

श्री सभापति : यह ठीक बात नहीं है, माननीय सदस्य। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, दूसरों को भी उकसा रहे हैं। बोलने दीजिये उनको।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं खुशहाली कर की बात कर रहा हूं, कोई गलत बात तो कर नहीं रहा हूं। सभापति महोदय, खुशहाली कर के 9 करोड़ रुपये की जो राहत दी है वह भाखड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस के समय में पिछले पन्द्रह सालों से वहां के किसान लगातार आंदोलन करते रहे, जेल में गये, आज भी कई लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं वह कांग्रेस की देन है। प्रतिपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्य अगर उस वक्त इस बात की चिन्ता करते तो यह बात आज नहीं होती कि किसानों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तब्दीलनामा वगैरह नहीं हो रहा है, दस्तवरदारी नहीं हो रही है, पेड़ काटने पर पाबंदी लगी हुई है। धारा 15एएए में संशोधन करके किसानों को दो मुरब्बा खातेदारी जमीन उपलब्ध करवायी गयी है, यह माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की देन है। ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, 24 मांगें थीं हमारी मांगपत्र में, जब हम मांगपत्र बनाने बैठे थे तो स्वर्गीय प्रोफेसर केदार, लालचन्दजी डूडी और हम चार-पांच और सदस्य थे, उस टाइम यह चर्चा चली थी कि यह तो मांगपत्र नहीं है, यह तो एक रामायण हो गयी। तो मैं कहना चाहूंगा कि उन 24 मांगों में से सिर्फ दो बातों को छोड़ कर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सारी की सारी मांगें गंगानगर जिले की पूरी की है। अब इससे ज्यादा किसानों का और भला क्या हो सकता है।

इसके अलावा वर्षों से तकावी ऋण बकाया पड़ा था, सभापति महोदया, यह जो तकावी ऋण है यह अकाल के समय किसानों को बीज के रूप में, ऋण के रूप में, सहायता के रूप में दिया गया था और पंचायत समिति के माध्यम से दिया गया हमारे यहां तो, यहां कोई और किसी माध्यम से दिया गया हो, मुझे पता नहीं, उसमें से 70 प्रतिशत लोन फर्जी है। फर्जी का मतलब पूर्व प्रधानों और सरपंचों ने झूठे अंगूठे लगा-लगा करके यह ऋण उठाया है। इनमें से 45 प्रतिशत लोगों ने पैसा जमा करवा दिया। यह वह लोग हैं जिनके बार-बार सरकार की तरफ से नोटिस आते और जिनके पास थोड़ा-बहुत पैसा था उन लोगों ने जमा करवा दिया। 25 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पैसा उठाया था, उन्होंने वैसे जमा करवा दिया और 30-35 प्रतिशत जो लोग बचे हैं वह गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए

(श्री रामप्रताप कासनियां)

अनाज नहीं है, उन लोगों का यह तकाबी ऋण माफ हुआ है।

इसके अलावा अनाज पर, ज्वार, मक्का, बाजरा पर वर्तमान में लागू 2.5 पर्सेण्ट बिक्री कर को पूर्णतः समाप्त करके किसान और गरीब को राहत प्रदान की है। चना उत्पादन में राजस्थान देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है परन्तु राजस्थान में चने पर बिक्री कर अधिक होने के कारण काश्तकारों को मजबूरी में अपने चने की फसल हरियाणा, पंजाब व दूसरी मण्डियों में बेचनी पड़ती है। अब इस पर कर के अन्दर छूट देकर 4 प्रतिशत से घटा कर 1.5 प्रतिशत किया है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे राजस्थान के काश्तकारों को भाव अच्छे मिलेंगे और सरकार को जो कर कम करने से घाटा हुआ है वह बिक्री ज्यादा होने से पूरा हो जाएगा।

सेम की समस्या के समाधान हेतु माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बजट के अन्दर पांच करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है यह सराहनीय है। माननीय सभापति महोदया, इस सेम की समस्या का समाधान कराने के लिए हमारे वहां के किसान पिछले 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। पता नहीं कितनी बार किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है, जेल में गये हैं। बार बार कांग्रेस सरकार के जमाने में मैंने मेरी आंखों से देखा है, प्रतिपक्ष के नेता माननीय मदेरणा साहब उस टाइम सिचाई मन्त्री थे, मौका देखने गये, कांग्रेस के मुख्य मन्त्री वहां मौका देखने गये, कई मन्त्री वहां मौका देखने गये; कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है मौका देखने पर जितना पैसा कांग्रेस सरकार के टाइम में खर्च हुआ है, उतने पैसे से उस समस्या का समाधान हो सकता था परन्तु समस्या का समाधान नही करके और दौरा कर अधिकारी हो चाहे मन्त्री हो वापस आ गये, कुछ नहीं किया। माननीय शेखावत साहब ने इस बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदया, आज गांवों में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। उनको न खाने के लिए अनाज है और न रहने के लिए मकान है, न पशुओं के लिए चारा है। कई बार यहां इस सदन में +++ की जब आवाज आती है तब मुझे रोना आता है। सेम, हमारे वहां है, हम तो सेम उसको कहते हैं, पढ़े लिखे सीपेज कह देते हैं। हम सेम बोलते हैं उसको। तो मेरा कहने का मतलब है इन गांवों की हालत इससे सुधरेगी और वहां का किसान जो है, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को देवता के रूप में पूजेगा इस सेम की समस्या का समाधान करने के लिए। माननीय सभापति महोदया, मैं सही कह रहा हूं। प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनको पता नहीं, उनको पीड़ा नहीं है कि सेम क्या बीमारी है।

श्री सभापति : उनको तो आपका भाषण पसन्द आ रहा है।

श्री रामप्रताप कासनियां : सेम बहुत भयंकर बीमारी है। इसके अलावा सभी स्तरों पर क्रय कर समाप्त कर दिया गया है, यह इण्डस्ट्री के अन्तिम बिन्दु पर ले

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जाया गया है इससे किसानों और व्यापारी, दोनों को राहत मिलेगी। मोटर वाहन के ऊपर जो कर कम किया गया है, इसमें जो घाटा हुआ....

श्री सभापति : कनक्लूड़ करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सभापति महोदया, मुझे कभी-कभी तो मौका मिलता है। हमारी पार्टी के दूसरे व्यक्ति का टाइम काट लें आप।

मोटर वाहन के ऊपर जो कर कम किया गया है इससे राजस्थान को जो घाटा हुआ है इसकी पूर्ति राजस्थान में बिक्री ज्यादा होने से हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेक्टर वाली बात जो कह रहे हो उस पर पहले ही कम कर रखा है चार प्रतिशत। आपकी बात से सहमत-हूं, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ट्रेक्टर पर जो कर है, वह हरियाणा, पंजाब की भांति लगाया जाए। और जो घाटा होगा उसकी पूर्ति ट्रेक्टरों की बिक्री ज्यादा होगी उससे अपने आप ही हो जाएगी। गरीबों को बिक्री कर में राहत दी गयी है। जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा आदि के बर्तन कौन खरीदता है? माननीय सभापति महोदया, यह गरीबों के बर्तन हैं। इस पर जो 8 प्रतिशत कर लगता था उसको घटाकर 2.5 प्रतिशत किया है इससे गरीबों को राहत मिलेगी। चमड़े को छोड़कर 100 रुपये तक के जो जूते हैं उनको भी पूर्णतः कर मुक्त कर दिया गया है। इन जूतों को गरीब पहनता है, कोई अमीर आदमी 100 रुपये के जूते नहीं पहनते। अमीर आदमी तो आजकल हजार-हजार, दो-दो हजार के जूते पहनते हैं। इसके अलावा आज कपड़े की सिलाई 50–50, 60–60, 100–100 रुपये एक-एक शर्ट और कमीज की है। माननीय सभापति महोदय, रेडीमेड कपड़ा, जो बना बनाया तैयार है, 100 रुपये तक का है वह पूर्णतः कर से मुक्त कर दिया गया है इससे गरीबों को फायदा होगा। 100 रुपये तक के कपड़े गरीब ही पहनता है।

माननीय सभापति महोदया, लघु उद्योग को भारी छूट दी गयी है जिससे लोगों को काम मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : इससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एलोपैथिक दवा जैसे-कैंसर किडनी के मरीजों के काम में आने वाली दवाओं को पूर्णतः कर से मुक्त कर दिया गया है। सिगरेट पर जो पांच प्रतिशत कर लगाया है, उसको कोई गरीब नहीं पीता, अमीर लोग ही पीते हैं, मेरे जैसे गरीब, गांव में रहने वाले तो बीड़ी पीते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है।

ऊर्जा पर इस वर्ष सबसे ज्यादा 635 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष 750 नये गांवों को विद्युतीकृत करने का जो प्रावधान रखा है वह सराहनीय है। 25 हजार कुओं को ट्यूबवैल्स को कनेक्शन देने का जो प्रावधान रखा है उससे किसानों को राहत मिलेगी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदया, और भी कई करों में छूट दी है। मैं एक-एक की तो चर्चा नहीं करूंगा। (व्यवधान) पढ़ नहीं रहा हूं। मैं इसके अलावा हमारे....

श्री घासीराम यादव : माननीय सभापति महोदया, तीन....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप बिराजें। यह नहीं पढ़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बिराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले के अन्दर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ... (व्यवधान) ... मुझे बार-बार डिस्टर्ब करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आधा टाइम तो यह खा गये बीच में।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पेस्टिसाइड और खाद पर जो कर लगता है उसको भी हरियाणा, पंजाब के बराबर किया जाए। क्योंकि और जिलों का तो मुझे पता नहीं, हमारे गंगानगर में लगभग 70 पर्सेन्ट पेस्टिसाइड और खाद हरियाणा, पंजाब से खरीद कर किसान लाते हैं। तो मेरा यह निवेदन है इसमें हरियाणा, पंजाब की भांति कर कम कर दिया जाए। बिक्री बढ़ने से इसका घाटा पूरा हो जाएगा।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभी दो मिनट में। माननीय सभापति महोदया, आप जब घण्टी बजाते हो, मैं हार्ट का मरीज हूं, वैसे ही मेरा दिल टूट जाएगा।

श्री सभापति : आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इसको पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सभापति महोदया, सन् 1988-89 में जलदाय विभाग की जितनी भी स्कीम्स मेरे क्षेत्र में बनी थीं वह सारी की सारी अधूरी पड़ी हैं। वैसे पूरे खर्च कर दिये गये। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं....

श्री सभापति : आप पूरा कीजिए, उदाहरण नहीं दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : 4-5 आर. एम. 24 एस. डी. की पेयजल योजना 1988-89 में बनी थी।

श्री सभापति : आपका समय पूरा कर देती हूं मैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : उस पर 20 लाख रुपये खर्च हो गये। अलग से ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है, एक आदमी रखा हुआ है। जो हर महीने तनख्वाह उठाता है। विभाग के बिल आता है और पानी उस स्कीम में अभी तक नहीं चला। वह 1988-89 से चालू कर रखा है। इस तरह बड़ोपल गांव है, इसी तरह से जाकड़ावाली गांव है। एक दो डी. डब्ल्यू. एस. एम. है। मेरे कहने का मतलब है इन स्कीम्स पर कम से कम करोड़ों रुपये खर्च हो गये, करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भी गांवों में अभी तक पानी नहीं मिला है, यही मैं बता रहा हूं। 1988-89 की देन है। 50 प्रतिशत

(श्री रामप्रताप कासनियां)

स्कीम ऐसी है जो 1988-89 और 1985-86 में जो बनी थीं, उन पर पूरा पैसा खर्च हो गया और पानी अभी तक लोगों को पीने के लिए मिला नहीं है। यह हालत है।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गंगानगर के लिये सब कुछ कर दिया। हमारे एक बीमारी और है, "हुई-बुई प्रणाली" में सरचार्ज समाप्त किया जाए। यह भी मांग है जो उस मांग पत्र में थीं। "हुई-बुई" का मतलब फसल जो काश्त करते हैं उसी पर माली रकम लगती है। यह तो सही है परन्तु पूर्व में सरचार्ज जो लगाया था, जो बहुत बड़ा काश्तकार हुआ करता था, जिस काश्तकार के पास तीन सौ बीघा जमीन होगी उस पर चार आना बीघा के हिसाब से 75 रुपये माली रकम के लगते थे, उसको बड़ा जमींदार मानकर उस पर सरचार्ज लगाया था। 75 रुपये जिस काश्तकार के माली रकम के लगते हैं उसके 25 प्रतिशत तक यह सरचार्ज लगाया था। 75 से 100 होते ही 50 प्रतिशत और उससे अधिक होते ही बराबर सेंट पर्सेण्ट मतलब दुगुना। इसको समाप्त किया जाए। या तो माली रकम जैसे पहले चार आना बीघा लगता था अब पांच रुपये है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हुई-बुई पर पांच रुपये बीघा के हिसाब से माली रकम लगती है इसलिए या तो इस सरचार्ज की सीमा को बढ़ा कर 1500 रुपये तक किया जाए....

श्री सभापति : श्री ए. ए. खान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20-25 गांव ऐसे हैं जिनमें आर. पी.सी. लागू कर दिया गया। उन गांवों में कानून कायदे वही लागू हैं जो सिंचित एरिया में हैं। उनकी सीलिंग सीमा वही है और दूसरे कानूनी कायदे कमाण्ड क्षेत्र के हैं। उन गांवों में पीने तक का पानी नहीं है। पुराने वक्त के अन्दर स्कीम बनी थी, हमारे पिछले तीन वर्ष के कार्यकाल में स्कीम बनी थी। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इससे उन गांवों को एक तो पीने के लिये पानी मिलेगा और दूसरा वहां की जमीन सिंचित होगी। सरकार के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में कोई फर्क नहीं है। अगर प्रथम चरण में उन गांवों में नहर निकाल दी जाए तो जितना अनाज द्वितीय चरण में एक मुरब्बा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जमीन में पैदा होगा वहां दो बीघा में उतना ही अनाज पैदा हो जाएगा और साथ में पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : सभापति महोदया, आप दायें-बायें देखते हैं, हम सामने बैठे हैं, कभी-कभी तो हमारे ऊपर भी नजर डालें।

श्री सभापति : यहां पर जो लिस्ट बनी हुई है उसी के अनुसार चल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : लिस्ट में मौजूद है, देख लीजिये आप।

श्री सभापति : मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रही हूं।

श्री एमामुद्दीन अहमद खान (तिजारा): माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ पाइन्ट्स इस बजट पर पेश करना चाहता हूं। वर्ष 1993-94 का रेवेन्यू डेफिसिट रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार 317.17 करोड़ रुपये और 1994-95 का रेवेन्यू डेफिसिट 482.77 करोड़ रुपये आंका गया है। राज्य की इस खराब स्थिति के लिये मुख्य मंत्रीजी ने राष्ट्रपति शासन को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन 1994-95 का जो यह रेवेन्यू डेफिसिट का एस्टीमेट है, मुख्य मंत्रीजी ने यह जो बयान दिया है इसको न सिर्फ असत्य साबित करता है बल्कि यह एक ग्रोस फाइनेन्शियल मिसमैनेजमेंट का भी उदाहरण है। वर्ष 1992-93 में 4531.27 करोड़ रुपये थे, 1994-95 में 5566.04 करोड़ रुपये का नान प्लान एक्सपेण्डीचर में रखे हैं। इस लगातार वृद्धि से स्पष्ट जाहिर है कि राज्य के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसको कितने अनप्रोडेक्टिव कार्यों में खर्च किया जा रहा है। महोदया, इस बजट में ये संकेत कहीं भी नहीं मिलते कि मुख्य मंत्रीजी इस गम्भीर समस्या से वाकिफ हैं या उन्होंने इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक चिन्ता व्यक्त की है और उसके समाधान हेतु कोई भी कदम उठाया है। इसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स का इसमें कोई उन्होंने यह नहीं बताया कि शायद कुछ साल पहले एक कमेटी बैठायी गयी थी जिसने रिपोर्ट पेश की थी कि पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स में आगे क्या करना चाहिए था। पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स में लोस का बहुत बड़ा रीजन यह है कि वहां ओवर स्टाफ है। सैक्रेटेरियेट में जब वहां के ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं तो उनको कान्ट्रेक्ट बेसिस पर वापस ले लिया जाता है और दूसरी तरफ पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स में जहां एक्सेस स्टाफ है वहां पर उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता। यह उदाहरण है नान प्लान एक्सपेण्डीचर के बढ़ने का।

राज्य के लिए जो विदेशी मुद्रा कमाने वाले दो व्यापार क्षेत्र है, जेम्स एण्ड ज्वेलरी और टूरिज्म, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में टूरिज्म पर 6 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुख्य मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में यह बताया है कि पूरे देश में 20 हैरिटेज होटल्स में 15 हैरिटेज होटल्स सिर्फ राजस्थान में हैं। इससे यह जाहिर

(श्री एमामुद्दीन अहमद खान)

होता है कि राजस्थान में क्या पोटेंशल टूरिज्म का है। 12 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है यह 'सिर्फ एक जयपुर के रामबाग होटल के एनुअल टर्न ओवर के बराबर है।

इसी तरह इण्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन केवल मात्र इन्द्र देवता पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज एवं फाइनेन्शियल हैल्प पर भी निर्भर करता है। और क्या यह सही नहीं है, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बैंकों में विभिन्न उद्योगों जैसे टैक्सटाइल्स, मार्बल, सीमेन्ट इत्यादि की बड़ी-बड़ी बिल लिमिट्स हैं वह अण्डर यूटिलाइज्ड हैं और जो क्रेडिट डिपोजिट रेश्यो है वह राज्य के स्तर से बहुत कम है ? राज्य में सितम्बर 1993 में 49.86 प्रतिशत था और पूरे देश में यह स्तर 58.45 प्रतिशत है। धन्यवाद।

श्री घासीराम यादव : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदया, मंत्री महोदय आसन की तरफ पीठ करके बैठे हैं।

श्री सभापति : श्री विजयेन्द्र पाल सिंह। (अनुपस्थित) श्री रामपाल जी उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, 1994-95 का जो आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत किया है उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। मैं इस अनुमान के पृष्ठ-पहले पर तीन सूत्र इसी के पढ़ना चाहता हूं। पहला सूत्र यह है कि राज्य का बजट मात्र लेखांकन प्रक्रिया ही नहीं है अपितु यह सरकार का जन सामान्य के साथ विकास संवाद भी है। निवेदन यह कर रहा हूं कि इन तीन सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में हमको इस बजट को देखना, परखना होगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि बजट केवल संसाधनों का वितरण ही नहीं है वरन् पूर्व में चालू नीतियों एवं कार्यक्रमों की विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा भी है। तीसरा सूत्र यह है कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार व रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटा कर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना हमारा लक्ष्य होगा जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके और हरेक व्यक्ति को गरिमामय जीवन-यापन का मौका मिल सके। इन तीन सूत्रों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट का मूल आधार माना है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रदेश के आम अवाम की, प्रदेश के प्रत्येक तबके की उन्नति के तौर-तरीके हों।

(17.00)

मुझे सारे बजट को पढ़ने के बाद लगता है कि यह बजट जन सामान्य के साथ विकास संवाद नहीं के बराबर कर रहा है या यह कहूं कि इस बजट में कहीं गतिशीलता नहीं है, कहीं साहसिकता नहीं है। मैं आगे उदाहरण देकर आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी प्रदेश, कोई भी देश बगैर साहसिकता के, बगैर गतिशीलता के आगे नहीं बढ़ सकता और बजट के लिये मात्र इधर-उधर की या सस्ती लोकप्रियता की बात किये जाने से राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों वाला प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इससे सस्ती

(श्री रामपाल उपाध्याय)

लोकप्रियता तो मिल सकती है। मैं आगे उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया, कि इस सबसे विकास के नये सोपान नहीं बन पाये हैं और जब विकास के नये सोपान नहीं बन पाये हैं तो अगली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह देखना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना प्रगतिशीलता की पहचान है लेकिन आप यह देखेंगे कि 1991-92, 92-93, 93-94 और 94-95 में प्रति व्यक्ति आय हमारे राज्य की कम पड़ रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि मात्र वादों का बजट बनाने से, मात्र कल्पनाओं का बजट बनाने से प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं उदाहरण के रूप में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपये की हैं और इस ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपये में हमको करीब-करीब पचपन सौ करोड़ के हमारे स्वयं के साधन जुटाने पड़ेंगे। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह साधन कैसे जुटाये जाएंगे। पंचवर्षीय योजना का हमारा जो लक्ष्य है वह कुल ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ का है। इन ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ में जो हमारे पास विगत तीन वर्ष का लेखा-जोखा है वह 1992-93 में चौदह सौ करोड़ का था उसके विरूद्ध 1406.67 करोड़ व्यय हुए, 1993-94 में 1700 करोड़ थे उसके विरूद्ध 1704.76 करोड़ खर्च हुए और 1994-95 में 2450 करोड़ का प्रावधान है। यह कुल मिलाकर हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ में से 5561.43 करोड़ के व्यय का प्रावधान है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1995-96 और 96-97 दो वर्षों में हमारे पास इस आठवीं पंचवर्षीय योजना का बाकी का 5938.57 करोड़ खर्च करना होगा। उन दो वर्षों में करीब बाइस सौ करोड़ रुपये हमारे प्रदेश के आमदनी के स्रोत होने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी 1994-95 की जो वार्षिक योजना है

(17.04)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

वह 2450 करोड़ की है इस 2450 करोड़ की योजना में हमको यह देखना होगा कि यह किस तरह से आगे चलेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है अगर हम विस्तार से इस लेखे-जोखे को देखें कि यह वर्षवार कितना घाटा हो रहा है, तो सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 1992-93 का 5.7 करोड़ का घाटा था, 1993-94 का 128.65 करोड़ का घाटा था और 1994-95 का 206 करोड़ 31 लाख का घाटा है यह कुल मिलाकर 340.56 का घाटा हो गया। अब इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था में मुझे बी.जे.पी. का एक अजीब विरोधाभास लगता है कि जब केन्द्रीय सरकार छह हजार का अपूरित घाटा छोड़ती है तो उस समय उसकी प्रतिक्रिया आती है अजीब तरह की और विसंगति यह है कि जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान में 340.56 करोड़ का घाटा अपूरित रूप से छोड़ते हैं और उस घाटे के लिए कोई भी ठोस बात नहीं कहते, मात्र यह बात कहते हैं कि हम इसके अन्दर....

178

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप ऐसी व्यवस्थाएं छोड़ गये, हम क्या करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : श्रीमान्, अभी आप व्यवस्थाओं के बारे में आगे चलिये। महावीरजी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 2450 करोड़ में से हमको 1150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके अन्दर फिर 340.56 करोड़ रुपये का अपूरित घाटा हमारे सामने है। अब हमारे पास सरप्लस रेवेन्यू....

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार नहीं है हाउस में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : है, आपको दिख नहीं रही है क्या सरकार।

श्री हरिसिंह : कौन ?

एक माननीय सदस्य : निर्दलीय हैं। यह तो कांग्रेसी हैं। (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : यह कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या ?

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री यातायात): माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य में + + + ही नहीं है कि हम सरकार हैं। ....(व्यवधान)....+ + + होता क्या है, आप तो पुराने आदमी हो। हम सरकार हैं, सरकार कभी + + + होती है क्या ? हम सरकार हैं। Government is Government....(व्यवधान)..

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : एक बटा दसवां हिस्सा ही है, बाकी सरकार कहां है, पता नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : सरकार का तात्पर्य है मंत्रिमण्डल एण्ड गवर्नर। क्या यह मंत्रिमण्डल की मीटिंग में बैठने के हकदार हैं ?

श्री सभापति : सदस्य हैं। प्लीज सिट डाउन।

श्री हरिसिंह : अगर मंत्रिमण्डल की मीटिंग में बैठने के हकदार नहीं हैं तो डिसीजन यह ले नहीं सकते, कोई नीति निर्धारण कर नहीं सकते फिर हम कैसे मान लें कि यह सरकार है। यह सरकार नहीं है।

श्री सभापति : आपकी बात आ गयी। It has been recorded, order please (व्यवधान) enough, enough.

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोई भी नहीं हो तो माननीय सुजान सिंहजी को बुला लो। ... (व्यवधान)....

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम 1994-95 का राजस्थान का इतिहास रचने जा रहे हैं और विकास की गति को बढ़ाने जा रहे हैं और एक लोकप्रिय सरकार होने के नाते आपका और हमारा सबका सम्मिलित दायित्व है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हमारे विनम्र अनुरोध को आप थोड़ा शांति से सुनने का कष्ट करें तो महती कृपा होगी।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 1150 करोड़ रुपये के 1994-95 में हम को हमारे आर्थिक स्रोत जुटाने होंगे। उसके तीन-चार तरीके हो सकते हैं। सरप्लस रेवेन्यू दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपये का हो सकता है, स्माल सेविंग, लोन के बारे में कुछ हो सकता है, एल.आई.सी. की विभिन्न योजनाओं में, जिनका भी हमको ब्याज देना पड़ेगा, हो सकता है और संस्थागत ऋण लेकर वह सारा हो सकता है। इस प्रकार कुल मिला कर यह सारा होने के बाद भी आज के दिन यह हमारा जो बजट है इसमें हमारे ऊपर ब्याज का भार करीब एक हजार करोड़ पड़ेगा। एक हजार करोड़ के ब्याज का भार पड़ेगा तो हमारा जो संस्थागत ऋण है, बीच में इस एक हजार करोड़ को 1150 करोड़ रुपये करने के लिए इन्होंने बॉण्ड्स की बात की है कि अट्ठाइस सौ करोड़ के बांड्स जारी करेंगे। मेरा निवेदन है कि 16.5 प्रतिशत उसका ब्याज है। अगर यह बांड्स वगैरह सारा कुछ करेंगे तो भी कुल मिला कर के मेरी अपनी जहां तक गणित है, मैं जहां तक अपनी छोटी बुद्धि से सोचता हूं कि इसमें कुल मिला कर कमी रहेगी और जब कमी रहेगी तो यह निश्चित मान कर चलिये कि कि यह हमारा जो बजट का, हमारी योजना का आकार है निश्चित तौर पर छोटा होने की सम्भावना हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे इस आकार को छोटा नहीं होने दें। अगर इस बार हमारा यह आकार छोटा हो गया तो 1995-96 और 1996-97 अगले दो वर्ष में हमारी 1150 करोड़ की अष्टम पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो सकती।

श्रीमान्, मैं आगे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी इस बजट में कहा गया है कि हम आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत 500 करोड़ की, राज्य के आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए कई परियोजना बना कर के ऋण लेंगे। जैसा चन्दनमल जी साहब ने अपने भाषण में बताया मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि 11,468.33 करोड़ का हमारा कुल कर्जा हो जाएगा और इस कर्जे में भी जैसा उन्होंने बताया, मैं फिर इस पर जोर देकर कहना चाहता हूं, 40 वर्षों में तो हमारा कर्जा 5,411.6 करोड़ रुपया हुआ और चार वर्षों में 6,057.7 करोड़ रुपया कर्जे का भार बढ़ेगा। जब कर्जे का भार बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्थाएं अपूरित रहेंगी, हमारे घाटे की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई खास बात नहीं होगी तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि फिर हम कहां जाकर टिकेंगे। श्रीमान्, मैं एक आंकड़ा देकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रति व्यक्ति-आय की स्थिति इस समय क्या है? 1991-92 में हमारी 1897 रुपया है, 1990-91 की तुलना में 9.46% की उसमें वृद्धि हुई। 1992-93 में 5,035 रुपया रही और उसमें 14.38 पर्सेण्ट की वृद्धि हुई। 1993-94 में हमारी 5,009 हुई और उसमें 0 02 पर्सेण्ट की कमी आयी और मुझे लगता है कि इस 1994-95 के बजट में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसे सोलिड काम, कुछ ऐसे प्रस्ताव आने चाहिए जिसके आधार पर कम

(श्री रामपाल उपाध्याय)

से कम हमारा यह घाटा कम पड़े, हमारे पर कर्जा कम पड़े, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार का स्वागत है।

श्रीमन्, मैं अगली बात कहना चाहूंगा शिक्षा पर। शिक्षा मन्त्रीजी शायद नहीं हैं, शिक्षा के मामले में बहुत दयनीय स्थिति हमारे प्रदेश की है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 1951 की जनसंख्या के आधार पर हमारी राज्य में पुरुष साक्षरता 54.99 पर्सेण्ट है और महिला साक्षरता 20.44 पर्सेण्ट है और इन दोनों को मिला कर टोटल हमारी जो एवरेज पर्सेण्टेज है वह 38.55 है जबकि हमारा राष्ट्रीय साक्षरता का पर्सेण्टेज 52.21 है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जहां भारतवर्ष में पुरुषों की 54.13 पर्सेण्ट साक्षरता है, वहां राजस्थान में 54.99 पर्सेण्ट साक्षरता है और जहां भारतवर्ष में राष्ट्रीय महिला साक्षरता का प्रतिशत 39.29 है वहां मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा 20.44 पर्सेण्ट है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : यह दुःख किसने दिया ? महिलाओं को पीछे किसने रखा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह आपने हमने सम्मिलित रूप से रखा। इसका करो ना विचार। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आप आगे देखिये एक आंकड़ा, जो तकलीफ की बात है आपको और हमको सबको भाइयों को ज्यादा होनी चाहिए महिलाओं के लिए....

श्रीमती तारा भण्डारी : बहुत सारे प्रावधान महिलाओं के लिए किये हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं पाये।

श्री रामपाल उपाध्याय : अच्छा, धन्यवाद। जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद और हमने नहीं किया उसके लिए धन्यवाद। अब सुनिये।

श्री घासीराम यादव : माननीया जी, आप कुर्सी पर बैठती हैं तब तो बहुत टोका-टाकी करती हैं। अब तक दो बार बोल चुकी हैं आप। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत चिन्तनीय बात शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष तौर से महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारी भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण महिला साक्षरता है 30.62 पर्सेण्ट और हमारे राज्य की ग्रामीण महिला साक्षरता 11.69 पर्सेण्ट है, मीन्स वन थर्ड से भी कम। यह हमारे लिये बहुत चिन्तनीय बात है। मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पुरुष साक्षरता 51.87 पर्सेण्ट है और राज्य में हमारा 47.6 पर्सेण्ट है। पुरुष तो फिर भी ठीक हैं। एक अत्यन्त आश्चर्य और चौंकाने वाली बात कह रहा हूं, माननीय सिरोही से आने वाली सदस्या सुनें इसको, कि हमारे राज्य में 5.408 गांवों में एक भी महिला साक्षर नहीं है। इसी तरह से 800 गांवों में एक भी....(व्यवधान).... इसके लिये मैं स्वयं

(181)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जिम्मेदार हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मान्यवर, प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती तारा भण्डारी : +++ तो आप स्वयं को करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह हमारे लिये बहुत चिन्ता की बात है और मैं सोचता हूं। अब आपको निवेदन करूं कि प्राथमिक विद्यालय हैं, हमारे प्रदेश में कुल 38 हजार के लगभग। 250 की आबादी वाले जैसे गांव हैं उनमें भी हमारे यहां 33,087 प्राथमिक शालाएं हैं और उसके बाद उच्च प्राथमिक शालाएं 9,615 हैं तो भी हमको 5-6 हजार प्राथमिक शालाएं और खोलनी हैं। मैं इस बात में भी नहीं जाना चाहता कि कौनसा पैसा भारत सरकार देती है और कौनसा पैसा राजस्थान सरकार देती है। पैसा तो राजस्थान का हो, भारतवर्ष का हो, शिक्षा की प्रगति के बारे में या प्रदेश की प्रगति के बारे में हमको कुछ करना होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय घासीरामजी, बहुत टोक रहे हैं। प्लीज आप बोल लेना। वो सारी बातें कह रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं, इन विषम परिस्थितियों में, इस प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, सामाजिक विषम परिस्थितियों में, आर्थिक विषम परिस्थितियों में जो हम लोग बजट पर विचार कर रहे हैं, हमको बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखना और समझना होगा कि ऐसी विकट परिस्थितियों में हमको क्या करना है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्वावलम्बन योजना, सम्बल गांव योजना, सरस्वती योजना . और न मालूम कितने बड़े सुन्दर-सुन्दर नाम इस बजट में दिये हैं। ऐसे सुन्दर नामों के लिये मैं उनका स्वागत करता हूं ... (व्यवधान) धन्यवाद आपको और हमको देना ही पड़ेगा, इस प्रदेश की जनता आप को और हमको सब को एक दिन कहेगी। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, श्रीमन्, एक मोटो है, एक राष्ट्रीय नीति है शिक्षा की "दो हजार तक सबके लिये शिक्षा"। अब मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे इस बजट में यह कहा गया है और अपनी प्रतिक्रिया में यह व्यक्त किया गया है कि "यह बजट शिक्षा के लिये समर्पित है"। माननीय सदस्यगण, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं समझता हूं यह इस गति से जो अभी आपने 2,313 तो गांवों में और 50... (व्यवधान) मुझे बहुत खुशी है कि यादवी युद्ध तो हमेशा होता है, आज यादवी प्रेम उमड़ रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है सदन के लिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय घासीराम जी, प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : "दो हजार तक सबके लिये शिक्षा" जिसके अन्दर

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

1989-90 में छह हजार प्राथमिक स्कूल खोले गये थे उन छह हजार के बजाय 2,313 तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में, 50 शहरी क्षेत्र में कुल 2,363 खोले। 3,646 स्कूलों के अन्दर दूसरे अध्यापक लगाने की व्यवस्था की है। यह जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद और आगे एक हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, 90 माध्यमिक विद्यालय 138 उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का लक्ष्य है। श्रीमन्, मैं सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि दो हजार तक सबके लिये शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती इस चाल से। इसलिये मैंने आपको निवेदन किया कि यह बजट गतिहीन है ...(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : दिशाहीन है।

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं दिशाहीन नहीं कहूंगा, यह बजट....

श्री सभापति : Please, don't disturb.

श्री रामपाल उपाध्याय : यह बजट गतिहीन है और यह इसलिए गतिहीन है कि गतिशीलता तब आती है जब आपके पास साहस हो, आपके मन में कुछ कर गुजरने का साहस हो, आपका संकल्प सुदृढ़ संकल्प हो और आप आगे बढ़ने के लिए सब तरह के राजनैतिक विद्वेषों को एक तरफ रख कर हमारे प्रदेश की जनता को क्या शिक्षा हो, क्या दूसरे साधन हो आगे बढ़ने के लिए, वह करें। जब शिक्षा मन्त्री जी जाते होंगे तब, मैं समझता हूं, भारतवर्ष के सभी शिक्षा मन्त्रियों में इस प्रकार प्रतिशत का नाम आता होगा तो राजस्थान के शिक्षा मन्त्री को नीचे सिर करके बैठना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपका अनुभव होगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं खुद बैठा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव सुना रहा हूं आपको। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी हरिदेव जोशीजी को मैंने निवेदन किया था कि महिला शिक्षा और सम्पूर्ण साक्षरता के लिए हमको चाहे किसी न किसी तरह से अधिभार लगाना पड़े लेकिन इसका एक स्वैच्छिक बजट अलग करिये। मैं इसके लिए तो बहुत प्रसन्न हूं कि इन्होंने एक राज्य स्तरीय शिक्षा कमेटी बनाने की बात कही और कालेज में भी उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कही है। श्रीमन्, राजस्थान में एक दोहा है कि 'लीक-लीक गाड़ी चले और कहे चले सपूत, बे-लीक हो कर वे चले जो सायरसिंह कपूत"। तो बे-लीक होकर के क्रांतिकारी दृष्टि से चलना चाहिए। क्या रखा है खाली उस लीक पर चल रहे हो। इस लीक पर चल कर आप इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हो? इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, इसके शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में, इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, सभी तरह के परिप्रेक्ष्य में क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको गतिहीन बजट कहता हूं। मुख्य मन्त्रीजी को न तो इस साल चुनाव लड़ना है, न और कुछ करना है लेकिन ऐसे पचासों कदम हैं जिसके आधार

(श्री रामपाल उपाध्याय)

पर हमारे शिक्षा जगत को और विशेष तौर पर महिला शिक्षा जगत को और अभिवृद्ध और समृद्ध किया जा सकता है ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें, 25 मिनट हो गये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मुझे 5-7 मिनट और दीजिये।

श्री घासीराम यादव : हमारी पार्टी के हैं।

श्री सभापति : माननीय घासीराम जी, आप ही उनका समय काट रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : मेरा समय उन को दे दिया जाए।

श्री सभापति : हां, दे दिया, पहले ही दे दिया।

श्री रामपाल उपाध्याय : बातें मुझे कहनी हैं, लेकिन मैं बिजली के बारे में माननीय सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, हमने कभी सोचा है कि राजस्थान के अन्दर आज हमारा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें 450 से 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का घाटा चल रहा है और यह जब इतना बड़ा घाटा चल रहा है जबकि हमारा जनरेशन है। जो हम जनरेट करते हैं पावर, उस पावर को जनरेट करने के लिए हमको कहां-कहां क्या-क्या करना पड़ता है। मैं खुशी प्रकट करता हूं, प्रसन्नता प्रकट करता हूं कि रामगढ़ पर 35.5 का और कुछ कर रहे हैं और अभी तीन एम.डी. का और कुछ कर रहे हैं और सूरतगढ़ में कुछ कर रहे हैं और भी दूसरे कुछ कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है लेकिन अपने को यह मालूम होना चाहिए, सदन को यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमारी बिजली किस तरह से आती है। हमारी बिजली आती है या जो खुद की तरफ से 25 पर्सेण्ट जनरेट करते हैं या दूसरे में जो हमारा हिस्सा है वह 25 पर्सेण्ट है। जो एलोकेटेड शेयर से उससे अधिक ड्रा करते हैं या खरीद कर लाते हैं और उसमें भी हमको 1 रुपया 30 पैसे में प्रति यूनिट खरीदना पड़ता है और हम किसान को देते हैं 45 पैसे, उद्योगपतियों को देते हैं 1 रुपया 25 पैसे पर यूनिट। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, वर्तमान में उदारवादी अर्थ नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने 11 योजनाओं का वर्णन भारत सरकार, विभिन्न देशों से विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी काम करिये उसको होल हार्टेडली करिये, हाफ हार्टेडली मत करिये। आधे दिल से जो काम करते हैं उससे कोई प्रदेश, कोई देश, कोई समाज सुदृढ़ नहीं होता मेरा आपसे निवेदन है, हमारे पास एक लाख एप्लीकेशन्स पेण्डिंग हैं। राजस्थान का उद्योगपति हो, राजस्थान का बौद्धिक वर्ग हो, राजस्थान का जो भी कुछ हो, सारे लोगों को मिल कर प्रयास करना चाहिए। मैं तो यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस बिजली की समस्या पर एक दिन केयोस हो जाएगा यह आर एस ई बी. कोलेप्स हो जायेगी जिसको दुनिया का भगवान भी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

नहीं बचा सकेगा अगर हम अभी से इस पर सचेत नहीं हुए तो। अभी हम सस्ती लोकप्रियता भले ही हासिल कर लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप जल्दी कर रहे हैं, मुझे सुनाना तो बहुत है, ठीक है,' मैं यह निवेदन कर रहा हूं, इस बजट में एक बहुत बड़ा मामला है।

श्री घासीराम यादव : यह जल्दी नहीं कर रहे हैं, आप बोलिये, अच्छा बोल' रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट में एक बिक्री कर पुराण चला है जो 37 कालम का है। पेज 167 से 203 तक यह बिक्री कर पुराण है। मुझे इसकी तो खुशी है कि कई तरह की विसगतियों को ठीक करना हर तरह से वाजिब है और विसंगतियों को ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसकी सराहना करता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि 37 कालम, कम से कम 16-17 पेज की इस कसरत के बाद आपने किया क्या। बिक्री कर में जो आप छूट देते हैं, ठीक है, व्यावहारिक रूप से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी लेकिन आपने किया क्या, पाया क्या, इस प्रदेश के साढ़े चार-पांच करोड़ लोगों को आपने दिया क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 100 करोड़।

श्री रामपाल उपाध्याय : कहां से 100 करोड़, मात्र 15 करोड़ रुपया आपने घटाया। आप सुनिये नां। (व्यवधान) मैं समझता नहीं हूं, तो आपसे समझ लूंगा लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे से समझ लें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस कर पुराण में केवल मात्र 15 करोड़ रुपये हमारे कम किये और इसमें बिजली का दो पैसा यूनिट कृषि को छोड़ कर जो बढ़ाया है वह 10 करोड़ और सिगरेट वाला 5 करोड़। इस प्रकार से यह 15 करोड़ बढ़ाया है। तो वह तो बराबर कर दिया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी महावीरजी से ही पूछना चाहता हूं कि यह हमारा जो अपूरित घाटा 340.56 करोड़ का है, आने वाली योजनाओं पर एक शक्तिपूर्ण ताकतपूर्ण, एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण रख कर अगर हम आगे कार्य करना चाहें, तो कहां से लायेंगे पैसा ? आपने सबको धीरे-धीरे टटोल लिया....(व्यवधान) माननीय सिंचाई मन्त्रीजी, आपका स्वास्थ्य खराब है, कृपा करके आप जरा शांति रखें। मैं अभी आ रहा हूं आप पर, मैं आज आपको बताऊंगा, राजस्थान की सम्पत्ति क्या है। राजस्थान की सम्पत्ति है इन्दिरा गांधी कैनाल। राजस्थान की सम्पत्ति है इस प्रदेश के बड़े-बड़े इरिगेशन के प्रोजेक्ट। राजस्थान की सम्पत्ति है इस प्रदेश के बड़े-बड़े इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट। राजस्थान की सम्पत्ति है हमारे खनिज भण्डार, हमारी प्राकृतिक सम्पदाएं। हमने खनिज भण्डार, हमारी प्राकृतिक सम्पदाओं के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और हम केवल मात्र इस टैक्स पुराण के अन्दर, बिक्री कर पुराण के अन्दर उलझ गये। मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की आने वाली संतान के लिए, आने वाली

(श्री रामपाल उपाध्याय)

पीढ़ी के लिए हमको एक मजबूत राजस्थान छोड़ना पड़ेगा और मजबूत राजस्थान तभी छोड़ सकेंगे हम जब हमारे यहां की आर्थिक परिस्थिति में, हमारी योजनाओं में हम आगे चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो विदेशों से, विश्व बैंक से, भारत सरकार से ऋण लेने के लिए आप जिस प्रकार का यह कर रहे हैं, आप करिये। तेज गति से करिये, डर-डर कर मत चलिये। तेज गति से चलेंगे तो राजस्थान का एक दिन रिजल्ट आएगा और राजस्थान दूसरे प्रदेशों के सामने टिक सकेगा। राजस्थान, जो गरिमामय इतिहास वाला राजस्थान है, कम से कम समृद्धि में भी टिक सकेगा, विकास में भी वह टिक सकेगा।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि आज हमारी पेयजल की क्या स्थिति है। आज हमारे अकाल की स्थिति की बड़ी डींग मार रहे कुछ मेरे मित्र कि हमने एक करोड़ 83 लाख रुपये की तकावी छोड़ दी। श्रीमन् मैं आपको निवेदन करूं यह तकावी कितने लोगों पर थी? यह 1 लाख 87 हजार लोगों पर थी। तो एक आदमी पर करीब 70 रुपये प्रति व्यक्ति-औसत आता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनें। Please hear it आप सहन तो करें कुछ। माननीय घासीरामजी, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं, देखिये, इसमें किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या को बहुत आदर, विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके किसी चीज को इतना सस्ता मत लीजिये। मेहरबानी करके, इस देश के निर्माण के लिए, इस प्रदेश के निर्माण के लिए हम दो सौ लोग यहां बैठे हैं। इस प्रदेश के निर्माण के लिए जब हम पीछे हटेंगे तो आप मुझे बताइये कि कौन पाकिस्तान या चीन आकर राजस्थान का निर्माण करेगा। आप और हम चले जाएंगे, इतिहास यहीं रह जाएगा। आने वाली पीढ़ियां आपको कुछ कहेंगी और आपको कोसेंगी। आप कुछ करेंगे तो आपके लिए कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग इस तरह के लोग थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बी.जे.पी. का घोषणा-पत्र मैंने पढ़ा और उसके अन्दर यह था कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस का भी पढ़ा ?

श्री रामपाल उपाध्याय : कांग्रेस का तो पढ़ता ही हूं और उसमें हमारी कई कमियां हैं। आप, महावीर जी, समझ लीजिये, कमियां हैं इसीलिये हम चले गये। हमारी कमियां नहीं होतीं तो, श्रीमन्, आपको उधर का मौका नहीं मिलता और हमको इधर का नहीं मिलता। इसलिए ... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपने चुंगी कर की समाप्ति का जो तय किया उसके बारे में भी कोई अन्तर नहीं है। श्रीमन्, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैंने राजस्थान प्रशासन के कुछ वित्त अधिकारियों

(श्री रामपाल उपाध्याय)

से भी आज सवेरे निवेदन किया कि... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय श्री घासीराम जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने भी उस समय पढ़ा इस बजट में या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, सुजानसिंह जी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, सभापति महोदय के माध्यम से, उसमें कहा था कि हमनें, जितने भी गरीब लोगों के ऋण थे, दस हजार रुपये तक के छोड़े थे। आपको यह मालूम है या नहीं, सहकारिता मन्त्रीजी, सहकारिता विभाग संभाले हुए हो, आज के दिन 58 करोड़ रुपया प्रदेश के 26 सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों को पुनर्भरित करने का सरकार का बकाया पड़ा हुआ है जिससे वह दिवालिया हो गये हैं और मैं कभी को-आपरेटिव पर बोलूंगा तब बताऊंगा कि आज के दिन हमारा सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक हैं, एक को छोड़कर सब दिवालिया हो गये। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 58 करोड़ का प्रावधान इसमें रखना चाहिए। वह प्रावधान आपने क्यों नहीं रखा? मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि सांसद महोदय, मुझे कल मिले थे और अखबारों में भी पढ़ते हैं कि लोकसभा ने एक करोड़ रुपया सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए उनके डिस्क्रिशन पर विकास के कामों पर खर्च करने हेतु दिया है। तो मैं मुख्य मन्त्रीजी से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा और पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से सांसद एक बड़े क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, वैसे ही विधायक भी अपने विधान सभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है इसलिए उसके डिस्क्रिशन पर एक विधायक योजना हो, जो इसी बजट में बने। जिससे कम से कम 25 लाख रुपये लगेंगे तो उसी क्षेत्र के विकास में लगेंगे। मेरा जो अपना प्रस्ताव है उसमें 25 लाख लगेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं अन्तिम एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैथिलीशरण राष्ट्र कवि थे, आपने नाम सुना होगा, जब तक वह जीवित थे, लोक सभा में नामिनेटेड सदस्य थे। उनको जब एक दिन बजट पर बोलने के लिए कहा तो उन्होंने दो लाइन कही। उन्होंने यह कहा बजट के लिए।

"जो जहां हो रहा है और यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किन्तु होना चाहिए क्या कब कहां व्यक्त करती है कला ही अब यहां।"

तो हमारा बजट, हमारा... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सामान्य चाल, +++ और केवल मात्र घोषणाओं के

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जरिये राजस्थान की जनता के साथ मेहरबानी करके खिलवाड़ मत करिये। यह साहसी जनता है, इस साहसी जनता को और अधिक अभिवृद्ध करने के लिए, और अधिक उन्नत करने के लिए साहसिक और गतिशील प्रोग्राम इसके अन्दर रखें जिसके आधार पर वह चले। जो कुछ शिक्षा के लिए किया, मैं मात्र स्मरण दिलाना चाह रहा हूं जब माननीय हरिदेव जोशीजी मुख्य मन्त्री थे और मैं उनके समय में शिक्षा मन्त्री था ...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या की सूचना के लिए निवेदन कर रहा हूं कि इस समय चार विश्वविद्यालय राजस्थान में एक दिन में घोषित किये थे भाई महावीरजी को पता होगा और उसके बाद स्कूल ... (व्यवधान) पांच सौ सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, और न जाने कितने घोषित किये। लेकिन it is a continuous process यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है जो अबाध गति से चलनी चाहिए। अगर हम अबाध गति से नहीं चलायेंगे इस प्रक्रिया को तो एक दिन राजस्थान स्टेगनेंट हो जायेगा, एक जगह ठहर जाएगा। ठहराव नहीं चाहिए जीवन में। कबीर ने कहा है, "बहता पानी निर्मलाय, भरया गंदलाव।" पानी जब तक बहेगा तब तक निर्मल रहेगा और पानी जहां खड़ा रह जाएगा, वहां गन्दा हो जाएगा। इसलिए चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो चाहे साहित्यिक-सांस्कृतिक व्यवस्था हो, प्रदेश की तमाम गतिविधियां बहती रहनी चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बातें तो और कहना चाहता हूं फिर कभी कहूंगा धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने वर्ष 1994-95 का जो बजट रखा है, यह बजट राजस्थान की उन्नति का परिचायक है। यह बजट राजस्थान के चहुंमुखी विकास का संकल्प है। यह बजट राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

सभापति महोदय, बजट में ज्वार, बाजरा, मक्का मोटे अनाजों पर कर मुक्ति करके हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने गरीब को गणेश मानने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बजट में महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांगों, अन्य पिछड़े वर्गों और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक दिशा निर्देश दिया है। अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य योजना के आकार की बात कर रहे थे। उनको यह चिन्ता थी कि बजट यूटिलाइज नहीं हुआ तो भविष्य में योजना का आकार छोटा पड़ जाएगा। मैं बताना चाहती हूं कि इस वर्ष जो बजट बना है, छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 2025 करोड़ की थी, उससे भी कई गुना ज्यादा है।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, महिलाओं की चिन्ता करते थे। बड़ी गहरी चिन्ता है। मुझे बड़ी खुशी है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

इस देश में महिलाओं की आधी आबादी है, और इस आधी आबादी की आज क्या स्थिति है, इससे कोई सदन अनभिज्ञ हो, मैं नहीं कहती। स्वामी विवेकानन्द पण्डित मदन मोहन मालवीय और देश के अनेकों विचारकों ने महिलाओं की स्थिति पर गहन चिन्तन किया। अनेकों महिला दिवस मना लिए, महिला वर्ष मना लिए। महिला वर्ष, बालिका वर्ष और न जाने क्या-क्या मना चुके। जितनी भी सरकारें आयीं, महिलाओं की उन्नति का ढोल पीटती रहीं, लेकिन आज हमारे राजस्थान में महिलाओं की जो साक्षरता है, जिसके प्रति प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, महिलाओं पर आये दिन जो अत्याचार होते हैं उसकी स्थिति क्या है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी का, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को चुनौतीपूर्वक लिया। महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उन्होंने चुनौतीपूर्वक, साहसपूर्वक, आदर्शपूर्वक बड़ी गहरी सूझबूझ के साथ जो यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान की सभी बहनों की ओर से सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, सरकार के साहस को बधाई देना चाहती हूं। यह हमारे मुख्य मन्त्रीजी का साहस है कि उन्होंने महिला आयोग के गठन की घोषणा की है। अभी बालिकाओं की शिक्षा की चिन्ता की जा रही थी। विश्वविद्यालय की प्रतिपक्ष के लोग बात करते हैं। पिछले कितने वर्षों से चल रहा है संगरिया कन्या महाविद्यालय? कितने वर्षों से चल रहा है सरस्वती कन्या महाविद्यालय? कभी प्रतिपक्ष को इसके लिए अनुदान देने की चिन्ता हुई? कन्याओं के लिए क्या किया, बालिकाओं के लिए क्या किया? धन्यवाद है हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को और हमारी सरकार को जिन्होंने पहली से आठवीं तक पढ़ने वाली बालिका को निःशुल्क पुस्तकें दिलवाने की घोषणा की।

सभापति महोदय, मैं क्या दूं आशीष। ऐसा कहा जाता है कि मैं क्या दूं आशीष हमारी आंतें देती हैं। एक गरीब के घर जन्मने वाली बालिका कॉलेज तो क्या होता है पहली तक की शिक्षा, पांचवीं तक शिक्षा के लिए तरसती है, उसको सपने आते हैं। लेकिन आठवीं तक जो यह निःशुल्क पुस्तक देने की घोषणा की है, इससे गरीब के घर जन्मने वाली बालिका अपने आपको दुर्भाग्यशाली नहीं समझकर सौभाग्यशाली समझेगी। अपने भाग्य को ज्ञान के उजाले से उज्ज्वलित करेगी।

सभापति महोदय, बालिकाओं के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात कही गयी। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी सरकार को जहां भी हमारी बालिकाओं की शिक्षा में कोई व्यवधान आएगा, बालिकाओं का नामांकन करने में कोई असुविधा होगी या जो मां-बाप अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे, उसमें यह बालिका शिक्षा फाउंडेशन काम करेगा।

सभापति महोदय, बजट में विकलांगों और महिलाओं के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, पहले पीछे का भी देख लें, उनको अनुदान राशि क्या थी। मैंने अजमेर का विकलांग संस्थान देखा था, मुझे

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उसका दृश्य उपस्थित करतें रोंगटे खड़े हो जाएं, सभापति महोदय। क्या स्थिति है उन संस्थानों की ? आज उन संस्थानों का अनुदान 90 प्रतिशत करने की बात जो सरकार ने कही है यह निश्चित रूप से राजस्थान की गति को एक दिशा-निर्देश है।

सभापति महोदय, बजट में महिला छात्रावासों के निर्माण की बात कही है, महिलाओं के लिए स्पेशल अध्ययन की व्यवस्था की बात कही है, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने की बात कही है, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की बात कही है और लघु उद्योगों में जो हमारी महिला उद्यमी कार्यरत हैं वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इस हेतु उनके उद्यम से उत्पादित वस्तुओं पर तीन वर्ष तक बिक्री कर से छूट दी गयी है। सभापति महोदय, यह हमारे मुख्य मन्त्रीजी का ही साहस है कि वे वस्तुएं जिनको गरीब लोग उपयोग में लाते हैं, हमारे बच्चों के काम में आने वाले प्लास्टिक के के बॉक्स, टिफिन बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स....

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, सुजानसिंहजी सो रहे हैं, आपकी स्पीच सुनकर....

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, तिलहन, वाहन, (व्यवधान) सभापति महोदय, यह सुनना नहीं चाहते किसान की बात। अभी तो बता रहे थे बजट किसान विरोधी है (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, मैं आपकी स्पीच सुनकर के आपका प्रशंसक हूं (व्यवधान)

श्री सभापति : मीणा साहब, आज आपने अपना स्प्रिंग यादव साहब को दे दिया है क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापतिजी, महिलाओं के बीच में बोलने मत दीजिये।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : महिलाओं को विघ्न नहीं होना चाहिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, बजट में एल्यूमिनियम, तांबा और पीतल के बरतन जो आज हमारा गरीब उपयोग में लाता है, चारे का बीज, फसली बीज, उद्योगों के काम आने वाला कच्चा माल, तिलहन, खल इत्यादि ऐसे अनेक आइटम हैं, बच्चों के पेन्सिल बॉक्स, बीमारों के लिए दवाई कर मुक्त की गयी है। इससे साफ आभास होता है कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान के बीमारों का, राजस्थान के बालकों का, राजस्थान के दस्तकारों का, राजस्थान के विकलांगों का और सर्वोपरि राजस्थान की महिलाओं का ध्यान रखा है। एक तरफ करों में भारी छूट दी है। हमारे पड़ोसी राज्यों में हमारा सामान जाता था और उसमें कर चोरी हमेशा होती रहती थी। साथ में जो इण्डेक्स आता है कि हमने कितना उपयोग किया, उसमें हमारे राजस्थान का दर्जा नीचा होता था। ऐसे अनेकों आइटम, चाहे वह वाहन हो,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चाहे वह चना हो, चाहे कुछ भी हो, पर कर से छूट दी है और उस छूट को देकर हमारे मुख्य मन्त्री ने एक तरफ तो हमारे राजस्थान के व्यापार, उद्योग को बढ़ने में सहायता दी है, राजस्थान की बहबूदी की कल्पना की है, वहीं दूसरी ओर कर छूट देकर अधिक आय प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास किया है। सभापति महोदय, एक तरफ अनेकों आइटमों में कर की छूट दी गयी है, दूसरी तरफ शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पेयजल और ऐसे विषय जो कल्याणकारी छवि हमारे राजस्थान की प्रस्तुत करते हैं उन पर अधिक बजट प्रावधान करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, राजस्व बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, शिक्षा के निम्न स्तर को देखकर यह चुनौती हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने ली है। जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य बता रहे थे कि हम वर्षों से राजस्थान को शिक्षा के मापदण्ड में नीचा देखते आ रहे हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने भी गत 24 फरवरी को केन्द्र में जो शिक्षा से सम्बन्धित कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें राजस्थान के लक्ष्य रखे राजस्थान की वस्तु स्थिति बतायी और राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से ऊपर उठाने के लिए बजट का 25 प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय मैं तो यह भी कहूंगी कि शिक्षा का यह जो खर्च है इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह खर्च नहीं, राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए किया गया पूंजी-निवेश है। सभापति महोदय, बजट में महिला शिक्षा के लिए, किसानों की बहबूदी के लिए, हमारे राजस्थान के गरीबों के लिए और उद्यमों को राहत देने के लिए जिस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास को नयी दिशा देगा।

सभापति महोदय, महिला शिक्षा की बात आती है तो मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगी। शहरों में जितने भी महिलाओं के, बालिकाओं के स्कूल हैं, गांवों में तो, सभापति महोदय, बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी हैं वह बिल्डिंग बनाकर देते हैं, कमरे बनाकर देते हैं, मरम्मत करके भी देते हैं, लेकिन शहरों में यह सुविधा प्राप्त नहीं है, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्रीजी को कहना चाहूंगी कि वे जब भी बजट का उत्तर दें या शिक्षा के प्रावधान को रखें तब निश्चित रूप से यह भी सोचा जाए कि शहरों में बालिकाओं के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं अगर वह गिरने वाले हैं या उनमें कोई कमी है तो उन शिक्षण संस्थाओं की मरम्मत या विकास के बारे भी सोचा जाए। सभापति महोदय, पिछले बजट की बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने प्राथमिक शालाओं में जो अध्यापक रखे जाएंगे, उनमें 50 प्रतिशत महिलाएं रखी जाएंगी ऐसी भी घोषणा की थी। सभापति महोदय, सरकार चली गयी, इस घोषणा का पालन नहीं हो सका लेकिन मैं अब याद दिलाना चाहती हूं कि अब फिर 2300 प्राथमिक विद्यालय नये खुलने वाले हैं, 3600 प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक की और पूर्ति की जानी है, इन प्राइमरी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

स्कूलों की पूर्ति करते समय महिलाओं को जो 50 प्रतिशत स्थान देने की बात कही थी वह अगर अब ध्यान में लायी जाए तो निश्चित रूप से पूरी होगी। सभापति महोदय, इसकी पूर्ति नहीं होने का एक कारण है।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, मैं सहमत हूं माननीय सदस्या से, पचास पर्सेण्ट लेडी टीचर होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री सभापति : इंतजाम यह है कि गौर ही मत कीजिए उनकी तरफ।

श्रीमती कमला : 50 पर्सेण्ट होने का मतलब यह नहीं है कि ..

श्रीमती तारा भण्डारी : यही मैंने कहा.... (व्यवधान) वही मैंने कहा है।

श्री घासीराम यादव : लेडी टीचर 50 पर्सेण्ट होनी चाहिए और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं फिर दोहराऊंगा कि आपकी स्पीच के बाद मैं आपका पक्का प्रशंसक हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, महिलाओं के लिए सभी शुभ-चिन्तक हो रहे हैं, मैं इसके लिए तो प्रतिपक्ष के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जिन महिलाओं को हम प्राथमिक शिक्षण शालाओं में स्थान देने वाले हैं, वह ट्रेण्ड न हुई तो उनको जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान में महिला एस. टी. सी. केवल सात हैं और उनका भी जो प्रवेश देने की पर्सेण्टेज या प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है कि सारी बालिकाएं उसमें प्रवेश नहीं पा सकतीं। इसलिए सदन के माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री घासीराम जी। क्या कहने-दें बार-बार।

श्री घासीराम यादव : एक हजार प्रशिक्षित बैठी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आज हमारे सदस्य की कुछ विशेष परिस्थिति है, आप इसका निरीक्षण करवायें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को कहिये कि वह कुर्सी की तरफ देखकर बात करें, आसन की तरफ देखें, जो भी कमेंट करें, आसन की तरफ करें, सीधे सदस्य की तरफ कोई भी बात न कहे।

श्री सभापति : Why do you take notice of these things ? आपको कहा कि आप तवज्जोह ही मत दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि आज माननीय सदस्य की कोई विशेष परिस्थिति है, आप जरा उसको चैक करायें।.... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को लम्बी न करके इस बात को कहना चाहूंगी कि हमारे राज्य में महिला एस. टी. सी या महिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र बहुत कम हैं उनको और बढ़ाया जाए और महिलाओं को प्रवेश देने में नियमों में थोड़ी छूट दी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाए तो महिलाएं एस. टी. सी. कर पायेंगी।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव और है। महाविद्यालय के अनुदान की बात आयी। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप महाविद्यालयों को अनुदान भी दें, महाविद्यालयों को आप क्रमोन्नत भी करें लेकिन जिन महाविद्यालयों में को-एजूकेशन और प्रतिशत की कमी के कारण सीटें खाली रह जाती हैं, पिछली बार मेरे सिरोही कालेज में एक सब्जेक्ट में 25 सीटें और एक सब्जेक्ट में 32 सीटें खाली रह गयीं क्योंकि उनके प्रतिशत के मापदण्ड में छात्र-छात्राएं नहीं आते थे, इसमें मेरा अनुरोध है कि जहां प्रतिशत आधार पर सीटों की कमी रह जाए, सरकार को अलग से कोई खर्चा न करना पड़े वहां पर अगर बालिकाएं एडमिशन लेना चाहती हैं या बालिकाएं उपलब्ध हैं तो उनको नियमों में रिलेक्सेशन देकर भी पढ़ने की सुविधा देनी चाहिए .. (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, यह भी सही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Please, oblige me. कृपया सहयोग करें। क्या हो गया आपको आज। What are you doing today ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आज मुझ से कोई बैर है माननीय सदस्य को समझ में नहीं आता। मैं माताओं और बहनों की बात कर रही हूं।

सभापति महोदय, सरकार ने तिलहन और खल, जो कि फैक्ट्रियों में काम आये, उसका सारा का सारा कर समाप्त किया है। इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देती हूं लेकिन इन फैक्ट्रियों से उत्पादन होने वाला तेल बाहर जाकर किस भाव बिकेगा या उन पर बिक्री कर क्या लगेगा, इस बात को बजट में साफ नहीं किया गया है। कल और परसों जो गजट नोटिफिकेशन छपे हैं। उनसे कुछ इस तरह की भ्रांति आ गयी है कि आज तेल मिल वालों को चिन्ता हो गयी है कि हमारा प्रोडक्शन किया हुआ तेल दूसरे प्रान्तों में किस बिक्री कर से बिकेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहती हूं कि पहले हमारे यहां से बाहर जाने वाले तेल पर डेढ़ प्रतिशत सेल्स टैक्स लगता था। अब जब भी बजट के ऊपर हमारे मुख्य मन्त्रीजी उत्तर दें तो कम से कम इस बात को भी बजट में साफ करें कि हमारी आयल मिलों से निकलने वाला तेल बाहर जाकर किस भाव से बिकेगा।

सभापति महोदय, एक सुझाव और देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। आज फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड्स का अगर आंकड़े देखें तो वह नीचे से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में फर्टिलाइजर या पेस्टीसाइड्स का कोई उपयोग नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि दूसरे प्रान्त जो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब हमारे राजस्थान की सीमा पर है. वहां से फर्टिलाइजर आता है वहां से पेस्टीसाइड्स आता है और हमारे यहां कर चोरी होती है। वैसे तो राजस्थान के मुख्य

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मंत्रीजी ने करों में भारी राहत देकर बहुत बड़ी राहत दी है राजस्थान के लोगों को, मैं अधिक दबाव नहीं डालूंगी लेकिन अगर फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि यह काश्तकारों की वस्तु है, यह कृषि में काम आता है, इनको भी कृषि उपकरण और फसली बीज की तरह कम कर में लाया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान फर्टिलाइजर को ज्यादा उपयोग में लेंगे।

सभापति महोदय, आज ग्रामीण सेवाओं की बात की जाती है। ग्रामीण विकास के लिए हमारे बजट में प्रावधान भी बहुत किये हैं। लेकिन एक चिंता है, ग्राम पंचायतों में तीन-तीन पंचायतों पर एक-एक सैक्रेटरी लगा हुआ है या चार-चार पंचायतों पर एक ग्राम सचिव लगा हुआ है। सभापति महोदय, कोई कोई पचायत आठ-आठ हजार तक की हो गयी है। अगर चार पंचायतों पर या तीन पंचायतों पर या पांच पंचायतों पर एक सैक्रेटरी होगा तो राजस्थान सरकार ने यह जो 60 प्रतिशत से अधिक बजट ग्रामों में खर्च करने का प्रावधान रखा है, मानसिकता बनायी है, निश्चय किया है, इसकी अनुपालना कैसे होगी? सभापति महोदय, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जो भी बड़ी पंचायतें हैं पांच हजार से ऊपर की या पांच हजार तक की, उनमें एक पंचायत पर एक सैक्रेटरी लगाया जाए या पांच हजार से नीचे की हैं, यदि सरकार के पास ज्यादा नौकरियां नहीं हैं तो पांच हजार से नीचे की पंचायतों में दो-दो पंचायतों पर एक सैक्रेटरी लगाया जाए।

सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि यह बजट आंकड़ों का जाल है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अभी जगदीपजी नहीं है, वह कह रहे थे कि यह बजट तो मकड़ी का जाल है।

श्री सभापति : वह आ जाएं, तब कहिये आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह बजट ना मकड़ी का जाल है, ना ही माया जाल है और ना ही आंकड़ों का जाल है और ना ही प्रतिपक्षियों के भ्रम का जाल है, इस बजट से तो होगा राजस्थान खुशहाल। सभापतिजी, इस खुशहाली की बात पर एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करुंगी। गंगानगर जिले में जो नौ करोड़ का खुशहाली टैक्स था और 11 करोड़ 72 लाख खालों के निर्माण की जो कीमत थी, 20 करोड 72 लाख रुपया जिसके लिए पिछले कई वर्षों से वहां का काश्तकार आन्दोलित हो रहा था, जिसको समाप्त नहीं किया जा रहा था, तकावी ऋण जो अकाल में लिये गये थे, लेने वाले मर गये, लेकिन सरकार के खातों में वह ऋण अभी तक चल रहा था, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी का साहस है कि उन्होंने इस टैक्स की माफी करके राजस्थान के किसानों को खुशहाली दी है, खुशी दी है। इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करती हू।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह। (अनुपस्थित) श्री नरेन्द्र कुमार। (अनुपस्थित) श्री भीमराज भाटी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो, तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय जब तक माननीय भीमराज भाटी बोलें तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, वर्ष 1994-95 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए जो ध्यान दिया गया है जैसे बच्चों के रेडीमेड कपड़ों पर 100 रुपये तक का जो टैक्स माफ किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, 100 रुपये तक की चप्पलों के लिए कर माफ किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं, महिला विकास के लिए जो कुछ किया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं; शिक्षा के लिए जो ध्यान देने की बात है उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देकर जो सरकार ने एक साहस का परिचय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं, किसानों के काम आने वाले आयल इंजन और पम्पिंग सेट पर जो टैक्स विसंगतियां दूर की है उस साहस के लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन charity begins at home माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिगरेट को तो विलासिता की चीज बता दी, smoking is injurious to health but chewing of tobacco is also injurious to health. वे स्वयं पान पराग खाते हैं, वे स्वयं जर्दा खाते हैं और माननीय सदन के सदस्यों में भी कई माननीय सदस्य खाते हैं और ऊपर जो पत्रकार बिराजमान हैं वह भी खाते हैं तो जब सिगरेट को विलासिता की चीज इन्होंने माना तो क्यों नहीं पान पराग और क्यों नहीं जर्दे को इन्होंने विलासिता की चीज मान कर पान पराग और जर्दे के ऊपर भी इन्होंने टैक्स क्यों नहीं इम्पोज किया ?

(18.00)

अच्छा होता सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाया है, इस पान पराग और जर्दे के ऊपर भी टैक्स लगाते तो राजस्थान की जो खस्ता हाल सरकार है उसको कुछ राहत मिलती, उसको कुछ टैक्स मिलता। पान पराग और जर्दा तो कोई साधारण आदमी खाता नहीं, सम्पन्न आदमी ही खा सकता है।

दूसरी बात, मेरे साथी घनश्यामजी तिवाड़ी कह रहे थे कि मनमोहन सिंहजी का ध्यान फाइव स्टार होटल में रहने वाले की तरफ गया है। लेकिन उनको यह पता नहीं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री भी हैं, का भी ध्यान गया कार में बैठने वाले की तरफ, उनका ध्यान नहीं गया ट्रैक्टर चलाने वाले की तरफ। उनका ध्यान गया स्कूटर वाले की तरफ, उनका ध्यान नहीं गया साइकल वाले की तरफ। उनका ध्यान गया टू-व्हीलर वाले की तरफ। थ्री व्हीलर चलाकर जो गरीब आदमी अपना पेट पालता है उस थ्री-व्हीलर वाले को इन्होंने टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दी। अगर ये हकीकत में

(श्री भीमराज भाटी)

किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे तो इनको किसानों के काम आने वाले ट्रैक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए था। अभी माननीय सदस्या, तारा जी कह रही थी कि किसानों को जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, उसमें टैक्स की जो विसंगति है, उसमें भी इनको कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी, उससे भी सरकार को कुछ टैक्स की रिलीफ मिलती।

अब ये डंकल प्रस्ताव की बहुत बातें करते हैं लेकिन मुझे याद है, मैं जब बच्चा हुआ करता था, छोटा था, स्कूल में जाता था, हमारे गांव में आज भी नारे लिखे हुए हैं "अमेरीका का ट्रैक्टर, ईरान का तेल और भारत के किसान का इनसे क्या मेल"। यह वही पार्टी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रैक्टर को भी पसन्द नहीं किया, उस जमाने में ये नारे लगते थे "अमेरिका का ट्रैक्टर, ईरान का तेल और भारत के किसान इनसे क्या मेल" ये किसान की कभी तरक्की होना देखना नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते कि किसान हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करें। आज दुनिया का किसान कितना आगे बढ़ गया है, दुनियां के किसान के खुद के कोल्ड स्टोरेज हैं लेकिन यह नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े, इसीलिए बार-बार घुमा-फिराकर डंकल प्रस्ताव की बात करते हैं और किसानों को भ्रमित करने की बात करते हैं।

दूसरी बात, मुख्य मंत्रीजी, यहां विराजमान नहीं हैं लेकिन उनके मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य यहां विराजमान हैं। हम राजस्थान में अकाल की बात करते हैं, बिजली की कमी की बात करते हैं, बारिश का कहीं नामो-निशान नहीं होता। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल लगातार अकाल पड़ता रहता है और हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो विशेषकर अकाल पड़ता है, लेकिन इस अकाल के समय में, इस अकाल की तरफ ध्यान नहीं देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान गया उस छाते की तरफ अब छाते के नीचे क्या है? छाते का उद्योग कहां है? मैं आज सदन में कहता हूं कि छाते का उद्योग माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में महज इसलिए आया कि सिर्फ उन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में छाता उद्योग लगा हुआ है और बहुत बड़ा छाता उद्योग अभी हाल ही में चालू हुआ है, सिर्फ उस छाता उद्योग को राहत देने के लिए मुख्य मंत्रीजी अकाल की विभीषिका को भूल गये और इस अकाल के चलते भी इन्होंने उस छाता उद्योग को राहत देने की हिम्मत की है। इस छाता उद्योग को हिम्मत देने के लिए अगर राज्य सरकार के कोष को नुकसान पहुंचा कर किन्हीं चन्द व्यापारियों को या चन्द कारखानेदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत नहीं है तो छाते के नीचे क्या है? यह मेरी समझ के बाहर की चीज है।

माननीय सभापति महोदय, तकावी के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने हिम्मत की है तकावी के ऋण को माफ करने की, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस तरफ के सदस्यों को पता है कि नहीं, और मेरे ख्याल से यहां पर कई वरिष्ठ सदस्य बिराजमान हैं, तकावी गत 20-30-40 साल पहले दी गयी थी, बी.डी.ओ. तकावी देते थे, तह-

(श्री भीमराज भाटी)

सीलदार भुगतान करता था, उस तकाबी के लोन का, तकाबी जो दी जाती थी वह कुएं खोदने के लिए दी जाती थी या आयल इंजिन खरीदने के लिए दी जाती थी, वह तकाबियां तो 30-40 साल पुरानी हैं। साधारण काश्तकार, साधारण आदमी जिसने तकाबी ली है वह तो मर चुका। उसमें ढोल पीटते हैं। जब सरकार के ऋण की वसूली नहीं होती है तो यह सरकार ढोल पिटवाती है। यह सरकार का नियम है वसूली करने के लिए, उन तकाबियों के लिए गांव-गांव में ढोल बज चुके हैं, वो तकाबियां वसूल हो चुकी है और अब जिनकी तकाबियां वसूल नहीं हुई हैं वे सिर्फ सम्पन्न वर्ग के लोग हैं वे सिर्फ गांव के बड़े-बड़े लोग हैं, वे बैठे हैं और महज उन बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी अगर लिस्ट निकालकर उसमें 100 गरीब काश्तकारों का भी नाम बता दें तो मैं जो मुख्य मंत्रीजी कहें वह करने को तैयार हूं। सिर्फ सम्पन्न लोगों की तकाबी बाकी रही है और उन सम्पन्न लोगों की तकाबी को माफ करने के लिए ही मुख्य मंत्रीजी ने यह एक पासा फेंका है ताकि उन लोगों को तो कम से कम और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वह तो सरकार के ढोल बजते रहे, फिर भी उन्होंने कभी तकाबी का भुगतान नहीं किया। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ही यह तकाबी माफी की गयी है।

दूसरी बात, इस बजट का किसानों को राहत दिलाने वाला, गरीबों का और राजस्थान के चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर होने के लिए एक कदम बताया जा रहा है, लेकिन जिस गरीब को गणेश मानकर, जिस गरीब को गणेश समझकर, उसकी सेवा करने की भावना का बड़े जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो कि शायद गांव के रहने वाले हैं, पता होगा कि किसान को रूखी-सूखी रोटी के साथ सब्जी की या अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वह तो अगर रोटी खाता भी है, उसको प्याज मिल जाय तो प्याज के साथ रोटी खा लेगा, उसको मिर्ची मिल जाय तो मिर्ची के साथ रोटी खा लेगा, गुड़ मिल गया तो गुड़ के साथ रोटी खा लेगा। उस गरीब के भोजन, गुड़ को क्यों नहीं याद किया मुख्य मंत्रीजी ने। मोटे अनाज को, आज मैं कहता हूं कि मोटा अनाज तो खाने के लिए हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो माननीय सदस्य बिराजमान हैं, वे 2-3 जिले हैं, उनमें मोटा अनाज कुछ लोग खाते हैं, उसमें भी पूरी की पूरी पापूलेशन मोटा अनाज नहीं खाती है और इस मोटे अनाज पर टैक्स की कमी करके एक बहुत बड़ी वाहवाही लेने की कोशिश की जा रही है। अगर मुख्य मंत्रीजी का दृढ़ संकल्प होता तो वे हटाते गेहूं के ऊपर टैक्स, जिस गेहूं को आम आदमी, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, मजदूर भी खाता है। कौन मोटा अनाज खा रहा है? आम आदमी कोई मोटा अनाज नहीं खाता। हम दुर्भाग्यशाली हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिलों के लोग, रेगिस्तानी इलाकों के लोग, उनमें से भी एक छोटी-सी पापूलेशन मोटा अनाज खाती है। अगर हकीकत में गरीबों की सेवा करने की बात थी तो हटाते गुड़ के ऊपर से टैक्स, हटाते उस गेहूं के ऊपर से

(श्री भीमराज भाटी)

टैक्स और माननीय सभापति जी, चाय तो एक राष्ट्रीय पेय बन चुका है। सुबह जाइये तो चाय, दोपहर को जाइये तो चाय, गरीब आदमी के जाइये तो चाय, अमीर आदमी के जाइये तो चाय, आपके चैम्बर में जाइये तो चाय लेकिन उस चाय को माननीय मुख्य मंत्रीजी कहां भूल गये और इस चाय का व्यापार तो राजस्थान के प्रवासी भाइयों के हाथ में ही था। इस चाय पर टैक्स की जो विसंगतियां थीं, अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान चाय के टैक्स के ऊपर गया होता हकीकत में, चाय तो मुख्य मंत्रीजी शायद सुबह उठते ही पीते होंगे। मुझे नहीं पता कि बैड-टी पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन दिन में तो कभी-कभी पीते ही होंगे, इस चाय के ऊपर से टैक्स हटाया होता तो बहुत बड़े तबके को राहत मिल सकती थी.... (व्यवधान).... पड़ोसी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत बड़ा फाइनेन्शियल विजार्ड कहा जाता है, इनको बड़े जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है कि बहुत बड़े फाइनेन्शियल विजार्ड है, राजस्थान की समस्याओं का मैनेजमेंट करने में माहिर आदमी हैं। मैं कहता हूं, इस बजटरी डेफिसिटी में जो 300-350-400 करोड़ रुपये का घाटा था, उसको अनकवर्ड क्यों छोड़ दिया ? क्या तकलीफ थी इसको अनकवर्ड छोड़ने की ? सिर्फ एक तकलीफ कि मुख्य मंत्रीजी को विल-पावर नहीं थी कि राजस्थान का जो अनकवर्ड डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कैसे कवर करना, वे डिस्प्लेजर मोल नहीं लेना चाहते थे। 15 करोड़ रुपये का टैक्स रिलेक्सेशन दिया, 15 करोड़ रुपया छोटी-मोटी चीजों में और लगाकर कर दिया लेकिन इतने बड़े घाटे को अनकवर्ड क्यों छोड़ा ? क्यों नहीं इन्होंने अनटेक्स रिसोर्सेज के ऊपर टैक्स लगाकर पूर्ति की ? मैं कहता हूं कि आप गरीब को राहत दिलाना चाहते हैं। कम से कम 300-400 रुपये प्रति मीटर कपड़े के ऊपर आप टैक्स लगा देते। 100 रुपये तक की चप्पलों पर आपने टैक्स माफ किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 500-700-800-1000 रुपये के जूते के ऊपर टैक्स लगा देते, आपने 200-400-500-700 रुपये तक की घड़ी को छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं, 1000 रुपये से ऊपर की घड़ी के ऊपर टैक्स लगा देते। लक्जरी के कई ऐसे आइटम्स हैं, 5-10 हजार रुपये के सोफासेट होते हैं, घर के डेली यूज के 10,000 रुपये के कई आइटम तो कोई गरीब खरीद ही नहीं सकता तो क्यों नहीं आपने ऐसे-ऐसे अनटेक्स रिसोर्सेज को कवर किया ? मैं तो कम से कम यह समझ पाया हूं कि सरकारी अधिकारियों ने बजट का प्रारूप तैयार किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोई डाइरेक्शन नहीं था, उन्होंने जो बजट तैयार करके दिया, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुपके से पढ़ दिया, इन्होंने अपनी तरफ से कोई डाइरेक्शन नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई विल-पावर जाहिर नहीं की, नहीं तो यह अनकवर्ड डेफिसिट रहने का सवाल ही नहीं था। भारत सरकार को कोसा जाता है कि अनकवर्ड डेफिसिट वहां 2000-4000 करोड़ रुपये का है, आप अगर ज्यादा अकलमन्द थे तो आप इस अनकवर्ड डेफिसिट को कवर कर सकते थे, अनटेक्स सोर्सेज और बहुत सारे हैं, समय की कमी है, इसलिए मैं उस अनटेक्स सोर्सेज को....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। कृपया मंत्री महोदय, बैठे आप। आर्डर प्लीज।

श्री भीमराज भाटी : माननीय मंत्री महोदय, मैं तो बिलकुल नया आदमी हूं, ...

श्री सभापति : अब आप बोले तो घासीराम जी खड़े हो गये....

श्री भीमराज भाटी : मैं कोई गलती भी कर रहा हूं तो मेरी गलती की तरफ ध्यान नहीं देकर मेहरबानी करके गौर से सुनने की कोशिश करें....

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। House may come to order please.

श्री भीमराज भाटी : मेरे ख्याल से आप भी मेरे सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। मैं तो शांति से बैठा रहता हूं, तो आप भी मेहरबानी करके सुनें। सुनने के लिए यहां आये हैं। हम आपकी सुनने के लिए और आप हमारी सुनने के लिए आये हैं।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जोधपुर, बालोतरा और पाली के रंगाई-छपाई के उद्योग को राहत देने के लिए कलर कैमिकल्स पर टैक्स के रिलेक्सेशन की बात की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद मुख्य मन्त्रीजी को यह पता होगा कि पाली, जोधपुर और बालोतरा में रंगाई-छपाई के जो उद्योग हैं उनके ऊपर आलरेडी बैन लगा हुआ है। तो जिस इन्डस्ट्री पर बैन लगा हुआ है उस बैन्ड इन्डस्ट्री पर, उसके रा-मैटेरियल पर आप टैक्स की रिलेक्सेशन करके कौनसी वाहवाही लूट लेना चाहते हैं ? आप किसानों की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने मुझे इसी सदन में जवाब दिया है कि जो प्रदूषण से जमीन खराब हुई है, किसानों की 24 गांवों में हजारों एकड़ जमीन खराब हुई है, उस किसान की प्रदूषण से खराब हुई जमीन को सुधारने के लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं हैं और काश्तकारों को मुआवजा देने के लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। हकीकत में अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं तो कम से कम उन गरीब किसानों की, जिनकी जमीनें इस प्रदूषण से खराब हुई हैं, उनकी तरफ तो माननीय मुख्य मन्त्री जी का कुछ ध्यान जाता और वह मेरे जिले के हैं, मेरी पड़ौस की कान्सटीटुएन्सी के हैं और उस प्रदूषण की समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार वह पाली आये हैं। मुख्य मन्त्री थे तब भी पाली आये हैं और विपक्ष में रहे तब भी पाली आये हैं। तो कम से कम उन किसानों की भलाई के लिए तो कोई बात ध्यान में रखते। जब गंगानगर के खालों की बात इन्होंने की, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहता हूं, लेकिन फिर हमारे पाली जिले के लिए जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए यहां राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं तो उस जिले की तकलीफ के लिए इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं माननीय सदस्या श्रीमती तारा भण्डारी जी, पधार गयी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बजट में रायड़े पर टैक्स में कमी की है। लेकिन मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि बजट सेशन चल रहा है, लेकिन बजट सेशन के बावजूद एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसा सरक्यूलर, डिपार्टमेंट की तरफ से निकला है कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो रायड़े पर लास्ट पाइन्ट पर टैक्स किया था, उस

(श्री भीमराज भाटी)

लास्ट पाइन्ट टैक्स को सरकारी अधिकारियों ने लास्ट पाइन्ट टैक्स को नहीं करके मिल ओनर्स के लिए तो रखा है और जो डीलर्स हैं, रायड़े के जो व्यापारी है, उनके ऊपर फर्स्ट पाइन्ट पर टैक्स ले रहे हैं और उस में उन्होंने छूट दी है कि 31 मार्च तक फर्स्ट पाइन्ट टैक्स लगेगा। उस सरक्यूलर की वजह से, माननीय सभापति जी, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन दिनों में रायड़े में 50 रुपये क्विटल के भाव घट गये। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक जो रायड़ा है, वह आवे से ज्यादा तो आलरेडी मण्डियों में आ चुका होगा और मण्डियों से आकर मिल ओनर्स के कब्जे में जा चुका होगा। आप कह तो रहे हैं टैक्स विसंगतियां मिटाने की और यह टैक्स विसंगतियां बढ़ा कर व्यापारियों को चोरी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। राज्य सरकार के कोष को नुकसान हो रहा है और सरकारी अधिकारियों की जेबें भरने का एक अभियान चल पड़ा है। किसानों को 50 रुपये क्विटल का पिछले दिनों में इस छोटे से नोटिफिकेशन और इस छोटे से सरकुलर की वजह से नुकसान हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस सदन के मार्फत इस सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो सरक्यूलर निकाला है कि 31 मार्च तक रायड़े की जो क्रॉप है, 1 लाख 20 हजार टन, जो आने वाली है, वह 31 मार्च तक आलरेडी आवे से ज्यादा मार्केट में आ चुकी होगी और उसकी वजह से राज्य सरकार को कोष में बड़ी हानि हो जाएगी। किसानों को तो 50 रुपये क्विटल की हानि हो ही रही है, लेकिन राज्य सरकार के कोष को भी हानि हो जाएगी। तो यह जो सरक्यूलर निकला है उसकी तरफ भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी और यह राज्य सरकार ध्यान दे। नही तो यह जो नया सरक्यूलर है उसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

व्यापारियों को चोरी करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और सिर्फ मिल ओनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही हो रही है।

माननीय सभापति जी, पूरे सदन का मैं आभारी हूं कि मुझे समय समाप्त होने के बाद भी सुना। धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1994 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.15 बजे बुधवार, 16 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

200

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 309 का प्रारूप

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने की प्रस्तावित अनुबन्ध को प्रारूप

1. यह समझौता दिनांक 1.4.1992 से लागू माना जायेगा।

2. आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स को उनके उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रोसेसींग तथा दूध से उत्पादित वस्तुओं तथा उनको बाजार में विक्रय के लिये एन.डी.डी.बी. आवश्यक आर्थिक एवं प्रबन्धन सहायता देगी।

3. दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि आर सी.डी.एफ. को कार्य संचालन हेतु दूध एवं उससे उत्पादित वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय मूल्य का निर्धारण पशुआहार एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं आदि के सम्बन्ध में आर. सी. डी. एफ. को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

4. आर.सी.डी.एफ. को राजस्थान राज्य के अन्दर एवं बाहर दूध, दूध से बनी हुई वस्तुयें एवं पशुआहार को विक्रय करने एवं क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. आर.सी.डी एफ. के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एन. डी. डी. बी. की सिफारिश के अनुसार की जावेगी।

6. एन.डी.डी.बी को इस समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार निम्न कार्यवाहियां करेगी—

   (क) आर.सी.डी.एफ. को यह निर्देश दिया जावेगा कि यूनियन्स के चुनाव दिसम्बर, 92 तक स्थगित कर दिये जावें।

   (ख) प्रारम्भ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं फैडरेशन का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा एन.डी.डी.बी. की सहमति से मनोनीत किया जावेगा।

   (ग) सहकारिता आंदोलन में जनतांत्रिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए एन.डी.डी.बी. की सिफारिश के अनुसार आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स के बाइलाज में समुचित संशोधन किया जावेगा।

   (घ) आर.सी.डी.एफ. द्वारा भविष्य में क्रियान्वयन के लिये चालू योजनाओं के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि बदस्तूर मिलती रहेगी।

   (ङ) प्रिवेंशन ऑफ फूड एडलट्रेशन एक्ट एवं तत्सम्बन्धी आदेश एवं नियमों का कठोरता से क्रियान्वयन किया जावेगा।

(च) आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच समन्वय के लिये दुग्ध विकास के लिये टेक्नोलोजी मिशन के माध्यम से आपसी सहयोग स्थापित किया जावेगा।

(छ) आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स को लाभप्रद एवं उपयोगी इकाई बनाने हेतु एन.डी डी.बी. द्वारा दी जाने वाली आर्थिक एवं प्रबन्धन सम्बन्धी सहायता के लिये सरकार की समर्थन एवं सहयोग देगी।

7. दोनों पक्ष इस पर भी सहमत है कि व्यवस्था के कुशल संचालन के लिये एन, डी. डी. बी. की प्लान्ट एवं मशीनरी को संशोधित या बदलने के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। यदि आवश्यक होगा तो एन.डी डी.बी. समय-समय पर इस क्षेत्र के कुशल सलाहकारों की सेवायें ले सकेगी।

8. आर.सी.डी.एफ. के वर्तमान नियमों के अनुसार एन.डी.डी.बी. को वर्तमान में रिक्त स्थानों को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरने का अधिकार होगा। आर.सी डी.एफ. को भी यह अधिकार होगा कि वह एन.डी.डी.बी से या अन्य संगठनों से आपसी स्वीकृति के आधार पर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगी।

9. एन.डी.डी.बी. उन चालू योजनाओं का उन शर्तों के साथ क्रियान्वयन भी करेगी जो कि राजस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा आर.सी.डी.एफ. को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिये लगायेगी।

10. इस समझौते के अन्तर्गत जितनी अवधि तक एन.डी.डी.बी. का प्रबन्ध रहेगा उस अवधि के दौरान होने वाली समस्त आर्थिक हानि के लिये एन.डी.डी.बी. उत्तरदायी होगी तथा वहन करेगी। लेकिन आर्थिक हानि का मूल्यांकन करते समय आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स के असेट की घिसाई एवं अवमूल्यन (डेप्रीसियेशन) को नहीं गिना जावेगा।

11. इस समझौते के प्रभावी दिनांक 1.4.1992 से पहले के आर्थिक नुकसान के बारे में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स के पुनर्वास के लिये भारत सरकार की "सहकारी संस्थाओं को सहायता" की योजना जो एन.डी.डी बी द्वारा क्रियान्वित की जावेगी और जिसमें वर्तमान में यह प्रावधान है कि असेट्स के अवमूल्यन (डेप्रीसियेशन) के अलावा जो भी आर्थिक हानि अब तक आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स को भी है वह 50-50 के आधार पर राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा वहन की जावेगी।

12. चूंकि एन.डी.डी.बी. द्वारा प्रबन्धन संभालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह योजना को लाभप्रद बनायेगी अतः इस बात पर भी सहमति हुई कि जिन यूनियन्स में घाटे की स्थिति हो या क्षमता कम हो तो उनका विलय दूसरे संघों

के साथ किया जा सकेगा। आर.सी.डी.एफ. और एन.डी.डी.बी. संयुक्त रूप से इस प्रकार के कम क्षमता वाले यूनियन्स की पहचान करके सूची बनायेगी और आर.सी.डी एफ. राजस्थान सरकार को सूचित करेगी कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी है। तद्नुसार राज्य सरकार 3 माह के अन्दर लेकिन दिसम्बर, 92 से पहले इन सुझावों की क्रियान्विति करेगी।

13. आर.सी.डी.एफ. का वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा।

14. आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स के लेखों की जांच के लिये ऑडीटर नियुक्त करने का अधिकार आर.सी.डी.एफ. को होगा। राज. सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समितियों का ऑडिट राज्य सरकार समय-समय पर करायेगी।

15. दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट (ओएफ-II और ओएफ-III) के अन्तर्गत एन.डी.डी.बी. द्वारा आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दिनांक 29.10.91 के एग्रीमेंट जो आर.सी.डी.एफ. और एन.डी.डी.बी. के बीच हुई थी बदस्तूर जारी रहेगी। यदि आर.सी.डी.एफ. के द्वारा एन.डी.डी.बी. से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जावेगी तो एन. डी. डी.बी. अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अपनी शर्तें निर्धारित कर सकेगी। आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स को यह अधिकार होगा कि वह एन.डी.डी.बी., राज्य सरकार व बैंक आदि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगी। जिसकी शर्तें आर. सी.डी.एफ. सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं के साथ तय कर सकेगा।

16. राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स से सम्बन्धित किसी कानूनी मुकदमे व विवाद में जो एन.डी.डी.बी. के खिलाफ दायर किया जावेगा उसका सारा खर्चा मुआवजा आदि आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स भरपाई करेगी। जब भी एन.डी.डी.बी. के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जावेगा जिसका आर.सी.डी.एफ/यूनियन्स से सम्बन्ध होगा तो ऐसे मुकदमे में आर. सी. डी.एफ /यूनियन्स स्वयं को पार्टी बनाने के लिये कानूनी कदम उठायेगा। मानो कि वह मुकदमा आरसीडीएफ/यूनियन्स के खिलाफ दायर किया हो।

17. यदि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति खड़ी हो जिसके कारण दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों को एवं कर्तव्यों का पालन करने में अपने आपको असमर्थ पावे तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगे कि इस समझौते को जारी रखा जावे या नहीं।

18. आरसीडीएफ/यूनियन्स को कोई भी तकनीकी सलाह या प्रबन्धन सुविधा देने के लिये एनडीडीबी कोई शुल्क वसूल नहीं करेगी।

19. इस समझौते के अन्तर्गत यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो पहले यह कोशिश की जावेगी कि वह विवाद आपसी बातचीत से शांतिपूर्वक हल कर दिया जावे।

20. यदि शांतिपूर्वक समझौता न हो तो राज्य सरकार द्वारा एनडीडीबी की सलाह से विवाद का मुद्दा पंच फैसले के लिये सौंप दिया जावेगा। जो आरबीट्रेशन एक्ट 1940 के प्रावधानों से नियंत्रित होगा।

21. जब तक दोनों पक्ष इस समझौते को समाप्त कर लेने का निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आर्थिक एवं प्रबन्धन सहायता एनडीडीबी देती रहेगी। जो भी पक्ष इस समझौते को समाप्त करने का इच्छुक हो वह दूसरे पक्ष को कम से कम 3 माह का नोटिस देगा।

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अकाल राहत कार्य

313. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या अकाल राहत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में इस वर्ष किस-किस गांव में कौन-कौन से कार्य अकाल राहत में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं तथा उन्हें कब तक स्वीकृत किया जाकर राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे ?

(2) अकाल के तहत प्रस्तावित अपूर्ण बांध लालगढ़, दोपुर, टोडाभांटा, खारलो, देहलाला, भटेसरी, ठीकरिया मीणान, जटवाड़ा, टेटड़ा, पीपल्या बाई, फाल्यावास आदि को कब तक स्वीकृति दी जायेगी एवं कब तक कार्य शुरू किया जायेगा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा बस्सी विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 21 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (परिशिष्ट-"ख") जैसे-जैसे आवश्यकता होगी और कार्य स्वीकृत किये जावेंगे।

(2) जिला कलक्टर, जयपुर को सिंचाई विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लालगढ़ एवं खारली बांध हैं। दोपुर, टोडाभाटा, देहलाना, भटेसरी, ठीकरिया मीणान, जटवाड़ा, टेटड़ा, पीपल्याबाई तथा फाल्यावास आदि बांध नहीं है बल्कि एनीकट हैं। लालगढ़ बांध रियासत काल का निर्मित बांध है जिसकी पाल टूटी हुई नहीं है। खारली बांध लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

दोपुर, टोडाभाटा, देहलाना, भटेसरी, ठीकरिया मीणान, जटवाड़ा, टेटडा, पीपल्या बाई और फाल्यावास एनीकटों के निर्माण के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि इन एनीकटों के निर्माण के फलस्वरूप अन्य मध्यम सिंचाई योजनाओं के भराव में व्यवधान होगा। अतः राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन एनीकट्स पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

		नाम गांव
1.	पटवारघर अनन्तपुरा	अनन्तपुरा
2.	पटवारघर कचोलिया	कचोलिया

3. प्रा. शाला रायपुरावास (बाउण्ड्रीवाल)	रायपुरावास
4. प्रा. शाला श्रीरामनगर ,,	श्रीरामनगर
5. मा. शाला कानोता (कमरा)	कानोता
6. तलाई खुदाई चतरपुरा	चतरपुरा
7. सार्वजनिक कूप गहरा एवं मलखण्डा निर्माण बलाईयान जीतावाला	जीतावाला
8. तलाई खुदाई ढाणीवाली लालगढ़	लालगढ़
9. सार्वजनिक कूप हरडी निर्माण गहरा कराना मलखण्ड निर्माण	कुथाड़ा
10. ग्राम सेवक भवन के अपूर्ण कमरों का निर्माण भागीरथपुरा	देवगांव
11. तालाब खुदाई रामनगर	रामनगर
12. प्रा. शाला बाडखाकलियर	खेडारानीवास
13. कोटखावदा से जहांपहा कलान रामनगर (सड़क निर्माण)	रामनगर, कोटखावदा देहलाला
14. चाकसू कोटखावदा से दौलतपुरा	चाकसू दौलतपुरा
15. सांभरिया से कोटखावदा (सड़क निर्माण)	सांभरिया कोटखावदा
16. बस्सी तूंगा रोड (बरसं चौड़ा करने का कार्य)	बस्सी तूंगा
17. कानोता सांभरिया ,,	कानोता सांभरिया
18. खजड़ी बुजुर्ग से सवाई माधोसिंहपुरा वाया तामड़िया (सड़क निर्माण)	माधोसिंहपुरा तामड़िया
19. पदमपुरा से हीरापुरा वाया मकोडिया	पदमपुरा हीरापुरा
20. शिवदासपुरा चांदलिया तीतरिया रोड	शिवदासपुरा चांदलिया तितरिया
21. कोथुन से टूमली का वास	कोथुन टूमली

जिला कलक्टर
जयपुर

(206)

चिकित्सालय/डिस्पेंसरी/एडपोस्ट खोलने के मानदण्ड

314. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट डिस्पेन्सरी, राजकीय चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सरकार के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सरकार के मानदण्ड के अनुसार सभी चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या करवाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कितनी सुविधाएं किस-किस प्रकार से कहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित पदों की पूर्ति करली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति पंचायत समिति में एक अथवा एक लाख की जनसंख्या पर एक खोले जाने का मानदण्ड है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्रों में 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक तथा जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक खोले जाने का मानदण्ड है।

(2) उप केन्द्र सामान्य क्षेत्रों में 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक तथा जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक खोले जाने का मानदण्ड है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उप केन्द्रों को उच्चीकृत कर एडपोस्ट खोला जाता है। नवीन राजकीय चिकित्सालय तथा डिस्पेन्सरी स्थानीय मांग, वित्तीय प्रावधान और उपादेयता के आधार पर खोले जाते हैं। जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) चार स्वास्थ्य निरीक्षक, तीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा दो नर्स ग्रेड-II के पदों को भरने पर रोक होने, दो नर्स ग्रेड-I के पद पदोन्नति नहीं होने के कारण कनिष्ठ लिपिक का एक पद एवं दन्त चिकित्सक के एक पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त है। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी आवश्यक पदों पर अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में निम्न चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत

1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	केकड़ी
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	सरवाड़

3.	ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कादेड़ा
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रान्हेड़ा
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पारा
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	सावर
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जुनिया
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बघेरा
9.	उप केन्द्र	1. धुन्धरी (उच्चीकृत)
		2. देवगांव(उच्चीकृत)
		3. बिसुन्दरी ,,
		4. घटियाली ,,
		5. तसवारिया ,,
		6. मेवदाकलां ,,
		7. करोंज ,,
		8. कनईकलां ,,
		9. बड़गांव ,,
		10. सांपला ,,
		11. पिलाज
		12. खवास
		13. बाजटा
		14. बुडगांव
		15. चौसला
		16. मेहरूकलां
		17. निम्बेड़ा
		18. लसाड़िया
		19. भीमड़ावास
		20. गोरधा
		21. सांकरिया
		22. सलारी
		23. ढांकावास
		24. प्रालोली
		25. बोगला
		26. चितीवास
		27. सदारा
		28. देवखेड़ी
		29. फारकिया
		30. सरसेड़ी
		31. तितरिया
		32. मीणों का नया गांव
		33. रामपाली
		34. अजगरा
		35. जालिया
		36. कैरोठ
		37. पालड़िया
		38. नागोला

परफैक्ट पोटरी इण्डस्ट्री, भरतपुर

315. **श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर):** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में परफैक्ट पोटरी (मीडियम स्केल) इण्डस्ट्री पिछले 3 सालों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त उद्योग को पुन: प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) परफैक्ट सैनेटरी पाइप्स लि. (दी परफैक्ट पोटरीज क. लि.) में जुलाई 1992 से उत्पादन बन्द है। मजदूरों के वेतन के भुगतान के विवाद प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम भरतपुर तथा विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा इकाई को बन्द करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने व उच्च न्यायालय द्वारा उसे वैध ठहराने के फलस्वरूप इकाई बन्द नहीं होनी चाहिये किन्तु वास्तव में प्रबन्धकों ने इकाई को बन्द कर रखा है, तथा उसमें उत्पादन नहीं हो रहा है। उद्योग को पुन: चालू करने के प्रयत्न जारी हैं।

पुराने किलों एवं महलों का रख रखाव

316. **श्री हरीसिंह महुवा (महुवा) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :** क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से पुराने किलों एवं महलों की मरम्मत एवं उनके रख-रखाव का विचार रखती है ? यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे कितने पुराने किले एवं महल हैं जिन्हें पर्यटन के लिये चिह्नित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पुराने किलों एवं महलों को आकर्षक बनाने व उनके रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितनी राशि अतिरिक्त खर्च करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान में 23 किले तथा 17 महल तथा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा राजस्थान में 7 किले व 1 महल पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित घोषित किये गये हैं। जिनमें से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार ने निम्नलिखित 4 किलों को पर्यटन के लिये चिह्नित किया गया है :

1. चित्तौड़गढ़ दुर्ग 2. कुम्भलगढ़ दुर्ग
3. रणथम्भोर दुर्ग 4. जैसलमेर दुर्ग

(2) राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित किलों व महलों की मरम्मत पर विगत पांच वर्षों में (वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक) रु. 10,24,121/– की राशि व्यय की गई है। केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान

(कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मन्त्री) में जो किले एवं महल संरक्षित घोषित किये हुए हैं उन पर भारत सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में (वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक) कुल रु. 73,98,279/- की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त 1993-94 में जिला प्रशासन के माध्यम से जैसलमेर किले की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया गया है। इस कार्य पर अनुमान है कि 95.00 लाख रु. का खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। जहां तक अतिरिक्त राशि खर्च करने का प्रश्न हैं, राज्य सरकार के संरक्षित किलों व महलों की मरम्मत व रख-रखाव पर उपलब्ध प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि खर्च की जावेगी।

विद्यालयों में अध्यापक/प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

317. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापकों के पदों को भरना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर तहसील टोडाभीम एवं नादौती की हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरना चाहती है ? यदि हां, तो हाई स्कूल बांस मोरड़ा के प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद द्वितीय वेतन श्रृंखला की 94-95 की डी.पी.सी. से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति में चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

अध्यापकों के पद 94-95 सत्र प्रारम्भ से पूर्व सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे।

(2) जी हां। सवाई माधोपुर में बांस मोरड़ा के प्रधानाध्यापक का पद लोक सेवा आयोग अथवा डी.पी.सी. से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1994)

बंजर भूमि, पर्वतीय व तंग घाटी क्षेत्रों का विकास

73. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश की सम्पूर्ण बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(210)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(2) प्रदेश के पर्वतीय एवं तंग घाटियों वाले क्षेत्रों के विकास हेतु विचाराधीन योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न जिलों में बंजर भूमि विकास योजनाएं तैयार करवा कर भारत सरकार को 25 परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी गई थीं जिनमें से 10 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कृषि भूमि जो लवण, क्षारीय एवं वाटर लोगिंग से खराब हो गई है उस को पुनः उपजाऊ बनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा योजनाएं बनाई जाती है। वन विभाग की बंजर भूमि का विकास वन विभाग द्वारा उनकी परियोजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ऐसी कोई योजना वर्तमान में विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

बंजर भूमि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ होने से माह जनवरी, 94 तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(रु लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वाटर शेड का नाम	परियोजना की कुल लागत	परियोजना का कार्यकाल	आवंटित राशि
1.	झालावाड़	1–डग	230.62	5	188 68
		2–बकानी	190.88	5	
		3–महाराजपुरा	273.94		54.17
2.	जोधपुर	4–कायलाना	349.70	5	127.38
3.	उदयपुर	5–आयड़	421.77	4	74.14
4.	टोंक	6–उनियारा–निवाई	304.00	5	72.10
5.	भीलवाड़ा	7–हुरका–बनेड़ा जहाजपुर	320.00	5	95.35
6.	सीकर	8–बालेश्वर	397.19	4	140.00
7.	जयपुर	9–ढुंढ नदी	329.40	4	80.85
		10–कूकस डेम	153.22	5	49.01
		योग :–	2970.72		881.68

बंजर भूमि विकास योजना

परिशिष्ट "ब"

भारत सरकार के पास विचाराधीन परियोजनाएं

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वाटर शेड का नाम	परियोजना की कुल लागत	परियोजना का कार्यकाल
1.	जोधपुर	1-जेलवा	321.625	5
2.	जयपुर	2-बांडी	482.950	5
3.	झालावाड़	3-सुनेल	298.210	5
4.	सवाई माधोपुर	4-गोधरा	496.920	5
		5-गुरला	276.760	5
		6-हाडोली	371.089	5
5.	पाली	7-सेदड़ा	420.090	5
		8-नाना	387.590	5
6.	अजमेर	9-डूमारा	404.700	5
7.	राजसमन्द	10-रावचा	460.820	5
		11-कूरज	487.740	5
		12-आमेट एवं भीम	493.000	5
8.	अजमेर	13-पूनेरा वाटर शेड	241.820	5
9.	उदयपुर	14-पिछोला लेक	323.940	4
10.	जयपुर	15-चाकसू सोकार्यहि कौन (स्वयं सेवी संस्था)	25.500	3
			5492.754	

पंचायत समिति सलूम्बर व गिर्वा के पशु चिकित्सालय

318. श्री फूलचन्द (सलूम्बर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति सलूम्बर व गिर्वा में कितने पशु औषधालय व सब सेन्टर कहां-कहां खोले गये हैं ? जनजाति क्षेत्रों में पशु औषधालय, उपकेंद्र खोलने की निर्धारित प्रक्रिया किस प्रकार की है ?

(2) डाक्टर व स्टोक मैन के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सरकार का कब तक इन पदों को भरने का विचार है ?

(3) इस क्षेत्र में कितने नये औषधालय और उपकेन्द्र सृजित करने का प्रावधान विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति सलूम्बर व गिर्वा में 5 पशु चिकित्सालय, 1 पशु औषधालय, 4 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। कार्यरत संस्थाओं की सूची संलग्न है। पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलते समय स्थान चयन हेतु पशु संख्या के अलावा भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाएं एवं जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है। जनजाति क्षेत्र के लिये कोई विशेष छूट नहीं दी हुई है।

(2) पंचायत समिति, सलूम्बर एवं गिर्वा में 3 पद डाक्टर के क्रमशः सलूम्बर में 87 से, साकरोदा में 8/92 से, जगत में 7/93 से रिक्त है। अभ्यार्थी प्राप्त होते ही रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

(3) वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय/उपकेन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

पंचायत समिति सलूम्बर एवं गिर्वा में कार्यरत पशु चिकित्सालय/औषधालय की सूची

पंचायत समिति, सलूम्बर :

पशु चिकित्सालय	औषधालय	उपकेन्द्र
1. पशु चिकित्सालय, गोगला	1. पशु औषधालय, सेराड़	केनपुरा
2. पशु चिकित्सालय, सलूम्बर		दोलपुरा
		भैंसड़ाकला

पंचायत समिति, गिर्वा :

पशु चिकित्सालय	औषधालय	उपकेन्द्र
1. पशु चिकित्सालय, कुरावड़ा		लालपुरा
2. पशु चिकित्सालय, साकरोदा		
3. पशु चिकित्सालय, जगत		

(213)

नमाना बांध (राजसमन्द)

319. श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राजसमन्द जिले में नमाना बांध की दाईं नहर, जो रेलमगरा एवं राजसमंद तहसीलों के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

राज्य कर्मियों के लम्बित प्रकरण

320. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद):- क्या कार्मिक एवं प्रशासन सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विगत विधान सभा सत्र में दिनांक 27-3-90 को सरकारी कर्मचारियों के लम्बित मामलों को चार माह में निपटा दिये जाने हेतु एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस समिति द्वारा कितने लम्बित मामलों को अभी तक निपटाया गया है व कितने अभी भी बकाया हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बकाया मामलों का निपटारा कब तक इस समिति द्वारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इस प्रतिवेदन में कर्मचारियों की सेवा संबंधी कठिनाईयों के उत्पन्न होने के संबंध में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है। चूंकि यह एक मोनिटरिंग कमेटी थी, जिसने विभिन्न विभागों विशेषकर ऐसे विभाग जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सा. नि. विभाग, सिंचाई विभाग, आयुर्वेद विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग आदि के साथ बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों की सेवा संबंधी मूलभूत समस्याओं का अध्ययन किया है उदाहरण के रूप में:-

1. स्थायीकरण:-इस विषय में समिति ने निष्कर्ष निकाला कि एक कर्मचारी के लिये हर स्तर पर स्थाई होने की आवश्यकता पड़ती है। समिति ने सुझाव दिया कि एक बार जब कनिष्ठ लिपिक पद पर कोई कर्मचारी स्थाई हो गया तो व.लि. अथवा सहायक के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः स्थाई किये जाने के आदेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, जब तक कि अगले संवर्ग अर्थात् अधिनस्थ सेवा संवर्ग में नहीं आता।

2. सेवा नियमों में संशोधन :- सेवा नियमों के बनाने के विषय में समिति ने एक स्थाई समिति के गठन करने का सुझाव दिया है एवं नियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किये गये कर्मचारियों के स्थाईकरण शीघ्रता से करने हेतु प्रस्ताव किया है।

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

3. विभागीय जांच, न्यायालय निर्णय, न्यायालय अवमानना प्रकरण :--

विभागीय जांच प्रकरणों एवं न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में समिति ने स्थिति पर सन्तोष व्यक्त किया है।

नियम, 17 सी.सी.ए. रूल्स, 1958 के तहत की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाहियों के विषय में समिति ने सुझाव दिया है कि आरोपी का जवाब प्राप्त करने के लिये अनेकों स्मरण पत्र दिये जाने का अभ्यास सभी विभागों में है, जो तरीका ठीक नहीं है एवं जांच कार्य वर्षों चलता रहता है, जबकि नियमों में समुचित समय प्रतिउत्तर प्रेषित करने हेतु दिये जाने का प्रावधान है, और इस प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने के नोटिस में अंकित समय अवधि तक यदि प्रतिउत्तर नहीं आता है तो अनावश्यक रूप से अनेकों स्मरण पत्र देने के बजाय प्रकरण पर निर्णय कर दिया जाना चाहिये।

समिति ने सुझाव दिया है कि न्यायालय की अवमानना के प्रकरण काफी संख्या में उत्पन्न हो रहे है जिसका एक मात्र कारण है कि विभागाध्यक्षों के स्तर पर निर्णयों की पालना के संबंध में त्वरित रूप से निर्णय नहीं होता है और प्रकरण को विचार-विमर्श व सम्मति, निर्देश अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग, कार्मिक या विधि अथवा वित्त विभाग को भिजवा दिया जाता है जिसमें काफी विलम्ब हो जाता है एवं संबंधित कर्मचारी निर्णय की पालना के अभाव में वापिस उसी न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत कर नया प्रकरण उत्पन्न कर देता है जो स्थिति अच्छी नहीं है। अतः न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति हेतु हर स्तर पर त्वरित गति से निर्णय लिया जावे एवं अनावश्यक रूप से विचार विमर्श अथवा परामर्श/स्पष्टीकरण हेतु पत्रावलियों की लौटा फेरी नहीं की जावे।

समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभागीय जांच के 32 (मंत्रालयिक सेवा के सात तथा अधिनस्थ सेवा के 25), वन विभाग में 85 (मंत्रालयिक सेवा के 8 तथा अधिनस्थ सेवा के 77) मामले ही विचाराधीन होने पर संतोष व्यक्त किया है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग में न्यायालयों के 27; वन विभाग में 16 सहकारी विभाग में 3, तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में 289 प्रकरण ही विचाराधीन होना पाया गया है जबकि कालेज शिक्षा में कोई भी न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होना नहीं पाया गया है।

राज्य कर्मचारियों की उपर्युक्त समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके इसके लिये वर्तमान में प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के शासन सचिवों द्वारा इन मामलों के निस्तारण की मासिक समीक्षा की जा रही है। शासन सचिवों की बैठकों में भी इन प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(2) कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याएं समय-समय पर उत्पन्न होती रहती

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

है एवं आवश्यकतानुसार उनका तत्काल निराकरण किया जाता है। इस प्रकार यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है अतः किसी निश्चित तिथि का निर्धारण संभव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अनुसूचित जाति विकास निगम की हिस्सा पूंजी

321. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की हिस्सागत पूंजी (शेयर केपिटल) कितनी है ? उसकी तुलना में निगम का प्रशासनिक खर्च कितना होना चाहिए ?

(2) विगत पांच वित्तीय वर्षों में निगम का प्रशासनिक खर्च कितना रहा है ? वर्षवार एवं मदवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम का प्रशासनिक खर्च निर्धारित मानदण्डों से कई गुना अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस खर्च को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की हिस्सा पूंजी 5·70 करोड़ है इसका 4 प्रतिशत अर्थात रुपये 22·80 लाख प्रशासनिक व्यय होना चाहिये।

(2) विगत पांच वर्षों का निगम के प्रशासनिक खर्चे का ब्यौरा मदवार एवं वर्षवार संलग्न परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) निगम का मूल उद्देश्य पिछले वर्ष तक अनुसूचित जाति के निर्धनतम परिवारों के आर्थिक विकास हेतु योजनायें क्रियान्वित करना रहा है। इस कार्य हेतु प्रत्येक जिले में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ रखना जरूरी है ताकि स्थानीय समस्याओं व परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में योजनाओं का क्रियान्वयन सक्षमता से संचालित किया जा सके। अतः प्रशासनिक व्यय स्वाभाविक रूप से अधिक होता है।

(4) निगम द्वारा संचालित योजनाओं के लिये बिन्दु संख्या तीन के अनुसार, न्यूनतम स्टाफ तो आवश्यक है ही। राज्य सरकार के सतत् प्रयास हैं कि विभिन्न प्रशासनिक व्यय में अधिकाधिक एव तदानुसार मितव्ययता बरती जाय। निगम द्वारा अति आवश्यक व्यय ही किये जा रहे हैं।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, जयपुर का प्रशासनिक व्यय (रु. लाखों में)

क्र.सं.	नाम मद	वर्ष 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7
(1)	सवेतन	20.90	29.54	36.60	51.02	67.45
(2)	पेन्शन व सी.पी.एफ. अंशदान	0.47	1.82	3.10	4.04	3.36
(3)	यात्रा व्यय	1.24	1.70	1.59	2.38	3.14
(4)	चिकित्सा व्यय	0.65	0.66	0.83	1.12	4.58
(5)	कार्यालय व्यय:-					
	अ. पोस्टेज एवं टेलिफोन	1.44	1.42	1.58	2.12	2.04
	ब. वर्दीयां	0.02	0.09	0.15	0.14	0.14
	स. पत्र-पत्रिकाएँ	0.08	0.09	0.06	0.09	0.21
	द. स्टेशनरी	0.47	0.68	1.65	1.07	0.61
(6)	अन्य :-					
	अ. प्रचार व प्रसार	0.08	0.08	0.51	1.07	0.44
	ब. वाहन रख-रखाव	2.53	2.92	3.44	5.28	7.00
	स. विविध व्यय	29.9	3.62	33.4	7.78	13.42
	द. सेमीनार	—	—	—	—	0.36
	य: सर्वे एवं प्रोजेक्ट	0.42	—	—	—	—
	र: मनोरंजन	0.06	—	—	—	0.22
	ल: भवन क किराया	0.50	—	—	—	1.41
(7)	पूंजीगत व्यय :-					
	अ- वाहन क्रय	1.77	1.61	—	1.99	—

1	2	3	4	5	6	7
	ब- भवन व फर्निचर	32.97	1.33	0.37	0.61	2.81
	स- टाईपराटर एवं केलक्यूलेटर	0 83	0 25	0.03	—	0 04
	द- अन्य संयन्त्र	—	—	0.52	—	—
	योग :-	66.52	46.21	53.83	78.26	107.26

पंचायत समिति नैनवां के ग्रामों के अधूरे निर्माण कार्य

322. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नैनवां के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रारम्भ करवाये गये मकान एवं कालोनियों के कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधूरे कार्यों की योजनावार व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधूरे कार्य पूरे करवाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि निर्माणाधीन आवास अधूरे रह जाने से खर्च की गई राशि का लाभ वांछित व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका है ? यदि हां, तो अधूरे मकान कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति नैनवां जिला बूंदी के अन्तर्गत आने वाले गांवों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आवासीय अनुदान योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ कराये गये आवासों में से 133 आवास अधूरे हैं जिनकी योजनावार एवं व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो आवास बनाए गए हैं तथा स्वीकृत राशि के पूर्ण व्यय करने के पश्चात् भी अधूरे हैं, उनकी आवंटितयों द्वारा स्वयं के श्रम के योगदान से पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा। इन अधूरे आवास में जहां कहीं राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है, सूचना एकत्रित की जा रही है एवं ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

ऐसे आवास जो लाभार्थियों को आवंटन से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको आवास अनुदान योजना के तहत उपलब्ध सहायता राशि से पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है।

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

(3) जी हां, अधूरे आवास पर स्वीकृत राशि पूर्ण व्यय हो जाने के पश्चात् आवंटियों द्वारा स्वयं के श्रम योगदान से पूर्ण कराया जाना संभव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला टौंक की कस्टोडियन्स की भूमि

323. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टौंक जिले में कस्टोडियन्स की कितनी-कितनी भूमि है ? खसरा नं. एवं रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कस्टोडियन्स भूमि वर्तमान में किसके अधिकार में है ? सरकार ने उक्त भूमियों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(3) कस्टोडियन्स भूमि पर किन-किन व्यक्तियों का नाजायज कब्जा है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) कस्टोडियन भूमि से वर्षवार कितनी आय सरकार को होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टौंक की तहसील टौंक में 1889 बीघा 10 बिस्वा एवं तहसील उनियारा में 15.47 हैक्टेयर कस्टोडियन भूमि है खसरा नम्बर एवं रकबे का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–"क")।

(2) उक्त कस्टोडियन्स भूमि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिकृत किये गए तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर के अधिकार में है, जो उक्त भूमियों के रख-रखाव की व्यवस्था करते हैं।

(3) कस्टोडियन भूमियों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सरकार इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेगी व आवश्यकता हुई तो नीतिगत निर्णय भी लेगी।

(4) कस्टोडियन भूमि से सरकार को रुपये 3357.15 पैसे वार्षिक आय हो रही है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"ख")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बालेसर चिकित्सालय में चिकित्सकों/कर्मचारियों के रिक्त पद

324. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछले प्रश्न के संदर्भ में मुझे आश्वासन दिया गया था कि रिक्त पदों को तत्काल भर दिया जावेगा लेकिन अभी तक वही हालत बनी हुई है, यदि रिक्त पद भर दिये हैं तो सूचना सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(219)

(श्री खेतसिंह राठोड़)

(2) बालेसर में डाक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? दवाइयों की सप्लाई कहीं भी समय पर नहीं होती ? इसकी तुरन्त जांच कराई जाकर, सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, शेरगढ़ तहसील स्थित संस्थानों में प्रसाविका एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों को भरा जा चुका है, इसके अतिरिक्त उच्चीकृत उपकेन्द्र उटाम्बर, ढाढणियां तथा जाटी भाण्डू में मेलनर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद स्थानान्तरण द्वारा भर दिए गये हैं। शेष रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) बालेसर में चिकित्सक का एक पद केन्ट इन अवेयन्स के कारण रिक्त है। नर्सिंग स्टाफ के पांच पद रिक्त है, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही की जा रही है। वार्ड ब्वाय के 6 रिक्त पदों को भरा जा चुका है। दवाईयों की सप्लाई सभी केन्द्रों पर वित्तीय प्रावधान व मांग के अनुसार समय-समय पर की जाती रही है, अत: जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है।

पर्यटन विकास निगम की विभिन्न इकाइयों से आय-व्यय

325. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के विभिन्न ट्यूरिस्ट बंगलों, मिडवे, सिलोसेढ़, होटल, यूथ होस्टल, रेस्ट हाऊस, केफेटेरियाज, टूरिस्ट विलेज, जनता आवास गृह, पैलेस ग्रान व्हील्स पर 1990-91 से 1993-94 तक प्रत्येक वर्ष में किन-किन मदों पर कितना-कितना व्यय हुआ है ? निगम की इन इकाइयों से किस-किस मद में कितनी-कितनी आय हुई और कितना लाभ व हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम की इकाइयों में बीयर व शराब की बिक्री की जाती है और इन इकाइयों में बीयर की बिक्री से कितनी आय हुई है तथा कितना लाभ हुआ है ? अन्य किस्म की शराब से कितनी आय हुई है और कितना लाभ हुआ है ?

(3) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष निगम को कितना लाभ अथवा हानि हुई है ? जिन वर्षों में लाभ हुआ है उनमें बीयर व शराब की बिक्री से हुए लाभ का प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की विभिन्न ईकाइयों के वर्ष 1990-91 से 1993-94 (दिसम्बर तक) प्रत्येक वर्ष में मदवार आय एवं व्यय तथा ईकाई वार लाभ/हानि की स्थिति विवरण सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, बीयर की बिक्री एवं अन्य किस्म की शराब से हुई आय एवं लाभ निम्न प्रकार है :-

(लाखों रु. में)

(अ) वर्ष	आय	व्यय	लाभ
1.	2	3	4
1990-91	654.51	552.45	102.06

(पर्यटन राज्य मंत्री)

1	2	3	4
1991-92	845.42	717.23	128.19
1992-93	1011.55	840.82	170.73
1993-94	977.13	829.05	148.08

(दिसम्बर, 93 तक अनुमानित)

(ब) अन्य किस्म की शराब (बार)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (लाखों रु. में)
1990-91	55.83	38.12	17.71
1991-92	77.87	51.79	26.08
1992-93	86.28	56.80	29.48
1993-94	77.04	48.00	29.04

(दिसम्बर, 93 तक अनुमानित)

(3) निगम को वर्ष 1990-91 में रु. 55.05 लाख, 1991-92 में रु. 119.51 लाख, 1992-93 में 206.62 लाख रु. का शुद्ध लाभ हुआ है तथा वर्ष 1993-94 के लेखे तैयार होने पर शुद्ध लाभ की गणना की जा सकेगी।

निगम को कुल सकल लाभ से इन वर्षों में बीयर एवं शराब (बार) की बिक्री के सकल लाभ का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा:-

वर्ष	प्रतिशत
1990-91	55.70
1991-92	48.75
1992-93	52.54
1993-94	60.54

(दिसम्बर, 93 तक अनुमानित)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्यालय

326. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत की जानी है तथा कितने माध्यमिक विद्यालय हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत की जाने वाली हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दानपुर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार घोड़ी तेजपुर व बड़लीपाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की दानपुर विधान सभा क्षेत्र में 17 माध्यमिक एवं 3

(शिक्षा मंत्री)

सीनियर विद्यालय कार्यरत है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) वर्ष 1994-95 में उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए दानपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(3) वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुये राज्य के अन्य माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय माध्यमिक विद्यालय दानपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(4) राज्य के अन्य उ.प्रा. विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय उच्च प्राथमिक विद्यालय घोड़ी तेज-पुर व बड़लीपाड़ा के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुये निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

दानपुर विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों की सूची

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय :

1. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, तलवाड़ा
2. —,,— —,,— माहीडेम
3. —,,— —,,— बड़ादिया

माध्यमिक विद्यालय :

1.	रा.मा.वि.	सुखानिया	10.	,,	करजी
2.	,,	कूपड़ा	11.	,,	पिपलखूट
3.	,,	छोटी बदरेल	12.	,,	चोखला
4.	,,	सुरपुर	13.	,,	छोटी सरवन
5.	,,	नवागांव	14.	,,	खालिया
6.	,,	दानपुर	15.	रा.बा.मा.वि.	खान्दु कॉलोनी
7.	,,	कलिंजरा	16.	,,	ठिकरिया
8.	,,	छोछ	17.	,,	तलवाड़ा
9.	,,	बोड़ीगामा			

222

भोमादेह बांध के जल का उपयोग

327. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भोमादेह बांध को मूलरूप से 85 फीट ऊंचा बनाने की सरकार की योजना थी ?

(2) यदि हां, तो इस बांध को निर्धारित ऊंचाई तक नहीं बनाकर मात्र 42 फीट ऊंचाई तक ही क्यों बनाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान ऊंचाई से हर वर्ष बांध ओवरफ्लो होता है तथा जवाजा क्षेत्र का काफी पानी बेकार बहकर चला जाता है ।

(4) उक्त बांध में इकट्ठे पानी को उपयोग में लेने के लिये विभाग ने क्या योजना बनाई है तथा इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए किस मद में क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर

(1) जी नहीं । यह एनीकट स्वीकृत ऊंचाई तक ही बांध बनाया है ।

(2) भू-गर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस स्थल पर चट्टाने कमजोर होने के कारण बांध की ऊंचाई 42 फीट ही रखी गई ।

(3) जी नहीं । यह सिंचाई विभाग का तालाब नहीं होकर एक एनीकट है । अतः औसत वर्षा में यह ओवरफ्लो हो जाता है ।

(4) जी नहीं । यह एक एनीकट होने से इस बांध के आस-पास के क्षेत्र में सिंचाई योग्य भूमि न होने से इसका पानी सीधे ही किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता । आस-पास के कुओं का जलस्तर इससे बढ़ता है । इस बांध को और ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कामां (भरतपुर) के कब्रिस्तान का प्रकरण

328. **श्री तैय्यब हुसैन (कामां) :** क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 4965 वाके कस्बा कामां जिला भरतपुर जो कि गत 50 वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग होता आ रहा है ? यदि हां, तो इसको राजस्व रिकार्ड में अब तक सही रूप से गैरमुमकिन कब्रिस्तान क्यों नहीं अंकित किया जा सका ?

(2) क्या सरकार इसको रिकार्ड में गैरमुमकिन कब्रिस्तान अंकित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । कस्बा कामां के खसरा नं. 4965 में केवल एक बीघा पर मौका कब्रिस्तान है जो खसरा टीप में दर्ज है ।

(2) राज्य सरकार ने औकाफ की राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर रखे हैं ।

मण्डल आयोग में शामिल जातियों/उपजातियों की जनसंख्या

329. **श्री मदन मोहन (खैरथल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदनमोहन)

केन्द्र सरकार द्वारा जारी मण्डल आयोग की सूची के अनुसार मण्डल आयोग में शामिल जातियों-उप-जनजातियों के लोगों की राज्य में आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार क्या है ?

उत्तर

जनगणना/1991 के दौरान पिछड़े वर्गों की जातियों/उप जातियों के लिये अलग से जातिवार कोई सूचना एकत्र नहीं की गयी।

बंजर भूमि विकास बोर्ड

330. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या बंजर भूमि विकास के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की वर्ष 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापना की गई थी ?

(2) इस योजना के तहत राजस्थान में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के तहत राज्य सरकार को क्या साधन यथा कार, स्टाफ इत्यादि मुहैया कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में कितनी योजनायें व धनराशि स्वीकृत की गई व उनकी क्रियान्विति राज्य में किस प्रकार की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट-"अ" I पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा योजना की लागत का 15% राशि संस्थापन व्यय एवं स्टाफ पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल योजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग तथा जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में पद स्वीकृत किये गये हैं।

(4) राज्य बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा अब तक कुल 11 परियोजनाऐं स्वीकृत की गई हैं। "अ" II इस योजना की क्रियान्विति राज्य के वन-विभाग द्वारा जंगलात क्षेत्र में तथा जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा गैर जंगलात क्षेत्र में कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जलाने के वास्ते लकड़ी, चारा, घास आदि उगाकर स्थानीय निवासियों को उपलब्ध कराना है योजना एवं धन राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकाल राहत समितियों की गतिशीलता हेतु प्रयास

331. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अकाल प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन, चारा, पेयजल तथा चिकित्सा

224

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

प्रबन्धों हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(2) अकाल राहत समिति को गतिशील बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुधन की रक्षार्थ चारा उपलब्ध करवाने तथा पेयजल परिवहन के सम्बन्ध में जिला कलक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थायें करने के लिये निवेदन कर दिया गया है। पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था हेतु भी पशुपालन विभाग एवं भेड़ व ऊन विभाग को सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाहियों के लिये निवेदन किया जा चुका है।

(2) सभी प्रभावग्रस्त जिलों में जिला स्तर, समिति स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं पंचायत स्तर पर अकाल राहत पर्यवेक्षण समितियों के गठन से सम्बन्धित निर्देश दिये जा चुके हैं। जिला स्तरीय समिति में जिले के सांसद, विधायक, पूर्व जिला प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया है। पंचायत समिति स्तरीय समितियों में क्षेत्रीय विधायक, पूर्व प्रधान, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा तीन पूर्व सरपंचों को भी शामिल किया गया है।

पंचायत स्तरीय समिति में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सदस्य हैं।

(3) पूर्व वर्षों की भांति स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान पशु संरक्षण कार्यों में लिये जाने का निर्णय लिया गया है और जिला कलक्टर्स को तदनुसार निर्देश दे दिये गये हैं।

जिला नागौर के चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालयों का संचालन

332. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर्स ने अपने निजी अस्पताल अलग से खोल रखे हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में ऐसे कौन कौन से डाक्टर हैं, जिन्होंने सरकारी सेवा में होते हुए भी निजी अस्पताल खोल रखे हैं ?

(2) क्या नियमानुसार सरकारी सेवा में होते हुए भी डाक्टर अपना निजी अस्पताल चला सकते हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर्स द्वारा अलग से निजी अस्पताल खोलना नहीं पाया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री)

(2) जी नहीं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा हिदायतें दी जाती रही है।

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में बाल विकास परियोजना केन्द्र

333. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में बाल पोषाहार केन्द्र संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या सरकार खण्डेला में बाल विकास परियोजना केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में वर्तमान में बाल विकास पोषाहार केन्द्र संचालित नहीं है, क्योंकि भारत सरकार से अभी तक पंचायत समिति खण्डेला के लिये बाल विकास परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस क्षेत्र के लिये बाल विकास परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। अत: राज्य सरकार बाल विकास परियोजना स्थापित करने का विचार नहीं रखती है।

सोडलपुर माध्यमिक विद्यालय घाटोल का भवन

334. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय सोडलपुर अन्य किसी के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार स्कूल के लिये सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सोडलपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचायत के भवन में चल रहा है।

(2) बजट में भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन नहीं होता है। भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित होने पर तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

लोडदा बांध की राइट कैनाल

335. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि लोडदा बांध की राइट कैनाल का कार्य बरसों से अधूरा पड़ा है ? यदि नहीं, तो राइट कैनाल से कौन-कौन से गांवों में सिंचाई होती थी

(श्री दयाराम परमार)

और वर्तमान में कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

उत्तर

जी नहीं। लोडदा बांध की राइट कैनाल का कार्य अधूरा नहीं है। राइट कैनाल से बागनवाड़ा गांव की सिंचाई होती थी एवं आज भी होती है। वर्तमान में 84 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है।

भीलवाड़ा क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि

336. श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि पर उद्योगों के बजाय कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों ने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाना नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर बनाये गये कार्मशियल कॉम्पलेक्स को औद्योगिक के बजाय कार्मशियल उपयोग के लिये भूमि का कनवर्शन रीको अथवा जिला कलक्टर द्वारा पिछले 3 सालों से अब तक किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यह कनवर्शन किन नियमों के तहत किया गया है ?

उत्तर

(1) मैसर्स भंवर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज द्वारा कुल 1.5 एकड़ में से 261 वर्ग मीटर भूमि पर शो-रूम का निर्माण किया गया है।

(2) जी हां। जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको द्वारा समय-समय पर उद्यमी के अनाधिकृत निर्माण कार्य को हटाने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं तथा उद्यमी द्वारा उक्त अवैध निर्माण को नियमन कराने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परन्तु रीको द्वारा उक्त अवैध निर्माण को व्यावसायिक उपयोग हेतु नियमन नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति धरियावद (उदयपुर) में स्वीकृत इन्दिरा आवास

337. श्री नारायणलाल (लसाड़िया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति धरियावद (उदयपुर) में वर्ष 1991, 1992 व 1993 में कुल कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये ?

(2) किन-किन ग्राम पंचायतों एवं गांवों में किन-किन व्यक्तियों के नाम स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति घरियावद (उदयपुर) में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 (जनवरी, 94 तक) कुल 304 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये। वर्ष 1991-92 में कोई इन्दिरा आवास स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) सूची संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ के चिकित्सा केन्द्र

338. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कितने रैफरल हास्पिटल, हास्पिटल एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं ?

(2) क्या इन सभी प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरूप ही पद भरे हुये हैं ? यदि नहीं, तो पदवार रिक्तियां कितनी-कितनी हैं ? कितने समय से यह पद रिक्त चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एक रैफरल अस्पताल, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 49 उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं।

(2) जी हां। अधिकतर पद भरे हुये हैं, पदवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

228

भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों में पदवार रिक्त पदों की सूची

क्र.सं. 1	नाम संस्थान 2	रिक्त पदों का नाम 3	रिक्त पदों की संख्या 4	पद जब से रिक्त है का विवरण 5
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपालगढ़	1–कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	एक पद	छह माह से रिक्त है
		2–वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	एक पद	"पद केप्ट इन अवेयेन्स"
		3–मेल नर्स श्रेणी प्रथम	एक पद	काफी समय से
		4–रेडियोग्राफर	एक पद	काफी समय से
		5–च. श्रे. कर्मचारी	एक पद	सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुआ है।
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खांगटा	1–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसोप	1–महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एक पद	31.12.93 से
		2 स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसाना	1–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
		2–लेब. टैक्नीशियन	एक पद	वर्ष 1988–98 से
		3–संगणक	एक पद	काफी समय से
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड	1–महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एक पद	वर्ष 1988–89 से

1	2	3	4	5
		2–लेब. टैक्नीशियन	एक पद	वर्ष 1988–89 से
		3–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
		4–च. श्रे. क.	एक पद	यथा
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडी	1–महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एक पद	वर्ष 1989–90 से
		2–लेब. टैक्नीशियन	एक पद	यथा
		3–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; स्वासपुरा	1–महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एक पद	वर्ष 1989–90 से
		2–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; रतकुडिया	1–महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एक पद	वर्ष 1989–90 से
		2–लेब. टैक्नीशियन	एक पद	यथा
		3–स्वास्थ्य निरीक्षक	एक पद	पद भरने पर रोक

229

जमवारामगढ़ झील (जयपुर) का विकास

339. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ झील (जयपुर) विश्व के पर्यटन मानचित्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के विकास के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। किन्तु जमवारामगढ़ झील के विकास के लिये वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को मध्यनजर रखते हुये पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जमवारामगढ़ में पर्यटकों के लिये झील पर्यटक ग्राम संचालित है एवं पर्यटकों के मनोरंजन हेतु झील में नौकायन की सुविधा है।

कुशलगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

340. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र में कितने माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन खाली पदों को कब तक भरा जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर बुरा असर पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय निम्नानुसार है :–

विद्यालय का स्तर	छात्र	छात्रा	कुल
सी.उ.मा.वि.	2	1	3
मा. विद्यालय	7	1	8

विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन विद्यालयों मे रिक्त रहे पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इन विद्यालयों में कुल 27 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं, जिन्हें लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा

(शिक्षा मन्त्री)

जा सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रत्याशी उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) रिक्त पदों से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों पर बुरा असर न पड़े इसको ध्यान में रखते हुये, व्याख्याता के रिक्त पदों के विरुद्ध 100 रु. प्रतिदिन के हिसाब से मान देय पर सेवानिवृत योग्यताधारी अध्यापकों को लगाकर एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के योग्यताधारी अध्यापकों को भी उच्चतर कक्षाओं को पढ़ाने का दायित्व देकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

कुशलगढ़ के सी. उ. मा. वि. एवं मा. वि. की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलगढ़
2.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, सज्जनगढ़
3.	राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलगढ़
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सज्जनगढ़
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नोहरा कुशलगढ़
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, छोटी सरवा
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ी सरवा
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़वास
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ताम्बासरा
10.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डूंगरा छोटी
11.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कसराबड़ी

कुशलगढ़ क्षेत्र के सी. उ. मा. वि. एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त रहे पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विषय	व्या.	व.अ.	अध्या.	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
(1)	रा.उ.मा.वि. कुशलगढ़	विज्ञान	1	×	×	4-91

237

1	2	3	4	5	6	7
		भौतिकी	1	×	×	4–91
		कृषि	1	×	×	12–90
		इतिहास	1	×	×	10–90
		गणित	1	×	×	7–93
		उर्दू	1	×	×	12–93
		जीव.	1	×	×	8–93
		अंग्रेजी	1	×	×	7–90
		रसायन	1	×	×	7–91
		भूगोल	1	×	×	7–91
		संस्कृत	1	×	×	8–91
		टीवी रेडियो	1	×	×	3–90
		आशु.	1	×	×	3–90
		कार्या. प्रबन्ध	1	×	×	3–90
(2)	रा.उ.मा.वि. सज्जनगढ़	भौतिकी	1	×	×	7–91
		इतिहास	1	×	×	7–89
		गणित	1	×	×	7–93
		अंग्रेजी	1	×	×	7–93
		वाणिज्य	3	×	×	9–93
		हिन्दी	1	×	×	7–93
(3)	रा.बा.सी.उ.मा.वि. कुशलगढ़	अंग्रेजी	1	×	×	8–93
		हिन्दी	1	×	×	8–90
		गृह वि.	1	×	×	10–89
		रा. शास्त्र	1	×	×	7–89
		इतिहास	1	×	×	11–90
		योग	27	×	×	

इन विद्यालयों में द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला का एक भी पद रिक्त नहीं है ।

हरीशचन्द्र सागर बांध की सिंचाई क्षमता

341. श्री भरतसिंह (खानपुर):- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हरीशचन्द्र सागर बांध की कुल सिंचाई क्षमता क्या है ? इस वर्ष कम सिंचाई के क्या कारण रहे ?

(2) क्या इस बांध पर किसी अन्य प्रकार का बांध बनाने या लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हरीशचन्द्र सागर की कुल सिंचाई क्षमता 25116 एकड़ आंकी गई है। इस वर्ष नदी में पानी की आवक कम होने के कारण सिंचाई कम हुई।

(2) जी हां। बांध बनाने की योजना है। जिसका सर्वे कार्य प्रगति पर है।

उच्चाधिकार प्राप्त महिला आयोग तथा मानव अधिकार आयोग का गठन

342. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़): एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं):- क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त महिला आयोग तथा मानव अधिकार के गठन पर गम्भीरता से विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

महिला आयोग गठित करने के बारे में राज्य सरकार ने अपना मंतव्य दिनांक 7 3 94 को बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए पैरा 105 पर स्पष्ट किया था कि महिलाओं की समस्या के निराकरण और समग्र प्रगति के लिए राज्य सरकार का मंतव्य एक स्थायी आयोग गठित करने का है।

राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन के बारे में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के छात्रावास

343. श्री जगदीप धनखड़(किशनगढ़):- क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

(2) इनके लिये चलाये जा रहे छात्रावासों में सुधार के लिये सरकार ने 1990 से अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं और उनके सम्बन्ध में विभाग को क्या शिकायतें प्राप्त हुई ?

(4) क्या सरकार किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के छात्रावासों का विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनायें निम्न प्रकार हैं:–

अ– निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण के लिये निम्न योजनायें संचालित की जा रही है:–

शैक्षणिक विकास योजनायें.–

1– नि:शुल्क छात्रावास

2– छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्वच्छकार छात्रवृत्तियां)

3– बुक बैंक योजना

4– नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

5– क्षति-पूर्ति भत्ता

6– बेरोजगारी भत्ता

7– प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

8– विषय में स्वालम्बन योजना

आर्थिक विकास कार्य :–

1– अनुसूचित जाति विशिष्ठ संगठक योजना

2– परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

3– स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता

4– वाल्मिकी ग्राम विकास योजना।

सामाजिक उत्थान कार्य :–

1– नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1955

2– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

3– अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

4– अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जाति (अस्वच्छ कार्य में रत) के कार्यों में अग्रणी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना।

5– अन्तरजातीय विवाह योजना।

जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें :–

(1) कृषि :–

1– अरण्डी की खेती

2– सोयाबीन की खेती

(2) फल विकास :–

1– सम्बन्धित फल विकास योजना

2– मसाला एवं सब्जी की उन्नत कृषि विधियों का प्रदर्शन

3– बैंक के माध्यम से

(3) रेशम कीट पालन :–

1– रेशम कीट पालन योजना

2– सिल्क वेस्ट कताई

(4) पशुपालन :-

1– बतखों का नि:शुल्क वितरण

2– उन्नत नस्ल के बकरों का नि:शुल्क वितरण

3– बैंक के माध्यम से पशुओं की नस्ल में सुधार

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

4- पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन

(5) भेड़ व ऊन

1- प्रजनन हेतु संकर मेंडों का वितरण

2- संकर मेंढों के भरण पोषण सहायता

(6) मत्स्य :-

1- राजसंघ के माध्यम से संचालित योजनायें, 2- नाव, जाल क्रय करने हेतु राजसंघ को सहायता, 3- मत्स्य प्रशिक्षण हेतु राजसंघ को सहायता, 4-मत्स्य सहकारी समितियों का गठन, 5-निजी क्षेत्र में नस्ल बीज/पालन, 6-जन जाति मछुआरों का जीवन बीमा, 7- खुदरा मत्स्य विक्रय केन्द्र, 8- मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनायें, 9- मत्स्य जलाशयों का संरक्षण, 10-मत्स्य सहकारी समितियों का गठन, 11-ग्रास कार्य मत्स्य बीज का उत्पादन।

(7) वन :-

1- बंजर भूमि पर घासों व लघु वन उपजों के पौधों का रोपण, 2-निजी पड़त भूमि का विकास

(8) सहकारिता :-

1- ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण एवं चल उपभोक्ता सामग्री 4 वाहन हेतु अनुदान, 2-लैम्प्स को व्यवस्थापकीय सहायता, 3-लघु वन उपज संग्रहण पर देय रायल्टी का राजसंघ को पुनर्भरण, 4- विभेदी ब्याज दर योजनान्तर्गत ऋण वितरण पर सर्विस चार्जेज हेतु अनुदान, 5-आदिवासी सदस्यों को लैम्पस/अन्य सहकारी संस्थाओं के हिस्सा क्रय करने हेतु सहायता, 6-राजसंघ को कृषि उत्पादन विक्रय से ब्याज की हानि का पुनर्भरण, 7-लघु वन/खनिज सम्पदा पर आधारित आदिवासी सहकारी समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान, 8-राजसंघ को व्यवस्थापकीय अनुदान, 9-प्रदर्शनी लगाने हेतु सहायता, 10-राजसंघ के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये सहायता, 11-बंजर भूमि विकास योजना, 12-राजसंघ को सहकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु सहायता, 13-शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण सहायता, 14-दुग्ध सहकारी समिति के लिये अनुदान।

(9) सिंचाई :-

1- विस्फोट द्वारा कुओं को गहरा करना, 2- बोरिंग द्वारा कुओं को गहराना, 3-जलोत्थान सिंचाई योजना, 4-डीजल पम्प सेट के माध्यम से सामुदायिक सिंचाई योजना, 5-माही बजाज सागर परियोजना का क्षेत्रीय विकास, 6-सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना एवं अपूर्ण कुओं को पूर्ण करना।

(10) विद्युत :-

1- आदिवासियों की बस्तियों का विद्युतीकरण।

(11) खान एवं भू-विज्ञान विभाग :-

1- जन जातिय व्यक्तियों को खवेरी लाइसेन्स एवं खनन पट्टे हेतु सहायता।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(स) राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, द्वारा संचालित योजनायें :-

1– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण/अनुदान के माध्यम से आय वृद्धि/स्वरोजगार देने की योजना, 2–छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने एवं विक्रय की व्यवस्था हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, 3–स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

(2) **आय वृद्धि योजना :–**

(अ) शहरी क्षेत्र :–

1– पैकेज आफ प्रोग्राम, 2–दुकान योजना, 3–स्कार्इट योजना, 4–आटो रिक्शा योजना, 5–सफाई कर्मचारी पुनर्वास योजना

(ब) ग्रामीण क्षेत्र :–

1– पम्प सैट सामुहिक, 2–पम्प सैट (व्यक्तिगत), 3–ब्लास्टिंग एवं बोरिंग, 4–दुकान योजना, 5–शिल्प शाला, 6–बुनकर शाला, 7–बिजली कनेक्शन, 8–उन्नत कृषि यन्त्र, 9–उन्नत नस्ल की गाय, 10–उन्नत नस्ल की भैंस, 11–मुर्गा पालन, 12–स्वच्छकार

पुनर्वास :-

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 के पश्चात् विभिन्न योजनाओं में संचालित छात्रावासों में सुधार के प्रयास किये हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1– छात्रावासों में छात्रों को भोजन, वस्त्रादि के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में 170/- रु. से 250/- रु. की वृद्धि कर दी है।

2– छात्रावासों में रह रहे छात्रों के सर्वागीण विकास हेतु पुस्तकें एवं खेल-कूद की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

3– छात्रावास भवन के पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ बनाने के लिये ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही लकड़ी के स्थान पर भोजन इत्यादि तैयार करने हेतु रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

4– छात्रावासों में पुराने एवं नकारा अनावृतक सामान यथा तख्ते, कम्बल, बर्तन, आदि को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में बदलने एवं नये सामान क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5– पुराने एवं मरम्मत योग्य छात्रावासों के भवनों में बाउन्ड्रीवाल, सामान्य मरम्मत एवं आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने की कार्यवाही की जा रही है।

6– छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को कठिन विषयों में जैसे (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान) आदि में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है।

7– छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण से स्वालम्बन योजना लागू की गई है।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 2 छात्रावास किशनगढ़ एवं रुपनगढ़ में चलाये जा रहे हैं। विभाग

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

की जानकारी में उक्त छात्रावासों की कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

(4) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में छात्रावासों का विस्तार राज्य के पास वित्तीय संसाधनों तथा स्थानीय स्थिति के आंकलन पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जीवनधारा योजनान्तर्गत निर्मित कूप

344. श्री हीरालाल (बामनवास) :- क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बामनवास विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बोंली एवं बामनवास में कितने कूप जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 में स्वीकृत हुए हैं ? इनमें से कितने कूप पूर्ण हो चुके हैं और कितने कूप अपूर्ण हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बामनवास विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बोंली एवं बामनवास में जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 (जनवरी-94) में क्रमश: 113 39 व 2 कुल 154 कूप स्वीकृत किये गये जिनमें से 72 कूप पूर्ण हो चुके हैं 80 कूप अपूर्ण हैं परन्तु अधिकांश में कार्य चालू हैं। 2 कुओं की स्वीकृति आवंटियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण निरस्त कर दी गई है।

वर्षवार सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर

345. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर किस श्रेणी का अस्पताल है एवं इसमें कितने बेड्स स्वीकृत हैं ?

(2) क्या विभागीय स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्टाफ उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पैटर्न के अनुसार कितने पद रिक्त हैं एवं रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर "ए" श्रेणी का चिकित्सालय है; इस चिकित्सालय में 300 बेड्स स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं, समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण केवल न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ही स्टाफ के पद उपलब्ध कराये जाते हैं।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो पद रिक्त है, का विवरण संलग्न है।

रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वीकृत स्टाफ में निम्न पद रिक्त है

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्म रोग)-एक	1	20.5.93
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी-एक	1	9.93
3,	जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक-एक	1	12.93
4.	लेब. टैक्नीशियन	1	1.93
5.	वाहन चालक	2	4.2.93
6.	स्वास्थ्य शिक्षक कम स्वास्थ्य सहायक	1	4.2.93

239

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 401 का विवरण

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है :—

1. राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के लिये ढाई प्रतिशत का कोटा सांसद, विधायक, आकाशवाणी–दूरदर्शन के समाचार अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी सहित अधिस्वीकृत श्रमजीवी पत्रकारों के लिये दिनांक 30 नवम्बर, 1984 से निर्धारित किया हुआ है।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम-गृहों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दिनांक 20 जून, 1973 से सुलभ हैं।

3. टेलीफोन की प्राथमिकता के लिये अधिस्वीकृत पत्रकार होने का तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

4. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में वातानुकूलित बसों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिनांक 15 सितम्बर, 1985 से मुहैया कराई जा रही है।

5. कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में समाचार संकलन हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने के लिये निदेशालय द्वारा जिला कलक्टर को सिफारिश की जाती है।

6. राज्य की विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल भेजे जाते हैं।

7. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं सूचना सामग्री, छायाचित्र आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

8. मन्त्रीगण एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं उनके छायाचित्र आदि लेने की व्यवस्था कराई जाती है एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को उनकी मांग पर मन्त्रीगणों के चित्र आदि सुलभ कराये जाते हैं।

240

9. सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को चुनाव आयोग की अनुमति पर चुनावों के समय पोलिंग बूथ एवं मतगणना स्थल पर समाचार संकलन हेतु जाने हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने के लिये विभाग द्वारा चुनाव विभाग को सिफारिश की जाती है।

10. पत्रकार कल्याण कोष नियम, 1982 के अन्तर्गत असाध्य रोग से ग्रसित पत्रकारों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के साधन विहीन पत्रकारों, मृत पत्रकारों के आश्रित आय के साधन विहीन 28 वर्ष से कम आयु के पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

11. राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. 83/93/कस्टम्स दिनांक 28.2.93 एवं संशोधन पत्र सं. 520/91/93 कस्टम सिक्स दिनांक 23.6 93 के द्वारा 60,000/– रु. तक का विदेश से प्रेस से सम्बन्धित उपकरण क्रय करने हेतु सीमा शुल्क में शतप्रतिशत छूट देने का प्रमाण-पत्र पत्रकारों को जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची

मदिरा समूह नीमकाथाना वर्ष 94–95 में स्वीकृत दुकानों की सूची

क्र.सं	किस्म मदिरा	नाम दुकानात	
		मुख्य दुकान	उप दुकान
1.	देशी मदिरा	1–नीमकाथाना	1-रेल्वे स्टेशन नीमकाथाना
		2–सिरोही	2–रेल्वे स्टेशन मावण्डा
		3–मावण्डा	3–छावणी (नीमकाथाना)
		4–अजीतगढ़	4–रेल्वे स्टेशन कावट
		5–थोई	5–मावण्डाकला
		6–डाबला	6–पावड़ी
		7–गुहाला	7–गणेश्वर
		8–झाडली	8-अचरावली
		9–थिलपुरा	9-भूदोली
		10–पाटन	10–टटेरा
		11–रायपुर	11–सिहोडी
		12–कावट	12–कोटडा
		13–हसामपुर	13–मढोली
		14–टोडा	14–माहवा
		15–पीपलाटा	15–शाहपुरा रोड
			16–चला
			17–हीराकाली
2.	विदेशी मदिरा	1–नीमकाथाना नं. 1	1-खेतड़ी मोड़ नीमकाथाना
		2–नीमकाथाना नं. 2	2–पाटन
			3-अजीतगढ़

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की प्रति

नियम 75–दुकानों की अवस्थिति :–

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी। किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति को उपर्युक्त शर्तों में आपवादिता परिस्थितियों में, ऐसा करने के लिये लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् शिथिलता दे सकेगा।

स्पष्टीकरण :—

(1) नियम 75 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिये एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में निर्वचन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूची में दर्ज हैं।

(2) हरिजन कालोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक है।

(3) महाविद्यालय या किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्थान से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था के पास अवस्थित कोई दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय से कम से कम एक घण्टे बाद ही खोली जावेगी।

(4) "लोक मनोरंजन के स्थान" से केवल नाट्यगृह और सिनेमाहाल अभिप्रेत होगा।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 407 की सूची

क्र सं.	नाम कार्यालय	स्वीकृत क्वारी लाइसेंसों की संख्या	स्वीकृत क्वारी लाइसेंस धारियों द्वारा स्वयं खनन कार्य करने वालों की संख्या	स्वीकृत क्वारी लाइसेंस में से पावर आफ एटार्नी से खनन कार्य करने वालों की संख्या	लाइसेंसधारियों की मृत्यु उपरान्त काम करने वाले वारिसों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	खनि अभियन्ता, उदयपुर	43	44	—	—
2.	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	73	73	—	—
3.	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	871	845	26	—
4.	सहा. खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा	16	16	—	—
5.	सहा. खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	203	203	—	—
6.	सहा. खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा	1135	1135	—	26
7.	खनि अभियन्ता, जयपुर	215	215	—	2
8.	खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	340	340	—	—
9.	खनि अभियन्ता, अजमेर	37	37	—	—

1	2	3	4	5	6
10.	खनि अभियन्ता, मकराना	711	694	17	—
11.	सहा. खनि अभियन्ता, टोंक	175	167	8	2
12.	खनि अभियन्ता, जोधपुर	6440	6440	—	—
13.	सहा. खनि अभियन्ता, सोजत	238	238	—	1
14.	खनि अभियन्ता, बीकानेर	31	31	—	—
15.	खनि अभियन्ता, नागोर	315	314	1	—
16.	खनि अभियन्ता, बिजोलिया	6157	6157	—	—

ह०/–
वास्ते निदेशक

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की प्रतियां

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : एफ 9(5)साप्र/2/89 जयपुर, दिनांक 3 सितम्बर, 1993

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.4.93 के द्वारा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबन्ध में दिनांक 31.7.93 तक छूट प्रदान की गई थी।

अब राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पुनः तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं।

स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध के दौरान राज्य के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति दिनांक 28.6.90 के अनुरूप ही किये जायं।

ह०/-
(सुनील अरोड़ा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्यपाल के सलाहकार।
3. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त निगमों एवं मण्डलों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
10. रक्षित पत्रावली।

ह०/-
(डी. चौधरी)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : एफ.9(5)साप्र/2/87 - जयपुर, दिनांक 28.6.90

आदेश

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार निम्न सामान्य नीति निर्धारित करती है :—

(1) किसी भी राजकीय कर्मचारी को साधारणतया दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण केवल निम्न कारणों से ही किया जा सकेगा :—

(क) राजकीय कर्मचारी के खिलाफ ऐसी गम्भीर शिकायतें हों, जो प्राथमिक जांच के उपरान्त सही पाई गई हों। ऐसे मामलों में स्थानान्तरण के तुरन्त बाद विभागीय जांच प्रारम्भ की जानी चाहिये।

(ख) कर्मचारी की पदोन्नति होने पर।

(ग) रिक्त स्थानों को भरने हेतु।

(घ) पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में।

यदि कोई राजकीय कर्मचारी स्थानान्तरण होने के बाद या दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान कर जाता है, तो उसे अवकाश से लौटने पर उसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा और वह वहां तब तक पदस्थापित रहेगा, जब तक उसका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाये।

(248)

उपरोक्त नीति के खिलाफ कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि अनिवार्य हो तो अगले उच्च अधिकारी की सहमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जायेगा। जो कर्मचारी विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरित किये जाये हैं, उनके लिए अगला उच्च अधिकारी सम्बन्धित विभाग का सचिवालय में प्रशासनिक विभाग होगा। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण यदि ऐसे प्रशासनिक विभाग द्वारा किये जाते हैं, जो मुख्यमन्त्री महोदय के अधीन नहीं हो, इन मामलों में अगली उच्च अथोरिटी मुख्य मन्त्री महोदय होंगे, जिनकी सहमति मुख्य सचिव के माध्यम से पत्रावली भेजकर प्राप्त की जायेगी।

(2) साधारणतया कोई भी अधिकारी एक सम्भाग में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार, किसी भी विभाग को उनके अधिकारियों हेतु इस प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगी। यह छूट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्रदान की जाये।

स्थानान्तरण साधारणतया शिक्षा सत्र से पूर्व माह मई या जून में किये जायेंगे। इसके बाद सिर्फ अति विशिष्ठ परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण पूर्ण रूप से सोच विचार कर ही किये जायेंगे। एक बार स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद कोई भी आदेश किन्हीं भी कारणों से तीन माह से पूर्व निरस्त नहीं किये जायेंगे। इस अवधि के बाद यदि कोई आदेश निरस्त किया जाता है तो बिना लिखित कारणों के एवं अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाये बिना निरश्त नहीं किया जायेगा। यह निर्णय मन्त्रीगण, समस्त विभागाध्यक्षों एवं स्थानान्तरण हेतु अन्य अधिकृत अधिकारियों पर पूर्णतः लागू होगा।

(ख) प्रत्येक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अपना नया पदभार ग्रहण कर लें। यदि 15 दिन में अधिकारी पदभार नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी को निलम्बित करने हेतु मुख्य सचिव अधिकृत होंगे।

(4) यदि पति पत्नि दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में यथा संभव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।

(5) मरूस्थल एवं जनजाति क्षेत्रों में कोई भी पद एक माह से अधिक रिक्त नहीं रखा जाये, जब तक इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं हो।

(6) मृतक कर्मचारियों के आश्रित को यदि राजकीय सेवा में लिया जाता है तो यथा सम्भव उसे मृतक कर्मचारी के गृह जिले या उसके नजदीक पदस्थापित किया जायेगा।

(7) प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों के पदस्थापन की नीति इस तरीके से निर्धारित

करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी क्षेत्र (फील्ड) एवं मुख्यालय (हैडक्वार्टर) के पदों पर एक निश्चित अवधि अवश्य बितायें ताकि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता दिखाने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले। इस बिन्दु पर विभाग कार्यवाही कर एक माह में रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को देंगे।

(8) उपरोक्त बिन्दु शासकीय दिशा-निर्देश है। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि किसी भी राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।

(9) उपरोक्त स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश समस्त आयोगों (कार्पोरेशन्स) एवं मण्डलों (बोर्ड्स) पर भी लागू होंगे। वे इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इनके अनुरूप अपने-अपने उपक्रमों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाकर राज्य सरकार को सूचित करेंगे व इसकी पालना करेंगे।

यह स्थानान्तरण नीति 1 जुलाई, 1990 से प्रभावी होगी। भविष्य में समस्त राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम, आयोग एवं मण्डल इन दिशा-निर्देशों के तहत ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण करेंगे।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत यदि कोई भी विभाग स्थानान्तरण करता है तो इसकी सूचना कार्मिक विभाग को मय कारणों के भेजी जायेगी। समस्त निरीक्षण अधिकारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी अपने सम्बन्धित विभागों का निरीक्षण करते समय इस बात का परीक्षण भी करेंगे कि सम्बन्धित विभाग ने स्थानान्तरण राज्य सरकार की इस नीति के अनुरूप ही किये हैं। जिन विभागों में इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई जाये, उनकी जानकारी मय सम्बन्धित अधिकारी, जिसने स्थानान्तरण किये हैं, उसके नाम से, कार्मिक विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

इन आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा।

ह०/-
(वी.बी.एल. माथुर)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 421 का विवरण

STATEMENT SHOWING OFFICE/DIVISIONWISE EXPENDITURE DURING 1992-93 & 1993-94 (upto 1/94).

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of office/Division	1992-93	1993-94 upto 1/94
1.	Chief Engineer, IGNP, Bikaner	142.70	126.79
2.	L & P. O., IGNP, New Delhi	8.91	9.23
3.	Central Store Dn. Bikaner	222.11	241.50
4.	Procurement Dn. Bikaner	14.94	13.30
5.	Chief Engineer, IGNP, Jaisalmer	28.41	24.87
6.	Dy. S. P. Wireless, IGNP, Bikaner	13.53	14.69
7.	SE. II-Stage Circle No. I, Bikaner	15.78	14.14
8.	16th Division, Bikaner	613.04	345.08
9.	18th Division, Bajju	501.23	241.95
10.	Charanwala Br. Dn. II, BKPR		
	Stage-II	527.91	70.89
	Kolayat Lift	358.00	106.69
11.	Birsalpur Br. Dn. II, Bajju		
	Stage-II	502.52	214.18
	Bangarsar Lift	453.53	113.03
12.	SE, II-Stage Circle No. II, BKN	12.95	10.75
13.	14th Dn. Bikampur.	572.14	253.52
14.	17th Dn. Bikampur.	407.59	165.71
15.	24th Dn. Phalodi.	259 34	116.28
	Phalodi Lift	68.67	47.47
16.	28th Dn. Phalodi	483.76	160.96
17.	Pugal Br. Dn. I, Phalodi	191.98	169.96
18.	SE, S & I Circle, Bikaner	12.79	10 93

1	2		3	4
19.	Lift Dn. IVth, LNKR	Stage-II	34.67	36.66
		Stage-I	169.89	153.17
		Head 2701	871.64	778.62
20.	10th Dn. Sahwa.	Stage-II	22.06	22.70
		Nohar-Sahwa Lift	523.47	143.90
21.	Lift Dn. I, Rawatsar.	Stage-II	25.85	24.03
		Nohar-Sahwa Lift	588.00	334.52
22.	20th Dn. Bikaner.	Stage-II	36.37	43.82
		Gnjner Lift.	236.60	270.91
23.	W. F. P. Dn. I Bikaner.		12.42	29.47
		WFP Heads.	113.64	42.21
24.	SE. II-Stage Circle No. III, JMR		12.16	9.70
25.	23rd. Dn. Mohangarh		409.63	343.85
26.	T. M. C. Dn. Mohangarh.		299.36	55.42
27.	Phalodi Dn. Mohangarh.		136.82	260.00
28.	XIth Dn, Mohongarh.		222.06	117.76
29.	S & I Dn. Ist, Jaisalmer.		197.51	349.00
30.	SE, II Stage Circle No. Vth, JSM		8.03	7.22
31.	S & I Dn. Ramgarh.		139.84	151.01
32.	S & I Dn-II, Jaisalmer.		581.84	241.77
33.	15th Dn. Ramgarh.		377.72	294.17
34.	W. F. P. Dn-II, Jaisalmer.		19.44	—
		WFP Heads.	20.90	—
35.	SE. Jaisalmer Circle, JSM		10.82	9.47
36.	19th Dn. Jaisalmer.		165.20	209.39
37.	29th Dn. Jaisalmer.		569.18	239.64
38.	21st. Dn. Jaisalmer.		163.49	261.62
39.	W. C. Dn. II, Jaisalmer.		254.91	85.95

1	2	3	4
40.	SE. Mech. Circle, Phalodi.	11.71	9.92
41.	Mech. Dn. Phalodi.	58.23	97.59
42.	Field Mech. Dn. II Bikaner.	110.70	198.50
43.	Field Dragline Dn. Bikampur. (–)	6.09	174.91
44.	Field Workshop Dn. Jaisalmer.	118.58	301.20
45.	Central Workshop Dn. Bikaner.	103.62	179.29
46.	SE. Q. C. Circle, Phalodi.	8.10	—
47.	Q C. Dn. I, Jaisalmer.	20.99	—
48.	Q. C. Dn. II, Bikaner.	27.54	—
49.	Q. C. Dn. III, Phalodi.	20.77	—
50.	R. O. Phalodi.	34.75	27.89
51.	Ramgarh Dn. Ramgarh.	—	14.29
52.	Kolayat Lift Dn. Bikaner.	—	21.18
		Kolayat Lift.	15.70
53.	Phalodi-Pokaran Lift S & I Dn. Phalodi.	—	16.30
54.	SE. Phalodi Const. & Maint. Circle, Phalodi	—	6.31
55.	Addl. Chief Engineer, Vigilance Q. C. & T. E. IGNP, Bikaner.	25.58	23.42
56.	S. E. Vigilance Q. C. & T. E. Phalodi	8.47	6.57
57.	EE. Vigi. Q. C. & T, E. Dn. I	37.63	32.09
58.	EE Vigi. Q. C. & T. E. Dn. II	19.44	18.53
59.	EE Vigi. Q. C. & T. E. Dn. III	16.00	13.57
60.	EE. Vigil. Q. C. & T. E. Dn. IVth, JSM	—	20 24

253

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूचियां

सूची जेवरात

क्र. सं. 1	नाम आभूषण 2	धातु 3	वजन 4
1.	मुकुट नग-1	सोना	73 ग्राम
2.	मुकुट नग-1	सोना	27 ग्राम
3.	चन्द्रकला (चन्द्रिका)	सोना	41 ग्राम
4.	चन्द्रिका नग-1	सोना	14 ग्राम
5.	गलसरी नग-1	सोना	8.020 ग्राम
6.	डोरा जड़ाऊ-2	सोना	72.890 ग्राम
7.	हार-1	सोना	28.800 ग्राम
8.	बतड़ी-2	सोना	27.270 ग्राम
9.	गलपटिया-1	सोना	19.00 ग्राम
10.	कॉलर-4	सोना	39.730 ग्राम
11.	कड़ा-2	सोना	4.00 ग्राम
12.	कड़ा-2(सादा)	सोना	22.800 ग्राम
13.	सांकली-1	सोना	13.700 ग्राम
14.	पायजेब-2	सोना	12.00 ग्राम
15.	कुण्डल-2 (जोड़ी-1)	सोना	4.500 ग्राम
16.	नथ-1	सोना	5.00 ग्राम
17.	बंगड़ी-1	सोना	14.00 ग्राम
18.	छत्र-2	सोना	143.00 ग्राम
19.	चेन (सूत)-1	सोना	12.600 ग्राम
20.	झुमकी टूटी हुई	सोना	4.300 ग्राम
21.	नथ-1 टूटी हुई	सोना	2.00 ग्राम

1	2	3	4
22.	मोतियों का पाटना–6	सोना	66.00 ग्राम
23.	मोतियों का कड़ा–12	सोना	18.700 ग्राम
24.	तिगड़ी मोतियों की–3	सोना	35.00 ग्राम
25.	हार–3	सोना	61.800 ग्राम
26.	मोतियों के हार–3	मोतीखरा	30.00 ग्राम
27.	चांदी का कड़ा–1	चांदी	13.500 ग्राम
28.	छत्र की डांडी–1	चांदी	108.00 ग्राम
29.	थाली–1	चांदी	484.050 ग्राम
30.	गड़वी–1	चांदी	227.450 ग्राम
31.	गिलास–2	चांदी	325.00 ग्राम
32.	पंचपातर–1	चांदी	123.00 ग्राम
33.	चम्मच–1	चांदी	32.810 ग्राम
34.	गुलदस्ता–2	चांदी	751.490 ग्राम
35.	छन्नी (रकेबी)–1	चांदी	104.980 ग्राम
36.	करवा–1	चांदी	83.00 ग्राम
37.	छत्र–1	चांदी	174.00 ग्राम
38.	आरती–2	चांदी	1580.00 ग्राम
39.	बंशी–1	चांदी	16.00 ग्राम
40.	रामसागर–1	चांदी	970.00 ग्राम
41.	प्याला–3	चांदी	529.00 ग्राम
42.	चंवर की डांडी–2	चांदी	800.00 ग्राम
43.	छड़िया–14	चांदी लकड़ी व लोहा	लोहा, लकड़ी होने से तोल नहीं
44.	रामरेवाड़ी	चांदी	11663.850 ग्राम

1	2	3	4
45.	चरण पादुका-4	चांदी	87.00 ग्राम
46.	बंशी-1	चांदी	6.00 ग्राम
47.	सिंहासन-3	चांदी	खाली पतरे फिट है
48.	पाटिये-3	चांदी	वजन नहीं
49.	थाली-1	चांदी	690.00 ग्राम
50.	तामड़ी-2	चांदी	60.100 ग्राम
51.	चौकी-1	चांदी	933.000 ग्राम
52.	दिवट मय दीपक-1	चांदी	2041.170 ग्राम
53.	टिकटी-1	चांदी	137.050 ग्राम
54.	किवाड़ जोड़ी-1	चांदी	3000.000 ग्राम
55.	कटोरियां-2	चांदी	100.000 ग्राम
56.	मुकुट नग-2	चांदी	10.000 ग्राम
57.	कड़ा-2	सोने का झोल	हर समय धारण से तोल नहीं

मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी (लक्ष्मीनाथजी) सुजानगढ़ जिला चूरू

सूची-मूर्तियां

क्र.सं.	मूर्ति का विवरण
1-	बड़ी मूर्तियां नग-6
	1-श्रीलक्ष्मीनाथजी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड
	1-श्रीमहारानीजी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड
	1-श्रीबांके बिहारीजी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड

1	2	
	1–श्री राधिकाजी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड	
	1–श्री चारभुजा जी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड	
	1–श्री लक्ष्मीजी धातु की मय पीतल का स्टेण्ड	
2–	छोटी मूर्तियां नग–12	
	4–श्री लड्डूगोपालजी की छोटी बड़ी	
	1-श्रीदुर्गाजी की मूर्ति	
	1–श्रीनन्देश्वरजी की मूर्ति	
	3-श्री हनुमानजी की मूर्ति	
	1–श्रीसत्यनारायणजी की मूर्ति	
	1-गाय की मूर्ति	
	1–श्रीगणेशजी की मूर्ति	
3–	श्रीसालगरामजी की मूर्ति पीतल का सिंहासन–1	
4–	श्रीगणेश जी की मूर्ति संगमरमर की	–1
5–	श्रीहनुमानजी की मूर्ति पत्थर की	–1

(257)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 432 का विवरण

वर्ष 1972-73 में बूंदी जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन
एवं चयनित अध्यापकों की योग्यता सहित विवरण

क्र सं.	नाम चयनित अध्यापक	योग्यता
1	2	3
	सन्-1972	
1.	श्री नन्दलाल	हाई स्कूल/एस.टी.सी.
2.	श्री रामलक्ष्मण	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
3.	श्री रमजानी	हाई स्कूल/एस.टी.सी.
4.	श्री कृष्णचन्द्र	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
5.	श्री देवीलाल	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
6.	श्री नरेन्द्र कुमार	हाई स्कूल/एस.टी.सी.
7.	श्री नन्दकिशोर	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
8.	श्री आनन्दी लाल	बीए/बी.एड.
9	श्री सलीम अहमद	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
10.	श्री रामस्वरूप	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
11.	श्री शोकत अली	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
12.	श्री मोहन लाल	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
13.	श्री हरचरण	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
14.	श्री शंकर लाल	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
16.	श्री गौरीशंकर	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
17.	श्री दौलत कुमार	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
18.	श्री शकूर मोहम्मद	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
19.	श्री मोडूलाल	हाई स्कूल/एस.टी.सी.
20.	श्री नारायण लाल	बीए/बी.एड.
21.	श्री सत्यनारायण	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.

258

1	1	3
22.	श्री रामपाल	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
23.	श्री रामधन	हायर सैकण्डरी/एस.टी.सी.
24.	श्री जगदीश चन्द्र	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
25.	श्री भगवान दत्त	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
26	श्री राधेश्याम	एम.एस./बी.एड.
27.	श्री मूलचन्द	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
	सन्–1973	
1.	श्री रामकरण	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
2.	श्री धीरेन्द्र कुमार	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
3.	श्री ब्रजनन्दन	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
4.	श्री हरिनारायण	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
5.	श्री बृजसुन्दर	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
6.	श्री कृष्ण बिहारी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
7.	श्री श्याम सुन्दर	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
8.	श्री गोविन्द लाल गुप्ता	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
9.	श्री मूलचन्द	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
10.	श्री मोतीलाल	हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी.
11.	श्री पृथ्वीसिंह	हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी.
12.	श्री पदमचन्द जैन	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
13.	श्री अब्दुल खालिक	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
14.	श्री अशोक कुमार	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
15.	श्री मोहन लाल	हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी.
16.	श्री रामस्वरूप	हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी.
17.	श्री हेमराज	हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी.
18.	श्री रामेश्वरदयाल	सैकण्डरी/एस टी.सी.
19.	श्री रामलीला	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
20.	कुमारी लीला	सैकण्डरी/एस.टी.सी.

1	2	3
21.	श्री नन्द किशोर	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
22.	भगवती सक्सेना	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
23.	विद्यावती जैन	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
24.	प्रभावती	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
25.	पुष्पा सक्सेना	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
26.	प्यारी बाई	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
27.	श्री बद्रीलाल	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
28.	छोटी देवी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
29.	श्री सुरेश बाबू	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
30.	श्री रामगोपाल	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
31.	सुधारानी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
32.	श्री मोहम्मद युसुफ	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
33.	श्री राधेश्याम	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
34.	श्री सत्यनारायण	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
35.	श्री रूपसिंह	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
36.	मेरा रानी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
37.	कु० जयन्ती शुक्ला	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
38.	इन्द्र देवी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
39.	श्री कृष्ण बिहारी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
40.	श्रीमती राधा देवी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
41.	श्री बाबू खॉन	सैकण्डरी/एस टी.सी.
42.	इन्द्र देवी	सैकण्डरी/एस.टी.सी.
43.	राजकुमारी	सैकण्डरी/एस टी.सी.
44.	श्री इस्हाक मोहम्मद	सैकण्डरी/एस.टी.सी.

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूची

टैक्सटाइल डिजाइनिंग विषय के विद्यालयों की सूची

1. राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
2. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर (जयपुर)
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल (अलवर)
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालोतरा (बाड़मेर)
6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापनगर (भीलवाड़ा)
7. महिला मण्डल उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर
8. श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
9. सेठ कृषि पंडित उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाड़ोल (उदयपुर)
10. गुरुनानक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 435 की सूची

जैतारण विधान सभा-क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद

नाम विद्यालय		रिक्त पदों की संख्या			
		प्र.अ.	व्याख्याता	II ग्रेड	III ग्रेड
रा.उ.मा वि.	आनन्दपुर कालू		अर्थशास्त्र-1	—	—
			सिलाई- 1		
,,	निमाज		अंग्रेजी- 1	—	—
			ना.शा.- 1	—	—
			अर्थशा.- 1	—	—
,,	जैतारण		संस्कृत- 1	—	—
रा.मा.वि.	बलून्दा		सामान्य	—	1
,,	लाम्बिया	1	—	—	—
,,	बलाड़ा	1	—	—	—
,,	बिम्बोल	1	—	1 जी.वि.	—
रा.बा.सी.मा.वि.	जैतारण	—	5	—	—
रा.बा.प्रा.वि.	जैतारण	—	—	—	2
रा.उ.प्रा.वि.	जैतारण	—	—	1	—
	योग:-	3	11	2	3

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 439 का विवरण

क्र.सं. 1	चिकित्सा संस्थान का नाम 2	पद का नाम 3	स्वीकृत पद संख्या 4	कार्यरत पद संख्या 5
1.	यज्ञ नारायण चिकित्सालय (100 रोगी शैयायुक्त) किशनगढ़ (मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/पोस्टमार्टम सेन्टर)	कनिष्ठ विशेषज्ञ	9	9
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	8	8
		दन्त चिकित्सक	1	1
		मेलनर्स श्रेणी प्रथम	6	5
		सिस्टर	2	2
		मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	15	15
		स्टाफ नर्स	10	8
		ओ.टी. नर्स-II	1	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	2
		प्रसाविका	3	3
		रेडियोग्राफर	1	1
		एक्सरे टैक्नीशियन	1	1
		वरिष्ठ लेब. टैक्नोशियन	1	1
		डेन्टल टैक्नीशियन	1	—
		लेब. टैक्नीशियन	1	1
		कार्यालय सहायक	1	—
		वरिष्ठ लिपिक	2	2
		कनिष्ठ लिपिक	3	3
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1
		वाहन चालक	2	2
		परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	1

1	2	3	4	5
		थियेटर सहायक	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	19	19
2.	सिटी डिस्पेंसरी, किशनगढ़	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	2	2
		स्टाफ नर्स	2	2
		प्रसाविका	2	2
		वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3
3.	नगर परिवार कल्याण केन्द्र, किशनगढ़	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	1
		प्रसाविका	2	2
4.	ब्लाक प्रा.स्वा. केन्द्र, प्रसुति सेवाएं, रूपनगढ़	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	2	2
		मेलनर्स श्रेणी-II	2	2
		बी.एच.ए. मेल	1	1
		बी.एच.एस. फिमेल	1	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
		मलेरिया निरीक्षक	1	1
		सेक्टर सुपरवाइजर	4	4
		प्रसाविका मुख्यालय	2	2
		वरिष्ठ लिपिक	1	1
		वाहन चालक	1	1
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	4	3
		मलेरिया टैक्नीशियन	1	1
		संगणक	1	1

264

1	2	3	4	5
5.	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र प्रसूति सेवाएं, मराई	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—
		चिकित्सा अधिकारी	2	2
		मेलनर्स श्रेणी-II	2	2
		बी.एच.एस. मेल	1	1
		बी.एच.एस. फिमेल	1	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—
		मलेरिया निरीक्षक	1	—
		प्रसाविका	2	2
		वरिष्ठ लिपिक	1	—
		संगणक	1	—
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1
		वाहन चालक	2	1
		सेक्टर सुपरवाइजर	4	4
		वार्डब्वाय/स्वीपर	4	3
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र, करकेडी	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स ग्रेड-II	1	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1
		लेब. टैक्नीशियन	1	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र, हुरमाड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
		लेब. टैक्नीशियन	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3

1	2	3	4	5
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुचील	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		नर्स दाई	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	3	3
9.	प्रा. स्वा. केन्द्र, भदूण	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स श्रेणी-II	2	2
		प्रसाविका	1	1
		लेब. टैक्नीशियन	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—
10.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोठियाना	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	3	2
		नर्स दाई	1	—
11.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, सिलोरा	मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
12.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, पिगलोद	मेलनर्स श्रेणी-II	1	—
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	2	2
13.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, स्योद	मेलनर्स श्रेणी-II	1	—
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	2	1
14.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, जाजोता	मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	2	1
15.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, भामोलाव	मेलनर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय/स्वीपर	2	2

1	2	3	4	5
16.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, कठसुरा	मेलनर्स श्रेणी–II	1	—
		प्रसाविका	1	—
		वार्डब्वाय	1	1
17.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, मदुन	मेलनर्स श्रेणी–II	2	—
		प्रसाविका	1	1
		वार्डब्वाय	1	—
18.	उपकेन्द्र, डीडवाना	प्रसाविका	1	1
19.	,, काकनियावास	,,	1	1
20.	,, सिटूटी	,,	1	1
21.	,, पनेर	,,	1	1
22.	,, चीताखेडा	,,	1	1
23.	,, कोटडी	,,	1	1
24.	,, पाटन	,,	1	1
25.	,, सलेमाबाद	,,	1	1
26.	,, खातोली	,,	1	1
27.	,, सरगांव	,,	1	1
28.	,, रघुनाथपुरा	,,	1	1
29.	,, मुण्डोलाव	,,	1	1
30.	,, छोटा नेरेना	,,	1	1
31.	,, अमरपुरा	,,	1	1
32.	,, थल	,,	1	1
33.	,, मिलावट	,,	1	1
34.	,, बान्दरसिंदरी	,,	1	1
35.	,, खाजपुरा	,,	1	1
36.	,, बरना	,,	1	1
37.	,, टीकावास	,,	1	1
38.	,, सुरसुरा	,,	1	—

1	2	3	4	5
39.	उपकेन्द्र, तिलोनिया	प्रसाविका	1	1
40.	,, रलावता	,,	1	1
41.	,, बिती	,,	1	1
42.	,, नलू	,,	1	1
43.	,, मण्डावरिया	,,	1	1
44.	,, दादिया	,,	1	1
45.	,, गागुन्दा	,,	1	1
46.	,, मोगादीप	,,	1	1
47.	,, सादोलिया	,,	1	1
48.	,, लाम्बा	,,	1	1
49.	,, भाकोडिया	,,	1	1
50.	,, डसूक	,,	1	1
51.	,, भिरोता	,,	1	1
52.	,, देवपुर	,,	1	1

(268)

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 441 का विवरण

आर. ए. सी. डिस्पेन्सरी में कार्यरत चिकित्सकों की सूचना :–

1.	न. बीकानेर	व. चि. अ.	1	डा. महेश कुमार पाण्डे	10. 8.88
2.	बीकानेर	चि. अ.	2	डा. बजरंग लाल	10.10.85
				डा. आर. के. व्यास	17.7.87
3.	कोटा	व. चि. अ.	1	डा. आर. सी. साहनी	8.91
4.	जोधपुर	चि. अ.	1	डा. सेसिल फान्सीसी	21.5.83
5.	जयपुर	व. चि. अ.	1	डा. हर्षचन्द गुप्ता	25.6.84
6.	जयपुर	व. चि. अ.	1	डा. रणजीत सिंह बगा	4.7.90
7.	धौलपुर	व. चि. अ.	1	डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल	19.12.84
8.	जोधपुर	व. चि. अ.	1	डा. केदारनाथ पुरोहित	9.88
9.	सोजत ट्रेनिंग जोधपुर	व. चि. अ.	1	डा. जी. एम. सिंघवी	26.2.83
10.	किशनगढ़	व. चि. अ.	1	डा. राम प्रसाद गर्ग	1.10.91
11.	खेरवाड़ा	व. चि. अ.	1	डा. ओम प्रकाश मेहता	3.9.88
12.	सिविल डिस्पे जयपुर	व. चि. अ.	1	डा. जय प्रकाश जैन	30.4.88
13.	ट्रेनिंग का. जयपुर	व. चि. अ.	1	डा. बी. आर. श्रीवास्तव	14.5.77

जेल डिस्पेन्सरी में कार्यरत चिकित्सकों की सूची

1.	अजमेर	व. चि. अ.	1	डा. आसुतोष श्रीवास्तव	7.8.91
2.	जयपुर	व. चि. अ.	1	डा. एस. के. पारीक	मार्च, 94
3.	भरतपुर	व. चि. अ.	1	डा. भोपाल सिंह चौधरी	4.92
4.	धौलपुर	व. चि. अ.	1	डा. राजेन्द्र प्रसाद मोदी	9.11.89
5.	अलवर	व. चि. अ.	1	डा. सुभाष सपड़ा	19.2.94
6.	बीकानेर	व. चि. अ.	1	डा. सुरेश चन्द्र माथुर	1.7.90
7.	जोधपुर	व. चि. अ.	1	डा. गुलाब रबानी	12.89
8.	कोटा	व. चि. अ.	1	डा. इफतुराउलहक	8.93
9.	उदयपुर	व. चि. अ.	1	डा. श्याम सुन्दर गुप्त	1.11.88

अन्य संस्थायें

1.	क्षय एवं वक्ष चिकित्सालय जयपुर	क. वि. (शल्य)	डा. एस. के. सरकार	30.5.87

269

2.	जे. के. लोन अस्पताल जयपुर	क. वि. (शल्य)	डा. मोहम्मद जफर	11.12.90
3.	सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर	,, (ई.एन.टी.)	डा. नरेन्द्र लोढ़ा	15.9.93
4.	आई. ई. सी. ब्यूरो	सहा. आचार्य	डा. एस. डी. गुप्ता	11.1.93
5.	,, ,,	सहा. आचार्य	डा. के. एल. पोखरना	28.11.90
6.	नारु उन्मूलन योजना	(स्वा. शिक्षा) सहा. आचार्य (पी.एस.एम)	डा. एस. सी. माहेश्वरी	21.9.93
7.	ओ.टी.एस. (एच.सी.एम.) संस्थान	सहा. आचार्य (पी.एस.एम.)	डा. डी. के. मंगल	5.7.90
8.	विश्व खाद्य कार्यक्रम बीकानेर	क. वि.	1 डा. (श्रीमती) कमला काला	10.7.90
9.	,, ,, भीकमपुर	चि. अ.	1 डा. कालूराम मीना	1.10.91
10.	,, ,, बज्जू	चि. अ.	1 डा. शैलेन्द्र माथुर	8.92
11.	विश्व खाद्य कार्यक्रम			
	बीकानेर	चि. अ.	1 डा. अनिल मेहता	22.8.91
	मोहनगढ़	चि. अ.	1 डा. शिव प्रसाद स्वामी	11.10.91
12.	,, ,, रामगढ़	चि. अ.	1 डा. माधव शर्मा	13.12.91
13.	इ.गा.न.पि. बीकमपुर	चि. अ.	1 डा. घनश्याम पंवार	13.9.91
14.	,, ,, फलोदी	चि. अ.	1 डा. दिनेश कुमार शर्मा	23.6.92
15.	जाकम. परियो.			
	चित्तौड़	चि. अ.	1 डा. हेमन्त गुप्ता	1.7.93
16.	माही बजाज सागर	चि. अ.	1 डा. जे. डी. जैन	1.2.87
17.	पुलिस डिस्पे. अजमेर	चि. अ.	1 डा. चन्द्र शेखर शर्मा	20.5.89

विभिन्न विभागों/बोर्ड/कालेज के अधीन चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत/कार्यरत चिकित्सकों की सूची :-

क्र. सं.	नाम व पद	संस्थान	दिनांक	विशेष विवरण
1.	डा. एन. सी. आंचलिया, चि. अ.	थर्मल पावर प्रोजेक्ट डिस्पे. कोटा	31.1.91	
2.	डा. (श्रीमती) निधि सक्सेना, चि. अ.	यथा	29.2.92	
3.	डा. ओम प्रकाश शर्मा, व. चि. अ.	राज. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर	28.8.92	
4.	डा. सूरज प्रकाश माथुर, चि. अ.	रीजनल इन्जीनियर कालेज जयपुर	5.1.89	
5.	डा. (श्रीमती) लक्ष्मी मारिल, चि. अ.	रीजनल कालेज ऑफ एजूकेशन अजमेर	2/92	
6.	डा. मुस्ताक अहमद चि. अ.	इन्जीनियरिंग कालेज, कोटा	7/93	

(271)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 451 का विवरण

बंजर भूमि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 1994 तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृति की तारीख
1.	झालावाड़	3	1–डग	14.3.92
			2–बकानी	14.3.92
			3–महाराजपुरा	23.12.93
2.	जोधपुर	1	1–कायलाना	24.3.93
3.	उदयपुर	1	1–आयड़	24.3.93
4.	टोंक	1	1–उनियारा–निवाई –टोंक	30.3.93
5.	भीलवाड़ा	1	1–हुरड़, बनेड़ा, जहाजपुर	23.3.93
6.	सीकर	1	1–बालेश्वर	30.3.93
7.	जयपुर	2	1–धुंध नदी	9.12.93
			2–कूकस डेम	21.12.93
		10		

क्र.सं.	जिले का नाम	वाटर शेड	आवंटित राशि वर्षवार			व्यय की गई राशि
			90-91	91-92	92-93	92-93
1.	झालावाड़	1–डग	—	—	36.27	22.22
		2–बकानी	—	—	22.24	21.12
2.	जोधपुर	3–कायलाना	—	—	52.38	54.74
3.	उदयपुर	4–झायड़	—	—	74.14	05.35
					185.03	103.43

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 का विवरण

पाली जिले में स्थित छात्रावासों को मदवार खर्च का विवरण

परिशिष्ट-अ

क. सं.	योजना	विवरण	90-91	91-92	92-93	93-94	योग
1-	अनु. जाति छात्रावास-9	मैस भत्ता व्यय	287095	460095	663635	567970	1978795
2-	,, ,,	स्टेशनरी व्यय	9840	12780	15600	16400	54620
3-	,, ,,	रसोईयों पर व्यय	31500	38500	39874	43300	153174
4-	,, ,,	चौकीदार पर व्यय	4200	12600	18500	21875	57175
5-	,, ,,	वेतन पर व्यय	149754	128370	217540	159480	655144
6-	,, ,,	यात्रा-भत्ता	1900	2890	17041	8109	29940
7-	,, ,,	चिकित्सा व्यय	1960	2160	3105	767	7992
8-	,, ,,	भवन किराया	25490	34490	49750	29470	139200
	योग :- 9		511739	691885	1025045	847371	3076040

273

1	2	3	4	5	6	7	8
1–	स्वच्छकार योजना–3	मैस भत्ता	87091	137170	146760	143471	514492
2–	,, ,,	स्टेशनरी	4220	4420	3920	3760	15320
3–	,, ,,	रसोईयों पर व्यय	10500	10500	9670	9450	40120
4–	,, ,,	चौकीदार पर व्यय	12600	12600	12600	11550	49350
5–	,, ,,	वेतन	40280	48950	66320	62605	218155
6–	,, ,,	यात्रा-भत्ता	1980	7506	5816	1793	17095
7–	,, ,,	चिकित्सा व्यय	1000	780	1810	—	3590
8–	,, ,,	भवन किराया	5940	42151	25000	16290	89381
	योग :– 3–		163611	264077	271896	248919	948503
1–	अनुसूचित जन जाति छात्रावास–5	मैस भत्ता	249384	481740	410502	273338	1414964

1	2	3	4	5	6	7	8
2–	अनुसूचित जन जाति छात्रावास–5	स्टेशनरी	8680	9980	10200	6260	35120
3–	,, ,,	रसोईया पर व्यय	28000	31500	28270	28350	116120
4–	,, ,,	वेतन	55650	125060	116980	187380	485070
5–	,, ,,	चौकीदार पर व्यय	4200	7700	8400	7700	28000
6–	,, ,,	यात्रा-भत्ता	2730	4314	8773	3957	19774
7–	,, ,,	चिकित्सा व्यय	3340	1850	3100	1485	9775
8–	,, ,,	भवन किराया	9350	9350	31400	44200	94300
	योग : 5		361334	671494	617625	552670	2203123

275

276

प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध सुविधायें :–

1. भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, तेल, साबुन, जूते, की सुविधा हेतु 250/– रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से साढ़े नौ माह के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रत्येक सत्र में 9 से 12 तक के छात्रों को 60 रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र पुस्तकें/स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते है।

3. प्रति छात्र को उपयोग हेतु निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :–

   1. दरी
   2. दो कम्बल
   3. एक तकिया मय दो गिलाफ
   4. दो चादर
   5. एक गद्दा
   6. एक थाली
   7. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)
   8. दो कटोरी
   9. चारपाई या तख्ता
   10. अलमारी या लोहे का बक्सा

4. प्रत्येक छात्रावास में कठिन विषयों जैसे—गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को पढ़ाने हेतु विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके लिए प्रत्येक विषय हेतु 200/– रुपये प्रतिमाह नवम्बर से फरवरी माह तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-16

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं)

हथकरघा बुनकरों की बेरोजगारी की समस्या

[श्री गोपीराम जाट (आमेर)]

राजस्थान राज्य में हथकरघा (हैण्डलूम) का कार्य राजस्थान हथकरघा सहकारी निगम एवं बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से किया जाता है । इन दोनों संस्थाओं का मूल उद्देश्य राजस्थान में हैण्डलूम का कार्य बढ़ाकर बुनकरों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। काफी छोटी-छोटी समितियां व संस्थाएं भी अपने बुनकर सदस्यों के माध्यम से हैण्डलूम का कार्य करवाती है ।

हैण्डलूम का कपड़ा एवं गोज बैण्डेज सरकार कर्मचारियों की वर्दियों एवं अस्पताल हेतु उपरोक्त संस्थाओं से क्रय करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध हो । हैण्डलूम बोर्ड एवं बुनकर संघ यह कपड़ा एवं गोज बैण्डेज बुनकर सहकारी समितियों से क्रय कर सरकार को सप्लाई करता है । यह व्यवस्था काफी अरसे से चल रही थी परन्तु इस वर्ष रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने यह आदेश जारी किये हैं कि समितियों को कच्चा माल (सूत) बुनकर संघ ही उपलब्ध करवाये एवं कपड़ा एवं गोज बैण्डेज तैयार करवाये समितियां खुले बाजार से कच्चा माल क्रय नहीं कर पाती । मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि बुनकर संघ के पास इतना पैसा नहीं है कि वह सूत क्रय कर समितियों को उपलब्ध करवा सके चूंकि बुनकर संघ सूत उपलब्ध करवा नहीं सकेगा, समितियां बाजार से क्रय कर नहीं सकतीं, इस प्रकार जो बुनकर समितियों के माध्यम से रोजगार पा रहे थे वे सभी बेरोजगार हो गये हैं ।

वित्तीय वर्ष 93-94 समाप्ति पर है, विभिन्न विभागों के 4 करोड़ के कपड़े एवं गोज बैण्डेज के आदेश बुनकर संघ एवं हैण्डलूम बोर्ड के पास पड़े है परन्तु दोनों ही संस्थाएं सप्लाई करने में सक्षम नहीं हैं । चूंकि सी.एस.पी.ओ. के तहत इन संस्थाओं के माध्यम से ही कपड़ा एवं गोज क्रय किया जाना है । ऐसी स्थिति में या तो बजट लैप्स होगा या कर्मचारियों को न तो वर्दी मिलेगी, न ही अस्पताल में गोज बैण्डेज होगा । एन.टी सी. गोज बैण्डेज बनाती नहीं है ऐसी स्थिति में यह सामान खुले बाजार से क्रय करने का विकल्प रहेगा जिससे व्यापारियों को लाभ होगा एवं बुनकर बेरोजगार होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बुनकरों से रोजगार क्यों छीना जा रहा है । क्या बुनकर संघ सभी समितियों को सूत उपलब्ध करवाने में सक्षम है ? यदि नहीं, तो बुनकर समितियों पर यह पाबन्दी क्यों लगायी है कि वह केवल बुनकर संघ से ही सूत लेवें ? क्या इससे बुनकर बेरोजगार नहीं होंगे ?

278

बामनवास में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति

[श्री हीरालाल (बामनवास)]

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जिला अधिकारियों द्वारा अभी तक एक भी निर्माण कार्य अकाल सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं कराया गया है।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में निम्न कार्य करवाये जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जाए ताकि विधान सभा क्षेत्र में गरीब परिवारों को मजदूरी मिल सके और जन उपयोगी कार्य हमेशा जनता के उपयोग में आते रहें :-

1. तालाब एवं तलाइयों की खुदाई एवं मरम्मत
2. विद्यालयों के कमरे, बाउन्ड्री तथा दीवारें
3. पीने के पानी हेतु कूप निर्माण कार्य
4. रोड एवं लिंक रोड बनवायी जाए ताकि ग्रामीण जनता को आने-जाने में सुविधा हो सके।
5. पानी की रुकावट हेतु एनिकट बनवाया जाए।
6. नहरों की खुदाई एवं मरम्मत

अतः बामनवास विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त सुझाव के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करें ताकि गरीब जनता को अकाल के समय में मजदूरी मिल सके तथा निर्माण कार्य हो सकें।

धौलपुर के ओंड्ला बांध की मरम्मत

[श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)]

धौलपुर के पास में रियासत काल का बना हुआ ओंड्ला बांध सन् 1984 से टूटा पड़ा है। इसके ठीक नहीं होने के कारण ग्राम रुपसपुर, ठकुरीका पुरा, गुज्जापुरा एवं काजीपुरा गांवों की करीब 200 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है। गर्मियों के दिनों में पशुओं के पीने के पानी का अन्य कोई साधन नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

पूर्व में सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाकर इस बांध की मरम्मत हेतु 9 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत करवायी थी एवं करीब 5-6 वर्ष पूर्व दो लाख रुपये के लगभग

इस पर व्यय भी किया गया था। किन्तु बाद में न जाने किन कारणों की वजह से इसका काम रोक दिया गया। राज्य सरकार को जनहित के इस महत्वपूर्ण काम, जिसका सीधा सम्बन्ध जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसी कौन सी बाधायें सामने आ गयी जिसके कारण पेयजल व सिंचाई जैसे जन कल्याणकारी कार्य को रोक दिया गया।

सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, अतः इस जन कल्याणकारी कार्य की ओर तत्काल ध्यान देकर इस बांध की मरम्मत का कार्य शीघ्र करने की घोषणा करनी चाहिए।

—×—

आर.ए.एस. (प्रारम्भिक) परीक्षा; 1993 के परिणाम में खामियां

[श्री लक्ष्मणसिंह (भीम)]

आर.ए.एस. (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1993 के घोषित परिणाम में गम्भीर खामियां रही हैं, जैसे-

1- राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिस पद्धति (माडरेशन) के आधार पर परिणाम तैयार किया है, उस पद्धति (मोडरेशन) के बारे में रिक्तियों के विज्ञापन के साथ घोषणा नहीं की थी, तो फिर परीक्षा परिणाम तैयार करने में मोडरेशन क्यों अपनाया ?

2- इस परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुत असंगत, असमान तथा गलत थे। गणित में 29 प्रश्न गलत थे। समाज शास्त्र में 24 प्रश्न गलत थे। दर्शन शास्त्र में 15 प्रश्न गलत थे। राजनीति शास्त्र में 25 प्रश्न गलत थे। इतिहास में 2 प्रश्न भ्रमित थे। विधि में 7 प्रश्न भ्रमित थे। जब इतने प्रश्न गलत हो तो प्रतियोगी परीक्षा में निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रहती है।

3- गणित विषय के परीक्षार्थियों को एक सही जवाब के लिए 2-3/4 अंक दिये जबकि अन्य विषय के परीक्षार्थियों को एक सही जवाब में मात्र दो अंक दिए। यह 3/4 अंक का फर्क आ गया तो 100 सही जवाब में अन्तर करीब 75 नम्बरों का रह जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी घोर असमानता नहीं होनी चाहिए।

4- प्रत्येक विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का अनुपात समान नहीं रखा गया, जैसे लोक प्रशासन में 11 प्रतिशत उत्तीर्ण घोषित किये गये जबकि विधि से मात्र 7-1/2 प्रतिशत ही प्रतियोगी ही उत्तीर्ण घोषित किये गये थे, असमानता क्यों ?

5- एक सीट के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में मात्र 15 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पात्र घोषित करना छात्रों के हितों के प्रति प्रतिकूल है क्योंकि इस अनुपात के कारण छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह मुख्य परीक्षा से वंचित हो गया हैं तथा व्यापक असंतोष उसी का परिणाम है जो प्रदेश भर में व्याप्त है।

6- प्रारम्भिक परीक्षा तो मात्र स्क्रीनिंग टैस्ट है, इसके अंक अंतिम चयन हेतु नहीं जुड़ते है, लिहाजा इस अनुपात को बढ़ाकर 50 गुणा किया जाना चाहिए ताकि परिश्रमी और मेधावी छात्र मुख्य परीक्षा से वंचित न हो।

7- गत वर्षों में भी मुख्य परीक्षा हेतु 10-12 हजार प्रतियोगी भाग लेते रहे है, जैसा कि 1991 में 94 सीटों के लिए करीब 11,000 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी। इसी प्रकार 1992 में 156 सीटों के लिए करीब 13,000 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में बैठे थे जबकि इस बार 1993 की 327 सीटों के लिए अभी तक मात्र 4,500 परीक्षार्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी है, जिसे बढ़ाकर करीब 10-12 हजार किया जाना चाहिए।

8- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों को भी सही अनुपात में पात्र घोषित नहीं किया गया है।

—x—

दांतारामगढ़ में खारे पानी की समस्या

[श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रलावता, जीण माता, मोमेड़ा, मोहनपुरा में खारा पानी होने से पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है। आने वाली गर्मियों में इन ग्रामों में पीने के पानी की घोर समस्या उत्पन्न होगी।

इन ग्रामों में खारा पानी होने के कारण जलदाय विभाग, सीकर ने एक रीजनल स्कीम बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। लेकिन लम्बे समय से स्वीकृति नहीं होने के कारण समस्या और अधिक गम्भीर होती जा रही है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाली गर्मियों में इन ग्रामों के लोगों को एक बून्द पानी भी नहीं मिलेगा।

—x—

281

मोहदरा में पेयजल समस्या

[श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)]

ग्राम महोदरा पंचायत समिति शाहबाद जिला बारां में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। वहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग कीड़ों का पानी पी रहे हैं जिसके उपयोग से बीमारी होने का अन्देशा हो गया है। इस ग्राम में जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनका जलस्तर 300 फीट नीचे चला गया है तथा यहां जो एक सरकारी कुआ है उसमें विद्युत मोटर कनेक्शन लगाकर उक्त ग्राम की समस्या का निदान किया जाना जिला कलक्टर बारां द्वारा आश्वासन देने के उपरान्त भी अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है जबकि इस समस्या से निपटने के लिए एक ट्यूबवैल लगवाया जाना भी प्रस्तावित है जो सहरिया बस्ती की तरफ ही लगाया जावे क्योंकि अन्य समाज के लोग इन्हें कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। इस स्थिति में ग्राम महोदरा पंचायत समिति शाहबाद, जिला बारां में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्ले की तरफ ही ट्यूबवैल लगा कर वहां के गरीब सहरिया आदिवासियों एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के पीने के पानी की समस्या का निदान करायें।

—X—

बीकानेर में मालकाना व सरचार्ज की अधिक वसूली

[श्री रेवतराम पंवार (नोखा)]

बीकानेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी के काश्तकार काबिज हैं इन काश्तकारों को सरकार अभी भी गैर खातेदार मान रही है। इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम बने हुए थे लेकिन सरकार ने इन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिए और नियमों की पालना नहीं की, जो सरकार की एक भयंकर भूल है और इन गैर खातेदारों के प्रति उपेक्षा व अन्याय करना है। ये गैर खातेदार सन् 1955 के पूर्व के हैं और लगभग 40 वर्ष पूर्ण हो गये हैं लेकिन फिर भी सरकार ने इतनी दीर्घ अवधि समाप्त होने के बावजूद खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये। इसके फलस्वरूप इनकी जो भूमि सिंचित क्षेत्र में आ रही है उसके लिए बहुत अधिक दर से मालकाना व सरचार्ज वसूल किया जा रहा है और इनके साथ असमानता का बर्ताव किया जा रहा है, जो न्याय की दृष्टि में मान्य नहीं है।

सन् 1955 से पूर्व के गैर खातेदारों की कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि पर सरकार भू-राजस्व 481 रुपये तथा मालकाना 400/- रुपये और सरचार्ज 722 रुपये प्रतिवर्ष

वसूल कर रही है। इसी प्रकार की भूमि पर जो पुख्ता आबंटी व खातेदारी है, को बारानी भूमि सिंचित होने पर 50 बीघा भूमि का भू-राजस्व 81 रुपये और सरचार्ज 122 रुपये प्रतिवर्ष वसूल किया जाता है। इस प्रकार सन् 1955 के पूर्व के गैर खातेदारों के 50 बीघा भूमि का भू-राजस्व व अन्य सरचार्ज आदि 1203 रुपये वसूल होता है और पुख्ता भू-आबंटी से 203 रुपये ही वसूल होता है। यह असमानता बहुत अधिक है और इस असामनता के कारण सन् 55 के पूर्व के गैर खातेदारों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी से काबिज काश्तकारों एवं पुख्ता आबंटी काश्तकारों के बीच सरकार को भू-राजस्व आदि वसूल करने में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिये और दोनों प्रकार के काश्तकारों से भू-राजस्व, सरचार्ज आदि समान वसूल करना चाहिए।

इस क्षेत्र के गैर खातेदार पुख्ता आबंटी को मालकाना की अदायगी से पृथक रखा जा रहा है जबकि 1955 से पूर्व के गैर खातेदारों को मालकाने की अदायगी के लिये पाबन्द किया जा रहा है ?

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार के इस असमान व्यवहार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि बीकानेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के सन् 1955 से पूर्व के गैर खातेदारों और इसी क्षेत्र के पुख्ता आबंटी गैर खातेदारों से भू-राजस्व सरचार्ज और मालकाना एक ही दर से वसूल किया जावे और यदि मालकाने की छूट पुख्ता आबंटी को दी जा रही है तो यह छूट जब से पुख्ता आबंटियों को दी जा रही है, उसी तिथि से सन् 55 से पूर्व के गैर खातेदारों को भी दी जाये और उनसे अब तक जो मालकाने की राशि वसूल की गई है, वह पुन: वापिस लौटायी जाए जिससे कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो सके और भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान माने जाने का जो सिद्धांत तय किया गया है वह प्रतिपादित हो सके। मेरी यह भी मांग है कि इस क्षेत्र में सन् 1955 से पूर्व के जो गैर खातेदार हैं उन्हें खातेदारी हक नियम लागू होने की तिथि से प्रदान किये जाएं और उनका खातेदारी हक भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाए।

दिनांक 8.3.94 से श्रीमान्जी उक्त 295 का समय 1.55 तय था उसकी जगह 12.55 पर ही नाम पुकार दिया गया। मैं सदन में हाजिर नहीं था। क्योंकि सदन की कार्यवाही में प्रतिपक्ष द्वारा नारेबाजी की जा रही थी इसलिए इसके लिए दुबारा अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

—X—

जयपुर की चन्दो उर्फ पूनम दहेज हत्याकाण्ड के मुलजिमान को पुलिस संरक्षण

[श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)]

प्रभुदयाल सैन की पुत्री चन्दो उर्फ पूनम को दहेज के लोलुप, लालची उसके पति पवन कुमार, जेठ राजू, श्वसुर रामसहाय एवं सास श्रीमती सजना द्वारा दिनांक 27 एवं 28.6.1992 की रात्रि को लगभग 4-5 बजे निर्ममता से जलाकर मार डाला, जिसकी श्री सैन ने एफ.आई.आर. संख्या 11/92 दिनांक 20.8.92 महिला पुलिस थाना जयपुर में दर्ज करायी थी।

उक्त काण्ड को पहले तो स्थानीय पुलिस थाना सोडाला एवं महिला थाने के पुलिस अधिकारियों ने दबा देने व अभियुक्त पक्ष से रुपये लेकर राजीनामा कर लेने के लिए श्री सैन पर दबाव डाला किन्तु श्री सैन द्वारा उच्च अधिकारियों व सरकार के समक्ष प्रतिवेदन करने के कारण उक्त केस को फिर से खोला जाकर एडीशनल एस.पी. (दक्षिण) जयपुर-शहर, जयपुर के सुपुर्द किया है किन्तु अब तत्सम्बन्धित पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले को चलता करने व अभियुक्त पक्ष के लोगों को नाजायज तौर से बचाने के उद्देश्य से व उक्त केस में सिर्फ मृतका के पति पवन कुमार के खिलाफ ही चालान पेश करने जा रहे हैं व शेष अभियुक्तगण श्वसुर रामसहाय, सास सजना व जेठ राजू को केस से बाहर निकाल दिया व छोड़ दिया है। ये लोग पुलिस से इतने ज्यादा सम्पर्क में हैं कि उन्हें आज तक न तो पुलिस ने गिरफ्तार ही किया है और न उन्होंने अपनी जमानतों के लिए आवेदन ही किया है। पुलिस उन समाज कण्टकों व दहेज के लालची जालिम हत्यारों को केस से निकाल कर महान अन्याय कर रही है।

अभियुक्तगण श्वसुर रामसहाय व जेठ राजू जो मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत सरकारी कर्मचारी है, जो कि अपने प्रभाव व पैसे के बल पर श्री सैन को न्याय नहीं मिलने दे रहे है। इन्होंने ही अपने प्रभाव के दम पर राज्य सरकार व एस. एम. एस. अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारियों से मिलीभगत करके मामले को दबा देने की पूरी-पूरी कोशिश की थी।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के माध्यम से गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज लोभी श्री रामसहाय, पवन कुमार, राजू व श्रीमती सजना को गिरफ्तार करवा कर श्री सैन को न्याय दिलाया जावे ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो सके।

—X—

284

श्री डूंगरगढ़ के ग्रामों को जर्मन आर्थिक सहायतार्थ पेयजल योजना में सम्मिलित करने बाबत

[श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)]

श्रीमन् मुझे जानकारी मिली है कि जिला चूरू तथा गंगानगर जिलों के 325 ग्रामों को जर्मन आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत 253 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च किए जाएंगे।

महोदय, उक्त योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू (समस्त श्री डूंगरगढ़ तहसील) के एक भी ग्राम को पेयजल हेतु इस योजना में नहीं लिया गया है जो कि एक अत्यन्त खेदजनक बात हैं और इससे ग्रामवासियों में काफी रोष उत्पन्न हो गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त योजना पर पुनः एक बार पुनर्विचार कर श्री डूंगरगढ़ तहसील के समस्त गांवों को सम्मिलित करने का कष्ट करें, ताकि पेयजल की समस्या जो कि काफी अरसे से चली आ रही है, का समाधान हो सके।

—×—

रामगंज मण्डी के पारथी परिवारों की पुलिस द्वारा बेदखली

[श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी)]

रामगंज मण्डी की सुभाष कॉलोनी के किनारे वर्षों से पारथियों के परिवार मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर वहां पर निवास करते थे। यह जाति बहुत ही गरीब जाति होती है एवं छोटी-मोटी चीजें बेचकर अपना जीवन-यापन करती है। पिछले काफी वर्षों से ये लोग सुभाष कालोनी के किनारे पड़े हुए थे।

मान्यवर, कुछ धन्ना सेठों को इन गरीब लोगों का वहां रहना खटकता था एवं इन लोगों ने अपने पैसे के बल पर स्थानीय पुलिस को खरीद कर रातों-रात इन गरीब लोगों के घरों को तहस-नहस कर दिया एवं इनका सारा खाने-पीने का सामान भी उजाड़ दिया। ये लोग भूखे-नंगे हो गये। ओढ़ने-बिछाने के लिए इन लोगों के पास कपड़े नहीं रहे।

श्रीमन्, जब इन लोगों ने स्थानीय अधिकारी एस.डी.ओ. आदि से मिलकर मदद करने की कोशिश की उन्होंने इन्हें बिना कुछ कार्यवाही किये वहां से भगा दिया। महोदय, ये लोग, इनकी औरतें व बच्चे आज रामगंज मण्डी में घर-घर जाकर भीख मांग रहे हैं। जब इन्होंने अपने घर उजाड़ने के लिये पुलिस वालों के हाथ जोड़े व

मिन्नतें मांगी तो भी पुलिस वालों ने इन पर भारी डंडे बरसाये एवं कई औरतों व बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। पुलिस के डण्डों की मार से कुछ युवतियों के जांघों तथा पैरों पर नीले गहरे निशान तक भी पड़ गये।

मान्यवर, जनतंत्र में धन्ना सेठों के आदेशों से पुलिस द्वारा गरीबों के घर उजाड़े जाए एवं गरीब हर अधिकारी के पास न्याय की भीख मांगता फिरे किन्तु उसे न्याय नहीं मिले तथा साथ ही उनकी बेरहमी से पिटाई की जाए, श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि स्थानीय एस.डी.ओ., डी.एस.पी. ने इनके प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही न कर इन गरीबों के साथ अन्याय किया है एवं दूसरी ओर धन्ना सेठों की मदद की है। अतः इन दोनों के खिलाफ जिला कलक्टर से जांच करवायी जाए एवं गरीब प्रार्थियों परिवारों को पुनः वहीं पर बसाये जाने में आदेश जारी करावें।

यह लोक महत्व का प्रश्न है अतः विशेष उल्लेख के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

—X—

व्याख्याताओं का स्थायीकरण

[श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)]

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 10–15 वर्षों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं के प्रति निरन्तर हो रहे अन्याय के प्रति राजस्थान के मुख्य मन्त्री व उच्च शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर, आपसे अविलम्ब प्रभावी हस्तक्षेप का आग्रह करता हूं।

कालेज व विश्वविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं का भविष्य एक लम्बे समय से अस्थायीकरण की नीति, स्थायी पद विद्यमान होने के बावजूद प्रति वर्ष स्थायी चयन नहीं करा पाने के तथा वर्तमान में स्थायी चयन हेतु आवेदन आमन्त्रित करने के कारण अत्यन्त ही संकटमय हो गया है। रूंगटा गत अनेक वर्षों से ज्ञापनों, प्रतिनिधि मण्डलों, विधान सभा पर प्रदर्शन, धरने एवं शिक्षक की गरिमा के अनुकूल शांतिपूर्ण माध्यमों से राज्य सरकार का ध्यान एवं विधान सभा का ध्यान आकर्षित करता रहा है। 26 फरवरी, 1992 को शिक्षकों द्वारा विधान सभा पर प्रदर्शन के समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इन शिक्षकों को निकट भविष्य में ही स्थायी करने का आश्वासन दिया था, उसके अनुरूप व आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की थी। परन्तु प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह कार्यवाही आवश्यक निर्णय में परिणत नहीं हो पायी। इसी बीच समस्त प्रक्रिया को उलटते हुए विश्वविद्यालयों से न्यूनतम अर्हताओं

286

में परिवर्तन कराये बिना ही राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन कर राजस्थान लोक सेवा आयोग से स्थायी चयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जो कि किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है। इसलिए आप का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

1. ये अस्थायी कालेज व्याख्याता लगभग 10–15 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। अब यह बिलकुल भी न्याय संगत नहीं कि इन्हें अपने ही द्वारा पढ़ाये गये छात्रों के साथ लोक सेवा आयोग में प्रतियोगिता करवा कर बेइज्जत किया जावे।

2. सरकार द्वारा सन् 1982, 1984 तथा 1986 के बाद स्थायी चयन नहीं कराये गए हैं जबकि उपयुक्त एवं न्यायसंगत तो यह होता कि प्रतिवर्ष सृजित होने वाले पदों पर चयन उसी वर्ष करा लिया जाता।

3. वर्तमान में कार्यरत अस्थायी शिक्षक अपनी प्रथम नियुक्ति के समय लागू शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करने के कारण ही नियुक्त किये गये थे। इन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। आज इनको अयोग्य मानना इनके साथ तो अन्याय है ही साथ ही उन विद्यार्थियों के प्रति भी अन्याय है, जिनको इन्होंने पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं। अतः रूगटा का आग्रह है कि इन किसी पर भी नवीन शैक्षणिक योग्यता नहीं लगानी चाहिए।

4. राज्य सरकार ने 17 जून, 1993 को व्याख्याताओं की योग्यता में परिवर्तन किया था जिसे कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है जबकि ये सभी नियुक्ति के समय प्रभावी शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने के बाद मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने पर नियुक्त हुए हैं।

5. यहां यह उल्लेखनीय है कि अस्थायी कालेज व्याख्याताओं के नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वैधानिक आरक्षण के नियम का पालन किया जाता रहा है।

6. अस्थायी व्याख्याताओं को नियमित करने से सरकार के राजकोष पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्यरत व्याख्याताओं को नियमित व्याख्याताओं के समान सभी लाभ सरकार द्वारा देय है।

7. पड़ौस के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी अध्यादेश द्वारा अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में तो यह कार्य तीन बार अलग-अलग दलों की सरकार द्वारा किया गया है। अभी हाल में मध्य प्रदेश की नयी सरकार ने लगभग 2700 कालेज व्याख्याताओं को स्थायी करने का निर्णय लिया है।

8. इन अस्थाई व्याख्याताओं की आयु सीमा, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा उभरते सामाजिक असन्तोष एवं कुण्ठाओं को नजर अन्दाज किया गया तो राज्य व समाज में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में कार्यरत सभी अस्थायी व्याख्याताओं को उनकी प्रथम नियुक्ति के समय प्रभावी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर योग्य मानकर विशेष चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी किया जाये। इस हेतु आवश्यक है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन की प्रक्रिया रोकी जाए। विश्वास है कि आप सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षकों के प्रति न्याय का पक्ष लेते हुए शिक्षकों के हितों की रक्षा करेंगे।

—X—

रामगढ़ में स्वीकृत खनन पट्टों का अनुबन्ध

[श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)]

माननीय खनिज मन्त्रीजी (मुख्य मन्त्री) का ध्यान इस लोक महत्व के अहम मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम रामगढ़, तहसील रायपुर, जिला पाली में मारबल खनिज का काफी क्षेत्र विद्यमान है। जिस पर नियमानुसार 23 आवेदन पत्र भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी सोजत सिटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उक्त आवेदनों में से 2 मार्बल खनन पट्टों (100 × 100 मीटर) का स्वीकृत के बाद संविदा निष्पादन हो चुका है, जो कार्यरत है तथा जिनका एल. एल. नम्बर 24/91 एवं 366/91 है। शेष आवेदनों में से 14 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन विभाग द्वारा गैर कानूनन तरीके से सरकार को गुमराह कर उनका संविदा निष्पादन नहीं होने दिया जा रहा है तथा शेष निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं।

उक्त आवेदन मैसर्स पुखराज ठोलिया के मेजर मिनरल क्षेत्र में पड़ते हैं मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के नियम 24 (4) के अनुसार मेजर मिनरल माइन्स ऑनर के प्राथमिकता के लिए उचित नोटिस देने के बाद मैसर्स पुखराज ठोलिया (मेजर मिनरल माइन ऑनर) द्वारा आवेदित 2 मार्बल खनन पट्टे विभाग द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं, तत्पश्चात् शेष आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।

श्रीमान् से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पूर्व में भी मेजर मिनरल माइनिंग लीजेज में—माइनर मिनरल के खनन पट्टे दिये जा चुके हैं। (उदाहरणार्थ—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, जयपुर आदि जिलों में)।

श्रीमान् मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन गत डेढ़-दो साल से लगातार खनिज अभियन्ता, सिरोही एवं निदेशक महोदय को बराबर स्मरण दिलाने पर भी लम्बित पड़े स्वीकृत आवेदनों का संविदा निष्पादन नहीं कराया गया जबकि

पूर्व खान सचिव श्रीमती कृष्णा भटनागर द्वारा प्रति. निदेशक श्री एस. के. हावा से उक्त प्रकरण में रिपोर्ट चाही गयी थी। जिस पर श्री हावा ने मार्बल लीज के एग्रीमेन्ट करने हेतु अपनी रिपोर्ट निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर दी है, इसके बाद निदेशक द्वारा 7 जून, 1993 को मार्बल लीजेज के एग्रीमेन्ट्स में एक सरक्यूलर द्वारा विशेष शर्त लगायी गयी कि यदि पट्टाधारी मार्बल खण्डों का निर्गमन लाइम स्टोन की तरह उपयोग में लाने हेतु करेगा तो उस पर लाइम स्टोन के लिए देय रायल्टी (वर्तमान में 25/– रुपये प्रति टन) अथवा जो भी निर्गमन के समय लागू हो भुगतान की जाएगी।

उक्त रिपोर्ट एवं सरक्यूलर के बाद भी निदेशक महोदय एवं खनिज अभियन्ता, सिरोही की मेजर मिनरल में माइनर मिनरल देने की आड़ में राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं तथा मार्बल खनिज को लाइम स्टोन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेजर मिनरल ऑनर के स्वार्थ की पूर्ति हो सके (क्योंकि मेजर मिनरल माइन ऑनर लाइम स्टोन खनिज मिनी सीमेन्ट प्लांट हेतु मेजर मिनरल लीज एग्रीमेन्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर ही शामिल करा सकता है) एवं राज्य सरकार के राजस्व को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हानि के लिए उत्तरदायी खनिज-अभियन्ता, सिरोही को बचाया जा सके।

श्रीमान् से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मार्बल क्षेत्र को लाइम स्टोन मान लिया गया तो कई बेरोजगारों का भविष्य तो अन्धकार में होगा ही, साथ ही राजस्व में भी काफी कमी आयेगी। जो निम्न प्रकार है :–

डेड रेण्ट :– लाइम स्टोन पर डेड रेण्ट 300 × 300 मीटर क्षेत्र के लिए रुपये 90,000/– प्रति वर्ष है। अतः प्रति हैक्टेयर रुपये 10,000/–. प्रति वर्ष होगा।

मार्बल पर डेड रेण्ट रुपये 25,000/– हैक्टेयर है। एक लाइम स्टोन क्षेत्र 300 मीटर × 300 मीटर जो कि 9 हैक्टेयर होता है में 9 मार्बल लीजेज 100 मीटर × 100 मीटर की दी जा सकती है। अतः 9 हैक्टेयर मार्बल का डेड रेण्ट रुपये 2,25,000/– रुपये प्रति वर्ष बनता है।

रॉयल्टी लाइम स्टोन पर — 25/–रुपये प्रति टन है।

रॉयल्टी मार्बल ब्लॉक पर — 90/–रुपये प्रति टन है।

तथा मार्बल खेडा पर — 25/–रुपये प्रति टन है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देंवे और पूर्व की भांति ग्राम रामगढ़,

जिला पाली में मार्बल के नाम से 100 मीटर × 100 मीटर की लीजेज आवंटन पर डी. एम. जी. द्वारा लगायी जा रही अड़चनों को आदेश प्रदान कर रुकवायें ताकि कई शिक्षित बेरोजगारों व गरीबों को खनन पट्टे मिल सकें व उनको रोजी-रोटी के साथ-साथ राज्य को भी लाखों रुपये की रायल्टी प्राप्त होती रहे।

रामगढ़ क्षेत्र जो कि एक पिछड़ा व अकालग्रस्त क्षेत्र है, उसका कुछ विकास हो सके एवं जहां कि सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, के मजदूर अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

—×—

डी. एच. एम. एस. डिग्री की एम. डी. (होमियोपैथिक) के प्रवेश हेतु मान्यता

[श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)]

राजस्थान के एक मात्र होम्योपैथिक मेडीकल कॉलेज, जयपुर में 16 मार्च, 1994 को एम. डी. (होम्यो.) के प्रवेश हेतु साक्षात्कार लिए जा रहे हैं।

राजस्थान का पहला पाठ्यक्रम जो कि डी.एच.एम.एस. 4 वर्ष 6 माह का था, इसको प्रवेश के लिए पूर्ण मान्य नहीं माना।

भारत के राजपत्र द्वारा डी. एम. एच. एस. को 16 नवम्बर, 1989 को आदेश निकाला जिसमें एक प्रावधान डी. एच. एम. एस. धारी चिकित्सकों के लिए रखा गया। इसके अन्तर्गत बिन्दु "अ" सहायक प्रोफेसर के पद पर हो या बिन्दु "ब" सात साल का अध्यापन का अनुभव रखता हो या बिन्दु "स" दस वर्ष का निजी प्रेक्टिस का अनुभव रखता हो, को एम. डी. पाठ्यक्रम के प्रवेश में स्पेशल प्रोविजन में मान्य माना।

राजस्थान विश्व विद्यालय ने इस राजपत्र का अनुसरण अपनी विवरणिका में अवश्य किया, लेकिन बिन्दु "अ" और "ब" को ही इसमें सम्मिलित किया और बिन्दु "स" को जो कि 10 वर्ष का निजी प्रेक्टिस का अनुभव रखता हो, हटा दिया।

इस बिन्दु को हटा देने से राजस्थान प्रदेश के लगभग 800 से 1000 चिकित्सक एम. डी. होम्यो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से वंचित हो जाते हैं, जैसा कि राजस्थान सरकार ने नियुक्तियों का आधार उच्चतम शिक्षा को ही महत्व देते हुए रखा। लेकिन उपरोक्त कार्यवाही से सभी डी. एच. एम. एस. धारी चिकित्सक पिछड़ जाते हैं। जिससे इन सभी को राज्य सरकार की सेवा का मोका भी नहीं मिल पाएगा।

290

डी. एच. एम. एस. पाठ्यक्रम जो कि केन्द्रीय होम्यो. परिषद, नयी दिल्ली द्वारा मान्य है, को 1983 में बन्द कर उसके स्थान पर 1986 में बी. एच. एम. एस. पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। डी. एच. एम. एस. के लिए इस परिषद ने एक मीटिंग 1990 में रखकर नियम बनाया जो कि 4 वर्ष 6 महीने का डी. एम. एच. एस. डिग्री के समतुल्य मानने का प्रावधान था। जिससे भारत सरकार के मन्त्रालय फैमेली एण्ड हेल्थ की सहमति लेकर देश के सभी प्रदेशों को 1992 में आदेशों को पारित कर पहुंचा दिया।

राजस्थान सरकार की आदेशों की अवहेलना के कारण सभी डी. एच. एम. एस. धारी चिकित्सक सरकारी सेवा के लायक तो नहीं रह जाते बल्कि उच्च अध्यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर से अनुरोध होगा कि उन सभी चिकित्सकों को उपरोक्त आधारों से एम. डी. में प्रवेश का प्रावधान रखवाकर अनुगृहित करें।

—×—